

दिनांक 27 फ़रवरी 2018 को  
विधान सभा में प्रस्तुत की गई।

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**


**का**

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**राजस्थान सरकार**

**वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4**



## विषय सूची

सन्दर्भ		विषय	
पृष्ठ संख्या	अनुच्छेद		
		<b>प्रस्तावना</b>	
1-2	1.1	जवाबदेयता संरचना	
2-3	1.2 - 1.4	राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी	
3	1.5	राज्य पीएसयूज में निवेश	
3-5	1.6 - 1.7	वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिभाम	
5-7	1.8	वित्त लेखों के साथ मिलान	
7	1.9	लेखों के आन्तरीकरण में बकाया	
8-9	1.10 - 1.12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	
9	1.13	लेखों के आन्तरीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	
9	1.14	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार	
10-13	1.15 - 1.19	पीएसयूज का निष्पादन	
13	1.20	अकाउंट्स पीएसयूज का समापन	
14-15	1.21 - 1.22	लेखा दियोगियां	
15	1.23	निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं अनुच्छेद	
15-17	1.24 - 1.26	लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही	
17	1.27	पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	
17	1.28	इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु	

### सांख्यिकीय क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रम

#### अध्याय I

#### विहंगावलोकन

VIII-XII

#### प्रस्तावना

V

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय II</b>		
<b>सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1 – 2.25	19-71
<b>अध्याय III</b>		
<b>अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप</b>		
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में सुधार-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 का क्रियान्वयन	3.1	73-82
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण नुकसान	3.2	83-85
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
शास्ति की वसूली नहीं करना	3.3	85-87
कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश के कारण अधिक भुगतान	3.4	87-88
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		
जिला खनिज फाउण्डेशन एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए ग्राहकों से अंशदान की वसूली का अभाव	3.5	89-90
कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांशों के कारण राजफोस की उत्पादन लागत बढ़ी एवं क्षतिपूर्ति का अनिवार्य भुगतान	3.6	91-93
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		
टोल संग्रहण हेतु निविदाओं का प्रक्रियाकरण	3.7	94-104
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड		
कर दायित्व के कम निर्धारण के कारण जुर्माने के रूप में ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.8	104-106
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		
व्यावहार्यता अन्तर अनुदान के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली पर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन	3.9	106-119
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
भविष्य निधि देयताओं को जमा कराने में चूक	3.10	119-121

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	123
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	124-128
2अ	सांविदनिक क्षेत्र के उपकर्मों (ऊर्जा क्षेत्र) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	129
2ब	सांविदनिक क्षेत्र के उपकर्मों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	130
3.	अनुमानित दरों से उच्च दरों पर निविदा प्रदान करने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	131-132
4.	दर्तकी ठेकेदारों से स्वीकार की गयी अधिक सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	133-135
5.	अधिक प्राण के कारण अप्रयुक्त पड़ी रहती सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	136-137
6.	निविदा प्रक्रिया को शुरू करने में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	138
7.	आरक्षित मूल्य के अर्जित निधारण के कारण नवनिर्मित सड़कों की प्रथम निविदा के अतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	139
8.	वर्तमान में जारी टोल अनुबंधों पर आरक्षित मूल्य के अर्जित निधारण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	140-141
9.	नवनिर्मित सड़कों पर समझौतों के निष्पादन में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	142
10.	व्ययित डिपोज के संबंध में राज्य सरकार से व्यावहारिकता अंतर के अतिरिक्त दावे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	143

अनुबंध



यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार की प्रस्तुत किया जाना हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य मण्डल व्यवस्था निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंशकों के घनत्व से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अर्पित किये जाते हैं।

4. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2016-2017 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2017 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

5. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।





विहंगावलोकन



## 1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के तहत होती है।

31 मार्च 2017 को राजस्थान में 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) जिसमें 42 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत पीएसयूज ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 62,186.43 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8.29 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

### राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2017 को 48 पीएसयूज में ₹ 1,37,679.06 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2012-13 के ₹ 72,018.13 करोड़ से 91.17 प्रतिशत बढ़ गया। ऊर्जा क्षेत्र ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान किये कुल निवेश का 92.79 प्रतिशत प्राप्त किया था। राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 31,115.76 करोड़ का अंशदान किया।

### पीएसयूज का कार्य निष्पादन

वर्ष 2016-17 में, 45 कार्यरत पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज ने ₹ 1,193.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 16 पीएसयूज ने ₹ 2,808.01 करोड़ की हानि वहन की। छः पीएसयूज में वर्ष 2016-17 हेतु न लाभ अथवा न हानि थी। साथ ही, 45 पीएसयूज में से 12 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2016-17 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2016-17 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। सरकार को इन पीएसयूज के बारे में आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 351.80 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 56.69 करोड़) एवं राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम (₹ 34.83 करोड़) मुख्य लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज थे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,028.68 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 615.75 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 336.69 करोड़), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 492.41

करोड़) एवं गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 235.97 करोड़) ने भारी हानियां वहन की थी।

राज्य पीएसयूज के पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 41,465.19 करोड़ एवं ₹ 1,01,241.75 करोड़ थे। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 48 पीएसयूज में से 19 में निवल संपत्ति का क्षरण हो गया था। इन 19 पीएसयूज का पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 25,219.56 करोड़ एवं ₹ 99,077.80 करोड़ थे। इन 19 पीएसयूज में से निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 24,446.69 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 23,213.83 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 22,829.59 करोड़), गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 329.14 करोड़) एवं बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (₹ 13.49 करोड़) में हुआ। ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में ₹ 38,026.84 करोड़ के पूंजीगत निवेश के समक्ष संचित हानियां ₹ 1,01,239.35 करोड़ थी। गैर ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में, निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 2,830.55 करोड़), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 103.11 करोड़), राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 47.20 करोड़), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 10.33 करोड़) एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (₹ 7.95 करोड़) में हुआ।

### **लेखों की गुणवत्ता**

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक अंतिम रूप दिये गये 43 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 30 मामले थे।

### **लेखों के बकाया एवं समापन**

30 सितम्बर 2017 को सात कार्यरत पीएसयूज के नौ लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से एक पीएसयू के तीन लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयूज के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

### **इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु**

इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा यथा 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 384.52 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

कम्पनी ने निर्धारित विहित विवरणों की पूर्ति नहीं करने वाली ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की निम्न गणवत्ता की सामग्री क्रय की। कम्पनी ने नयी निविदा में निम्नतर दरों के खर्चों के उपरोक्त भी आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, अतः संशोधित उच्चतर दरों पर सामग्री के क्रय एवं निविदाओं के अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के संपूर्ण अर्जुनी से पूर्व करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के संपूर्ण अर्जुनी से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, अतः संशोधित उच्चतर दरों पर सामग्री के क्रय एवं निविदाओं के अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के संपूर्ण अर्जुनी से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, अतः संशोधित उच्चतर दरों पर सामग्री के क्रय एवं निविदाओं के अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के संपूर्ण अर्जुनी से पूर्व

### सामग्री के प्रमाण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

कम्पनी ने यथान की गई 40 निविदाओं में से 29 निविदाओं (72.50 प्रतिशत) को 120 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अन्तिम रूप से निर्धारित किया। यह दर्शाता है कि 589 दिनों के मध्य भी साधक, संशोधित प्राणीकारी ने क्रय सैन्यअल के उर्वरक में अगले उच्चतर प्राणीकारी के अर्जुनी के बिना इन निविदाओं को अन्तिम रूप दिया।

### निविदाओं का अन्तिम निर्धारण

आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया। 2012-13 से 2016-17 के दौरान कम्पनी भी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना पिछले वर्ष के आधार पर पर किया गया था। साधक, क्रय नियोजन एवं प्रबंध समिति (पीपीएम समिति) द्वारा कार्यान्वयन/उपकरण/सामग्री की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रलेख उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एवं उपकरणों के पास जानल मुख्य अभियंता (जेसीई) को प्रस्तुत किये गये आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया। वृत्त यथान सहायक मण्डल (एसीओएस) एवं यथान उपकरणिय स्टाफ ने सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया।

### सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

निविदा प्रलेखों को पुनरीक्षित करने में विफल रही। कर दिया गया। कम्पनी, तथापि, अधिनियम/नियमों के अनुसरण क्रय सैन्यअल एवं मानक के प्रमाण, सेवाओं एवं कार्यों से संबंधित तत्समय लागू सभी नियमों एवं विनियमों को निष्पक्षीय (जनवरी 2012) एवं इसके अधीन नियम अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। अधिनियम के द्वारा माल (राजस्थान सरकार) द्वारा आरटीपीपी अधिनियम को लागू किया गया (मई 2012) एवं इसके अधीन नियम अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। अधिनियम के द्वारा माल (राजस्थान सरकार) द्वारा आरटीपीपी अधिनियम को लागू किया गया (मई 2012) एवं इसके अधीन नियम अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। अधिनियम के द्वारा माल

### राजस्थान लोक प्रशासन अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम)

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान यथान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के सामग्री के प्रमाण एवं प्रबंध कार्य को समन्वित करती है। कुछ संशोधित नीचे दी गई हैं:

### सामग्री के प्रमाण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

### यथान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

निर्धारण के लिए निर्धारित किया गया है। (v) सामग्री निर्धारण तकनीक के अपनाने एवं सामग्री के निर्धारित अभिलेख द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय पर तकनीकी विशेष विवरणों की कड़ी अनुरोधना को को प्रदान करना। (vi) निर्धारण एवं जांच क्रियाविधियों को मजबूत बनाना एवं आपूर्तिकर्ताओं निर्धारण, निर्धारण के निर्धारित क्रियाविधियों का पालन करना एवं विवेकपूर्ण ढंग से अनुरोधों प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना, (iii) निर्धारित समय सीमा में निर्धारणों का अन्तिम के अनुसरण कथन अन्तिम का पुनरीक्षण करना, (ii) सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की निर्धारण लेखापरीक्षा में उ: सिकारियों दी गई है निम्न (!) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों

**सिकारियों**

पर सामग्री का बीमा नहीं कराया गया।  
 आगामी की घटनाओं के लिए अवसर प्रदान किया। साथ ही, कम्पनी द्वारा उपकरणों की स्वी निर्धारणों के अभाव, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण एवं निर्धारण के अभाव ने गहन एवं कड़े के अधिलेख को इतना किया गया। निर्धारणों की संधारित नहीं करने एवं सत्यापन रिपोर्ट्स में मार्च 2017 को ₹ 2.28 करोड़ की असमायोजित कमी एवं ₹ 2.61 सामग्री को जमा भी नहीं किया गया। सामग्री सत्यापनकर्ताओं द्वारा सभी एसीओएस की मौलिक एसीओएस एवं उपकरणों की स्वी निर्धारणों को संधारित नहीं किया एवं आदेशानुसार एसीओएस स्वी पर अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

उपकरणों की स्वी पर अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।  
 फिक्स कायलियों से मांग में कमी के कारण ₹ 10.49 करोड़ मूल्य की सामग्री एसीओएस एवं के कारण स्वी में अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किया एवं के अभाव, निगम स्वीय क्रय समिति द्वारा अनुरोधों के समापन में देरी एवं तकनीक में परिवर्तन कम्पनी ने टर्नकी ठेकदारों से ₹ 8.18 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया जो आदेशों

**अधिशेष सामग्री, मजदूरों, आगामी एवं कमी तथा देरी, आगामी एवं गहन**

51 माह के बीच थी जबकि उपकरणों की स्वी के मामले में यह 16 एवं 57 माह के बीच थी।  
 नहीं किया। एसीओएस के मौलिक सत्यापन के अन्तर्गत समितित की गई समयावधि 12 एवं कम्पनी ने एसीओएस एवं उपकरणों की स्वी पर सामग्री का वार्षिक रूप से मौलिक सत्यापन

अनुमतिवित्त किया। मजदूरों को स्वी निर्धारणों के लिए सामग्री जारी की।  
 आदेशों का उल्लंघन किया एवं मुदित मांगों के स्थान पर स्वी निर्धारणों के समापन का उल्लंघन किया। अन्तिम कड़ी के अनुसरण जॉब कंडे संधारित नहीं किया था। सहायक अभियंताओं ने कायदेशी के लिए कार्य पर्यवेक्षण किया, टेंसफॉर्मेशन चलान रजिस्टर एवं प्रत्येक जॉब के लिए प्रयुक्त के बिना ही सामग्री जारी की गई। किसी भी यथिनत उपकरणों की स्वी ने प्रत्येक प्रयुक्त किचे गये मांगों पर कार्य पर्यवेक्षण किया का संदर्भ नहीं था एवं अनुमान कंडेस की सामग्री का अधिलेख संधारित नहीं किया गया। सभी यथिनत एसीओएस को उपकरणों द्वारा दे भी निर्धारित नहीं की गई। एसीओएस एवं उपकरणों की स्वी द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में विशेषण भी नहीं किया गया। मजदूरों पर किचे गये वास्तविक व्यय के आधार पर मजदूरों कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्वी को निर्धारित नहीं किया एवं मूल्य विशेषण अथवा चलन

**सामग्री निर्धारण**

अथवा धारिता सामग्री का क्रय किया गया।  
 ने बिना उचित निर्धारण एवं जांच किचे सामग्री का क्रय किया जिसके परिणामतः निम्न गणितः

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रम)

**(अनुच्छेद 3.4)**

राजस्थान राज्य विद्यार्थ उपादान निगम लिमिटेड ने कायादेहा में दीर्घपूर्णा वार्षिक की समीक्षा करके प्रतिवर्षीय रूप से अधिक मात्रा में छात्रों को अनुमति करने पर सूरतनाई एवं कोटा में परीक्षाओं पर उपादान को ₹ 2.08 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

**(अनुच्छेद 3.3)**

राजस्थान राज्य विद्यार्थ उपादान निगम लिमिटेड ने एक विशेष उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 4.80 करोड़ की राशि को उपादान का अभाव रहा है, कम्पनी द्वारा, फ्लॉइडिंग का आवंटित मात्रा को उपादान में राशि जमा करने में अक्षम रहने के कारण भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के विषय में उपादान के अनुमति राशि को ₹ 0.83 करोड़ जमा करने के लिए अन्य तीन उपादानों के लिए कर्ज कायदा नहीं की गई।

**(अनुच्छेद 3.1)**

उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 4.80 करोड़ की राशि को उपादान का अभाव रहा है, कम्पनी द्वारा, फ्लॉइडिंग का आवंटित मात्रा को उपादान में राशि जमा करने में अक्षम रहने के कारण भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के विषय में उपादान के अनुमति राशि को ₹ 0.83 करोड़ जमा करने के लिए अन्य तीन उपादानों के लिए कर्ज कायदा नहीं की गई।

उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 4.80 करोड़ की राशि को उपादान का अभाव रहा है, कम्पनी द्वारा, फ्लॉइडिंग का आवंटित मात्रा को उपादान में राशि जमा करने में अक्षम रहने के कारण भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के विषय में उपादान के अनुमति राशि को ₹ 0.83 करोड़ जमा करने के लिए अन्य तीन उपादानों के लिए कर्ज कायदा नहीं की गई।

**(अनुच्छेद 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.6)**

उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 45.54 करोड़ का हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव।

**(अनुच्छेद 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 एवं 3.10)**

उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 100.79 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 100.79 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

**3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप**

उपादान को सूरतनाई परीक्षा के विषय में विना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराई गई। परीक्षा के विषय में उपादान को उपादान की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, उपादान से ₹ 100.79 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने उत्पादन में कमी के लिए भुगतान/ क्षतिपूर्ति के संबंध में कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांशों को समाहित किया जिसने वसूली की किसी सम्भावनाओं के बिना कम्पनी द्वारा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया। इससे ठेकेदार को ₹ 78.86 लाख की क्षतिपूर्ति के भुगतान का बढ़ावा मिला।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा की गई टोल संग्रहण गतिविधि, निविदाओं के प्रक्रियाकरण में देरी एवं आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई। कम्पनी टोल प्लाजाओं के निर्माण में देरी तथा टोल नीति 2012 के उल्लंघन में ट्रैफिक गणना के स्थान पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स (डीपीआर) के आधार पर उच्चतर आरक्षित मूल्य तय करने के कारण नवनिर्मित सड़कों पर टोल संग्रहण गतिविधि आरम्भ करने में विफल रही। कम्पनी ने वर्तमान में चल रही टोल परियोजनाओं के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करते समय भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाकर टोल नीति 2012 का उल्लंघन भी किया।

(अनुच्छेद 3.7)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने जुलाई 2015 से अगस्त 2017 की अवधि के दौरान ₹ 12.35 करोड़ की भविष्य निधि की देय राशि के भुगतान करने में चूक की तथा इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 (क्यू) के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना, 1952 के वाक्यांश 32 ए के अनुसार ₹ 4.05 करोड़ के जुर्माने के नुकसान के जोखिम को भी उठाया।

(अनुच्छेद 3.10)



# अध्याय I

सार्वजनिक क्षेत्र के  
उपक्रमों के कार्यकलाप

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक होते हैं।

प्राप्त से 60 दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली प्रत्येक लेखापरीक्षा के भी अधीन विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों एवं की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि अधिनियम 2013 1.3 सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय

### सांविधिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहतीं। अथवा उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अधिक राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परीक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई सरकार अथवा सरकारी, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा प्रावधान लागू होगी। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य महालेखापरीक्षक (कलेक्टर, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के लेखा की नमूना जांच करवा सकते हैं तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझे, तो एक आदेश के माध्यम से ऐसी कम्पनी के (5) अथवा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कम्पनी के मामले में भारत के नियंत्रक एवं साध ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा भी सम्मिलित है।

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के संबंधित प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदान अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारी, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है।

### जाबदेयता संरचना

निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं। कर्योड का निवेश है। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किये गये तीन अकार्यरत पीएसयूज गत एक से 17 वर्षों की अवधि से विद्यमान हैं जिनमें ₹ 27.94 की हानि वहन की। मार्च 2017 को राज्य पीएसयूज में लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे।

योग	40663.72	94428.66	135092.38	807.54	1779.14	2586.68	137679.06
अकार्य	11.77	16.17	27.94	-	-	-	27.94
कार्य	40651.95	94412.49	135064.44	807.54	1779.14	2586.68	137651.12
की प्रकार	पूर्वी	दीर्घादि	योग	पूर्वी	दीर्घादि	योग	कुल योग
	सरकारी कर्मियों			सांख्यिक निगम			

(₹ करोड़ में)

### तालिका 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

1.6 31 मार्च 2017 को 48 पीएसयूज में नीचे दिये गये विवरणानुसार कुल निवेश (पूर्वी एवं दीर्घादि) ₹ 1,37,679.06 करोड़ था।

### राज्य पीएसयूज में निवेश

- **गारणितियां**- पीएसयूज द्वारा वितीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के राजस्वानुसार सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वितीय सहायता**- जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वितीय सहायता प्रदान करती है।
- **अंशपूर्वी एवं ऋण**- अंशपूर्वी योगदान के अतिरिक्त राजस्वानुसार सरकार पीएसयूज को

हिसाबदारी मध्यतः तीन प्रकार से है:

1.5 राजस्वानुसार (जीओआर) की इन पीएसयूज में भारी वितीय हिसाबदारी है। यह

### राजस्वानुसार की हिसाबदारी

सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं। राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोजिता की निगरानी करता है। इसके लिये, अधिनियम 2013 की धारा 394 अथवा संबंधित अधिनियमों के अनुसार राज्य सरकार की कर्मियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांख्यिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की रिपोर्टों के साथ तथा सांख्यिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी (कॉर्ट, गारणितियां एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।


1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के किये गये निवेश पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

### सरकार एवं विधान मण्डल की भूमिका

है। राजस्वानुसार मण्डलव्यवस्था निगम एवं राजस्वानुसार विनियमन के माध्यम से संचालित है। राजस्वानुसार द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पृथक लेखापरीक्षा की जाती है।

31 मार्च 2017 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.98 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.02 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इस कुल निवेश में 30.12 प्रतिशत हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 69.88 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में सम्मिलित थे। यह निवेश वर्ष 2012-13 में ₹ 72,018.13 करोड़ से 91.17 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,37,679.06 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: पीएसयूज में कुल निवेश



1.7 31 मार्च 2017 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया हुआ है:

तालिका 1.3: पीएसयूज में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश <sup>5</sup> (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	19	-	-	-	19	127405.52
वित्त	4	-	1	-	5	615.23
सेवा	8	1	2	-	11	4555.24
ढांचागत	4	-	-	-	4	3145.99
अन्य	7	2	-	-	9	1957.08
<b>योग</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>137679.06</b>


31 मार्च 2013 एवं 31 मार्च 2017 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे लाईन

5 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



गत पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान किये गये ₹ 65,660.93 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र ने ₹ 60,927.71 करोड़ (92.79 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त किया था। ढांचागत क्षेत्र ने भी इस अवधि के दौरान 256.68 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी।

### वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ

**1.8** राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएसयूज के संबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य, ऋणों का अपलेखन एवं ऋण का पूँजी में परिवर्तन का मार्च 2017 को समाप्त होने वाले

तीन वर्षों हेतु संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है:


तालिका 1.4: पीएसयूज को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>6</sup>	2014-15		2015-16		2016-17	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की जावक (i)	7	4371.79	6	8497.69	6	4115.71
दिये गये ऋण (ii)	11	776.25	9	36568.64	7	12083.93
प्रदत्त अनुदान/अर्थ-साहाय्य (iii)	14	7904.76	16	5588.79	11	14916.12
कुल जावक (i+ii+iii)	18 <sup>7</sup>	13052.80	19 <sup>7</sup>	50655.12	16 <sup>7</sup>	31115.76
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	2	925.14
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	3	995.00	-	-
निर्गमित गारण्टियाँ	6	12066.92	7	16134.66	5	23313.85
गारण्टी प्रतिबद्धता	9	90054.11	9	48678.03	8	46384.27

मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.3: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक



— पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के मदों में बजट जावक राशि

राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2012-13 में ₹ 8,570.76 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 31,115.76 करोड़ हो गई। ऊर्जा क्षेत्र मुख्य प्राप्तकर्ता था क्योंकि इसने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान कुल बजट जावक का क्रमशः 98.24 प्रतिशत (₹ 49,762.43 करोड़) एवं 98.33 प्रतिशत (₹ 30,595.90 करोड़) प्राप्त किया। गत दो वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को भारी बजटीय

6 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

7 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने एक या एक से अधिक मदों यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य के अंतर्गत राज्य बजट से जावक के रूप में प्राप्त की है।

सहायता प्राप्त हुई क्योंकि राज्य सरकार ने ऊर्जा वितरण कम्पनियों को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय योजना) के अन्तर्गत ऋण के रूप में सहायता प्रदान की। उदय योजना के अन्तर्गत तीनों वितरण कम्पनियों ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राज्य सरकार से क्रमशः ₹ 34,349.77<sup>8</sup> करोड़ एवं ₹ 10,372.09<sup>9</sup> करोड़ के ऋण प्राप्त किये।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के प्रावधानों के तहत पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के मामले में बिना किसी अपवाद के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन प्रभारित किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं 2012-13 में ₹ 70,365.08 करोड़ से 34.08 प्रतिशत घटकर वर्ष 2016-17 में ₹ 46,384.27 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसयूज द्वारा ₹ 380.51 करोड़ के गारण्टी कमीशन का भुगतान किया गया।

### वित्त लेखों के साथ मिलान

1.9 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा अन्तरों का समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2017 की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वित्त लेखों तथा पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार  
पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	40730.66	40763.74	33.08
ऋण	49672.49	49321.63	350.86
गारण्टियां	46784.04	46384.27	399.77

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह अन्तर 12<sup>10</sup> पीएसयूज के संबंध में था। आंकड़ों में यह अन्तर गत कई वर्षों से जारी है। अन्तर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/ विभागों के समक्ष समय-समय पर उठाया गया। अतः हम सिफारिश करते हैं कि सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिये।

8 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 11,785.86 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 10,779.31 करोड़) एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 11,784.60 करोड़)।

9 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,070.39 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,569.13 करोड़) एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,732.57 करोड़)।

10 अनुबंध 2 के क्र. सं. क-1, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 25, 29, 35, बी-1 एवं सी-1 पर।

### लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

**1.10** अधिनियम 2013 की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के मध्य यथा सितम्बर माह के अन्त तक अन्तिम रूप दिया जाना होता है। ऐसा करने में विफलता पर अधिनियम 2013 की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधान मण्डल को प्रस्तुतीकरण किया जाता है।

निम्न तालिका 30 सितम्बर 2017 तक कार्यरत पीएसयूज द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति का विवरण उपलब्ध कराती है:

**तालिका 1.6: कार्यरत पीएसयूज के लेखों के अन्तिमीकरण की स्थिति**

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	46	48	48	51	45
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	59	41	51	55	43
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	33	27	34	37	38
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	25	14	17	18	5
5.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	13	21	14	12	7
6.	बकाया लेखों की संख्या	21	29	26	20	9
7.	बकाया की सीमा	एक से छह वर्ष	एक से सात वर्ष	एक से आठ वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से दो वर्ष

कुल 45 कार्यरत पीएसयूज में से 40 कार्यरत पीएसयूज ने 43 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जिसमें से 38 पीएसयूज के वार्षिक लेखे 2016-17 से संबंधित थे तथा शेष पांच वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। सात कार्यरत पीएसयूज के नौ लेखे बकाया थे जिनके लेखे 2015-16 से बकाया थे। इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

**1.11** राजस्थान सरकार ने अनुबंध-1 में दिये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान एक पीएसयू में ₹ 210.00 करोड़ (ऋण: ₹ 150.00 करोड़ एवं अर्थ-साहाय्य: ₹ 60.00 करोड़) का निवेश किया जिनके इस अवधि के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेखों के अंतिमीकरण एवं तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं



अतः यह सिकांरिष की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखा लेखों के बकाया की समीक्षा के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेख तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा बकाया लेखों की समीक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

1.14 जैसा कि अनुच्छेद 1.10 में इंगित किया गया है, लेखों के अतिमीकरण में विन्धन संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2016-17 में राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

**लेखों का अतिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव**

1.13 तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो के द्वारा 2016-17 के लेख 30 सितम्बर 2017 तक अग्रोषित किये जा चुके थे। एक सांविधिक निगम के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (30 सितम्बर 2017)।

पूवक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। वर्ष 2015-16 के लेखों पर राजस्थान वित्त निगम के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई (फरवरी 2017) एवं शेष दो एसएआर प्रस्तुत की जानी शेष थी (30 सितम्बर 2017)।

**पूवक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण**

अन्य दो अकार्यरत पीएसयूज ने वर्ष 2016-17 हेतु अपने वार्षिक लेख अग्रोषित कर दिये थे।

क. सं.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयूज के संबंध में बकाया लेखों की स्थिति

हेतु निम्नानुसार बकाया थे:

1.12 इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के लेख भी अतिमीकरण रहीं।

वह लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया था, प्राप्त किया जा सका था। इस प्रकार, राजस्थान सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका के निबंधन के दायरे से बाहर

**अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन**

1.15 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों का विस्तृत विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है। पीएसयूज के टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिये कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।

**तालिका 1.8: कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य की जीडीपी का तुलनात्मक विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
टर्नओवर <sup>11</sup>	33486.33	38953.84	47914.29	54834.65	62186.43
राज्य की जीडीपी <sup>12</sup>	493007.00	548391.00	606465.00	672707.00	749692.00
टर्नओवर का राज्य की जीडीपी से प्रतिशत	6.79	7.10	7.90	8.15	8.29


पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 13.41 से 23.00 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान जीडीपी में वृद्धि 10.59 से 11.44 प्रतिशत के मध्य रही थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 16.74 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य की जीडीपी की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 11.05 प्रतिशत से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2012-13 में 6.79 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 8.29 प्रतिशत हो गया।

11 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

12 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अनुसार है।

1.16 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा उठायी गई हानियां<sup>13</sup> नीचे एक रेखीय चार्ट में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.4: कार्यरत पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियां



— कार्यरत राजकीय उपक्रमों द्वारा वर्ष के दौरान समग्र वहन की गयी हानि। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियों में कमी के कारण कार्यरत पीएसयूज की हानियां 2012-13 में ₹ 13,710.85 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹ 1,614.52 करोड़ हो गई। 45 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 23<sup>14</sup> पीएसयूज ने ₹ 1,193.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 16<sup>14</sup> पीएसयूज ने ₹ 2,808.01 करोड़ की हानि वहन की, छह पीएसयूज को न लाभ अथवा न हानि थी। साथ ही, 45 पीएसयूज में से 12<sup>15</sup> पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2016-17 के दौरान समामेलित हुये थे, के द्वारा 2016-17 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी (अनुबंध-2)।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 351.80 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़), राजस्थान राज्य स्वान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 56.69 करोड़) एवं राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम (₹ 34.83 करोड़) मुख्य लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज थे जबकि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,028.68 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 615.75 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 336.69 करोड़), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 492.41 करोड़) एवं गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 235.97 करोड़) ने भारी हानियां वहन की

13 आंकड़े संबंधित वर्षों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार हैं।

14 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु अल्प लाभ/हानि दर्शाया गया था।

15 अनुबंध 2 के क्र. सं. क-2, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 एवं 34 पर पीएसयूज।

थी। इन डिस्कॉम्स ने भारी प्रसारण एवं वितरण हानियों, कृषि उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर विद्युत के विक्रय इत्यादि के कारण हानियां वहन की।

**1.17** राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

**तालिका 1.9: राज्य की पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
नियोजित पूँजी <sup>16</sup>	35832.20	47508.98	52664.65	49508.24	63718.61
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-5847.55	-3733.44	-5845.69	307.48	6813.04
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	-16.32	-7.86	-11.10	0.62	10.69
ऋण	53503.45	63829.17	74747.68	88721.51	96207.80
टर्नओवर <sup>17</sup>	33486.33	38953.84	47914.29	54834.65	62186.43
ऋण / टर्नओवर अनुपात	1.60:1	1.64:1	1.56:1	1.62:1	1.55:1
ब्याज अदायगी <sup>17</sup>	7864.69	8498.38	10346.56	12682.80	8428.91
संचित लाभ (हानियां) <sup>17</sup>	(50951.85)	(56133.11)	(83732.89)	(99343.29)	(101241.75)
प्रदत्त पूँजी <sup>17</sup>	15827.72	19607.70	25410.86	36088.31	41465.19

गत पाँच वर्षों के दौरान, पीएसयूज के टर्नओवर ने 16.74 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की एवं ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 15.80 प्रतिशत थी। हानियों में कमी के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान नियोजित पूँजी पर 16.32 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल वर्ष 2016-17 के दौरान 10.69 प्रतिशत के सकारात्मक प्रतिफल के रूप में परिवर्तित हो गया।

**1.18** राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 23 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 1,193.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात<sup>18</sup> पीएसयूज ने ₹ 62.79 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि सभी पीएसयूज की अंश पूँजी का 0.15 प्रतिशत था। लाभ अर्जित करने वाली 23 कम्पनियों में से, 16 पीएसयूज ने संचित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया, तीन<sup>19</sup> पीएसयूज ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो<sup>20</sup> पीएसयूज ने निर्धारित सीमा लाभांश से कम लाभांश घोषित किया एवं शेष दो<sup>21</sup> पीएसयूज ने नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

16 नियोजित पूँजी शेयरधारक निधियों एवं दीर्घकालीन ऋणों का योग है।

17 अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

18 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1, 7, 11, 12, 14, 31 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

19 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-14, 31 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

20 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-7 एवं 12 पर वर्णित पीएसयूज।

21 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1 एवं 11 पर वर्णित पीएसयूज।

### हानियों के कारण पूंजी का क्षरण

**1.19 अनुबन्ध-2** में दिये गये विवरणानुसार राज्य पीएसयूज के पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 41,465.19 करोड़ एवं ₹ 1,01,241.75 करोड़ थीं। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 48 पीएसयूज में से 19 में निवल संपत्ति का क्षरण हो गया था। इन 19 पीएसयूज का पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 25,219.56 करोड़ एवं ₹ 99,077.80 करोड़ थीं। इन 19 पीएसयूज में से निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 24,446.69 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 23,213.83 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 22,829.59 करोड़), गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 329.14 करोड़) एवं बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (₹ 13.49 करोड़) में हुआ जैसा कि **अनुबन्ध-2अ** में वर्णित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में ₹ 38,026.84 करोड़ के पूंजीगत निवेश के समक्ष संचित हानियां ₹ 1,01,239.35 करोड़ थीं (**अनुबन्ध-2**)। गैर ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में, निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 2,830.55 करोड़), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 103.11 करोड़), राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 47.20 करोड़), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 10.33 करोड़) एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (₹ 7.95 करोड़) में हुआ जैसा कि **अनुबन्ध-2ब** में वर्णित किया गया है।

### अकार्यरत पीएसयूज का समापन

**1.20** 31 मार्च 2017 को तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे जिनमें पूंजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालीन ऋणों (₹ 16.17 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 27.94 करोड़ (राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड में ₹ 22.18 करोड़, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड में ₹ 4.49 करोड़ एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.27 करोड़) था। वर्ष 2016-17 के दौरान एक अकार्यरत पीएसयू यथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड बन्द हुई जबकि राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड ने अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन बन्द कर दिया एवं यह एक अकार्यरत पीएसयू बन गई। गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 1.10: अकार्यरत पीएसयूज

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	2	3	3	3	3

इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। चूंकि अकार्यरत पीएसयूज गत एक से 17 वर्षों से असंचालित है अतः सरकार को इन पीएसयूज के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिये।

## लेखा टिप्पणियां

**1.21** अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक 36 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 41 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 32 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रस्व-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है।

**तालिका 1.11: कार्यरत पीएसयूज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	85.90	5	28.74	2	0.29
2.	लाभ में वृद्धि	8	121.79	6	14.24	3	3.91
3.	हानि में वृद्धि	8	3059.24	6	712.94	2	15.32
4.	हानि में कमी	2	55.54	3	203.06	2	16.82
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	3	68.25	1	2.98	3	6.23
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	10	2738.30	6	398.16	6	266.47

वर्ष 2016-17 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि 10 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एएस की अनुपालना नहीं करने के 29 मामले इंगित किये गये।

**1.22** राज्य में तीन सांविधिक निगम यथा (i) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), (ii) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) एवं (iii) राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

आरएसआरटीसी एवं आरएफसी दोनों के संबंध में वर्ष 2015-16 के लेखों पर सीएजी द्वारा 'सत्य एवं उचित' नहीं का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने का एक मामला पाया गया जैसा कि आरएफसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु इंगित किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य पशु परिवहन निगम प्रत्येक से संबंधित एक-एक अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद पर।

1.24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाय। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पत्तियों के विषयों पर प्रतिवेदनों के विषयों के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्याख्यात्मक रिपोर्टियाँ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे।

बकाया उत्तर

### लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कर्तव्यता

1.23 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु एक निष्पत्तियों एवं 10 लेखापरीक्षा अनुच्छेद, चार सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। चार<sup>22</sup> अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित (30 सितम्बर 2017) था। तथापि, 'तथ्यात्मक विवरण-पर्याप्त' पर संबंधित पीएसयूज से उत्तर प्राप्त हो गये थे तथा अनुच्छेद को अंतिम रूप देने समय इन्हें ध्यान में रखा गया था।

### निष्पत्तियों एवं अनुच्छेद

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	गोम सं कमी	2	22.41	1	31.59	1	49.81
2.	गोम सं वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	दोषि सं वृद्धि	1	2162.57	1	2364.69	1	1658.39
4.	सारवान लेखों का प्रकट नहीं किया जाना	1	604.45	1	1819.89	1	7404.63
5.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	-	-	2	81.00	2	83.00

(₹ करोड़ में)

तालिका 1.12: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्टियाँ का प्रभाव

का विवरण नीचे दिया गया है:

23	राजस्थान राज्य परिवहन निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा पर
24	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से संबंधित दो अनुपालना लेखापरीक्षा अर्न्तर्दों तथा राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड प्रत्येक से संबंधित एक-एक अनुपालना लेखापरीक्षा अर्न्तर्दों पर।

सिफारिशें सम्मिलित थीं।

सम्मिलित राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से संबंधित अर्न्तर्दों के संबंध में कोष के उपर्युक्त प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 के लिये भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में

वर्ष	2016-17	1	12	12
कोष के प्रतिवेदन का	कोष के प्रतिवेदनों की	संख्या	संख्या	नहीं हुई
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या

तालिका 1.15: कोष के प्रतिवेदनों की अनुपालना

में दर्शाया गया है:

1.26 मार्च 2017 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोष के एक प्रतिवेदन पर कार्यवाही विषयक रिपोर्टों प्राप्त नहीं हुई थी (30 सितम्बर 2017) जैसा कि नीचे तालिका

### कोष के प्रतिवेदनों की अनुपालना

वर्ष 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

2015-16	2	10	-	-
2014-15	2	9	2	4
अवधि	निष्पादन	अर्न्तर्द	निष्पादन	अर्न्तर्द
	लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन की	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		वर्षा किये गये अर्न्तर्द	
	निष्पादन लेखापरीक्षा/अर्न्तर्दों की संख्या		निष्पादन लेखापरीक्षा/अर्न्तर्दों की संख्या	

वर्षा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षा/अर्न्तर्द

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2017 तक

लेखापरीक्षाओं एवं अर्न्तर्दों पर कोष द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

1.25 30 सितम्बर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन

### कोष द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

रिपोर्टों द्वारा विभागा से लीवत थीं।

एक<sup>23</sup> निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चार<sup>24</sup> अनुपालना लेखापरीक्षा अर्न्तर्दों पर व्याख्यात्मक

2015-16	28.03.2017	2	10	1	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	पीए	अर्न्तर्द	पीए
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	पीए	अर्न्तर्द	अर्न्तर्द

तालिका 1.13: वकालत व्याख्यात्मक रिपोर्टों (30 सितम्बर 2017 तक)



सरकार को प्रारूप अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्धारित समयावधि में उत्तर एवं कोपू की सिफारिशों पर एटीएन प्रेषित करने तथा हानियों/ बकाया अग्रिमों/ अधिक भुगतानों की निर्धारित समयावधि में वसूली करने को सुनिश्चित करना चाहिये।

### पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

**1.27** 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किसी भी राज्य पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं हुआ।

### इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

**1.28** इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा यथा 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 384.52 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।



## अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से संबंधित  
निष्पादन लेखापरीक्षा







## परिचय

**2.1** राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंध राज्य आधारित तीन कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है।

बढ़ती हुई विद्युत की मांग एवं नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ वितरण नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, वर्तमान विद्युत प्रणाली के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) तथा इसके पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ वितरण नेटवर्क की भी आवश्यकता है। एक बड़े एवं कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाये रखने के लिए वृहत कोषों की जरूरत है। सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता सामग्री के अनावश्यक प्रापण, निष्क्रिय पड़ी सामग्री में कोषों की अवरुद्धता, एवं सामग्री रखरखाव लागत को कम करती है।

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा सभा (14 जुलाई 2016) में देखा गया कि सामग्री की छीजत, चोरी एवं अप्रयुक्त रहने के कारण डिस्कॉम्स बड़ी हानि वहन कर रही थी। कोपू द्वारा स्टोर्स एवं कार्यस्थल पर सामग्री/उपकरण के भण्डारण; सामग्री का उपयोग, एवं अवशिष्ट/अप्रचलित सामग्री के निस्तारण पर जोर देते हुए डिस्कॉम्स के सामग्री प्रबंध तंत्र की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया गया (25 जुलाई 2016)।

कोपू के विचारों एवं सुझावों, सामग्री के प्रापण में वृहत निवेश, एवं सामग्री के प्रबंध में निहित उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए जेवीवीएनएल (कम्पनी) के संबंध में वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी (नवम्बर 2016 से मई 2017)। कम्पनी का चयन किया गया क्योंकि मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में तीनों डिस्कॉम्स में इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार (36.26 प्रतिशत) था एवं सामग्री के प्रापण पर सर्वाधिक व्यय (₹ 4,619.49 करोड़) था। साथ ही, 2012-17 की अवधि के दौरान तीनों डिस्कॉम्स के लिए सामग्री के क्रय के लिए कम्पनी ने एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।

### प्रापण एवं सामग्री प्रबंध कार्य

**2.2** कम्पनी में सामग्री प्रापण एवं प्रबंध का कार्य मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित सामग्री प्रबंध विंग (एमएम विंग) द्वारा निष्पादित किया जाता है। एमएम विंग में तीन वृत्त हैं: सामग्री प्रबंध वृत्त, प्रापण वृत्त, तथा निरीक्षण एवं भण्डार वृत्त। सामग्री की आवश्यकता का अंतिमीकरण एवं क्रय का कार्य सामग्री प्रबंध एवं प्रापण वृत्तों में निहित हैं। निरीक्षण एवं भण्डार (आईएण्डएस) वृत्त स्टोर्स के प्रबंध, सामग्री की जांच, स्टोर्स के निरीक्षण, एवं नीलामी के द्वारा अवशिष्ट के निस्तारण के कार्य में संलग्न है।


अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के नियंत्रणाधीन सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को सामग्री की प्राप्ति, फिल्ड कार्यालयों को सामग्री जारी करने, तथा अवशिष्ट सामग्री के संग्रहण एवं निस्तारण का कार्य सौंपा गया है। उपखण्ड कार्यालयों द्वारा भी अपने स्वयं के स्टोर्स रखे जाते हैं एवं एसीओएस से सामग्री प्राप्त करते हैं। उपखण्डीय भण्डारों का रखरखाव भण्डारपालों द्वारा किया जाता है जो उपखण्ड के सहायक अभियंता को रिपोर्ट करते हैं।

3	निविदाओं का मूल्य ₹ 1.55 करोड़ एवं ₹ 245 करोड़ के बीच था। दौरान सहयोगी थी।
2	जान) था। संबंधित एचडी (एमएम)/एचडी (ग्राण) एवं सीएओ (वित्तीय प्रबंध एवं अधीक्षण) भी चर्चा के समिति के अन्य सदस्य निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), सीई (एमएम) एवं जानल सीई (जयपुर ग्राण), जेबीपीएनएल।
1	जानल सीई, जेबीपीएनएल; मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण), जेबीपीएनएल; एवं एचडी (एमएम)/ जेबीपीएनएल, एबीपीएनएल एवं जेडीपीपीएनएल के सीई/हिटी सीई (क्रय शाखा); सीई (आपडएम)/

उपयोग के आधार पर चार एसीओएस कार्यालयों का चयन किया गया था।  
जयपुर जिला वृत्त, अलवर एवं कोटा) में की गई। 2012-17 के दौरान समीक्षा के अधिकतम  
प्रतिशत भाग था। समीक्षा प्रबंध कार्य की समीक्षा 13 एसीओएस में से 4 (जयपुर शहर वृत्त,  
( ₹ 4,619.49 करोड़) में इन उच्च मूल्य की निविदाओं ( ₹ 1,814.75 करोड़) का 39.28  
समीक्षा को सम्मिलित किया गया। कम्पनी द्वारा 2012-17 के दौरान किये गये कुल क्रय  
(एमएम) कार्यालय में कुल 353 निविदाओं में से 40 उच्च मूल्य की निविदाओं की विस्तृत  
ग्राण एवं समीक्षा प्रबंध संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा संबंधी समीक्षा में सीई  
2.3 निष्पत्ति लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कम्पनी के

**लेखापरीक्षा का क्षेत्र**

(सीएलपीसी) द्वारा निहित किये जाते हैं जिसका अध्यक्ष कम्पनी का प्रबंध निदेशक होता है।  
जाते हैं। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक मूल्य के क्रय के मामले निगम स्तरीय क्रय समिति  
की वित्तीय प्रभाव वाली निविदाएं मुख्य अभियंता (सीई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निहित किये  
स्तरीय क्रय समिति द्वारा निहित किये जाते हैं। ₹ 50 लाख से अधिक एवं ₹ 1.50 करोड़ तक  
इन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। ₹ 50 लाख तक के क्रय के मामले अधीक्षण अभियंता (एचडी)  
डिस्कॉम्स में एक समान है तथा एक तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण समिति द्वारा  
क्रय किये जाने वाली सभी मदों के तकनीकी मानक एवं वाणिज्यिक विवरण तैयार





- सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना।
  - 6 सितम्बर 2017 को आयोजित सम्पन्न सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर प्रतिवेदन जारी करना (जुलाई 2017) एवं
  - सरकार/ कम्पनी को टिप्पणी एवं उन पर प्रत्युत्तर के लिए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा
  - लेखापरीक्षा प्रस्तावनी एवं प्रबंधन के साथ चर्चा करना
  - की संवीक्षा करना
  - कम्पनी के प्रधान कार्यालय, सामग्री प्रबंध विंग तथा स्थानित एसीओएस पर अभिलेखा
  - उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना
  - प्रविष्टि सभा (फरवरी 2017) के दौरान सरकार/ कम्पनी के समक्ष लेखापरीक्षा
- गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गया:
- 2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई

### लेखापरीक्षा कार्यविधि

- कम्पनी की प्रबंध सूचना प्रणाली एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेखा
  - राजस्थान लोक प्राण सं पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपी अधिनियम, 2012) एवं आरटीपी नियम, 2013 एवं
  - बजट एवं सामग्री के प्राण सं शामिल विभिन्न समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त
  - एवं शर्त
  - अनुबंध की सामान्य शर्त, निविदा एग्रीमेंट एवं कार्यादेश/ क्रयादेश में लिखित नियम
  - आदेश/ परिपत्र
  - क्रय सैन्यअल, स्टोर्स सैन्यअल एवं सामग्री के प्राण एवं प्रबंध से संबंधित कार्यालय
- मापदण्डों को अपनाया गया:
- 2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित खीलों से प्राप्त लेखापरीक्षा

### लेखापरीक्षा मापदण्ड

- का पथान तंत्र था।
  - सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं अप्रचलित / अवशिष्ट मर्तों के समयपूर्वक निस्कारण
  - कम्पनी का सामग्री प्रबंध तंत्र वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी था एवं
  - सामग्री का प्राण निरव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण था
  - सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी
- 2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्या:

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

(मई 2017)।

के लिए अनुसंधान किया गया (अप्रैल 2016)। तथापि, राज्य सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित थी नहीं किया गया एवं इस प्रकार डिस्कॉम द्वारा राज्य सरकार को कुछ शर्तों में ढील प्रदान करने सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया (जनवरी 2014)। तथापि, क्रय सैन्यअल का पुनरीक्षण की गई क्रियाविधियाँ आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों/बाध्याओं के अन्तर्गत होने की डिस्कॉम समन्वय फोरम द्वारा डिस्कॉम को क्रय सैन्यअल की समीक्षा करने एवं इसमें निहित समझ रचना जाना आवश्यक था।

एक प्रमाण करने वाली कम्पनी द्वारा जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों को राज्य विधानसभा के अनुक्रम सैन्यअल को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही, धारा 56 के अंतर्गत क्रियाविधियाँ, सामान्य प्रपत्तियों, मानक विहित विवरणों एवं अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों के से चीजें उन नियमों के अंतर्गत आती थीं। अधिनियम की धारा 56 द्वारा कम्पनी को दिशानिर्देशों, संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों को उस सीमा तक निष्पत्ती कर दिया गया जिस सीमा तक 2013 के नियम 86 द्वारा इनके लागू होने की तिथि से माल के प्रमाण, संबंधित अथवा कार्यों से सांख्यिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है (अधिनियम की धारा-3)। आरटीपीपी नियम, आरटीपीपी अधिनियम, 2012 राज्य सरकार द्वारा धारित अथवा नियमित राज्य के सभी गण (22 मई 2012) एवं आरटीपीपी नियम, 2013 अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। लोक प्रमाण के नियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 लागू किया पर क्रय सैन्यअल को संशोधित किया गया।

2.9 सामग्री प्रमाण एवं स्टेसि संबंधित कार्यों के नियमन के लिए कम्पनी द्वारा तात्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएएसडीबी) जो जून 2000 में पांच कम्पनियों में विभाजित हो गया था, की क्रय एवं स्टेसि सैन्यअल का अनुकरण करती रही। कम्पनी द्वारा समय समय

### आरटीपीपी अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

को सम्मिलित करते हैं।

2.8 लेखापरीक्षा परिणाम सूर्यतः आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के क्रियान्वयन, सामग्री के प्रमाण एवं एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टेसि के स्तर पर सामग्री के प्रबंध से संबंधित मामलों

### लेखापरीक्षा परिणाम

2.7 इस लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने में कम्पनी एवं इसके फिक्स कार्यालयों द्वारा किये गये सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। हमने 8 फरवरी 2017 को सरकार एवं कम्पनी के साथ प्रतिष्ठित सभा में निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं इसके क्षेत्र पर चर्चा की एवं 6 दिसम्बर 2017 को समापन सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवेदन में, समापन सभा में रखे गये सरकार एवं कम्पनी के विचारों को प्राकृत निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके उत्तर (23 अगस्त 2017) के साथ सम्मिलित कर लिया गया।

### आभार

4 समिति के सदस्य एसई (एमएम), एसई (एमएम), एसई (एमएम), एसई (एमएम), एसई (एमएम), एसई (एमएम) एवं सीई (एमएम)।

2.11 सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण क्रय एवं स्तोर्स सैन्यअल द्वारा मानकीकृत होता है। स्तोर्स सैन्यअल के अन्वयण कम्पनी द्वारा केन्द्रीकृत खरीद वाली मर्चों के संबंध में वार्षिक रूप से एक निश्चित अर्जमान तैयार करना आवश्यक है। क्रय सैन्यअल में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 'प्रापण नियोजन एवं प्रबंध (पीपीएम)' द्वारा 'समिति' द्वारा मदानुसार वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा। भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान, स्तोर्स की स्थिति, स्तोर्स में एवं कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक षोष, बकाया क्रयदेशों के विरुद्ध प्रतीक्षित सामग्री की मात्रा, एवं सामान्य प्रापण एवं लीज समय पर आधारित अगले वर्ष के लिए आंशिक मात्रा को पीपीएम समिति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण एवं इसके अर्जमान की वास्तविक प्रक्रिया नीचे दशाई गई है।

### सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.10 सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण एवं क्रय सैन्यअल की निर्धारित क्रियाविधियों की अनुपालना नहीं करने, विहित विवरणों की पूर्ति नहीं करने वाली सामग्री के क्रय, सामग्री का अतिव्ययी क्रय, संपूर्तनी सौती को समयपूर्व करना, एवं बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री का प्रापण करने में कम्पिया शी। लेखापर्यक्षा संवीक्षा द्वारा चयनित 40 निवेदाओं में से 31 (77.50 प्रतिशत) में ₹ 164.54 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार कम्पियों को उजागर किया गया।

### सामग्री का प्रापण

बाद में, डिस्कॉन्स के अधिका द्वारा मानक निवेदा प्रलेख के साथ क्रय एवं स्तोर्स सैन्यअल को तैयार/पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई (8 अगस्त 2016)। तथापि, आरटीपीपी अधिनियम के अन्वयण क्रय सैन्यअल, मानक निवेदा प्रलेख, एवं स्तोर्स सैन्यअल का पुनरीक्षण नहीं किया गया था (अगस्त 2017)।

सदरकार ने अपने उत्तर एवं निकरणी सभा के दौरान बताया कि क्रय सैन्यअल का पुनरीक्षण अन्तिम चरण में था एवं पुनरीक्षित सैन्यअल को 2017-18 के दौरान लागू कर दिया जाएगा।



हमने देखा कि डिपोजिट कार्यों, 11 केवी एवं निम्न तनाव के लिए नये कार्यों एवं आवर्धन कार्यों, मरम्मत एवं रखरखाव, केबल नेटवर्क, एवं शहर केन्द्रित कार्यक्रम के लिए अन्य विविध कार्यों के लिए कुल 261 मदों में से 229 मदों के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए जोनल सीई (जयपुर जोन) द्वारा सूचित की गई मात्राएं पिछले वर्ष किये गये कार्यों के समान थी। इसी प्रकार 253 मदों में से 211 के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए इन्हीं कार्यों के लिए सूचित की गई मात्राएं वर्ष 2014-15 के समान थी।

यह दर्शाता है कि फिल्ड कार्यालयों से सामग्री की आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई थी एवं वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए सामग्री की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान दिये बिना चालू वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष के आधार पर किया गया था।

इस प्रकार, जोनल सीई की आवश्यकताओं के आधार पर ही सीई (एमएम) द्वारा निविदा की गई सामग्री तदर्थ आधार पर थी एवं इसलिए फिल्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता की सूचक नहीं थी। साथ ही, यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने पीपीएम समिति द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण तय करने से पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित कर ली थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि निविदाओं को जारी करने में होने वाली देरी को टालने के लिए भूतकाल के उपभोग पैटर्न के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा सामग्री आवश्यकता का अनुमोदन किया गया। आगे यह बताया गया कि डिस्कॉम्स के अध्यक्ष के दिशानिर्देशानुसार विस्तृत आवश्यकता को प्राप्त किया जा रहा था एवं वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सामग्री की आवश्यकता का समय पर निर्धारण करने के लिए प्रक्रियागत किया जा रहा था।

### **सामग्री की आवश्यकता का अनुपयुक्त अनुमोदन**

**2.11.1** क्रय मैनुअल में निर्धारित क्रियाविधि एवं डिस्कॉम्स अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये (फरवरी 2014) आदेशों के अनुसार वास्तविक आवश्यकताओं को अनुमोदित करने के स्थान पर पीपीएम समिति द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान की गई निविदाओं की मात्राओं का अनुमोदन किया। इससे 2015-16 के दौरान ₹ 70.13 करोड़ मूल्य वाली आठ<sup>6</sup> मदों की 6.20 लाख इकाइयों के आवश्यकता से अधिक क्रय के अनुमोदन को बढ़ावा मिला। जोनल मुख्य अभियंता द्वारा स्टोर्स में इन मदों की अधिक उपलब्धता (2.40 लाख इकाइयों) को इंगित किया जा चुका था। साथ ही, 2016-17 के दौरान, इस तथ्य के उपरांत कि इन मदों की वास्तविक आवश्यकता शून्य थी पीपीएम समिति द्वारा ₹ 138.17 करोड़ मूल्य वाली नौ<sup>7</sup>

6 11 केवी की जीआई पिन्स (3,26,437 इकाइयां); जीआई पिन एलटी (2,79,261 इकाइयां); 11 केवी सीटी/ पीटी 200/5 (1,824 इकाइयां); 11 केवी सीटी/ पीटी 50/5 (500 इकाइयां); 11 केवी सीटी/ पीटी 15/5 (1,000 इकाइयां); 12 केवी ओ/डी वीसीबी कियोस्क (2,000 इकाइयां); एलटी वितरण बॉक्स यू/ जी केबल 100 एम्पीयर (3,000 इकाइयां); सर्ज अरेस्टर्स 11 केवी एसटी टाइप (6,000 इकाइयां)।

7 चार कोर एलटी केबल 185 वर्ग मीमी (200 किमी), चार कोर एलटी केबल 120 वर्ग मीमी (100 किमी), चार कोर एलटी केबल 95 वर्ग मीमी (100 किमी), कंट्रोल केबल 4 सी गुणा 4 वर्गमीटर (25 किमी), कंट्रोल केबल 6 सी गुणा 4 वर्गमीटर (25 किमी), स्पेशल मीटर्स एचटी टीवीएम (3,780 इकाइयां), एलटी टीवीएम मीटर्स (4,270 इकाइयां), 11/ 0.4 केवी डीटीज (29,385 इकाइयां) एवं शेफ्टी शूज (14,535 इकाइयां)।

गई सामग्री की आवश्यकता एवं मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा की गई वार्षिक खरीद

2.11.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित की

### सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

निर्धारण के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

स्टेज में इन मदों की पथान उपलब्धता नहीं थी। सरकार/कम्पनी द्वारा 2013-14 के दौरान उत्तर सहमतिकांरक नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा किया गया आवश्यकता निर्धारण के अनुसार मई 2014 में किया गया था एवं इसलिए यह वार्षिक/यथावधि आधार पर आधारित थी। सरकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान, कम्पनी द्वारा आवश्यकता का निर्धारण

प्रथम तिमाही के लिए मात्राओं को नहीं जोड़ने के लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं था। एककपता नहीं थी। साथ ही, इन मदों के संबंध में बड़े हुए कार्यों एवं आगामी वित्तीय वर्ष की इस प्रकार, पीपीएम समिति द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण का अनुमान करने में

कोई मात्रा नहीं जोड़ी गई थी।

मदों के संबंध में शेष बचे हुए कार्यों एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा को नहीं जोड़ा गया था। साथ ही, चार

- वर्ष 2014-15 के दौरान, पीपीएम समिति द्वारा 166 मदों के संबंध में अगले वित्तीय प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्राओं को नहीं जोड़ा गया था।

- पीपीएम समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए आवश्यकता का निर्धारण करते समय 39 मदों के संबंध में शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा सामान्यतः जोड़ रही थी। इसने देखा कि:

कार्यों के लिए 15 प्रतिशत मात्रा एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत लिए आर्थिक मात्रा एवं आपूर्ति के लिए लीड समय को जोड़ा जाना चाहिए। कम्पनी शेष बचे हुए प्राधान्य था कि आवश्यकता के अनुमान के समय सामान्य प्राण पर आधारित आगामी वर्ष के संपूर्णता में देरी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बकर सामग्री रखी जाती है। साथ ही क्रय सैन्यअल में 2.11.2 स्टेज सैन्यअल के अनुसार आपत स्थितियों से निपटने के लिए एवं सामग्री की

इनकी एनआइटी को निरस्त कर दिया गया था।

मात्राओं का अनुमान किया गया लेकिन बाद में कुछ मदों को क्रय नहीं किया गया था अथवा सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया कि पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता से अधिक

के क्रय को बढ़ावा दिया जिसकी चर्चा **अनुबंध 5** के क्रम संख्या 3 में की गई।

मदों की 0.52 लाख इकाइयों की आवश्यकता का अनुमान किया गया। इसने अधिक सामग्री

- 8 11 केपी, 3 सी गंगा 120 एक्सप्लोडिबल आरमडू पावर केबल
- 9 रि-स्ट्रक्चर्ड प्रोक्सिमिटी टैल पावर डेवलपमेंट एण्ड डिफेंस प्रोग्राम

विवरण	निर्धारण/अनिर्धारण/आदेश	दिया गया	आपूर्तियां प्राप्त की गईं
मूल्य अभिवृद्धि (ओपेरेटिंग), लघुपर जोन द्वारा संचित की गई (दिसम्बर 2013) आवश्यकता एवं आर-एपीडीआरपी काया पर आधारित 2014-15 वर्ष के लिए मूल्य अभिवृद्धि (एमएम) द्वारा केबल की आवश्यकता का निर्धारण किया गया।	750 किमी		
पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता का अंतिम निर्धारण (अप्रैल 2014)	187 किमी		
कम्पनी द्वारा टीएन 4493 के अधीन दिये गये (जुलाई 2015) कयादेश एवं प्राप्त की गईं आपूर्तियां	395 किमी		355.98 किमी
कम्पनी ने एक नई निविदा (टीएन 4522) खोली (अप्रैल 2015) एवं कयादेश दिया (नवम्बर 2015) एवं आपूर्तियां प्राप्त की गईं (2016)।	350 किमी		88.05 किमी

निर्माणाधीन था।

2.11.4 कम्पनी द्वारा आरमडू पावर केबल की आवश्यकता का निर्धारण एवं किया गया क्रय

**वार्षिक आवश्यकता की निर्धारित क्रय विधि केबल का प्राण**

करने वाले दो दृष्टान्त उदाहरण क्रय गये जिसकी चर्चा नीचे की गई:

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण में कमियों को इंगित निर्धारण करने का एक नव विकसित नहीं कर सकी।

गया था। तब यह चर्चा है कि कम्पनी क्रय सैन्यअल के अर्जुआर सामग्री की आवश्यकता का समन्वित योजनाओं एवं स्थानीय स्वशासन की अन्य अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। एक जनप्रयोगी सेवा देने के नाते, आवश्यकताओं का निर्धारण सरकार द्वारा एक समय विशेष पर नहीं किया जा सका क्योंकि आपूर्तियां लगातार की जा रही थीं। आगे यह प्राण एवं जारी करने की सांकेतिक प्रक्रिया के कारण थी। इसलिए, आवश्यकता का निर्धारण सरकार द्वारा बताया गया कि पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता के निर्धारण में देरी सामग्री के कम थी।

इने के 62 से 128 दिनों के बाद किया गया था। वार्षिक अर्जुआर आवश्यकताओं से के अर्जुआर निर्धारित नहीं किया गया था। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण वित्तीय वर्ष शुरू द्वारा वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व कम्पनी भी सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण क्रय सैन्यअल यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीपीएम समिति

वर्ष	पीपीएम समिति द्वारा अर्जुआर	वार्षिक क्रय	अधिक/(कम) क्रय
2012-13	1132.53	980.85	(151.68)
2013-14	1366.20	1077.12	(289.08)
2014-15	972.72	852.50	(120.22)
2015-16	1060.32	884.57	(175.75)
2016-17	878.02	824.45	(53.57)

(₹ करोड़ में)

निर्माणाधीन था।

हमने देखा कि वर्ष 2016-17 के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता (20 अप्रैल 2016 तक 248.32 किमी) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा टीएन 4493 एवं टीएन 4522 के विरुद्ध लम्बित आपूर्तियों को स्थगित कर दिया गया (मई 2016)।

हमने देखा कि:

- आवश्यकता का निर्धारण यथार्थवादी नहीं था क्योंकि पीपीएम समिति द्वारा केवल 187 किमी केबल की आवश्यकता का निर्धारण किया गया जबकि मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 750 किमी की आवश्यकता का निर्धारण किया गया। साथ ही, आवश्यकता एवं प्रापण के बीच कोई संबंध नहीं था क्योंकि निविदाएं 395 किमी के लिए बिना किसी आधार के आमंत्रित की गई थी। कम्पनी द्वारा टीएन 4493 की सुपुर्दगी अनुसूची को भी पूर्व में स्विसका दिया एवं बिना किसी आवश्यकता के एक नई निविदा (टीएन 4522) के अधीन क्रयादेश दिये गये।
- 31 मार्च 2017 को कम्पनी के पास 170.62 किमी सामग्री उपलब्ध थी जो कि अगले 14 महिनों (2015-16 के उपभोग पैटर्न के आधार पर 11.86 किमी प्रति माह) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त थी।
- कम्पनी द्वारा बिना किसी आवश्यकता के सामग्री का ढेर लगाया गया क्योंकि 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रय की गई 444.02 किमी केबल में से मार्च 2017 तक केवल 273.40 किमी केबल ही उपयोग में लाई जा सकी।

बिना आवश्यकता के केबल के क्रय के परिणामतः गुणवत्ता में गिरावट होने एवं गारण्टी अवधि जो आपूर्ति की तिथि से 18 माह थी के समाप्त होने के अतिरिक्त 170.62 किमी केबल के विरुद्ध ₹ 9.15 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए।

सरकार ने बताया कि उपभोग पैटर्न, उपलब्ध सामग्री एवं निरीक्षणाधीन मात्रा को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति की शेष मात्रा को स्थगित किया गया था। साथ ही, इस मद के लिए बाद में एनआईटी जारी नहीं की गई थी। तथ्य यही रहा कि आवश्यकता के अयथार्थवादी निर्धारण के कारण कम्पनी द्वारा केबल का ढेर लगा दिया गया। साथ ही, आगामी निविदात्मक मात्राओं के निरस्तीकरण के बाद भी सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

#### **सामग्री के शेषों को ध्यान में नहीं रखने के कारण आवश्यकता का अनुचित निर्धारण**

**2.11.5** कम्पनी द्वारा 33 केवी एचटी एक्सएलपीई 3 सी गुणा 300 एसक्यूएम का क्रय किया गया जो निम्न थी:

टीएन 4267 (फरवरी 2011 से जून 2011)	345 किमी
टीएन 4375 (फरवरी 2013 से मार्च 2014)	276 किमी
टीएन 4400 (दिसम्बर 2013)	67.11 किमी

कम्पनी द्वारा केबल के स्टॉक की पर्याप्त स्थिति को देखते हुए टीएन 4400 के अधीन 223.89 किमी केबल की आपूर्ति को स्थगित कर दिया गया (मार्च 2014)। अधीक्षण अभियंता (क्रय) द्वारा सीएलपीसी को बताया (सितम्बर 2015) कि 2014-15 के दौरान केबल का उपभोग केवल 19.13 किमी था एवं विभिन्न स्टोर्स में 105 किमी का अन्तिम शेष था जो दो वर्ष से



कार्यों को दर्शाना होता है।  
 की स्थापना करने के लिए  
 द्वारा अनुमति प्राप्त करायी जायेगी। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अगले उच्चतर प्राधिकारी को निवेदन  
 संबंधित प्राधिकारी द्वारा अगले उच्चतर प्राधिकारी  
 अतिरिक्त समयावधि अनुमति की जा सकती है। यदि किसी निवेदन को निवेदन समयावधि में  
 मीटर एवं प्रोटेक्शन विंग द्वारा नमूना जांच की आवश्यकता वाले मामलों में 20 दिनों की  
 की समयावधि का प्रावधान था। फर्म की योग्यता निर्धारण करने के लिए कार्यस्थल निरीक्षण एवं  
 निवेदनों को स्थान की स्थिति से आशय-पत्र/ क्रयदेश जारी करने तक अधिकतम 120 दिनों  
 2.12.1 क्रय अनुमति के वाक्यांश 22.8 में क्रय के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए

### निवेदनों का अन्तिम रूप देने के लिए

जैसा कि विवरणानुसार नीचे दिया गया:  
 एवं नौ मामलों में कम्पनी द्वारा प्रति प्रस्ताव की निवेदन क्रियाविधि की अनुपालना नहीं की गई  
 2.12 यद्यपि 40 निवेदनों में से 29 निवेदनों में उनका अन्तिम रूप देने के लिए

### निवेदनों का निर्धारण

अंत तक लागू कर दिया जायेगा।  
 (ईआरपी) को क्रियान्वित करने पर जोर दिया एवं स्पष्टित किया कि ईआरपी को 2017-18 के  
 दृष्टान्त अपरिहार्य है। सरकार ने ऐसी कमीशनों से निपटने के लिए उद्यम संस्थान नियोजन  
 निकासी समा के दौरान सरकार/ कम्पनी द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटरीकरण के अभाव में ऐसी  
 की स्थिति से 18 माह थी।  
 आवश्यकता को पूरा करेगी। केबल की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो गई थी क्योंकि यह आपूर्ति  
 केबल की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना थी। सामग्री अगले चार वर्षों के लिए  
 क्रय की बहावा दिया गया जिसके कारण ₹ 6.83 करोड़ के कोष अवकृष्ट हुए एवं अप्रयुक्त  
 इस प्रकार, सामग्री की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारण के द्वारा 2012-14 के दौरान अधिक  
 के मध्य था।

2012-13 एवं 2015-16 के दौरान सामग्री का शेष 73.46 किमी एवं 99.26 किमी  
 थी। यहाँ तक कि दो वर्ल्ड (कोटा एवं जयपुर शहर वर्ल्ड) के नौ उपखण्डों के पास  
 • उपखण्डों में गारण्टी की गई सामग्री भी उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई  
 अन्तिम शेष 12.15, 109.95, 105.94, 70.17 एवं 2.34 किमी थी।  
 गया। मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान एसीओएस के पास केबल के  
 परिणामतः टीएन 4375 एवं टीएन 4400 के अर्थीन सामग्री का अधिक क्रय किया  
 के कारण कम्पनी द्वारा केबल की आवश्यकता का अनुमान अधिक लगाया गया जिसके  
 • सामग्री के शेषों (फिजिकल कार्यालयों को आपूर्ति की गई सामग्री) का स्थान में नहीं रखने  
 हमने देखा कि :

गया (सितम्बर 2015)।  
 अधिक के लिए पयॉल था। तदनुसार, सीएलपीसी द्वारा स्थानित आपूर्तियों को निरस्त कर दिया

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 40 में एक निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अधिकतम 70 दिनों की समयावधि का प्रावधान है। नियम में आगे प्रावधान है कि निर्दिष्ट समयावधि में निविदाओं को अंतिम रूप देने में असफल रहे जिम्मेदार प्राधिकारी के मामले में निर्णय के लिए निविदाओं को अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

चयनित 40 निविदा मामलों की समीक्षा में उजागर हुआ कि कम्पनी द्वारा 29 निविदाओं को 120 दिनों की निर्दिष्ट समयावधि से अधिक समय में अंतिम रूप दिया गया। निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में देरी की अवधि 4 दिनों एवं 589 दिनों के मध्य थी। साथ ही, अगले उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रय मैन्युअल एवं आरटीपीपी नियमों का उल्लंघन किया गया। मीटर्स के क्रय के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में देरी के दो मामलों के कारण पुनः क्रयादेशों अथवा मूल्य गिरावट वाक्यांशों को लागू नहीं करने के कारण कम्पनी पर ₹ 2.14 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जिसकी चर्चा नीचे की गई।

विवरण	मामला 1: टीएन 2149	मामला 2: टीएन 2158
निविदाएं खोली गईं	नवम्बर 2011	जून 2012
सफल निविदादाताओं के मीटर्स के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गये	दिसम्बर 2011 <sup>10</sup>	अगस्त 2012 <sup>11</sup>
जांच रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं	जुलाई एवं अक्टूबर 2012	अप्रैल 2013
नमूने भेजने एवं जांच रिपोर्ट्स की प्राप्ति में समयांतराल	7 एवं 10 माह	8 माह
मूल्य निविदा खोली गईं	फरवरी 2013	दिसम्बर 2013
क्रयादेश जारी करना	फरवरी 2013	मई 2014
निविदा को खोलने एवं क्रयादेश जारी करने के मध्य समयांतराल	14 माह	22 माह

हमने देखा कि नई निविदाओं के अधीन दरें वर्तमान में चल रही निविदाओं (क्रमशः टीएन 2097 एवं टीएन 2151) से कम थीं। निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी के परिणामतः

- मामला 1: कम्पनी द्वारा पिछली निविदा (टीएन 2097) के अंतर्गत 15,714 मीटर्स के लिए एक अतिरिक्त क्रयादेश जारी किया जाना था (मई 2012) जिसके कारण ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार द्वारा बताया गया कि मीटर्स की जांच का पता लगाने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया गया था एवं कम्पनी की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं थी।

- मामला 2: कम्पनी मूल्य में गिरावट वाले वाक्यांश को लागू नहीं कर सकी एवं वर्तमान में जारी निविदा (टीएन 2151) के अधीन प्राप्त की गई आपूर्तियों को स्वीकार करना

10 इलेक्ट्रीकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एसोसिएशन, वड़ोदरा।

11 सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु।

2.13 तकनीकी समिति वर्तमान विवरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त सामग्री के तकनीकी मानक / विविध विवरणों को अन्तिम रूप देती है। सामग्री के विभिन्न प्रकार के विविध विवरणों को निविदा प्रपत्रों एवं कयादेशों में सम्मिलित किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित

### विविध विवरणों की पूर्ति करने वाली सामग्री का प्राण

#### सामग्री के प्राण में कृशालता एवं प्रभावशीलता

अनुमानित मूल्यों का प्रति प्रस्ताव सभी निविदादाताओं को दिया जाना चाहिए। एक बार ही प्रति प्रस्ताव दे सकती थी। तथापि, सरकार ने सुझाया कि कम्पनी अपने एवं अन्यथा यह निविदा प्रक्रिया के निरस्तीकरण के जोखिम में पड़ जाती क्योंकि कम्पनी केवल निरक्षी समा के दौरान प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी को एक उचित दर पर प्रति प्रस्ताव देने प्रदान करके कम्पनी द्वारा ₹ 9.61 करोड़ (अनुबंध-3) तक की धनराशि बचाई जा सकती थी। निष्पत्ति की गई मोलभाव एवं प्रति प्रस्ताव देने की प्रक्रिया का अनुपालन करके निविदाओं को

मूल्यों पर तब अन्य निविदादाताओं को प्रस्ताव दिया गया।

उत्तर मूल्यों पर प्रस्ताव दिया गया। निम्नलिखित निविदादाताओं द्वारा स्वीकार किये गये उच्चतर पर कयादेश जारी करने की संभावनाओं को तलाशने के स्थान पर निम्नलिखित निविदादाताओं को दरो पर प्रति प्रस्ताव नहीं दिये गये। कम्पनी द्वारा अन्य योग्य निविदादाताओं को अनुमानित दरो प्रति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कम्पनी द्वारा अन्य योग्य निविदादाताओं को अनुमानित दरो के 40 घण्टे के 12 निविदाओं में से नौ<sup>12</sup> निविदाओं में निम्नलिखित निविदादाता द्वारा

निविदादाताओं को दरो का प्रति प्रस्ताव दे सकता था।

की गई कमी के अस्पष्टीकरणक पाये जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी अन्य योग्य अद्यतन मूल्यों के आधार पर की गई थी। निम्नलिखित निविदादाता द्वारा मोलभाव के बाद भी दरो में गई निविदाओं, वर्तमान में चल रहे राज्य के अन्य डिस्कॉम्स द्वारा दिये गये अनुबंधों, इत्यादि के अधिक नहीं है तथा इन अनुमानित दरो की गणना वर्तमान में चल रहे काया/ वर्तमान में जारी सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि एल-1 फर्म द्वारा दिये गये मूल्य अनुमानित दरो से मांग कर सकता है। एल-1 फर्म का प्रस्ताव तब तक अनुमानित नहीं किया जायेगा जब तक कि गया था कि सक्षम प्राधिकारी एल-1 के साथ मोलभाव एवं संभव सीमा तक मूल्य में कमी की प्रस्ताव देने की क्रियाविधि को संशोधित किया गया (अप्रैल 2012)। संशोधित प्रक्रिया में बताया 2.12.2 कम्पनी द्वारा क्रय मैन्युअल में निष्पत्ति की गई मोलभाव एवं निविदादाताओं को प्रति

### प्रति प्रस्ताव की निष्पत्ति प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करना

मूल्य निविदाओं को खोलने के बाद आपूर्तियों को खोलने पर संकती थी। आदेशानुसार प्रक्रिया को रोक कर रखा गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी सरकार द्वारा बताया गया कि सामग्री की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तर प्राधिकारियों के

के वर्तमान में जारी निविदा एवं नई निविदा के अधीन आपूर्तिकर्ता एक समान थे।

पूरी निष्पत्ति करण ₹ 93.44 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह ध्यान देने योग्य है

किया जाना आवश्यक था कि सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा भी सामग्री के निरीक्षण एवं जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि आपूर्तित सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी।

अभिलेखों की विस्तृत संविधा के लिए चयनित 40 निविदाओं में से छह में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री अथवा निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के प्रापण को देखा गया। इन मामलों द्वारा ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की घटिया सामग्री के क्रय को उजागर किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई:

### **दोषपूर्ण श्री फेज मीटर्स की आपूर्ति**

**2.13.1** ऑप्टिकल पोर्ट कम्यूनिकेशन सुविधा वाले मीटर बॉक्स के साथ ₹ 2,565 प्रति मीटर की दर पर तीन फेज<sup>13</sup> वाले 19,660 एनर्जी मीटर्स की आपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को क्रयादेश (टीएन 2156) जारी किया गया (मार्च 2013)। ऑप्टिकल पोर्ट एवं निम्न पावर रेडियो कम्यूनिकेशन सुविधा के साथ ₹ 2,990 प्रति मीटर की दर पर तीन फेज<sup>14</sup> वाले 80,000 मीटर्स की आपूर्ति के लिए जीनस इनोवेशन लिमिटेड को टीएन 2157 के अधीन एक अन्य क्रयादेश भी जारी किया गया (मार्च 2013)। क्रयादेशों के वाक्यांश 19 में प्रावधान था कि कम्पनी अथवा मीटर जांच प्रयोगशाला द्वारा दोषपूर्ण घोषित किये गये मीटर्स को कम्पनी की पूर्ण संतुष्टि तक आपूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किये जाने के 45 दिनों में बदल दिया जायेगा।

दोनों निविदाओं के नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आईएस: 13779-1999/ संबंधित आईईसी मानक (नवीनतम संशोधनों सहित) के अनुसार सभी परीक्षणों के लिए टाइप परीक्षण प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। टाइप परीक्षणों / अतिरिक्त टाइप परीक्षण प्रमाणपत्र राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला/ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला/ सीपीआरआई (विशेष उपकरण/ परीक्षण के लिए एनएबीएल प्रमाणित) मानक प्रयोगशालाओं में से किसी एक द्वारा जारी किये जाने थे।

निविदा स्टेज पर एवं आपूर्तियों के शुरु होने से पूर्व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये मीटर्स को निर्दिष्ट परीक्षणों को पास करना आवश्यक था। सम्पूर्ण आपूर्तियों को केवल शुरुआती नमूनों के अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जाना था। साथ ही, प्रत्येक समूह/उप-समूह से लिये गये नमूने कम्पनी की केन्द्रिय परीक्षण प्रयोगशाला पर किये जाने वाले परीक्षणों के भिन्न-भिन्न प्रकारों के अधीन थे।

हमने देखा कि दोनों फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये मीटर्स ने निविदा की भिन्न-भिन्न स्टेजों पर निर्धारित परीक्षण पास किये गये थे एवं तदनुसार कम्पनी द्वारा मीटर्स की निविदात्मक आपूर्तियों को स्वीकार किया गया था। फिल्ड कार्यालयों द्वारा भी उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर्स संस्थापित कर दिये गये थे। तथापि, दोनों फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये मीटर्स में विद्युत के

13 ऑप्टिकल पोर्ट कम्यूनिकेशन सुविधा वाले मीटर बॉक्स के साथ बैकलिट एलसीडी डिसप्ले के साथ एसी स्टेटिक श्री फेज चार वायर 10-60 एम्पियर रेटिंग होल करंट क्लास 1.0 एक्यूरेसी केडब्ल्यूएच एनर्जी मीटर्स।

14 ऑप्टिकल पोर्ट एवं निम्न पावर रेडियो कम्यूनिकेशन सुविधा के साथ बिना मीटर बॉक्स के पॉली कार्बोनेट मीटर केस के साथ बैकलिट एलसीडी डिसप्ले के साथ श्री फेज चार वायर 10-60 एम्पियर रेटिंग।

करने के लिए आदेशित किया जा चुका था।  
 2156 एवं टीएन 2157 के अधीन आपूर्ति किये गये सभी शी फ्लैश मीटर्स बदलने को सौंपा निवेदन  
 किये गये निर्णयानुसार (30 मई 2017) सभी अधीक्षण अभियंताओं (ओएण्डएम) को टीएन  
 सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों की सभा में  
 हानि बहने कर रहे थी।

गया था एवं उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत के घटने को दर्ज नहीं करने के कारण  
 कम्पनी द्वारा ₹ 28.96 करोड़ की लागत पर क्रय किये गये दोषपूर्ण मीटर्स को नहीं हटाया  
 दोष सिद्ध होने के बाद भी कम्पनी मीटर्स को बदलने को सौंपा निवेदन करने में विफल रही।  
 सभी प्रकार के परीक्षणों को पास करना बताया गया था। साथ ही, मीटर्स में विविध प्रकार के  
 सौंपा निवेदन करने में विफल रही क्योंकि खराब मीटर्स को निम्न-निम्न समयवर्तमानों पर किये गये  
 यह दर्शाता है कि जांच प्रक्रियाएँ, निर्धारित विविध विवरणों के अनुसार मीटर्स की शृंखला को  
 ग्राहक 99,660 मीटर्स के विकल्प केवल 5,000 मीटर्स बदले जा चुके थे (सितम्बर 2016)।  
 मार्च 2017 तक, जीनस इन्वैशन लिमिटेड एवं जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा आपूर्ति किये  
 मीटर्स को बदलने के लिए आदेशित किया गया था।

पर आयाजित (जुलाई 2016) एक सभा के दौरान कम्पनी द्वारा स्टोर्स में पड़े हुए केवल खराब  
 को बदलने के लिए कोई आदेश कम्पनी भी जारी नहीं किया गया। तथापि, प्रबंध निदेशक के स्तर  
 एवं विधि विंग द्वारा दी गई सलाहानुसार कम्पनी द्वारा निवेदनों के अधीन क्रय किये गये मीटर्स  
 यह मामला कम्पनी को सौंपा किया गया (मार्च 2016) लेकिन अधीक्षण अभियंता (एमएण्डपी)  
 लेना चाहिए एवं कम्पनी को सभी मीटर्स को बदलने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए।

अधीन आपूर्ति किये गये सभी मीटर्स को प्रथाभित्ता के आधार पर सर्कट से बाहर निकाल  
 उपर्युक्त हेतु कि किस्मी राजस्व हानि से बचने के लिए टीएन 2156 एवं टीएन 2157 के  
 जैसा कि प्रत्येक मीटर की कार्यस्थल पर जांच एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी इसलिए, यह  
 सुरक्षा (एमएण्डपी) विंग द्वारा परीक्षण किये गये मीटर्स के द्वारा विविध व्यवहार किया गया था।  
 किया गया था। कम्पनी की विधि विंग द्वारा भी सूझाया गया (जुलाई 2016) कि मीटर एवं  
 आदेशित किया गया था (जुलाई 2016) यदि यह दोष सिद्ध हो गया था एवं कम्पनी स्वीकार  
 कम्पनी को विनियम हानि हो सकती थी। प्रबंध निदेशक द्वारा भी सभी मीटर्स को बदलने के लिए  
 आपूर्ति सभी मीटर्स को बदला जाना चाहिए क्योंकि विविध व्यवहार के कारण  
 इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (मीटर एवं सुरक्षा) द्वारा सिफारिश की गई कि कम्पनी द्वारा  
 कम्पनी द्वारा मामले की जांच की गई (मई 2016) एवं मीटर्स के विविध व्यवहार की पुष्टि की।  
 सीमाओं में पाई गई थी।

विद्युत की निरन्तर आपूर्ति के मामले में मीटर्स का व्यवहार सामान्य था एवं सत्यता निर्धारित  
 बिंदु के बाद मीटर का मीटरी रजिस्टर विद्युत के उपभोग को दर्ज करने में विफल हुआ। तथापि,  
 जिस बिंदु पर खराब हो गये थे। इस प्रकार, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर मीटर घटने के निवेदन  
 जब विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आया तब मीटर्स स्वतः ही घटने के उस बिंदु से उल्टे घूमने लगे  
 2016)। यह देखा गया कि मीटर घटने के एक निवेदन बिंदु पर मीटर्स खराब हो गये थे एवं  
 उपभोग के घटने के संबंध में फिक्स कायदालियाँ द्वारा कुछ अजीब कथियाँ देयी गईं (फरवरी

15	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचडईडी) राज्य में पानी की आपूर्ति करना है एवं मुख्य दोषी उपभोक्ताओं में से एक है।
16	टीएन 2297
17	एचपीएल द्वारा कम्पनी को 12,849 मीटर्स आपूर्ति किये गये, सिवियर मीटर्स द्वारा एबीवीएनएल को 14,334 मीटर्स आपूर्ति किये गये एवं जीनस पावर द्वारा जेडीवीवीएनएल को 16,700 मीटर्स आपूर्ति किये गये।

सक। शेष मीटर्स कम्पनी के विभिन्न स्टोर्स में पड़े हुए थे (मई 2017)। मई 2017 तक कुल 12,849 प्रीपेड मीटर्स में से केवल 2,366 मीटर्स ही स्थापित किये जा पीएचडईडी मीटर बाँक्यों में जागह कम थी। इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका एवं हुआ था (iii) कस्टमर इंटरफेस लगाने के लिए आदेशों का अभाव था एवं (iv) पीएचडईडी कनेक्शन संपूर्ण टैंसकॉन्सर्स में दिये गये थे (ii) टैंसकॉन्सर्स का बाँकस वेल्ड किया अभिलेखा की आगे समीक्षा से उजागर हुआ कि मीटर्स स्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि (i) दोनों निविदाओं में एक समान मीटर्स थे।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा ₹ 3.51 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर मीटर्स क्रय किये गये क्योंकि इन्हें 2016 तक कम्पनी को 12,849 मीटर्स की आपूर्तियां कर दी थी।

दर पर 43,883<sup>17</sup> मीटर्स की आपूर्ति के लिए कयादेश जारी किये गये। एचपीएल द्वारा फरवरी (अगस्त 2015) एवं सभी तीनों निविदादाताओं को ₹ 9,500 प्रति मीटर की सीमावर्त की गई मीटर्स प्रिडिक्शन के समान थे। कम्पनी द्वारा निविदादाताओं के साथ सीमावर्त किया गया ₹ 10,440 प्रति इकाई दर पर एचपीएल एक बार फिर एल-1 रही। एचपीएल द्वारा प्रस्तावित खाली गई (फरवरी 2015)। दोनों प्रकार (10-60 एवं 20-80 एम्पीयर) की रेटिंग के लिए मानदण्ड (मूलकाल में की गई न्यूनतम आपूर्ति की मात्रा) में डील टेंकर एक नई निविदा<sup>18</sup> कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षी मूल्य एवं निविदाओं में वृद्धत भागदायी को सुनिश्चित करने के लिए 2014)। इस प्रकार, मामले को संवत्क मण्डल के समान नहीं रखा गया।

नहीं मिलने के आधार पर निविदा को निरस्त करने का निश्चय किया गया। (12 सितम्बर को संवत्क मण्डल के समान रखा जाना चाहिए। तथापि, सीएलपीसी द्वारा प्रत्यक्षी मूल्य सरस्य द्वारा महसूस किया गया कि एचपीएल के पास अर्जुन का अभाव था एवं इसलिए मामले कयादेश जारी करने का निश्चय किया (28 अगस्त 2014)। तथापि, समान क्रय समिति के एक मीटर के सीमावर्त मूल्य पर 42,000 मीटर्स के लिए एचपीएल (निम्नतम निविदादाता) पर अर्जुन दोनों प्रकार की रेटिंग के मानदण्ड पूरे करते थे। सीएलपीसी द्वारा ₹ 6,765 प्रति प्रस्ताव दिया। इसने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित किये गये मीटर्स कम्पनी की आवश्यकताओं के एवं इसने दोनों (10-60 एवं 20-80 एम्पीयर) प्रकार की रेटिंग के एक समान मीटर्स का कम्पनी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई (अप्रैल 2012) जिसमें एचपीएल एल-1 निविदादाता थी उपभोक्ता) के लिए प्रीपेड मीटर्स स्थापित करने आवश्यक थे।

2.13.2 राज्य सरकार के वित्तीय पुनर्सेवना कार्यक्रम, 2012 (एफआरपी) के अर्जुन कम्पनी द्वारा मार्च 2013 तक सभी दोषी उपभोक्ताओं (सरकारी एवं पीएचडईडी)<sup>15</sup> जैसे वृद्धत

### अपवर्तित तकनीक वाले मीटर्स का क्रय

(अगस्त 2017)।

2012 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी इन मीटर्स को स्थापित नहीं कर सकी थी। तकनीक के मीटर्स के मापन पर ₹ 12.21 करोड़ का व्यय किया गया। साथ ही, एकआपसी किया गया था जिसने टीएन 2297 की लागत में नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार, अप्रचलित क्वांटिक कम्पनी द्वारा एक अलग कार्यादेश के माध्यम से मीटर्स को स्थापना का कार्य प्रदान मीटर्स के मापन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। उत्तर पर तथ्यात्मक रूप से सही था। को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही थी एवं एकआपसी योजना 2012 के अगस्त में विचारणीय था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अन्य श्रेणियों के उपभोक्तकों के लिए प्रीव्यू मीटर्स दिया था। साथ ही, अस्थायी विद्युत कनेक्शन पर प्रीव्यू मीटर्स की स्थापना का मामला स्थापना की भी सम्मिलित किया गया था जिसने नई निविदा में मीटर्स की लागत को बढ़ा सरकार द्वारा बताया गया कि नई निविदा में आपूर्ति के लिए कार्य के क्षेत्रों में मीटर्स की

विश्लेषण के आधार पर इन मीटर्स पर आगे निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मीटर्स अप्रचलित तकनीक वाले थे। इस सम्मिलित द्वारा भी सूझाया गया कि लागत नाम भी देखा गया (अगस्त 2016) कि प्रीव्यू मीटर्स द्वारा बांछित परिणाम नहीं दिये गये थे एवं औचित्य एवं क्रियाविधि का परीक्षण करने के लिए गठित की गई (जुलाई 2016) सम्मिलित द्वारा उपर्युक्तता का पता नहीं लगाया जा सकता था। प्रीव्यू मीटर्स को स्थापित करने के लिए जनप्रयोगी सेवा से किसी मूलकालीन उदाहरण के अभाव में एवपीएल द्वारा मांगे गये मूल्य की सीएलपीसी द्वारा मामले की चर्चा की गई (अगस्त 2016) एवं देखा गया कि किसी अन्य को एक विलीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2016)।

दिया गया (मार्च 2016) कि आवश्यक संशोधन अतिरिक्त लागत पर किये जायेंगे एवं कम्पनी एमएएमएस रूविधा इत्यादि के लिए अनुरोध किया गया (मार्च 2016)। एवपीएल द्वारा उत्तर को स्थापित करने, ऑनलाइन मीटर पठन उपलब्ध कराने के लिए सर्वर को स्थापित करने, कम्पनी द्वारा एवपीएल को सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने, मीटर के साथ बाहरी मॉडम मीटर्स के सॉफ्टवेयर में उपर्युक्त संशोधनों को सन्निहित करने के लिए आदेशित किया गया। कि प्रीव्यू मीटर्स पीएचडैट्री पर स्थापित नहीं किये जाने चाहिए। अधीक्षण अभियंता (आईटी) को इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा चर्चा की गई एवं यह निश्चय किया गया (फरवरी 2016)

थी। इससे पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा हो गया। रूप से चार्ज की गई धनराशि के उपयोग करने के बाद विद्युत आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाती मीटर्स में रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकरण किचर नहीं था। इसके परिणामतः मूल रूप मीटर्स को रिचार्ज करने के लिए 30 दिनों की अनुमतिवाहक प्रदान की गई थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा उजागर किया गया कि प्रीव्यू मीटर्स पीएचडैट्री पर स्थापित किये गये

तकनीकी विविध विवरण समिति द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।  
अभी भी किये जा रहे हैं। उम्मीद है कि आरएमयूएल की तकनीकी उपयुक्तता  
आरएमयूएल स्काजा की आवश्यकता से पूरी तरह से मेल खाते हैं क्योंकि आरएमयूएल स्काजा पर  
जाना संभव नहीं था कि क्या ऐसी सीटी व्यवस्था के साथ फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये  
जयपुर वाइर (वैसीसी) द्वारा निर्धारित किये गये (फरवरी 2016) कि यह निष्कर्ष निकाला  
आरएमयूएल की आपूर्ति समान सीटी व्यवस्था के साथ पूर्ण की जा चुकी थी। अधीक्षण अधिकारी  
की ओर से एक पत्र पर सत्यापित किया गया था। फर्म द्वारा आने वाला था कि निविदाधीन सभी  
उत्तम सामग्री एवं रखरखाव में सुविधा के लिए प्राटेक्शन सीटीज को केवल बॉक्स के अंदर  
माउण्टिंग प्लेट पर स्थापित किया गया था। फर्म द्वारा उत्तर दिया गया (फरवरी 2016) कि  
प्राटेक्शन कवर टर्म्सफॉर्म (सीटी) को सीधे बुझाने पर चढ़ाने के स्थान पर एक अलग  
मानदंडों (सीटी) से विचलित होने के बारे में इंगित किया गया था। विचलन था कि  
निरीक्षणार्थी द्वारा अपनी रिपोर्ट (लोट IV के लिए जनवरी 2016) में गारन्टीड तकनीकी

**कॉन्ट्रैक्ट प्रोब्लम रिपोर्ट**

आरएमयूएल को स्काजा सिस्टम के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका था।  
जवाब पर सामान्य तौर पर मर्यादा किया गया था। मार्च 2017 तक फर्म से क्रय किये गये  
कम्पनी द्वारा बिना किसी सत्यापन/जांच एवं स्काजा कियान्वयन एजेंसी से सलाह के फर्म के  
एवं विविध विवरणों के अनुसार की गई थी।

बाद फर्म द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2016) कि आरएमयूएल की आपूर्ति अर्जमाहित इंडिया  
उठाये गये सवालों का उत्तर भी दिया। कर्जोल स्काजा (जुलाई 2016 से सितम्बर 2016) के  
फर्म द्वारा न तो दोष निवारण करने के लिए कोई कार्रवाई की गई एवं न ही कम्पनी द्वारा  
करने एवं समन्वय बनाने में असमर्थ थी। मामला फर्म को बताया गया (जून 2016) लेकिन  
जाने के कारण स्काजा कियान्वयन एजेंसी इन संकेतों को स्काजा सिस्टम के साथ संयोजित  
प्रसारित नहीं कर रहे थे। आरएमयूएल द्वारा हितहित आगल/निर्गत को प्रसारित नहीं किये  
हमने देखा कि आरएमयूएल, संकेतों की अर्जमाहित सूची में सम्मिलित 10 प्रकार के संकेतों को

**स्नाइडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**

इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड (कॉन्ट्रैक्ट) का संविद किये गये विविध विवरणानुसार होने चाहिए।  
कम्पनी की सूचना तकनीक (आईटी) बिना द्वारा स्काजा कियान्वयन एजेंसी (उपकरण  
आरएमयूएल का क्रय इस शर्तों पर था कि स्काजा की अर्जमाहित के लिए आवश्यक संकेत

कॉन्ट्रैक्ट प्रोब्लम रिपोर्ट, नारिक	दो पृष्ठ की 742	आरएमयूएल
स्नाइडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,	दो पृष्ठ की 371	आरएमयूएल

क्यादेश<sup>19</sup> जारी किये गये (जुलाई 2015):  
2.13.3 कम्पनी द्वारा स्काजा<sup>18</sup> अर्जमाहित रिग में यूनिस के क्रय के लिए निम्नानुसार

**अर्जमाहित विविध विवरणों में हटकर रिग में यूनिस का क्रय**

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)



2.13.4 कम्पनी द्वारा ₹ 80,441.65 प्रति किलोमीटर की दर पर 1,500 किलोमीटर (कंपन) इंटरव्यू ग्रैंड ट्रांसफॉर्मर तेल की आपूर्ति के लिए सविता अंडल टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, नवी मुंबई (आपूर्तिकर्ता) के पक्ष में कयादेश (टीएन 2172) जारी किया (सितम्बर 2012)। कयादेश के बावजूद 11 में प्रावधान था कि निरीक्षण किसे गये प्रत्येक जोट के समकित नमूने लिये जायेंगे एवं कयादेश में निर्धारित गारंटीड तकनीकी विवरणों की पूर्ण जांच

**निकट/दीर्घवर्ष इंटरव्यू ग्रैंड ट्रांसफॉर्मर तेल का उपयोग**

विवरणों से मेल खाती हुई थी।

विवरणों से मेल खाती हुई थी। निर्यात यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम्पनी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री तकनीकी विवरणों को पूरा करती है। निर्यात, तकनीकी विवरण अर्जमादन समिति द्वारा अर्जमादन करवाया जाना था। द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। हमने देखा कि अर्जमादन गारंटीड तकनीकी मानदण्डों से आबद्ध था कि आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता की तकनीकी विवरण समिति के बारे में इंजिनर किया गया था। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (जेसीसी) के अर्जसार भी यह कथित कम्पनी के निरीक्षण/अधीक्षण द्वारा स्वयं गारंटीड तकनीकी मानदण्डों से विचलित होने समिति की स्वीकृति के लिए आबद्धता अभिकल्पित नहीं थी। उल्टे सहमतिकाकारक नहीं था। तकनीकी विवरण से भिन्न नहीं था एवं इस प्रकार तकनीकी विवरण अर्जमादन कम्पनी में बलाया कि सीटीए प्रोटेक्शन की स्थिति में किया गया परिवर्तन, गये आरएमयूज स्काडा सिस्टम के साथ अच्छी तरह एकीकृत की जा सके / मेल खा सके। द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आबद्ध कर्म उठाये जा रहे थे कि कम्पनी द्वारा आपूर्ति किसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया (जून 2017) जिसकी जांच की जा रही थी। साथ ही, कम्पनी सरकार ने बलाया कि स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा अधीक्षण अभियंता (आईटी) की

की आपूर्ति की बात पर आपूर्तियों को स्वीकार करने का निर्णय तर्कसंगत नहीं था।

लाभ प्रति इकाई) के बीच व्यापक अंतर के मध्यनजर सीटी प्रोटेक्शन के 15 अतिरिक्त सेटों सेट की लागत (लगभग ₹ 501.59 प्रति इकाई) एवं आरएमयूज की लागत (लगभग ₹ 3.39 से ₹ 25.16 करोड़ के 742 आरएमयूज का क्रय किया गया। हमने देखा कि सीटी प्रोटेक्शन विचलन में कम्पनी द्वारा तकनीकी विवरण समिति के अर्जमादन के बिना कम्पनी में भी साथ एकीकृत नहीं किया जा सका था। साथ ही, अर्जमादन इंजीनियरिंग एवं विवरणों के किसे बिना ₹ 12.58 करोड़ मूल्य के 371 आरएमयूज का क्रय किया जा रहा है स्काडा के कम्पनी ने, इस प्रकार, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से तकनीकी उपयुक्तता सुनिश्चित

द्वारा आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया गया था।

आरएमयूज की आपूर्तियों को स्वीकार किया गया। तथापि, तकनीकी विवरण समिति लिए प्रोटेक्शन सीटीए के 15 अतिरिक्त सेटों की आपूर्ति की बात के साथ कम्पनी द्वारा सीटी के टैप्ट सेटों की संभावना को स्पष्ट नहीं किया जा सका था। आपत स्थिति के पुनरीक्षण किया गया। तथापि, फिजिबिलिटी द्वारा देखा गया कि कया संचालन के दौरान आरएमयूज की सीटी व्यवस्था के अर्जसार सीडें (एमएम) के स्तर पर आरएमयूज के इंजिन के आरएमयूज में कोई कठिनाई नहीं देखी गई थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा आपूर्ति किसे गये (फरवरी 2016) कि ऐसी सीटी व्यवस्था के साथ कम्पनी द्वारा आपूर्ति किसे गये सत्यापित कम्पनी द्वारा, तथापि, इस आधार पर आपूर्तियों को स्वीकार करने का निश्चय किया गया

- 20 केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान।  
 21 स्वराज लोटेस के अंतर्गत आपूर्ति 999.85 केएल थी जिसमें से 749.89 केएल ट्रांसफार्मर तेल फिल्टर कार्यालयों द्वारा उपयोग में ले लिया गया था।

कोई संवाद संबंधी अंतराल रह गई था।  
 न निकारसी समा के दौरान बताया कि रिपोर्ट्स के संबंध में एसीओएस एवं एमएम विंग के बीच दिया गया है। अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा निर्देश जारी करने में देरी के संबंध में प्रबंधन मानदण्डों में देरी की कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को अपर्युक्त तेल को उठाने के लिए निर्देश नहीं प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी। उल्लेखित कर्मियों को अपर्युक्त तेल की गणवत्ता निरिष्ट गणवत्ता में निरवहट नहीं आती है। टीएन 2172 के अंतर्गत आपूर्ति एवं प्रयुक्त तेल की कोई जांच की जा रही थी। साथ ही, एक अथवा दो टाइप टेस्टों में कल होने के कारण तेल की निरिष्ट मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए सीटीएल पर केवल तेल की सघनता एवं मात्रा की सरकार द्वारा बताया गया कि आपूर्ति इंधन की उचित गणवत्ता एवं तेल के उपयोग को बढ़ावा दिया।

आदेशों को जारी करने में देरी से ₹ 4.89 करोड़ मूल्य के 750 किलोलीटर स्वराज ट्रांसफार्मर सुनिश्चित करने में सीटीएल, जयपुर विकल रही। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा यह दर्शाता है कि कयादेश में निर्धारित गारन्टीड तकनीकी विवरणों की उचित जांच की कर लिया गया था। शेष 250 किलोलीटर तेल को आपूर्तिकर्ता द्वारा उठवाया गया था।

750 किलोलीटर (75 प्रतिशत) तेल को आदेश प्राप्त होने तक फिल्टर कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त असफल हुए लोटेस में लगभग 1,000 किलोलीटर ट्रांसफार्मर तेल सम्मिलित था जिसमें से कार्यालयों से अपर्युक्त तेल को उठाने के लिए आदेशित किया गया था (अगस्त 2014)। (एमएम) द्वारा देरी से आदेश जारी किया गया (अगस्त 2014)। आपूर्तिकर्ता को भी फिल्टर ट्रांसफार्मर तेल को प्रयुक्त नहीं करने के लिए फिल्टर अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता कम्पनी को इसकी जांच रिपोर्ट्स जुलाई 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच प्राप्त हुईं। तथापि, हमने देखा कि सीपीओआरआई की जांच में छह समकित नमूनों में से चार असफल हो गये एवं क लिए फिल्टर अधिकारियों को अनुमति किया गया।

लक्षित रहते एवं सीटीएल से मजबूती लेने के बाद कम्पनी द्वारा ट्रांसफार्मर तेल को प्रयुक्त करने (सीटीएल) पर नमूनों की जांच की गई। सीपीओआरआई, बंगलूरु से लोटेस रिपोर्ट्स के सीपीओआरआई, बंगलूरु भेजे गये। कम्पनी द्वारा भी अपनी केन्द्रिय जांच प्रयोगशाला, जयपुर प्रत्येक लोटे से समकित नमूने लिये गये एवं गारन्टीड तकनीकी विवरणों की पूर्ण जांच के लिए दिसम्बर 2012 से जुलाई 2013 के दौरान कम्पनी द्वारा छह लोटेस में आपूर्तियां प्राप्त की गईं। द्वारा जल कर लिया जायेगा।

जायेगा। समकित नमूने के असफल हो जाने के मामले में, शेष 15 प्रतिशत भूगतान को कम्पनी भूगतान सीपीओआरआई, बंगलूरु से सकल टाइप टेस्ट रिपोर्ट्स के प्राप्त होने के बाद जारी किया कि प्रत्येक प्रेषण का 85 प्रतिशत भूगतान बिलों के विकसित किया जायेगा एवं शेष 15 प्रतिशत के लिए सीपीओआरआई<sup>20</sup>, बंगलूरु भेजे जायेगा। भूगतान की शर्तों में (बाक्यांश 5) में प्रावधान था

### सामग्री का अमितव्ययीपूर्ण क्रय

**2.14** प्रापण प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध अथवा सार्वजनिक कोषों से माल एवं सेवाओं के क्रय में लगे हुए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्राधीकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि सामग्री विशिष्ट विवरणों के साथ क्रय की गई है, मूल्य उचित हैं, एवं निविदादाताओं की मिलीभगत न्यूनतम है। ₹ 6.31 करोड़ की सामग्री के अमितव्ययीपूर्ण क्रय को इंगित करने वाले दृष्टांतों में चयन किये गये 40 निविदाओं में से चार निविदाओं में तीन मामले देखे गये जिनको नीचे दिया गया है।

#### उच्च मूल्यों पर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

**2.14.1** अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 1.60 में प्रावधान था कि मूल्य गिरावट वाक्यांश आगामी निविदा की मूल्य निविदा को खोलने की तिथि से लागू होगा। यदि सुपुर्दगी सूची समाप्त नहीं होने एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा नई निविदा में प्राप्त निम्न दरों पर शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए सहमत नहीं होने पर, सुपुर्दगी सूची के अनुसार आदेशित मात्रा की सीमा तक शेष मात्रा नई निविदा को खोलने के तिथि से तीन माह स्वीकार की जानी थी। साथ ही, सुपुर्दगी सूची में निर्धारित मात्रा से अधिक की आपूर्ति को नई निविदा को खोलने के तीन माह की अवधि में किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व नहीं खिसकाया जायेगा एवं आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के संबंध में पुराने क्रयादेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

कम्पनी ने मीटरबॉक्स के साथ 25 केवीए (एल्यूमिनियम वाउण्ड) श्री फेज वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों पर क्रयादेश (टीएन 2137) जारी किये (अप्रैल 2012)। कम्पनी ने आपूर्तियों को शुरू करने की मूल सूची को चार माह तक बढ़ा दिया (अगस्त 2012)। आगामी निविदा (टीएन 2176) की मूल्य निविदा खोली गई (30 अक्टूबर 2012) जिसमें निम्नतम दर ₹ 44,100 प्रति ट्रांसफॉर्मर पर तय की गई। नई निविदा में दर वर्तमान में चल रहे टीएन 2137 की अद्यतन दर (₹ 47,003.61 प्रति ट्रांसफॉर्मर) से कम थी।

हमने देखा कि 32 आपूर्तिकर्ताओं ने घटायी गई दर को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने आदेशों में दर्शाई गई सुपुर्दगी सूची के अनुसार इन फर्मों से आपूर्तियों को इस तथ्य पर विचार किये बिना स्वीकार किया कि मूल सुपुर्दगी सूची को चार माह तक बढ़ा दिया था। कम्पनी द्वारा ऐसा करके उच्च दरों पर 5,593 ट्रांसफॉर्मर्स की ऐसी आपूर्तियों को स्वीकार किया जिसके परिणामतः ₹ 1.62 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया कि मूल्य गिरावट वाक्यांश मूल सुपुर्दगी सूची के अनुसार लागू था क्योंकि कम्पनी द्वारा भुगतानों में देरी को ध्यान में रखते हुए केवल आपूर्तिकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए बढ़ाई गई सूची अनुमत की गई थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि सुपुर्दगी सूची में वृद्धि इस शर्त के साथ थी कि कम्पनी को कोई वित्तीय हानि नहीं होनी चाहिए थी।

#### उच्च मूल्यों पर खम्भों के क्रय के कारण अतिरिक्त व्यय

**2.14.2** कम्पनी ने प्लेन सीमेंट कोंक्रीट (पीसीसी) खम्भों के तहत आठ मीटर (टीएन 4468 के अधीन 1,52,160 खम्भे) एवं नौ मीटर (टीएन 4467 के अधीन 2,77,691 खम्भे) खम्भों के क्रय के लिए सफल निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली (जून 2014)।

आठ मीटर स्वम्भे की निम्नतम दर (₹ 1,599 प्रति इकाई) पिछली निविदा के अद्यतन मूल्य (₹ 1,524.09 प्रति इकाई) से अधिक थी। नो मीटर स्वम्भों के संबंध में निम्नतम दर ₹ 2,147.25 प्रति इकाई थी। कम्पनी ने एल-1 दरों पर अन्य निविदादाताओं को प्रतिप्रस्ताव दिये लेकिन उन्होंने कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने अपने प्रस्ताव को भी कई बार बढ़ाया एवं आखिरकार आठ एवं नो मीटर स्वम्भों के लिए निम्नानुसार क्रयादेश प्रदान किये:

खम्भों की संख्या	प्रति खम्भा दर	टिप्पणी
<b>आठ मीटर खम्भे</b>		
19,500	₹ 1,599	एल-1 दर पर तीन निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
36,000	₹ 1,599	तीन निविदादाताओं में से एक द्वारा अतिरिक्त मात्रा स्वीकार की गई जिसने निम्नतम दर को स्वीकार किया।
16,200	₹ 1,609	पांच निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
1,06,000	₹ 1,685	निविदाधीन मात्रा को बढ़ाने के बाद 56 निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (सितम्बर 2014)।
<b>नो मीटर खम्भे</b>		
5,600	₹ 2,147.25	एल-1 निविदादाता को क्रयादेश दिया गया (जुलाई 2014)।
31,500	₹ 2,161	छह निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
12,000	₹ 2,225	दो निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
3,500	₹ 2,240	एक निविदादाता को क्रयादेश दिया गया (अगस्त 2014)।
2,17,109	₹ 2,340	55 निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (सितम्बर 2014)।

हमने देखा कि सीएलपीसी ने आठ मीटर स्वम्भों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्पावधि निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया (जुलाई 2014) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा सीएलपीसी हर बार उच्च मूल्यों को प्रस्तावित करके निविदादाताओं के साथ मोलभाव करती गई।

हमने देखा कि कम्पनी ने पिछली निविदा/अन्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई निविदा/ आगामी निविदा के आधार पर गणना की गई दरों के स्थान पर अतार्किक उच्च दरों पर क्रयादेश प्रदान किये। यह इस तथ्य से स्थापित हुआ कि कम्पनी ने ₹ 1,440 प्रति इकाई की दर पर आगामी निविदा (टीएन 4505<sup>22</sup>) के अधीन आठ मीटर स्वम्भों के लिए क्रयादेश प्रदान किये गये एवं इस अवधि के दौरान अन्य डिस्कॉम्स द्वारा भी निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। आठ मीटर स्वम्भों के मामले में एवीवीएनएल ने टीएन 834 के अधीन ₹ 1,599.98 प्रति इकाई पर क्रयादेश जारी किये एवं जेडीवीवीएनएल ने टीएन 1046 के अधीन ₹ 1,611 प्रति इकाई पर क्रयादेश जारी किये। नो मीटर स्वम्भों के मामले में, एवीवीएनएल ने इस अवधि के दौरान ₹ 2,255.09 प्रति इकाई के मूल्य पर एक निविदा (टीएन 889) को अन्तिम रूप दिया।

कम्पनी ने अतार्किक उच्च दरों पर स्वम्भों को क्रय करके ₹ 2.66 करोड़<sup>23</sup> का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

22 अगस्त 2015 में अन्तिम रूप दिया गया।

23 आठ मीटर स्वम्भों के लिए ₹ 0.81 करोड़ [1,06,402 X (₹ 1,685 - ₹ 1,609)] एवं नो मीटर स्वम्भों के लिए ₹ 1.85 करोड़ [2,17,109 X (₹ 2,340 - ₹ 2,255)]।

- लीनों डिस्कॉम्प में से किसी के द्वारा निषिद्ध घोषित किया जा चुका है।
- शतानुसार एक निविदादाता को लभी अयोग्य ठहराया जा सकता था जब इसे राज्य की विचार राज्य में एक जनापयोगी सेवा द्वारा निषिद्ध किया गया था। साथ ही, निविदा की यह सूचिबिल करने के लिए आभिलेख में कोई प्रलेख नहीं थे कि एल-1 फर्म को करों/ लेवीज की निम्न- निम्न दर उद्धृत की थी
- कम्पनी द्वारा विलनात्मक विवरण तैयार करते समय उन दो निविदादाताओं के संबंध में करों/ लेवीज की वर्तमान दरों पर विचार किया जिन्होंने प्रचलित दरों के स्थान पर कम्पनी द्वारा विलनात्मक विवरणों की पालना कर सकती थी
- तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा चार निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोलने की सिफारिश की जो टीएन-2151 एवं टीएन-2246 में अपनाने गईं। तकनीकी-वाणिज्यिक समिति का दृष्टिकोण था कि ये फर्म आपूर्ति पूर्व के नमूनों में त्रुटिपूर्ण परम्परा के आधार पर अतिरिक्त टाइप टैस्ट/ छेड़छाड़ टैस्ट पास नहीं करेगी। निविदाएं खोलने की सिफारिश की जो टीएन-2151 एवं टीएन-2246 में अपनाने गईं। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा चार निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोलने का निर्णय नहीं था।

हमें देखा कि निम्नलिखित तथ्यों के मध्यम निविदा को निरस्त करने का सीएलपीसी का

दिसम्बर 2014)।

निविदा को निरस्त करने एवं एक अल्पवाधि निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया (12 इलेक्ट्रिक एण्ड पावर लिमिटेड- एचपीएल) की शिकायत के मध्यम तथ्याप्त, सीएलपीसी ने निविदादाताओं द्वारा सूचना को अपूर्ण प्रसूचीकरण के संबंध में एक निविदादाता (एचपीएल एल, निम्नतम निविदादाता विहार राज्य में एक जनापयोगी सेवा द्वारा निषिद्ध किया हुआ था एवं अन्य निविदादाताओं द्वारा उद्धृत की गई करों/ लेवीज की दर वर्तमान दरों से मूल नहीं कर रही टैस्ट/ छेड़छाड़ टैस्ट पास नहीं किया जाने वाले निविदादाताओं की मूल्य निविदा खोलने, कुछ मूल्य के विरुद्ध न्यूनतम मूल्य सभी को मिलते हुए ₹ 689.27 प्रति मीटर था। अतिरिक्त टाइप नवम्बर 2014)। पिछली निविदा (टीएन-2158) के अधीन ₹ 858.01 प्रति मीटर के आदेशित सीएलपीसी द्वारा अनुमोदन के बाद 12 निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली गईं (26 2014)। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन एवं के लिए टीएन 2248 के अधीन 17 निविदादाताओं की तकनीकी निविदाएं खोलीं (6 अगस्त 2.14.3 कम्पनी ने लीनी डिस्कॉम्प के लिए 17.75 लाख सिंगल फेज स्टैंडिक मीटर्स के क्रय

### **निविदा के निरस्तकरण के कारण उच्च मूल्यों पर भीटों का क्रय**

जैसा कि सीएलपीसी द्वारा निश्चय किया गया था।

नहीं किया। साथ ही, अल्पवाधि निविदा आमंत्रित नहीं करने के लिए कारण आभिलेखित नहीं थे। होने के उपरान्त भी कम्पनी ने निविदादाताओं की मिलीभगत को समाप्त करने के लिए प्रयास अन्य डिस्कॉम्प द्वारा क्रयदेश प्रदान करने की स्थिति में फर्मों के मूल्यों की घटती हुई प्रवृत्ति निविदादाताओं द्वारा खारिज किया गया था। उल्लेख सहमतिकाकारक नहीं था क्योंकि निम्न दरों पर प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी द्वारा दिये गये विभिन्न बंधोतरी वाले प्रस्तावों को बार बार उचित प्रस्ताव देने के लिए सभी संभव प्रयास किये गये। साथ ही, निकोसी समा के दौरान, सरकार ने बताया कि क्रय मैन्युअल के अनुसार एवं कम्पनी के हितों में निविदादाताओं को

में (-) 3.16 प्रतिशत से अगल 2016 में (-) 13.14 प्रतिशत तक विचरित था।  
 रहा था क्योंकि लागू होने वाले मूल्य विचलन नकारात्मक पक्ष की ओर था। यह सितम्बर 2015  
 नकारात्मक मूल्य विचलन का नाम भी नहीं उठा सकी। सामग्री का मूल्य लगातार घटता जा  
 सामग्री को स्वीकार करके न केवल कोषों को अवरुद्ध किया बल्कि ₹ 44.90 लाख के  
 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुराना था। हमने देखा कि कम्पनी ने सप्लायर्स से पूर्व  
 मई 2016 को, कम्पनी के पास सामग्री का दोष 55,703 खैटस था जो कि अगले चार माह की  
 औसत उपभोग सितम्बर 2015 से मई 2016 के दौरान लगभग 11,676 खैटस प्रति माह था।  
 आपूर्तियों को समयपूर्व विचलन का कम्पनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि सामग्री का

गया। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अक्टूबर 2015 तक अनुबंध की गई मात्रा की सप्लाय कर दी गई।  
 1,46,391 खैटस की आपूर्ति के लिए सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 में प्रेषण निर्देश जारी किये  
 करने के लिए फर्मा की अनुबंध किया (सितम्बर 2015)। तदनुसार, 1,52,597 खैटस में से  
 11,565 खैटस) के मध्यनजर कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट सप्लायर्स से पूर्व सामग्री की आपूर्ति  
 हमने देखा कि स्पष्ट तौर पर सामग्री के स्टॉक की खराब स्थिति (15 अगस्त 2015 को  
 सामग्री की आपूर्ति करना आवश्यक था।

माइल स्टोन टूट टाइम अलिंग खैटस की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मा पर क्रयदेश (टीएन  
 4534) जारी किये (सितम्बर 2015)। फर्मा द्वारा अक्टूबर 2015 एवं मई 2016 के बीच  
 2.15.1 कम्पनी ने ₹ 422.68 (एकस वक्सा) प्रति खैट की दर पर 1,52,597 खैटनाइज्ड

#### अलिंग खैटस का क्रय

सामग्री की प्रारंभ पर प्रकाश डालने वाले दो दृष्टान्तों की चर्चा नीचे की गई है:  
 सप्लायर्स से पूर्व स्वीकार नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के बिना सप्लायर्स से पूर्व  
 आवश्यकता है। सामान्यतः कम्पनी को अत्यावश्यकता के मामले को छोड़कर आपूर्तियों को  
 तब ही एवं इस प्रकार, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सप्लायर्स की कड़ाई से पालना किये जाने की  
 2.15 अनुबंध की सामान्य शर्तों के बावजूद 1.23 में निर्दिष्ट था कि सप्लायर्स अनुबंध का सार

#### सप्लायर्स से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करना

शुद्धिकृतकता द्वारा उठाये गये सभी मर्द्दों पर विचार किया था।  
 द्वारा तकनीकी मूल्यांकन करने एवं सीएलपीसी द्वारा अनुमोदन के बाद खोली गई थी जिन्होंने  
 सहमतिकारक नहीं था क्योंकि मूल्य निविदाएं तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति  
 सरकार ने बताया कि निविदा का न्यायसंगत आधार पर निरस्त किया गया था। उत्तर  
 क्रय में कम्पनी को ₹ 2.03 करोड़ की हानि हुई।

इस प्रकार, टीएन 2248 के आवेकपूर्ण निरस्तीकरण के परिणामतः उच्च मूल्यों पर सीटर्स के  
 किया गया।

पर एचपीएल को आदेश प्रदान किये (जून 2015) एवं आपूर्तियों को इस मूल्य पर स्वीकार  
 कम्पनी ने अन्ततः चार लाख सीटर्स के लिए ₹ 740 के मौलभाव के पड़वाल प्रति इकाई मूल्य

गई (5 मई 2015) जिनमें निम्नतम दर ₹ 749.73 प्रति सीटर थी।  
 अन्तर्गत निविदा (टीएन 2298) आमंत्रित की। योग्य निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली  
 हमने देखा कि कम्पनी ने 17.75 लाख सीटर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक

सरकार ने बताया कि सामग्री की अत्यधिक आवश्यकता के मध्यनजर आपूर्ति को समय पूर्व किया गया था लेकिन यह इसके मिलती हुई सामग्री की कमी के कारण उपभोग नहीं किया जा सका। साथ ही, पहले ही यह पूर्वानुमान नहीं किया जा सका कि क्या सूचकांक नीचे की तरफ जायेंगे अथवा उपर की तरफ। तथ्य यही रहा कि समान मिलान करती हुई सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार करने के निर्णय के कारण कोष अवरुद्ध हुए।

### **वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कियोस्कों का क्रय**

**2.15.2** कम्पनी ने वर्ष 2012-13 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 12 केवी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कियोस्क (वीसीबी कियोस्क) की 1,822 इकाइयों के लिए क्रयादेश (टीएन 2169) जारी किये (अगस्त 2012)। 1,822 इकाइयों में से 1,252 इकाइयां फरवरी 2014 तक सुपुर्दगी सूची के साथ स्टेलमेक लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा आपूर्ति की जानी थी। कम्पनी ने सामग्री की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फर्म को सुपुर्दगीयों को समयपूर्व करने का अनुरोध किया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012)। कम्पनी ने 174 इकाइयों (31 अगस्त 2013 को) की स्टॉक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 313 इकाइयों के लिए फर्म पर एक अतिरिक्त क्रयादेश भी जारी किया (सितम्बर 2013)। आपूर्तिकर्ता (स्टेलमेक लिमिटेड) ने, तथापि, कम्पनी के ध्यान में लाया (नवम्बर 2013) कि टीएन 2169 के अधीन आपूर्ति 863 वीसीबी कियोस्क संस्थापन के अभाव में स्टोर्स पर पहले से ही पड़े हुए थे।

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक नई निविदा (टीएन 2207) को भी अन्तिम रूप दिया (दिसम्बर 2013) एवं स्टेलमेक लिमिटेड (678 इकाइयां) एवं तोशिबा लिमिटेड (828 इकाइयां) को क्रयादेश जारी किये। सामग्री की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फर्म को उनकी सुपुर्दगीयों को समयपूर्व करने का अनुरोध भी किया गया (फरवरी 2014)। इस प्रकार, कम्पनी ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 3641 वीसीबी कियोस्कों के लिए क्रयादेश जारी किये।

टीएन 2169 एवं टीएन 2207 के अधीन वीसीबी कियोस्कों की आपूर्ति एवं उनके संस्थापन की समीक्षा से उजागर हुआ कि स्टेलमेक लिमिटेड की 863 इकाइयां एवं तोशिबा लिमिटेड की 672 इकाइयां स्टोर्स पर आपूर्ति से लेकर क्रमशः 533 एवं 724 दिनों तक भण्डार में पड़ी रही। फिल्ड की आपात आवश्यकताओं को उद्धत करते हुए वीसीबी कियोस्कों की आपूर्तियों को समयपूर्व करने के लिए जारी किये गये निर्देश, इस प्रकार, न्यायसंगत नहीं थे। कम्पनी द्वारा 1,535 वीसीबी कियोस्कों का अनावश्यक क्रय करके वीसीबी कियोस्क की गारंटी अवधि कालातीत होने के अलावा एक सारभूत अवधि के लिए ₹ 38.39 करोड़ की कोष राशि को अवरुद्ध किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि राज्य सरकार के 60 दिवसीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए टोंक, अलवर एवं सवाईमाधोपुर वृत्तों की अत्यावश्यक मांग पर वीसीबी कियोस्क क्रय किये गये थे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक ने उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त इन वृत्तों पर 203 वीसीबी कियोस्क उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश जारी किये (जून 2014)। निकासी सभा में प्रबंधन ने यह भी बताया कि वीसीबी कियोस्कों की सुपुर्दगी एवं संस्थापन के मध्य समयांतराल इसके संस्थापन कार्य अलग एजेंसी को दिये जाने के कारण था। साथ ही, सभी वीसीबी कियोस्क कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये थे। तथ्य यही रहा कि वीसीबी

कियोस्कों के संस्थापन में महत्वपूर्ण देरी थी एवं साथ ही कुछ कियोस्क उनकी गारण्टी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद संस्थापित किये गये थे।

### **सामग्री का अनुचित निरीक्षण/ जांच**

**2.16** कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सामग्री आवश्यक गुणवत्ता एवं विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करती है। साथ ही, सामग्री के भिन्न-भिन्न प्रकारों को नामित प्रयोगशालाओं में आवश्यक जांच के बाद स्वीकार किया जाना था। हमने देखा कि चार मामलों में जहां कम्पनी ने बिना उचित निरीक्षण एवं जांच के सामग्री को क्रय किया, एवं जहां जिम्मेदार आपूर्तिकर्ताओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं थी, वहां तुरंत कार्यवाही करने में विफलता के कारण घटिया सामग्री का उपयोग किया गया।

दृष्टान्तों की चर्चा नीचे संक्षिप्त रूप से की गई है।

### **नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय**

**2.16.1** कम्पनी ने ₹ 1.47 करोड़ मूल्य के 16 केवीए के 368 श्री फेज (एल्यूमिनियम वाउण्ड) चार स्टार रेटेड वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए सेंच्युरी इन्फ्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (फर्म) को एक क्रयादेश (टीएन 2217) प्रदान किया (अप्रैल 2014)। ट्रांसफॉर्मर्स पर बीई/ सीआईपी/ 03/0300/10 यूनिक लेबल सीरीज कोड वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का स्टार लेबल लगा होना आवश्यक था। फर्म ने जुलाई 2015 तक ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति पूर्ण की।

हमने देखा कि बीईई ने फर्म को 9 अगस्त 2014 तक की वैधता अवधि के साथ स्टार रेटेड लेबल लगाने के लिए अनुमति प्रदान की (अगस्त 2011)। फर्म द्वारा आवश्यक जांच रिपोर्ट्स एवं अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के बाद बीईई ने 19 मई 2015 से अनुमति का नवीनीकरण किया (1 जून 2015)। इस प्रकार, फर्म, बीईई (वितरण ट्रांसफॉर्मर्स के लेबलों पर विवरण एवं उनके प्रदर्शन के तरीके) विनियम, 2009 के अनुसार 10 अगस्त 2014 से 18 मई 2015 तक की अवधि के दौरान स्टार रेटिंग लेबल लगाने के लिए योग्य नहीं थी।

कम्पनी की निरीक्षण प्राधिकारियों ने, तथापि, इन तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया तथा 1 अक्टूबर 2014 एवं 26 नवम्बर 2014 के मध्य फर्म को जारी किये गये चार प्रेषणादेशों के विरुद्ध निविदा/ क्रयादेश के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में ₹ 0.86 करोड़ मूल्य के 220 नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्तियों को स्वीकार किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन बताया कि कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई सामग्री में कोई कमी नहीं थी। बीईई के साथ प्रक्रियात्मक देरी के कारण आपूर्तिकर्ता स्टार लेबलिंग उपलब्ध नहीं करा सका।

### **सामग्री का अनुचित निरीक्षण**

**2.16.2** कम्पनी ने ₹ 61,970.80 प्रति किमी के एफओआरडी<sup>24</sup> मूल्य पर 2,521 किमी एसीएसआर डॉग कंडक्टर की आपूर्ति के लिए राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स,

24 फ्री ऑन रेल डेस्टिनेशन।



जयपुर (फर्म) को क्रयादेश (टीएन 4397) प्रदान किया (अप्रैल 2013)। कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारी ने प्रस्तावित सामग्री का कार्यस्थल (फर्म का परिसर) पर निरीक्षण किया एवं 7 अक्टूबर 2013 तक जारी किये गये प्रेषणादेशों के लिए कंडक्टर के चार लोटस (1,129.31 किमी) को अनुमति प्रदान की। साथ ही, कंडक्टर के 140 ड्रम्स (312.17 किमी) की आपूर्ति के लिए अन्य प्रेषणादेश जारी किया गया (18 अक्टूबर 2013)।

फर्म द्वारा आपूर्तित सामग्री की निम्न गुणवत्ता के संबंध में कम्पनी को झालावाड़ एसीओएस के विशिष्ट संदर्भ के साथ एक अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई (अक्टूबर 2013)। शिकायतकर्ता ने कम्पनी अधिकारियों एवं फर्म के संबंधित कार्मिक के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने दर्शाया कि कम्पनी के कार्मिक फर्म के निर्देशों पर सीटीएल पर जांच के लिए केवल निश्चित नमूने ही चयन कर रहे थे।

मुख्य अभियंता (एमएम) ने शिकायत को सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित की (29 अक्टूबर 2013)। समिति ने 23 सितम्बर 2013 (44.59 किमी कंडक्टर वाले 20 ड्रम्स) एवं 7 अक्टूबर 2013 (89.19 किमी कंडक्टर वाले 40 ड्रम्स) को जारी किये गये प्रेषणादेशों के अधीन एसीओएस झालावाड़ पर प्राप्त हुई आपूर्तियों के विरुद्ध सीटीएल जांच के लिए तीन<sup>25</sup> ड्रम्स का चयन किया। कम्पनी द्वारा सीटीएल, जयपुर पर जांच के दौरान तीन ड्रम्स की सामग्री की गुणवत्ता में निम्नलिखित मुख्य विसंगतियां देखी गईं:

विवरण	ड्रम संख्या		
	825	965	1000
4.67 एमएम न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध एल्यूमिनियम स्ट्रेंडस का व्यास	4.38 एमएम से 4.40 एमएम	4.51 एमएम से 4.52 एमएम	4.26 एमएम से 4.41 एमएम
2.57 केएन के गारन्टिड तकनीकी मापदण्ड के अनुसार सभी स्टील स्ट्रेंडस का ब्रेकिंग लोड	1.38 केएन से 1.56 केएन	1.34 केएन से 1.42 केएन	0.98 केएन से 1.20 केएन
2.64 केएन की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध सभी एल्यूमिनियम स्ट्रेंडस की टेन्सिल स्ट्रेंथ	2.46 केएन से 2.63 केएन	2.43 केएन से 2.56 केएन	2.13 केएन से 2.40 केएन
1.65 ओम /किमी के अधिकतम के विरुद्ध एल्यूमिनियम स्ट्रेंडस की प्रतिरोधकता	1.79 से 1.81 ओम /किमी	1.69 से 1.72 ओम /किमी	1.81 से 1.89 ओम /किमी

मीलीमीटर (एमएम), किलोन्यूटन (केएन), ओम (इलेक्ट्रीकल प्रतिरोध की प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय इकाई)

उपरोक्त के अतिरिक्त, ड्रम संख्या 825 में 535 मीटर की दूरी पर निर्माण दोष की जांच के दौरान सभी सातों स्टील स्ट्रेंडस टूटे हुए पाये गये। सीएलपीसी ने शेष आपूर्ति (1,258.48 किमी) एवं 23 सितम्बर 2013 एवं 7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों के विरुद्ध एसीओएस झालावाड़ पर की गई आपूर्तियों को निरस्त करने तथा निरस्त की गई मात्रा (1,258.48 किमी) के पांच प्रतिशत की अधिकतम शास्ति

25 ड्रम संख्या 825 (23 सितम्बर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के अधीन) एवं ड्रम संख्या 965 एवं 1000 (7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के अधीन)।

2.16.3 कम्पनी ने वसुंधरा एवं टॉप हेमर के साथ 11 कबी क्रोस आम एंगल की 50,000 इकाइयों की आपूर्ति के लिए नाकोडा प्रोडक्ट्स, बर्लिन (फर्म) की कयादेश (टीएन 4413) जारी किया (20 मई 2013)। कयादेश में दिये गये तकनीकी विहित विवरणों के वाक्यांश सी के अनुसार मार में सहन सीमा (+) 2 प्रतिशत से (-) 4 प्रतिशत थी।

इसने देखा कि झालावाड़ एवं करौली एसीओएस ने 26 जून 2013 एवं 6 अगस्त 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों (2076 एवं 2902) के विरुद्ध प्राप्त हुई आपूर्तियों में एंगल्स के कम मार के बारे में शिकायत की। झालावाड़ एसीओएस पर प्रेषणादेशों का मार (प्रत्येक प्रेषणादेश के अधीन 1250 इकाइयों) 15.986 एमटी थी। वास्तविक मार निरिष्ट मार से क्रमशः 4.67 प्रतिशत एवं 5.20 प्रतिशत 15.155 एमटी थी। वास्तविक मार निरिष्ट मार से क्रमशः 4.67 प्रतिशत एवं 5.20 प्रतिशत 15.155 एमटी थी। करौली एसीओएस के संबंध में, प्रेषणादेश (2076) के विरुद्ध प्राप्त हुई 1,250 इकाइयों की प्रेषित मात्रा का मार 15.055 एमटी था जो निरिष्ट मार से 5.82 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त, कम मार की एक और शिकायत अलवर एसीओएस से भी प्राप्त हुई थी (जुलाई 2013) जहां 1,250 इकाइयों (प्रेषणादेश नम्बर 2076) का प्रेषित मार 15.986 एमटी के स्थान पर 14.660 एमटी था (निरिष्ट मार से 8.29 प्रतिशत कम)।

### कम मार वाली सामग्री की स्वीकार करके आपूर्तिकर्तियों की अदेय लागत

सरकार ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स में सामग्री की प्राप्ति के बाद अब नमूने कम्प्यूटर से उत्पन्न यार्डबुक कायक्रम के माध्यम से घुने जा रहे हैं।

सरकार ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स में सामग्री की प्राप्ति के बाद अब नमूने कम्प्यूटर से उत्पन्न यार्डबुक कायक्रम के माध्यम से घुने जा रहे हैं।

की निवेदनों में आग लेने से निषिद्ध कर दिया।

ने करौली सूची में जलने के स्थान पर फर्म को केवल एक साल की अवधि के लिए आगे क्रय के लिए लिम्बदार कॉन्ट्रैक्टों के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं की। साथ ही, कम्पनी की गई समस्त सामग्री की जांच नहीं करवाई। कम्पनी ने सामग्री की घटिया गुणवत्ता के सामग्री की गुणवत्ता के बारे में गहरा शक पैदा करती है लेकिन कम्पनी ने फर्म से प्राप्त हुई थी) कडक्टर की आपूर्तियां प्राप्त की। जांच के दौरान देखी गई असामान्य विसंगतियां 1,130 किमी (एसीओएस झालावाड़ को की गई आपूर्ति को छोड़कर जो निरस्त कर दी किये गये प्रेषणादेशों से संबंधित थे। कम्पनी ने फर्म से ₹ साल करीब मूल्य वाले लगभग के लोट से संबंधित थे जो क्रमशः 23 सितम्बर 2013 एवं 7 अक्टूबर 2013 को जारी विभिन्न एसीओएस पर 120 ₹म्स (267.574 किमी) एवं 140 ₹म्स (312.170 किमी) इसने देखा कि सीटीएल जांच के लिए एसीओएस झालावाड़ से घयन किये गये ₹म्स गुणवत्ता के क्रय पर प्रकाश डालते हुए एक किसल खाबर होना सिद्ध किया।

एक अज्ञात शिकायतकर्ता ने, इस प्रकार, कम्पनी के कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सामग्री की घटिया फर्म से 133.79 किमी कडक्टर स्वीकार किया (मार्च 2014)।

2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता (प्राण) के आदेशों पर एसीओएस एवं बहरीड उद्योग ने सीएलपीसी के निर्णय के उपरान्त भी 18 अक्टूबर (₹ 32.85 लाख) लागाने का निवेदन किया (23 जनवरी 2014)। तथ्यांश, अलवर

- 26 झालावाड, कसौली, जयपुर जिला वल, दोसा, सवाईमाधोपुर एवं अलवर।  
27 झालावाड एवं टोंका।

अर्जसार थी।  
निरीक्षण ग्राहिकाएँ (सहायक अभियंता-एआई, गंगापूर सिटी) ने 100 प्लान का निरीक्षण किया (नवम्बर 2012) एवं सत्यापित किया कि प्लान आवश्यक विहित विवरणों से मेल खाते हुए थे। आपूर्तिकर्ता ने भी प्रमाणित किया कि निरीक्षण के लिए प्रस्तावित किये गये सभी प्लान कयादेश में निर्धारित डिजाइन, स्ट्रैज्य एवं कारीगरी के अन्वयण से एवं प्लान के निर्माण में

स्टील वायर्स, माइल्ड स्टील बार, एमीनोटस एवं अन्य सामग्री आवश्यक विहित विवरणों के द्वारा यह प्रमाणित करना भी आवश्यक था कि प्लान के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ग्री-स्ट्रैज्य निर्माण में आवश्यक मात्रा में उच्च टेन्साइल स्टील वायर प्रयुक्त किया गया था। आपूर्तिकर्ता आपूर्तिकर्ता इस तथ्य के समर्थन में निर्माण से जांच परिणामों को प्रस्तुत करने कि प्लान के लिए ऑकल इंटरैज (आपूर्तिकर्ता) को कयादेश (टीएन 4374) जारी किया (अक्टूबर 2012)। कयादेश के वाक्यांश 15 (निरीक्षण, परीक्षण एवं जांच) में बताया गया था कि 2.16.4 कम्पनी ने ₹ 8.18 लाख की लागत पर 300 नी मीटर पीसीपी प्लान की आपूर्ति के

#### निरीक्षण ग्राहिकाएँ के लिए कयादेशों का अभाव

का उपयुक्त किया।  
सामग्री पहले ही जारी कर दी गई थी। तथ्य यह है कि कम्पनी ने फिन्ड में घटिया सामग्री अन्य स्टेर्स में, सामग्री को शक्ति के साथ स्वीकार किया गया था क्योंकि फिन्ड कयादेशों को सरकार ने बताया कि कुछ स्टेर्स पर प्राप्त हुई सामग्री का भार निर्धारित सीमा में पाया गया था।

कयादेशों द्वारा सामग्री के उपयुक्त का बर्ताव दिया।  
की साथ ही, सीएलपीसी के आदेश पर पर्यवेक्षण करने में कम्पनी की विफलता ने फिन्ड को आपूर्तित सामग्री (15,000 इकाइयाँ) के भार की पुष्टि करने के लिए कोई कयादेश नहीं कयादेशों की गई थी। कम्पनी ने 2076 एवं 2902 नम्बर प्रेषणादेशों के अधीन दो एसीओएस नम्बर 2076) एवं दो<sup>27</sup> (प्रेषणादेश नम्बर 2902) एसीओएस को भेज गये प्रेषणों के लिए इकाइयाँ। तथापि, केवल 10,000 इकाइयाँ की मात्रा को शामिल करते हुए छह<sup>26</sup> (प्रेषणादेश 10 एसीओएस को जारी की गई थी (प्रत्येक प्रेषणादेश के अधीन प्रत्येक एसीओएस को 1,250 इकाइयाँ के अलावा 2076 एवं 2902 प्रेषणादेशों के अधीन सामग्री (25,000 इकाइयाँ) कम्पनी के आपूर्तित सामग्री के मूल्य के दो गुण के बराबर राशि को शक्ति लगाने का भी निर्देश दिया।

घटिया सामग्री को वापस उठानी चाहिए। सीएलपीसी ने क्रॉस आम एंगल्स के कम भार वाली गई (जुलाई 2014) जिसमें यह दोहराया गया था कि फर्म को विभिन्न स्टेर्स में पड़ी हुई कयादेशों को जारी कर दी गई थी। मामले पर एक बार फिर सीएलपीसी की सभा में चर्चा की एसीओएस से पूछताछ पर यह पाया गया कि सामग्री या तो स्टेर्स में पड़ी हुई थी अथवा फिन्ड बाद में, सामग्री की स्थिति के बारे में चेपीडीसी, दोसा, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं अलवर (11 दिसम्बर 2013)। तथापि, कम्पनी ने, तथापि, ऐसा नहीं किया।

वापस उठाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को आदेश जारी करने के लिए कम्पनी को निर्देशित किया। सीएलपीसी ने झालावाड, कसौली एवं अलवर एसीओएस के स्टेर्स में पड़ी हुई सामग्री को

2.17 एक केशल सामग्री प्रबंध तंत्र का लक्ष्य सामग्री के आणविक्य को खत्म करके पूर्वी निवेश को न्यून करना, आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता, उचित स्टॉक सुरक्षा सीमा को बनाये रखते हुए मांग उच्छ्वावहना पर नियंत्रण करना, एवं अप्रचलन एवं गृणवत्ता में गिरावट से बचाने वाली हानि के जोखिम को न्यून करना होता है। सामग्री प्रबंध के लिए मुख्य रूप से

### सामग्री प्रबंध

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि सभी पोल्स घटिया गृणवत्ता वाले थे। गृणवत्ता को नहीं बढ़ाया था एवं कम्पनी इसके प्रणाली को सुरक्षित के लिए प्रयास कर रही थी। सरकार ने बताया कि निरीक्षण यार्डलिक आधार पर किया गया था जो सम्पूर्ण लौट की

था।

की गृणवत्ता को प्रमाणित करने के आधार पर अपूर्तिकर्ता से सामग्री को स्वीकार किया गया कम्पनी ने, तथापि, निरीक्षण प्राधिकारी के विरुद्ध कोई कायदावादी नहीं की जिसके द्वारा सामग्री

2013)।

के उपराल भी 102 पोल्स के अन्तिम लौट के लिए प्रेषणादेश जारी किया गया (5 मार्च कर चुका था। पिछले लौटस के अधीन आपूर्तित सामग्री की घटिया गृणवत्ता की जानकारी होने करने का निर्णय, तथापि, अन्तिकक था क्योंकि आपूर्तिकर्ता मार्च 2013 तक आपूर्तियों को पूरा शेष मात्रा के लिए आदेश को निरस्त करने के लिए निर्देशित भी किया था। शेष मात्रा को निरस्त दिया (अप्रैल 2013)। स्वीडनपोल्सी ने प्रथम लौट (99 पोल्स) के लिए अनुमान को रोकने एवं स्वीडनपोल्सी ने फर्म को एक साल की अवधि के लिए अगली निविदा में भाग लेने से निषिद्ध कर

प्रतीत हुए।

आयन वायर नहीं था। पोल्स के निर्माण में प्रयुक्त कॉन्क्रीट मिक्स, तथापि, घटिया गृणवत्ता के पोल को क्षतिग्रस्त हालत में पाया जिसमें 16 हाई टेन्साइल स्टील वायर्स थे एवं गैबनाइज्ड शक्ति करने के लिए अन्य पोल्स की कम संख्या के साथ छेड़छाड़ करके छोड़ा गया था। टीम ने नहीं थे एवं किसी ने जानबूझकर पोल्स को नष्ट किया एवं स्टील पार्ट्स को ले गया। तथ्यों को पाये गये। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि किसी भी कार्य स्थल पर पोल्स के स्टील पार्ट्स मौजूद सम्मति ने रिपोर्ट किया (मार्च 2013) कि टैट्टे हुए पोल्स कायस्थल पर अथवा स्टीर्स में नहीं

ने मामले की जांच के लिए एक सम्मति गठित की (मार्च 2013)।

कि पोल्स के निर्माण में वायर्स की कम मात्रा प्रयुक्त करने के कारण पोल्स टैट्टे गये थे। कम्पनी ठेकेदार को लगाने के कारण यह लापरवाही घटित हुई। आपूर्तिकर्ता ने यह भी स्वीकार किया 2013) कि पोल्स खराब गृणवत्ता के थे एवं बताया कि पोल्स के निर्माण के लिए एक नये साथ ही, पोल्स में गैबनाइज्ड आयन वायर नहीं थे। आपूर्तिकर्ता ने स्वीकार किया (14 मार्च वायर्स की आवश्यकता के विरुद्ध पोल्स के भीतर की और केवल 16 स्टील वायर्स पाये गये थे। डिजाइट कार्य के लिए आवंटित किये गये सभी 43 पोल्स खड़े करते समय टैट्टे गये थे एवं 20 आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तित पोल्स की गृणवत्ता बहुत खराब थी। उसने रिपोर्ट किया कि एक अन्तिकक अन्तिम (ओपुडरुम), सवाइमाथोपूर ने तथापि, शिकायत की (मार्च 2013) कि विभिन्न विवरणों के अनुसार प्रयुक्त की गई थी।

सीसेट, प्री-स्ट्रेंड स्टील वायर्स, माइल्ड स्टील बार, एमीनेटस एवं अन्य सामग्री निर्धारित

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा सामग्री प्रबंध के अंतर्गत निष्क्रिय सामग्री, अधिक प्रापण, चोरी, आगजनी, गबन एवं कमी जैसी ₹ 73.64 करोड़ मूल्य की विसंगतियां उजागर की गई।

### सामग्री नियंत्रण

**2.18** क्रय मैन्युअल में प्रावधान है कि क्रय की जाने वाली मदों की मात्रा जहां तक संभव हो सके सामग्री के न्यूनतम स्तर; पुनः आदेश स्तर, अधिकतम स्तर, मूल्य विश्लेषण (एबीसी), गतिविधि विश्लेषण इत्यादि जैसी सामग्री नियंत्रण तकनीकों से मार्गदर्शित होनी चाहिए। स्टोर्स मैन्युअल के अनुसार सामग्री की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने तथा आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामग्री की सुपुर्दगी में विलम्ब से निपटने के लिए कम्पनी द्वारा बफर स्टॉक की मात्रा को बनाए रखना भी आवश्यक था। सामग्री एवं इसके बफर स्टॉक के आवश्यक स्तरों का निर्धारण स्टोर कार्यालयों की सिफारिशों एवं कोषों की उपलब्धता के आधार पर मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा किया जाना था।

कम्पनी द्वारा, तथापि, सामग्री के समुचित प्रबंध के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण स्तरों को निश्चित नहीं किया गया था। कम्पनी द्वारा सामग्री में निवेश, सामग्री अवधारण लागत, तथा सामग्री के अप्रचलन एवं इसकी गुणवत्ता में गिरावट की जोखिम को कम करने के लिए मूल्य विश्लेषण भी नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सामग्री की स्थिति निम्न प्रकार थी:

( ₹ करोड़ में )

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
प्रारम्भिक स्टॉक	एसीओएस	235.50	323.75	388.83	334.11	377.03
	उपस्वण्डीय स्टोर्स	171.93	140.18	164.97	152.62	162.91
	<b>कुल</b>	<b>407.43</b>	<b>463.93</b>	<b>553.80</b>	<b>486.73</b>	<b>539.94</b>
वर्ष के दौरान क्रय	980.85	1077.12	852.50	884.57	824.45	
अन्तिम स्टॉक	एसीओएस	323.75	388.83	334.11	377.03	362.39
	उपस्वण्डीय स्टोर्स	140.18	164.97	152.62	162.91	142.46
	<b>कुल</b>	<b>463.93</b>	<b>553.80</b>	<b>486.73</b>	<b>539.94</b>	<b>504.85</b>
वर्ष के दौरान उपभोग	924.35	987.25	919.57	831.36	859.54	
औसत मासिक उपभोग	77.03	82.27	76.63	69.28	71.63	
मासिक उपभोग <sup>28</sup> के आधार पर सामग्री	5.66	6.19	6.79	7.41	7.29	

यह देखा जा सकता है कि 2014-15 एवं इसके बाद औसत मासिक उपभोग घटने के उपरांत भी 2012-13 से 2015-16 के दौरान मासिक उपभोग के संदर्भ में सामग्री धारण 5.66 माह से बढ़कर 7.41 माह हो गया एवं इसके बाद 2016-17 के दौरान यह सीमांत रूप से 7.29 माह तक घट गया। इसने एसीओएस तथा उपस्वण्ड भण्डारों पर सामग्री भण्डारण के उच्च स्तर को इंगित किया।

समापन सभा के दौरान सरकार एवं कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों के निर्धारण, मूल्य विश्लेषण, सामग्री चलन विश्लेषण लेखांकन, एवं सामग्री को जारी करने के

28 मासिक उपभोग के आधार पर स्टॉक = औसत स्टॉक / (उपभोग की गई सामग्री / 12 माह)।

हमने देखा कि अधीक्षण अभियंता (आइएएडएस) द्वारा कुल अर्जुमानित वार्षिक मूल्यांकन 2015 प्रतिष्ठान के बाढ़ के बाद एक 'स्ट्रेटिजिक निम्न दर' (एसआइआर) की गणना की गई। इस प्रकार गणना की गई एसआइआर का एक वर्ष के पूर्ण जीवन के अवधि के लिए निकल कायालियाँ/काया की जारी की गई सामग्री की लागत पर प्रभावित किया जाना था।

जारी की गई सामग्री के मूल्य पर आसोपित किया जाना था।  
 किया जा सका। मूल्यांकन प्रयोजन के रूप में स्ट्रेटिजिक निम्न दर के माध्यम से अर्जुमानित वार्षिक व्यय को वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली संभावित सामग्री पर प्रभावित आवश्यक्त वार्षिक समान मूल्यांकन 2015 के बाद एक वर्ष के बाद जारी की जाती थी कि कुल के परामर्श से समीक्षा के लिए एक वार्षिक समान मूल्यांकन 2015 के बाद जारी की जाती थी (आइएएडएस) द्वारा संबंधित एसीओएस की सिकाटिशा के आधार पर एवं वर्तमान लेखाधिकारी (आइएएडएस) द्वारा 'मूल्यांकन' शीर्ष के अंतर्गत खालीबाड़ी में दर्ज किया जाता है। अधीक्षण अभियंता गये समस्त प्रभारों यथा भाड़ा, सामग्री, इन्डेंटिंग एवं स्टिकिंग, देख-रेख, संस्थापन, इन्डेंटिंग 2.18.2 स्ट्रेटिजिक मूल्यांकन के वाक्यांश 9.17 में प्रबंधन था कि सामग्री की संपूर्णता के बाद किया

### मूल्यांकन निम्न दर का अर्जुमानित निम्न

उत्तर में था।  
 जा सका। नियमितधार पर संचालक मूल्यांकन की रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं किया जाने के संबंध में सरकार ने बताया कि स्टिक की कमी के कारण कुछ मूल्यांकन का भौतिक सत्यापन नहीं किया का भौतिक सत्यापन नियमितधार पर नहीं किया गया था।

समय सामग्री का चलन विवेक्षण किया गया। तथापि, प्रत्येक एसीओएस एवं उपरमूल्यांकन के सत्यापक (आंतरिक अंकेक्षण) द्वारा एसीओएस एवं उपरमूल्यांकन के भौतिक सत्यापन के तक कि भौतिक आधार पर रिपोर्ट्स भी संचालक मूल्यांकन को प्रस्तुत नहीं की गई थी। सामग्री मर्दाना का पहचान के लिए नियमितधार पर सामग्री का चलन विवेक्षण नहीं किया गया। यहाँ हमने देखा कि एसीओएस एवं उपरमूल्यांकन द्वारा स्वी मर्दाना, नॉन मर्दाना एवं अप्रचलित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक्त था।

अभियंता (आइएएडएस) द्वारा संचालक मूल्यांकन की भौतिक आधार पर एवं सवैक्षण रिपोर्ट्स प्रस्तुत किया जाने की संभावना नहीं थी उन्हें अप्रचलित मर्दाना घोषित किया जाना था। अधीक्षण मर्दाना को पिछले दो वर्षों से अधिक की अवधि में जारी नहीं किया गया एवं मर्दाना में निम्न अवधि में जारी नहीं की गई थी उन्हें नॉन मर्दाना मर्दाना के रूप में ध्यान में रखा जाना था। निम्न को स्वी मर्दाना मर्दाना के रूप में ध्यान में रखा जाना था। जो मर्दाना पिछले दो वर्षों से अधिक की अर्जुमान, पिछले दो वर्षों के दौरान कुल मात्रा में से 10 प्रतिशत मात्रा तक जारी की गई मर्दाना एवं अप्रचलित मर्दाना के संबंध में निर्देश जारी किया गया (30 मार्च 2015)। इन निर्देशों के 2.18.1 अधीक्षण अभियंता (आइएएडएस) द्वारा एसीओएस में उपलब्ध स्वी मर्दाना, नॉन मर्दाना

### सामग्री का चलन विवेक्षण

संभावित किया जायेगा।  
 ईआरपी तंत्र को किया। तंत्र कर रही है जिसमें सामग्री प्रबंध को एक मीडियम के रूप में तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जायेगा। सरकार ने उत्तर में बताया कि कम्पनी

हमने देखा कि चयन किये गये चार एसीओएस में से तीन<sup>29</sup> एसीओएस द्वारा फार्म सीओएस के अभाव में, यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या एसीओएस द्वारा सामग्री की अतिवृद्धि की सूचना/ फार्म की अस्वीकृति (फार्म) में रजिस्ट्रार संघारित नहीं किया गया। फार्म 25 एवं 10 (जांच के लिए फार्म से प्राप्त किये गये नमूने), एवं सीओएस 10 (नमूनों के केल हो जाने

जायेगा एवं नमूना रजिस्ट्रार में फार्म सीओएस 25 में इसकी प्रविष्टि की जायेगी। अर्जुन, विभिन्न कयाधिकारियाँ द्वारा फार्म से प्राप्त नमूनों पर उचित रूप से लेबल लगाया भी इसके बारे में फार्म सीओएस 10 के माध्यम से सूचित किया जायेगा। आगे बाक्यांश 9.6 के जायेगा एवं रजिस्ट्रार में फार्म सीओएस 9 में इस बात की प्रविष्टि की जायेगी। आपूर्तिकर्ता को अर्जुनित नमूनों अथवा विविध विवरणों से मेल नहीं खाते हैं तब इसका स्वीकार नहीं किया यह सामग्री विविध विवरणों के अर्जुन है। यदि इसका विवरण/जांच रिपोर्ट/ सामग्री अर्जुनित नमूनों यदि कोई हो, के संदर्भ में सामग्री का निरीक्षण करेगा एवं सत्यापित करेगा कि 2.18.4 स्टैट्स सैन्यअल के बाक्यांश 7.7 में प्रवधान है कि निरीक्षण प्राधिकारी कयादेश एवं

### सामग्री का निरीक्षण एवं जांच

स्टैट्स द्वारा सभी बाहियों को धारित नहीं करने के संबंध में उल्लेख मौन था। के लिए कठोरतापूर्वक आदेश दिये जा चुके हैं। निर्धारित प्रारूप में एसीओएस तथा उपपण्डित्य सीओएस 12 एवं सीओएस 14 संघारित किये गये हैं। एसीओएस को ये विवरण संघारित करने सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रचलित परम्परानुसार प्रत्येक स्टैट्स पर

भिन्न-भिन्न प्रारूप में थी एवं प्रबंधन को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करती। संघारण नहीं किया गया। एसीओएस एवं उपपण्डित्य स्टैट्स ने बाजार से बाहियों खरीदी जो कि समीक्षा से उजागर हुआ कि किस्ती भी स्टैट्स द्वारा निर्धारित सीओएस फार्म में अभिलेखों का संघारित नहीं किया गया था। आगे, नमूना जांच किये गये 21 उपपण्डित्य स्टैट्स पर अभिलेखों की हमने देखा कि चूने गये एसीओएस द्वारा निर्धारित सीओएस फार्म में सभी खालबाहियों को अभिलेख रखना अनिवार्य है।

निरानी, नियंत्रण, एवं प्रभावकारी सूचना लेने के लिए इन एसीओएस फार्म में सामग्री का सामग्री नियंत्रण लेने निर्धारित था। एसीओएस एवं उपपण्डित्य मण्डलों को कुशल लेखांकन, (कर्टल ऑवर स्टैट्स) फार्म के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से स्टैट्स/किंगी, लेखांकन, एवं 2.18.3 स्टैट्स सैन्यअल में भिन्न-भिन्न कथों एवं सामग्री के प्रकार के लिए सीओएस

### सामग्री लेखांकन

के स्थान पर एक प्रमाण पत्र प्रसारित की गई। शासित किया गया था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी द्वारा मण्डरण पर किये गये वास्तविक व्यय सरकार ने बताया कि कथों की प्रसारयोग्यता में मण्डरण की तीन प्रतिशत की दर को अतिप्रसारित/ न्यूनप्रसारित की गई।

स्टैट्स सैन्यअल में निर्धारित कियविधि के अर्जुन वास्तविक मण्डरण दर के अभाव में लेखापरिष्कार यह पता नहीं लगा सका कि क्या कम्पनी द्वारा कथों पर मण्डरण की लागत में

• यूनेस्को की उपायों द्वारा प्रत्येक कार्यादेश के लिए कार्य प्रदान करने के अन्तर्गत  
जोब काई, निर्देशानुसार (26 फरवरी 2010) इंटरनेट रजिस्टर, प्रत्येक  
जोब के लिए फॉर्म एप्लोएस 16 में सामग्री अर्जमान काई संघारित नहीं किया गया

2.18.6 प्रबंध निर्देशक द्वारा सामग्री के प्रबंध से संबंधित अभिलेख संघारित करने के लिए  
समय-समय पर जारी किया गया सूझावों की अर्जपालना के लिए उपायों को निर्देश जारी किया  
गया (नवम्बर 2016)। 21 उपायों जिनके द्वारा यद्यपि कार्य एवं एप्लोएस से सामग्री प्राप्त  
की गई, के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न विषयनिर्देश उजागर हुईं:

### सामग्री अभिलेखों का अर्जित संघारण

नोटिस में सामग्री प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते थे।  
नहीं लिखे गए, 47 नोटिस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों को सत्यापित नहीं किया गया, एवं 57  
नमूना जांच में उजागर हुआ कि 108 स्टोर निर्माण नोटिस पर सामग्री के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
भी जारी कर दी गई। जोषी/जीसी एवं जीसी/जीसी एप्लोएस पर 234 स्टोर निर्माण नोटिस की  
किया कि मांग-पत्र अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था, उपायों/कार्यों को सामग्री  
एवं नमूना हस्ताक्षर के बारे में संचित नहीं किया गया। एप्लोएस द्वारा बिना यह संचित  
अभिलेख द्वारा एप्लोएस से सामग्री मांग पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम  
प्रस्तुत किया बिना जारी कर दिया गया। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभिलेख / अधीक्षाधी  
(एप्लोएस 17) पर कार्य प्रदान करने का संदर्भ दर्ज नहीं था एवं सामग्री को अर्जमान काई  
हमने देखा कि यद्यपि कार्य एवं एप्लोएस में उपायों द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग-पत्रों  
जारी करने से पूर्व मांग-पत्र के साथ मिलान करेगा।

2.18.5 स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 8.2 में प्रावधान है कि संयोजन एवं रररररर/पूर्वजात  
पत्र (एप्लोएस 17) काई जाने वाले एक मांग-पत्र के आधार पर जारी की जानी चाहिए। मांग-  
पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह संचित करेगा  
कि मांग-पत्र उचित वर्गीकरण के साथ सही ढंग से जारी किया गया था एवं सामग्री का उपयोग  
मांग-पत्र एवं अर्जमान काई में दर्शाये गये वारंवारिक कार्यों, जोब इत्यादि पर किया गया था।  
साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभिलेख / अधीक्षाधी सामग्री मांग पत्र जारी करने के लिए  
अधिकृत अधिकारियों के नाम के साथ उनके नमूना हस्ताक्षरों सहित एप्लोएस को संचित  
करेगा। मण्डलपाल ऐसे नमूना हस्ताक्षरों के संबंध में एक रजिस्टर संघारित करेगा एवं सामग्री  
समस्त सामग्री अर्जमान काई के साथ प्राप्त अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित स्टोर्स प्रार्थना-  
अर्जमान काई संघारित किया जायेगा। वाक्यांश 8.3 के अन्तर्गत, स्टोर्स से जारी की जाने वाली  
आवश्यक प्रत्येक वर्ग / सामग्री के प्रकार की अर्जमानित मात्रा को फॉर्म एप्लोएस 16 में एक  
कार्य के लिए स्वीकृत अर्जमान/उप-अर्जमान के विकल्प जारी किया गया कार्यादेश के लिए  
2.18.5 स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 8.2 में प्रावधान है कि संयोजन एवं रररररर/पूर्वजात

### सामग्री की जारी करना

जोब की गयी थी एवं कल हुए नमूनों को सामग्री में शामिल करने के स्थान पर आपूर्तिकर्ताओं  
को भेज दिया गया था।  
सरकार ने बताया कि स्टोर्स मैनुअल के अन्तर्गत एप्लोएस-9, 10 एवं 25 संघारित करने के  
लिए एप्लोएस को आदेश जारी किया जा रहे थे।



केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी।  
 के एक टूल रूप में कार्य करता है क्योंकि यह आश्वासन प्रदान करता है कि वांछित सामग्री पास के आधार पर सामग्री को अपनी अभिरक्षा में लेता है। साथ ही, गेट पास सामग्री नियंत्रण मांग की गई थी क्योंकि कनिष्ठ अभियंता मांग-पत्र एवं मण्डारपाल द्वारा जारी किये गये गेट लिए जारी की गई सामग्री के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करता है जिसके लिए इसकी 2.18.7 गेट पास स्टैस से सामग्री की संपूर्णता लेने के लिए एक अधिकार पत्र है। यह कार्यों के

### अपक्षित संबंधित

अभिलेख संधारित करने के लिए सुधारनात्मक कार्यवाही की जा रही थी। साथ ही, सामग्री लेख, मुद्रित मांग-पत्र, सामग्री रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, एवं ट्रांसफॉर्मर तेल के अधिकारियों को भी संबंधित अभिलेखों को संधारित करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। सामग्री संपूर्ण करने के लिए सभी एसीओएस को आदेश जारी किये जा रहे थे। फील्ड लिए, एवं अधिकृत इस्तेमालकर्ता अथवा ओपरेटरम अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को बताया गया कि ओपरेटरम अधिकारियों के नमूना इस्तेमाल संबंधी अभिलेख संधारित करने के जारी की गई सामग्री को अंततः विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध कर लिया गया। आगे यह परवान मिनी (डेल्यूअंडाईएम) के विना कमी-कमी सामग्री को जारी कर दिया गया। तथापि, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डेल्यूअंडाईएम संस्था के अभाव में कार्य

किया अथवा उसको रखा दिया

सहायक अभियंता ने वर्ष 2013-14 के लिए या तो सामग्री रजिस्टर संधारित नहीं

• सामग्री सत्यापनकर्ता ने बताया (नवम्बर 2016) कि डेटावा उपखण्डीय स्तर के तेल का अभिलेख संधारित नहीं किया गया

उपखण्ड स्टैस में से किसी ने भी जले हुए ट्रांसफॉर्मरस से निकाले गये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मरस का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। साथ ही, सभी वयनित 21

• पाव<sup>30</sup> उपखण्डों पर मण्डारपालों द्वारा निर्धारित प्रारूप में खराब हुए एवं बदले गये संधारित नहीं किया गया

साथ ही, सभी 21 उपखण्डों में कार्य पर लगे ठेकेदारों द्वारा भी सामग्री रजिस्टर

• 19 उपखण्डों (बीम ए 1 एवं जेसीसी डी-III के अतिरिक्त) के कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा उपखण्डीय स्टास से प्राप्त की गई सामग्री का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया।

मांग-पत्रों के विक्रम सामग्री को जारी किया गया

गया था। मण्डारपालों द्वारा भी निर्देशों का उल्लंघन किया गया एवं इन इस्तेमाल

सामग्री की मांग करने एवं जारी करने के आदेशों (जून 2014) के उल्लंघन में किया

सहायक अभियंताओं द्वारा अनुमोदन किया गया। यह केवल मुद्रित मांग-पत्रों के विक्रम

• 15 उपखण्डों के कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा जारी किये गये इस्तेमालित मांग-पत्रों को

ठेकेदारों द्वारा 'कार्यस्थल पर सामग्री खाला' संधारित नहीं किया गया

साथ ही, सभी वयनित उपखण्डों में कार्यों पर लगे हुए कनिष्ठ अभियंताओं एवं

कम्पनी द्वारा जारी किये गये (जून 2014) निर्देशानुसार भण्डारपालों द्वारा गेट पास को तीन प्रतियों में जारी किया जाना आवश्यक था। भण्डारपाल द्वारा एक प्रति को कार्यालय प्रति के रूप में अभिलेखों में रखा जाना था तथा एक-एक प्रति सामग्री के प्राप्तकर्ता एवं उपखण्ड के कनिष्ठ अभियंता जिसने सामग्री का मांग-पत्र जारी किया प्रत्येक को दी जानी थी। हमने देखा कि नमूना जांच के लिए चयनित 21 उपखण्डीय स्टोर्स में से 12 में भण्डारपालों द्वारा गेट पास की केवल दो प्रतियां जारी की गयी थी। लक्ष्मणगढ़ एवं डी-III मालवीयनगर उपखण्डीय स्टोर्स के भण्डारपाल द्वारा गेट पास की दोनों प्रतियां अपने पास रखी गयी थी।

गेट पास की प्रतियों के अभाव में, उपखण्डों पर कनिष्ठ अभियंता द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या मांगी गई सामग्री की आवश्यक मात्राएं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा उठायी गयी थी क्योंकि उनके द्वारा सामग्री रजिस्टर भी संधारित नहीं किये गये थे।

मालाखेड़ा उपखण्डीय भण्डार पर, एक दृष्टान्त के रूप में, हमने पाया कि 2012-17 के दौरान भण्डारपाल द्वारा 2,677 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर की प्राप्ति एवं कनिष्ठ अभियंताओं को जारी करना बताया गया। सामग्री की स्थिति में, इस प्रकार, ड्रॉप आउट फ्यूज के साथ आइसोलेटर्स की शून्य सामग्री को इंगित किया। भण्डारपाल ने 2,677 ड्रॉप आउट फ्यूज को जारी करना दर्शाते हुए गेट पास की कार्यालय प्रतियां भी संधारित की। सहायक अभियंता द्वारा, तथापि, इसकी पुष्टि की गई कि 852 ड्रॉप आउट फ्यूज भण्डार में पड़े हुए थे। उपखण्डीय भण्डार के भौतिक सत्यापन के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई कि 852 इकाइयां भण्डार में पड़ी हुई थी। यह जाली गेट पास जारी होना दर्शाता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि इसकी कड़ी अनुपालना करने के लिए जोनल सीई (ओएण्डएम जयपुर जोन) द्वारा उचित आदेश जारी किये जा चुके हैं। उत्तर, तथापि, मालाखेड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ उपखण्डीय स्टोर्स में देखी गयी कमियों के बारे में मौन था।

### **वेब आधारित स्टोर्स एवं सामग्री प्रबंध तंत्र का क्रियान्वयन**

**2.18.8** कम्पनी द्वारा सभी वृत्त कार्यालयों एवं एसीओएस में वेब आधारित स्टोर्स एवं सामग्री प्रबंध तंत्र को विकसित करने के लिए ₹ 45.14 लाख की लागत पर स्पांको टेलीसिस्टमस एण्ड सोल्युशंस लिमिटेड (ठेकेदार) को एक कार्यादेश जारी किया गया (अक्टूबर 2007)। कार्य का प्राथमिक उद्देश्य सूचना उपलब्ध कराने तथा विभिन्न प्रापण एवं सामग्री संबंधी कार्यों के नियोजन, डीजाइनिंग, निगरानी, संचालन एवं नियंत्रण के लिए एक विस्तृत तंत्र के माध्यम से अनुमोदन संबंधी क्रियाविधियों में लगने वाले समय को कम करना था। फैंक्ट्री स्वीकृति परीक्षण किया गया (16 अक्टूबर 2008) जिसमें सॉफ्टवेयर को सही पाया गया था।

कम्पनी द्वारा सभी फिल्ड कार्यालयों को 1 नवम्बर 2009 से सिस्टम के माध्यम से चालान एवं गेट पास उत्पन्न करने के लिए आदेशित किया गया (अक्टूबर 2009) अन्यथा नामित प्राधिकारियों द्वारा बिलों के भुगतान पर विचार नहीं किया जाना था। साथ ही, सामग्री की प्राप्ति के लिए जारी किये गये समस्त मांग-पत्र भी सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न किये जाने थे।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा भी टैरिफ आदेश का अनुमोदन करते हुए (6 जून 2013) कम्पनी को सामग्री का कुशल प्रबंध करने एवं अनावश्यक प्रापण से बचने को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंध सॉफ्टवेयर के त्वरित क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया (25 सितम्बर 2013)।

हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में समस्याओं के कारण सॉफ्टवेयर के सभी मोड्यूल पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। सॉफ्टवेयर केवल चालान एवं मांग-पत्र उत्पन्न करने के योग्य थे। कम्पनी द्वारा संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) का अनुबंध वैलियम टैक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (फर्म) को प्रदान किया गया (अप्रैल 2014) लेकिन फर्म समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी एवं सॉफ्टवेयर को चालू नहीं कर सकी (अगस्त 2016)। साथ ही, आधारभूत संरचना के अभाव, सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान के अभाव, मानवशक्ति की कमी, एवं इंटरनेट की धीमी गति के कारण फिल्ड कार्यालय सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं थे। फर्म का ओएण्डएम अनुबंध की अवधि अगस्त 2016 के बाद नहीं बढ़ायी गयी थी।

सरकार ने बताया कि आईएण्डएस विंग द्वारा विभिन्न बग्स /विसंगतियां देखी गयी एवं समय-समय पर अधीक्षण अभियंता (आईटी) को सूचित की गयी थी।

### **एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स का भौतिक सत्यापन**

**2.18.9** स्टोर्स मैनुअल का वाक्यांश 11.2 मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) के नियंत्रणाधीन कार्यरत सामग्री सत्यापनकर्त्ता द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री के वार्षिक सत्यापन को नियत करता है।

मार्च 2017 के अंत में कम्पनी के 13 एसीओएस, बहरोड़ में एक उप-भण्डार एवं 195 उपखण्डीय स्टोर्स हैं। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। एसीओएस की 37 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स की समीक्षा से खुलासा हुआ कि भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 12 माह एवं 51 माह के बीच थी। इसी प्रकार, 2012-13 से 2016-17 के दौरान 21 नमूना जांच किये गये उपखण्डीय स्टोर्स की 34 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स की समीक्षा से उजागर हुआ कि भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 16 माह एवं 57 माह के बीच थी।

कम्पनी द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जैसा कि स्टोर्स मैनुअल के अन्तर्गत आवश्यक था। कम्पनी, इस प्रकार, स्टोर्स पर स्थित सामग्री की कमी/ आधिक्य का समय पर पता लगाने की स्थिति में नहीं थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टाफ की कमी के कारण सभी भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि, स्थिति को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे थे।

### **भौतिक सत्यापन के दौरान सामग्री की मर्दों का अपर्याप्त समाहन**

**2.18.10** भौतिक सत्यापन शुरू करने से पूर्व भण्डार सत्यापनकर्त्ता, भण्डार की सभी मर्दों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानव शक्ति की व्यवस्था करने के लिए संबंधित एसीओएस/ उपखण्डीय भण्डार से अनुरोध करता है। स्टोर्स मैनुअल के वाक्यांश 11.1 में प्रावधान था कि भण्डारपाल/ एसीओएस द्वारा सामग्री का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन आवधिक रूप से इस तरह से किया जायेगा कि बिन की समस्त चीजें एक वर्ष में कम से कम तीन बार जांची जा सकें एवं स्टोर्स मात्रा बहियों में शेष के साथ इसका मिलान किया जा सके। अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) द्वारा भी एसीओएस/ स्टोर्स अधीक्षक (एसएस) को कंडक्टर

ड्रम्स, केबल ड्रम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरस, ट्रांसफॉर्मर तेल के ड्रम्स, सीटीपीटी सेट इत्यादि जैसी उच्च मूल्य वाली मदों के संबंध में स्टोर्स के आंतरिक भौतिक सत्यापन करने के लिए आदेशित किया गया (1 सितम्बर 2016)। आदेशानुसार प्रत्येक माह यादृच्छिक रूप से चयनित भण्डार की कम से कम पांच अन्य मदों को एसीओएस/एसएस द्वारा भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) एवं अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स के भौतिक सत्यापन करने के लिए भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं को पर्याप्त मानवशक्ति उपलब्ध नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, भण्डार सत्यापनकर्त्ता स्टोर्स की सभी मदों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं द्वारा 2012-17 के दौरान किये गये 37 भौतिक सत्यापनों (एसीओएस) में से 31 के दौरान 6.17 प्रतिशत एवं 53.06 प्रतिशत मदों को सम्मिलित नहीं किया जा सका। शेष छह भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में या तो कुल मदों की संख्या को नहीं दर्शाया गया था अथवा मदों को भौतिक सत्यापन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

साथ ही, चयनित चार एसीओएस में से किसी के द्वारा भी 2012-17 के दौरान स्टोर्स मैनुअल के अनुसार निर्धारित आवधिकता में भण्डार का आंतरिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। तथापि, एक एसीओएस (जयपुर जिला वृत्त) द्वारा मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान पांच निरीक्षण किये गये। साथ ही, 21 नमूना जांच किये गये उपखण्डीय स्टोर्स में भण्डारपालों/सहायक अभियंताओं में से किसी के द्वारा भी सामग्री का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। एसीओएस द्वारा भी अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई एवं केवल सीमित मदों के संबंध में सत्यापन किया गया। कोटा एसीओएस द्वारा भिन्न-भिन्न मदों के रूप में एक मद की विभिन्न रेटिंग्स मानते हुए सत्यापन को एक माह के दौरान एक मद तक सीमित कर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स की भारी संख्या के कारण भौतिक सत्यापन में सभी मदों को सम्मिलित करना भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं के लिए संभव नहीं था। तथापि, सुधारात्मक उपाय किये जा रहे थे। इसके साथ ही, भण्डार के निरीक्षण के दौरान सामग्री की यादृच्छिक आवधिक जांच को अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा निरपवाद रूप से सत्यापित कर दिया जायेगा।

### **उपखण्डीय भण्डारों पर निगरानी का अभाव**

**2.18.11** प्रबंध निदेशक द्वारा परिपत्र/ दिशा-निर्देश जारी किये गये (मई 2006) जिसमें प्रावधान था कि अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) को उपखण्डों द्वारा 30 दिनों के भीतर सामग्री को उपयोग में नहीं लाने के कारण एवं सामग्री उपयोग में नहीं लेने के लिए की गयी कार्यवाही के बारे में विशेष रूप से बताना आवश्यक था। जोनल मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता (एमएम) को सामग्री की सुपुर्दगी की आवश्यकता/ स्थगन के लिए आदेश जारी करने भी आवश्यक थे।

हमने देखा कि उपखण्डीय स्टोर के सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी एवं भण्डारपाल की समिति द्वारा 2012-13 के बाद अधीशाषी अभियंता (ओएण्डएम) एवं लेखाधिकारी को सामग्री के प्रत्यक्ष शेषों की नियमित रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं की गई। समिति द्वारा

27 तर्की कायदेखा, जिनका समापन 2012-17 के दौरान हुआ, की समीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न तर्की ठेकेदारों से कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई अधिकांश सामग्री अप्रयुक्त रही। कुछ मामलों में जहां कम्पनी द्वारा तर्की ठेकेदारों से केबल, मोटर, ग्राउंडिंग बाँध, गार्डनाइज्ड आयरन वायर, विद्युत प्यून यूनिट्स इत्यादि जैसे सामग्री स्वीकार की गई जो कि आवश्यक नहीं थी, की वही अनुबंध-4 में की गई है। ये मामले प्रकाश जालते हैं कि कम्पनी

2.19 कम्पनी द्वारा विभिन्न तर्की कार्य प्रदान किये गये जिनमें ठेकेदारों द्वारा बिल ऑफ़ क्वांटिटी के अनुसार सामग्री की आपूर्ति की गई एवं कायदेखानेनुसार परियोजना को चालू कर दिया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न तर्की कार्यों के अधीन कार्यरत ठेकेदारों से अधिबोध/अप्रयुक्त सामग्री को स्वीकार करने के लिए आदेशित किया गया (फरवरी 2009) बहाल कि सामग्री सही हालत में थी एवं सीटीएल में सफलतापूर्वक जांच ली गई थी। डिस्कॉम्स कॉन्ट्रोलेशन फॉर्म (डीसीएफ) में तर्की ठेकेदारों द्वारा कम जमा करायी गयी सामग्री के लिए वर्कशीट एवं जमा कराई गई अधिबोध सामग्री के लिए भूगोलन की दरे निर्धारित की (31 अगस्त 2010)।

### तर्की ठेकेदारों से अधिबोध सामग्री को स्वीकार करने के कारण निम्नलिखित सामग्री

#### निम्नलिखित सामग्री

जारी किये जा चुके हैं।

जोन) द्वारा सभी अधिबोध अभियंतों की कड़ी अनुपालना के लिए उचित आदेश सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जोनल मुख्य अभियंता (ओएचएम, जयपुर दौरेन अवशिष्ट/अनुपयोगी मर्दा का मूल्य ₹ 1.22 करोड़ के रूप में आंका गया।

एसीओएस के अधीन उपर्युक्त स्टेस की भौतिक समापन की 34 रिपोर्ट्स में 2012-17 के अनुचित निगानी एवं नियंत्रण द्वारा सामग्री अप्रचलन के जोखिम को बढ़ावा मिला। वर्तमान निगानी एवं नियंत्रण करने में विफल रहे। उपर्युक्त स्टेस के पास पड़ी हुई सामग्री की इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारी उपर्युक्त स्टेस के पास पड़ी हुई सामग्री की निरीक्षण के अभाव से उपर्युक्त स्टेस द्वारा आदेशों की अवहेलना को भी बढ़ावा मिला।

संबंधित अधिबोध अभियंतों द्वारा आवश्यक निरीक्षण नहीं किये गये। प्राधिकारियों द्वारा एवं मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि, कम एक उपर्युक्त मजदूर का मासिक निरीक्षण करना तथा अधिबोध अभियंता (ओएचएम) हमने आगे देखा कि अधिबोध अभियंता (ओएचएम) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कम से कम एक को बढ़ावा मिला।

द्वारा सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण किया गया जिससे आवश्यकता से अधिक सामग्री के स्टेस के पास पड़ी हुई सामग्री के प्रत्यक्ष शेषों पर ध्यान दिये बिना ही मुख्य अभियंता (एमएम) सामग्री की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण को बढ़ावा मिला। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त शहदायक अभियंतों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे जोनल मुख्य अभियंता द्वारा (ओएचएम) दिशा-निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल हुआ एवं दोषी रिपोर्ट्स में स्टेस पर पड़ी सामग्री की आवश्यकता को नहीं दर्शाया गया था। अधिबोध अभियंता 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कमी कमी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई लेकिन

द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 8.18 करोड़ की अधिशेष सामग्री स्वीकार की जो आदेशों के अभाव, सीएलपीसी द्वारा अनुबंधों के समापन में देरी, तकनीक में परिवर्तन इत्यादि के कारण भण्डार में अप्रयुक्त पड़ी रही।

निकासी सभा के दौरान, कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि किसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए ठेकेदारों के भुगतान के निस्तारण के बाद ही सामग्री उपयोग में लाई गई थी। प्रबंधन इस बात पर सहमत था कि सामग्री का उपयोग शीघ्रताशीघ्र कर लेना चाहिए। सरकार की राय थी कि कम्पनी द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार नहीं करना चाहिए था अथवा स्वीकार की गई सामग्री का उपयोग जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए था।

### **सामग्री के अनावश्यक प्रापण के कारण निष्क्रिय सामग्री**

**2.20** ₹ 49.90 करोड़ मूल्य वाली सामग्री के अनावश्यक क्रय पर प्रकाश डालते हुए दो केस स्टडीज की संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई हैं।

### **अविवेकपूर्ण क्रय के कारण ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का उपयोग नहीं होना**

**2.20.1** कम्पनी द्वारा ₹ 1,067.64 प्रति इकाई (2,20,700) एवं ₹ 1,443 प्रति इकाई (1,66,000) की दर पर 3,86,700 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स सैटस की आपूर्ति के लिए क्रयादेश/ अतिरिक्त क्रयादेश जारी किये गये (अगस्त 2008 से मार्च 2009)।

डिस्कॉम्स के अध्यक्ष ने फिल्ड कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट्स, जिनमें कि कुछ उपद्रवियों द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मरस को आइसोलेट करने के लिए इस मद को इस्तेमाल करने एवं तेल एवं कॉपर वाइंडिंग्स की चोरी का प्रयास करने, के आधार पर ड्रॉप आउट फ्यूज कम इंसूलेटर सैटस की शेष आपूर्तियों को स्थगित करने के लिए आदेश दिया (21 सितम्बर 2009)। अध्यक्ष ने ग्रामीण लाइनों पर आइसोलेटर्स को प्रयुक्त नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया क्योंकि ब्लॉक घण्टों के अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मरस पर लगे हुए आइसोलेटर्स को सिंगल फेज आपूर्ति से थ्री फेज आपूर्ति में बदलने के लिए प्रयुक्त किये जा रहे थे।

फर्म ने 1,95,200 आइसोलेटर्स की आपूर्ति कर दी थी एवं स्थगन की तिथि तक 27,100 आइसोलेटर्स निरीक्षणाधीन थे। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने 1,64,400 आइसोलेटर्स की आपूर्तियों के स्थगन के लिए आदेश जारी किये (25 सितम्बर 2009)। तथापि, सीएलपीसी ने 1,42,900 आइसोलेटर्स के लिए आदेश निरस्त करने का निश्चय किया (6 जनवरी 2011)। इसी बीच, सीएलपीसी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी करने में देरी के कारण स्थगन के उपरांत भी कम्पनी ने 21,500 आइसोलेटर्स क्रय किये। कम्पनी ने, इस प्रकार, फर्म से 2,43,800 आइसोलेटर्स क्रय किये।

मार्च 2017 को, ₹ 3.08 करोड़ मूल्य के 28,852 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स सैटस एसीओएस के पास पड़े हुए थे। शेष मात्राएं उपखण्डीय स्टोर्स को जारी की गई थी। जारी की गई मात्राओं में भी ₹ 4.55 करोड़ मूल्य के 42,660 सैटस भी शामिल थे जो एसीओएस द्वारा जारी किये गये थे (31 जनवरी 2015 के बाद) लेकिन सामग्री उपखण्डीय स्टोर्स पर प्राप्त हुई नहीं पाई गई। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने गायब हुए आइसोलेटर्स के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) को कहा (10 मई

2.20.2 जीनल मुख्य अभियंता (जयपुर जोन) ने जिला मुख्यालयों एवं नगरपालिका कस्बों के लिए 6,200 स्थिमा लोड्ड सिंगल फेज एवं 9,300 शी फेज मन्टी कन्वर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रूक्सेज की आवश्यकता प्रस्तुत की (28 अप्रैल 2006)। तकनीकी समिति ने मन्टी कन्वर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रूक्सेज का प्रथम बार क्रय की दृष्टि से सिंगल फेज एवं शी फेज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रूक्सेज की एक टेंडर माता के लिए क्रय करने का निश्चय किया (अप्रैल 2008)। टेंडर माता की संतोषजनक निष्पादन के बाद मन्टी कन्वर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रूक्सेज की एक साध बड़ी माता क्रय की जानी थी।

### मन्टी कन्वर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रूक्सेज का बन्क में क्रय करना

सरकार/कम्पनी ने, तथापि, मायब ड्रैप आइसोलैटर्स के लिए कारणा उपलब्ध नहीं करायी। सामग्री की षडोई क्षेत्तों में प्रयुक्त किया जा रहा था जहाँ इनके दुरुपयोग की संभावना नहीं थी। प्रकार, कम्पनी ने आइसोलैटर्स की आगे और अधिक क्रय नहीं करने का निर्णय किया एवं देखा गया कि विद्युत की बोरी के लिए आइसोलैटर्स का दुरुपयोग किया जा रहा था। इस क्रिये गया सम्पान रणम के दौरान प्रबंधन ने भी बताया कि आइसोलैटर्स के क्रय के बाद यह सरकार ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि टीएन 4185 के बाद आइसोलैटर्स क्रय नहीं आविकर्षण क्रय किया।

कम्पनी ने, इस प्रकार, ₹ 31.95 करोड़ मूल्य वाले ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स का

कि आइसोलैटर्स के मायब ही जाने पर कोई जांच एवं शिकायत दर्ज नहीं की। सम्मिलित था, के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से ताकिक नहीं था। साथ ही, कम्पनी ने यहाँ तक कमी कार्यकम, जिसमें स्थानित क्रिये गये ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स को हटाना कदम उठाने के लिए सीएलपीसी का निर्णय (24 फरवरी 2016) अक्टूबर 2016 से हानि में अवसर प्रदान किया। ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स को उपयोग में लाने के लिए समी लिए फिन्ड कार्यालयों की सामग्री जारी की जिसने विद्युत की बोरी के लिए उपरविद्युतों की डिस्कम्स के अद्यक्ष के आदेशों के उल्लंघन में एसीओएस ने ग्राणी लाने पर संस्थापन के स्थान पर उच्च दर (₹ 1,443 प्रति इकाई) पर बर्दाई गई माता के लिए क्यारंश जारी किया। आवश्यकताओं की निधारित क्रिये बिना ही फिन्ड एल-1 दर (₹ 1,067.64 प्रति इकाई) के साथ ही, कम्पनी ने नई सामग्री के कार्य निष्पादन की प्रतिक्षा नहीं की एवं वारन्तिक फिन्ड विवरण टेंसफार्मर्स से विद्युत, टेंसफार्मर लेन एवं कॉपर वाइडिंग्स की बोरी हुई।

विद्यमान विवरण प्रणाली के साथ इनकी उपयुक्तता का निधारण नहीं किया जिसके परिणामतः तकनीकी समिति ने ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स के क्रय की शिकायत कर ले समय केवी सिंगल फेज स्वीच फ्यूज की प्रयुक्त करने वाली विद्यमान प्रणाली का स्थान लिया। आइसोलैटर्स का प्रथम बार क्रय किया गया था। ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स ने 11 हनने देखा कि तकनीकी समिति की शिकायतों (अगस्त 2007) पर ड्रैप आवट फ्यूज कम उठाने का निश्चय किया (24 फरवरी 2016)।

उपलब्ध 11 केवी ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स को उपयोग में लाने के लिए समी कदम संस्था के बारे में कोई सूचना नहीं थी। सीएलपीसी ने सामग्री को कम करने के लिए स्टॉक में स्थानित क्रिये गये एवं उपरपुडीय स्टोर्स पर ड्रैप ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स की स्थानित क्रिये गये एवं उपरपुडीय स्टोर्स पर ड्रैप ड्रैप आवट फ्यूज कम आइसोलैटर्स द्वारा (मई 2017)। कम्पनी के पास उपरपुडी द्वारा

सीएलपीसी ने, तथापि, सम्पूर्ण कम्पनी के लिए एक ही क्रयादेश देने का निश्चय किया (10 दिसम्बर 2008)। 27,440 सिंगल फेज एवं 15,330 श्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की आपूर्ति के लिए इकलौती फर्म (दिल्ली कंट्रोल डीवाइसेज) को क्रमशः ₹ 2,189 एवं ₹ 5,175.72 प्रति इकाई पर क्रयादेश दिया (दिसम्बर 2008)। कम्पनी के लिए प्रथम बार आपूर्तिकर्ता होने के कारण अन्य तीन निविदादाताओं को एक समान दरों पर सिंगल फेज एवं श्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज दोनों के लिए निविदा मात्रा का 10 प्रतिशत आवंटित किया। फर्म ने क्रयादेश को जारी करने की तिथि से चार माह की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि में आदेशित मात्रा की आपूर्ति कर दी थी।

सिंगल फेज (25 अगस्त 2009) एवं श्री फेज बॉक्सेज (15 सितम्बर 2009) के लिए तीनों निविदादाताओं के नमूने समिति द्वारा अनुमोदित किये गये। कम्पनी ने तथापि, स्टॉक स्थिति (15 सितम्बर 2009 को 26,790 सिंगल फेज एवं 14,600 श्री फेज बॉक्सेज) एवं सामग्री के कम उपयोग की दृष्टि से आपूर्तियों (9,360 सिंगल फेज एवं 6,570 श्री फेज बॉक्सेज) पर स्थगन लगा दिया (6 अक्टूबर 2009)। फर्मों ने स्थगित की गई मात्रा को भी उठाने के लिए कम्पनी को निवेदन किया (22 मार्च 2011) क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से कम्पनी के लिए इस उत्पाद का निर्माण किया था। विस्तृत विचार-विमर्श एवं चर्चाओं के बाद, सीएलपीसी ने स्थगन को हटाने एवं आर-एपीडीआरपी भाग बी कार्यों के लिए बॉक्सेज को प्रयुक्त करने का निश्चय किया (29 नवम्बर 2012)।

मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जनवरी 2015 को एसीओएस में 6,282 सिंगल फेस (₹ 1.37 करोड़) एवं 4,063 श्री फेस (₹ 2.10 करोड़) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का स्टॉक पड़ा हुआ था। साथ ही, उपखण्डीय स्टोर्स में 7,759 सिंगल फेस (₹ 1.70 करोड़) एवं 3,753 श्री फेस (₹ 1.94 करोड़) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का स्टॉक भी पड़ा हुआ था। मुख्य लेखाधिकारी ने यह भी रिपोर्ट किया कि 17,749 सिंगल फेस (₹ 3.89 करोड़) एवं 3,767 श्री फेस (₹ 1.95 करोड़) बॉक्सेज एसीओएस से प्रेषित किये गये थे लेकिन उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा प्राप्त नहीं किये गये। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) को कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्टॉक की बड़ी मात्रा को देखते हुए, सीएलपीसी ने श्री फेज बॉक्सेज की लम्बित मात्रा (3,789) के लिए क्रयादेशों को निरस्त करने का निश्चय किया (फरवरी 2016)।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 39,200 सिंगल फेस (₹ 8.58 करोड़) एवं 18,111 श्री फेस (₹ 9.37 करोड़) मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज क्रय किये गये। मार्च 2017 को एसीओएस के पास 416 सिंगल फेस एवं 353 श्री फेस बॉक्सेज पड़े हुए थे एवं शेष बॉक्सेज उपखण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। स्थापित किये गये एवं स्टोर्स पर पड़े हुए बॉक्सेज की संख्या कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी। तथापि, चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपखण्डीय स्टोर्स के अभिलेखों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 31 मार्च 2017 को 525 (सिंगल फेस) एवं 783 (श्री फेस) बॉक्सेज का शेष था। साथ ही, कनिष्ठ अभियंता, चौमू-ए-1 को जारी किये गये (2009-10) 230 सिंगल फेस एवं 50 श्री फेस बॉक्सेज 31 मार्च 2017 को अप्रयुक्त पड़े हुए थे।



व्यक्तिन चार एसीओएस तथा 21 उपखण्डीय स्टेस पर कार्यरत निरीक्षण द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री अस्त-व्यस्त तरीके से बिखरी हुई थी। सामग्री के अर्न्वित मण्डारण के कारण सामग्री के स्थापन नहीं होने के बारे में इन स्टेस की मौलिक सत्यापन रिपोर्ट्स में भी दर्शाया गया था। सामग्री को निर्धारित आदेशानुसार स्टेकिंग एवं उसका रखरखाव नहीं किया गया था।

व्यक्तिन चार एसीओएस तथा 21 उपखण्डीय स्टेस पर कार्यरत निरीक्षण द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री के अर्न्वित रखरखाव के कारण सामग्री की छिजत एवं बोरी के मईनजर एसीओएस एवं उपखण्डीय मण्डारों पर सामग्री के उचित मण्डारण के लिए अर्न्वित मण्डारण अभियांता (आईएचएस) द्वारा आदेश जारी किया गया (सितंबर 2014)। अन्य बातों के साथ-साथ सामग्री, सब-स्टेशनों के सैट, जीआई वायर्स की स्टेकिंग इस तरह करनी चाहिए कि जारी करने एवं मौलिक सत्यापन के समय इनका गिना जा सके, सीट्स, कॉपर अवॉइड इत्यादि की कम्पे के अंदर रखना चाहिए, गारण्टी अवॉइड के अर्न्वित मर्दों के मामले में विशेष रूप से सामग्री को 'प्रथम आगमन प्रथम निर्माण' के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, निर्माण की अवधि, आपूर्तिकर्ता के नाम को इंगित करते हुए गारण्टी अवॉइड के अर्न्वित मण्डारण में सामग्री को 'प्रथम आगमन प्रथम निर्माण' के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, निर्माण कम्पे के अंदर रखना चाहिए, गारण्टी अवॉइड के अर्न्वित मण्डारण के मामले में विशेष रूप से सामग्री को 'प्रथम आगमन प्रथम निर्माण' के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, निर्माण करने एवं मौलिक सत्यापन के समय इनका गिना जा सके, सीट्स, कॉपर अवॉइड इत्यादि की सामग्री, सब-स्टेशनों के सैट, जीआई वायर्स की स्टेकिंग इस तरह करनी चाहिए कि जारी आदेशों में प्रावधान था कि समान प्रकार की सामग्री को एक स्थान पर रखा जाये, स्टील (आईएचएस) द्वारा आदेश जारी किया गया (सितंबर 2014)। अन्य बातों के साथ-साथ एसीओएस एवं उपखण्डीय मण्डारों पर सामग्री के उचित मण्डारण के लिए अर्न्वित मण्डारण अभियांता

### सामग्री का मण्डारण

2.21 एसीओएस, उपखण्डीय मण्डारों पर अभिलेखों एवं एसीओएस/उपखण्डीय मण्डारों की मौलिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा से स्पष्टा हुआ कि फिज्ड कार्यालयों से मांग के अभाव के कारण विभिन्न प्रकार की सामग्री अग्रयुक्त पड़ी हुई थी। यह दर्शाता है कि सामग्री आवश्यकता से अधिक क्रय की गई थी। कम्पोजर सामग्री प्रबंधन के परिणामतः सामग्री के अधिक क्रय को इंगित करने वाले कुछ प्रतिक्रमक मामलों में ₹ 10.49 करोड़ के कोष अवकृष्ट हुए जिनकी चर्चा अनुबंध-5 में की गई है।

### अतिरिक्त प्राण के कारण सामग्री का निश्चय होना

एवं सामग्री के उपखण्डीय स्टेस पर पड़े होने के मामले में उल्लेख मौन था। उपयोग के समर्थन में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही, गायब हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सज क्रय की गई एवं सम्पूर्ण मात्रा को प्रयुक्त कर लिया गया। सरकार ने, तथापि, सामग्री के सरकार ने बताया कि फिज्ड एवं टीडब्ल्यू कार्यों में अत्यावश्यकता के कारण एनआरटी माता कम्पनी ने गायब हुए बॉक्सज के मामले की जांच नहीं की एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

कारना ₹ 17.95 करोड़ के मूल्य की सामग्री का अनावश्यक क्रय को दर्शाता है। साथ ही, माताओं का क्रय किया जाना एवं फिज्ड कार्यालयों द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सज का उपयोग नहीं होना, केवल टपाल माताओं के क्रय की शिकायतों के विरुद्ध सीएलपीसी द्वारा बड़ी

सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण सामग्री की कमी एवं आधिव्यय रहा जैसा कि सामग्री सत्यापनकर्ताओं द्वारा उनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इसको इंगित किया गया था। इसके कारण एसीओएस एवं उपस्थण्डीय स्टोर्स पर चोरी, आगजनी एवं गबन की घटनाएं भी घटित हुईं।



जेसीडीसी एसीओएस पर डेर में पड़े हुए खराब ट्रांसफॉर्मरस



जेसीडीसी एसीओएस पर पड़ी हुई नई केबल्स एवं अवशिष्ट कंडक्टर

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी एसीओएस/ उपस्थण्डीय स्टोर्स के साथ उनके स्टोर्स में सामग्री की उचित स्टोकिंग के लिए नियमित अनुसरण किया जा रहा था।

### **सामग्री की कमी एवं आधिव्यय**

**2.22.1** भण्डार लेखांकन के उद्देश्य के लिए स्टोर्स निर्गम एवं स्टोर्स प्राप्ति रसीद नोट्स के माध्यम से क्रमशः सामग्री की कमी एवं उसके आधिव्यय के लिए समायोजन करने आवश्यक हैं। तथापि, संबंधित सहायक अभियंताओं/ सहायक भण्डारपालों द्वारा सामग्री की ऐसी कमी एवं उसके आधिव्यय के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही, अधीक्षण अभियंता

(ओपनइंडर) द्वारा नियंत्रित होती है, को रिपोर्ट करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। इस उपकरणहीन स्टॉक्स पर बोरी, कमी एवं आगजनी की घटनाएं जो संबंधित अधीक्षण अभियंता घटित बोरी, कमी एवं आगजनी के मामलों के बारे में उचित सूचना उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, की हानि उजागर हुई। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) के पास एसीओएस पर स्टॉक्स पर अभियंता की संवीक्षा द्वारा तथा एसीओएस पर 31 ऐसे मामलों में ₹ 2.20 करोड़ मामलों के बारे में अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई। विभिन्न 2012-17 के दौरान सभी एसीओएस पर ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की बोरी एवं कमी के 14 देना एवं कार्यवाही करना आवश्यक था।

जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) द्वारा भी विस्तृत जांच का आदेश प्रति के साथ अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट, एकमात्रेआर की प्रति एवं बीमा कम्पनी के पास दर्ज किचे गये दावे की के पास एकमात्रेआर की प्रति एवं बीमा एजेंसी से हानि की पूर्ति के लिए दावा करना; एवं निपटारा किया जायेगा। एसीओएस पर सहहायक अभियंता द्वारा प्रारम्भिक जांच करना; पुलिस जायेगा एवं जांच की जायेगी तथा सामान्य विज्ञान एवं लेखा नियमों के अनुसार उक्त अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) एवं सीएओ (आंतरिक अंकेक्षण) को वृत्त रिपोर्ट किया 2.23 स्टॉक्स सैन्यअल में प्रारंभिक या कि सामग्री की हानि के सभी मामलों को एसीओएस/

### बोरी, आगजनी एवं गहन के कारण सामग्री की हानि

आधिव्य एवं कमी को ठीक कर दिया जा चुका है। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कोटा, जेपीडीसी एवं भरतपुर एसीओएस में सकल।

के अभाव में सामग्री की बोरी एवं दुरुपयोग की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा लेखांकन के सामग्री की आवक/जावक को दर्ज किया गया। उचित प्रलेखीकरण एवं लेखांकन स्टॉक्स में सामग्री की कमी एवं आधिव्य इंगित करता है कि बिना उचित प्रलेखीकरण एवं 98 से लम्बित थी।

हमने देखा कि कम्पनी के स्टॉक्स में सामग्री की कमी एवं आधिव्य की जांच वित्तीय वर्ष 1997- नहीं की गई।

प्राधिकारियों द्वारा, तथापि, स्टॉक्स में सामग्री की ऐसी कमी एवं आधिव्य के कारणों की जांच रिपोर्ट्स में ₹ 0.77 करोड़ की कमी एवं ₹ 1.09 करोड़ का आधिव्य उजागर हुआ। संबंधित के दौरान, वयनित एसीओएस के अधीन 21 उपकरणहीन स्टॉक्स की 34 भौतिक सत्यापन असमायोजित कमी एवं ₹ 2.61 करोड़ के आधिव्य को इंगित किया गया। साथ ही, 2012-17 मार्च 2017 के अंत तक, सभी एसीओएस की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में ₹ 2.28 करोड़ की करना आवश्यक है।

को एक माह की अवधि में तथा कम से कम वित्तीय वर्ष के समापन पर समायोजित एवं ठीक आवश्यक अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इंगित सामग्री की कमी/ आधिव्य सामग्री की कमी के कारण हुई हानि को अपरिचित करने के लिए स्वीकृति जारी करना (आईएचएस) द्वारा सामग्री की कमी एवं उसके आधिव्य के कारणों की जांच करना तथा

प्रकार, एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर चोरी एवं आगजनी के कारण हुई हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा एसीओएस पर सामग्री का बीमा कराया गया लेकिन उपखण्डीय स्टोर्स के लिए बीमा नहीं कराया गया था।

सरकार ने बताया कि सामग्री की चोरी के मामले में जांच के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के संबंध में समस्त संभव कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, कम्पनी के सभी उपखण्डीय स्टोर्स का बीमा कराने के लिए प्रधान कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका था।

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव के कारण निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं करने तथा सामग्री के गबन, आगजनी एवं कमी पर प्रकाश डालते हुए चार दृष्टान्तों की चर्चा नीचे की गई है। ये दर्शाते हैं कि गबन एवं कपट के मामलों पर कार्यवाही में बहुत देरी की गई है।

### **कॉपर कॉइल की कमी**

**2.23.1** हमने देखा कि जेपीडीसी एसीओएस द्वारा 28 मई 2007 एवं 5 अक्टूबर 2013 के बीच की अवधि के दौरान 13 बार नीलामी का आयोजन किया गया लेकिन इसके द्वारा हर बार अभिलेखों में दर्शायी गई कॉपर कॉइल की वास्तविक मात्रा (कॉपर कॉइल की 50,350 किग्रा को सम्मिलित नहीं करते हुए जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी) से कम मात्रा नीलामी में प्रस्तावित की गई।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा, तथापि, एसीओएस द्वारा कम मात्राओं की बिक्री के कारणों को कभी संज्ञान में नहीं लिया। साथ ही, सामग्री की चोरी के बारे में निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई थी लेकिन शिकायतों की विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। एसीओएस से सामग्री की चोरी के लिए एक निवासी द्वारा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई (22 मई 2012) जिसके आधार पर पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया एवं उनसे 350 किग्रा कॉपर कॉइल बरामद की गई। पुलिस द्वारा बरामद की गई सामग्री के आधार पर एसीओएस द्वारा भी 350 किग्रा कॉपर की चोरी के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई। तथापि, एफआईआर दर्ज करने एवं कॉपर कॉइल की बरामदगी के बाद भी अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा इसकी जांच नहीं की गई।

बाद में, वार्ड कीपर का स्थानांतरण कर दिया गया ( जुलाई 2014) तथा हैंडिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के दौरान 19.62 एमटी (₹ 98.11 लाख) कॉपर कॉइल की कमी का पता लगा। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया (9 जुलाई 2014)। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एसीओएस/ स्टोर्स अधीक्षक/ वार्ड कीपर द्वारा कॉपर कॉइल की प्राप्ति में लापरवाही बरती गई थी। बहुधा मामलों में, स्टोर प्राप्ति नोटस बिना वजन कार्ड के तैयार किये गये थे। संबंधित सहायक अभियंता द्वारा वजन कार्ड में प्रविष्टि की गई मात्रा से कम अथवा अधिक सामग्री प्राप्त की गई जिसने एसीओएस के स्टाफ द्वारा मिलीभगत को इंगित किया। साथ ही, बहुधा मामलों में, वजन कार्ड्स पर स्टोर अधीक्षक एवं मैसेंजर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे जिसने सामग्री के गबन को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन मूवमेंट रजिस्टर का भी उचित रूप से रखरखाव नहीं किया गया था तथा हाथ से भरे जाने वाले कॉलम एवं प्रविष्टियां स्वामी अथवा अपूर्ण थे। यह भी ज्ञात हुआ कि

एसीओएस में जमा नहीं कराया गया था। अवधुभावी एमि साथ ही, गारण्टी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस की भी समय पर ट्रांसफॉर्मरस) को हाई टेंशन लाइन के नीचे रखा गया था एवं इस प्रकार, ऐसी कोई घटना गये आदेशों की पालना नहीं की गई क्योंकि जलनशील सामग्री (ट्रांसफॉर्मर का तेल एवं हमने देखा कि सहायक अभियंता द्वारा सामग्री के सुरक्षित स्थान पर मजदूरों के संबंध में विद्ये लीटर तेल एकत्रित हो गया था क्योंकि इस समय पर एसीओएस में जमा नहीं कराया गया था। से अधिक की अवधि से मजदूरों में पड़े हुए थे। साथ ही, जला हुआ ट्रांसफॉर्मर का 70,000 लिनको गारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी थी। गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस दो वर्षों (लाख) शामिल थे जो गारण्टी अवधि में थे, एवं 676 खराब ट्रांसफॉर्मरस (₹ 2.37 करोड़) सामग्री की हानि हुई। सामग्री की हानि में मुख्य रूप से 67 खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस (₹ 36.08 ट्रांसफॉर्मरस के कारण आग के ली। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ₹ 2.87 करोड़ मूल्य की बताया कि शॉर्ट सर्किट एवं 70,000 लीटर जले हुए ट्रांसफॉर्मर के तेल एवं खराब हुए वितरण हमने देखा कि मालखंडा उपखण्डिय स्तर पर आग लग गई थी (अप्रैल 2016)। समिति ने सामग्री समय पर जमा करवाई जाये।

सैटस एवं गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस के अभिलेख अलग-अलग रखे जाये, एवं कार्यालय के उपर से गजरने वाली किसी हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं रखी जाये, सीटीपीटी ट्रांसफॉर्मर तेल, कबल, सीटीपीटी सैट जैसे जलनशील मटेरि को स्टोर्स में कहा गया था कि एसीओएस एवं उपखण्डिय अधिकारी द्वारा सुरक्षित किया जाये कि रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए आदेश जारी किये गये (सितम्बर 2014)। आदेशों अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) द्वारा कम्पनी के स्टोर्स में आगजनी की किसी घटना को दिनों की अवधि में एसीओएस के पास जमा कराने के लिए आदेश जारी किये गये थे। साथ ही, 2014) द्वारा उपखण्डिय स्टोर्स को गारण्टी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस को सात 2.23.2 प्रबंध निदेशक (जनवरी 2010) एवं अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) (जून

### सामग्री का अनिश्चित मजदूरों तथा खराब सामग्री को जमा कराने में विफलता

गया है। बताया कि अब कौपर कॉइल की मात्रा को छांट लिया गया है एवं इसे स्तर में अलग रख दिया लिए कम्पनी द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। आगे यह भी सरकार ने लक्ष्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि कौपर कॉइल की कमी के संबंध में जांच के अपर्याप्त जनशक्ति एवं समय के कारण कौपर कॉइल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। रिपोर्ट्स पर उचित कार्रवाई करना आवश्यक था जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अधीक्षण अभियंता (आईएचएस) द्वारा निवासियों की शिकायतों एवं सामग्री सत्यापनकर्ता की गठन की बंधावा दिया गया जिसने आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पूर्ण विफलता को इंगित किया। अनिश्चित रखरखाव के कारण साल वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1.30 करोड़ की सामग्री के हमने देखा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अभाव एवं एसीओएस द्वारा अभिलेखों के

कार्यालयों को जारी की गई थी एवं इसके कारण सामग्री की कमी छुपी हुई थी। एसीओएस द्वारा 6,470 किग्रा (₹ 32.35 लाख) कौपर कॉइल की अतिरिक्त मात्रा उपखण्ड

2.23.4 सामग्री सत्यापनकर्ता द्वारा दिसम्बर 2009 से नवम्बर 2013 की अवधि के लिए वेसीसी के अन्तर्गत उपपशुधिय स्टोर (डी-III) के भौतिक सत्यापन के दौरान ₹ 64.92 लाख मूल्य की विभिन्न लम्बाई की केबल्स (22.23 किमी) एवं अन्य सामग्री की कमी को ध्यान में रखा गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दर्शाया गया कि मांग-पत्र पुस्तिका की चार प्रतियाँ (4268/10 एवं 4268/11) उपलब्ध नहीं थी एवं इसकी पांचवीं प्रति खाली थी जिसने मांग-पत्रों के दुरुपयोग के बारे में संदेह पैदा किया। स्टोर द्वारा भी ₹ 1.19 करोड़ मूल्य की सामग्री के लिए अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान सामग्री रजिस्ट्रार में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। सहायक अभियंता (डी-III) ने बताया (जनवरी 2014) कि स्टोर्स की उरसक द्वारा खलिनात रूप से जांच की गई थी एवं ₹ 35.30 लाख मूल्य की विभिन्न लम्बाई की केबल्स कम पाई गई थी। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा देखा गया (फरवरी 2014) कि उपपशुध से केबल की कोई आवश्यकता एवं मांग नहीं होने के बावजूद भी मण्डलपाल द्वारा जुलाई 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच विभिन्न मांग-पत्रों के माध्यम से एसीओएस से 4 सी गंगा 300 वर्गमीटर एलटी एक्सएलपीडी केबल्स के 10 ड्रम खरी लिए गए थे। ड्रमों देखा कि निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं करने के कारण ₹ 35.30 लाख के गबन की घटना हुई है क्योंकि एसीओएस एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता (ओएलएएस) द्वारा सामग्री जारी की गई थी किन्तु कार्यालय द्वारा आवश्यक नहीं थी। एसीओएस एवं अधीक्षण अभियंता (ओएलएएस) द्वारा यह

### निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करने के कारण गबन

मामले के संबंध में नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा था। अभियंता (ओएलएएस) द्वारा समिति के सदस्यों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस सरकार ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि मुख्य अभियंता (एमएम) एवं अधीक्षण की सामग्री के गबन के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उपरोक्त भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी (मई 2017)। इस प्रकार, ₹ 15.19 लाख मूल्य गठित की गई (फरवरी 2013)। समिति द्वारा, तथापि, चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के अधीक्षण अभियंता (ओएलएएस) द्वारा मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति था। माप के अनुसार, 11.25 एमटी अवशिष्ट कंडक्टर की कमी थी।

दिसम्बर 2012 तक) लेकिन एसीओएस के पास केवल एक से दो एमटी कंडक्टर ही उपलब्ध (अक्टूबर 2012) एवं पाया कि खालाबड़ी के अनुसार कंडक्टर का षोष 14.15 एमटी था (19 कंडक्टर एसीओएस के पास उपलब्ध नहीं था। एक समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया केवल 20.93 एमटी कंडक्टर ही प्रदान कर सकी (अगस्त एवं दिसम्बर 2012) एवं षोष कंडक्टर के निस्सारण के लिए डे-नीलामी की गई (3 जुलाई 2012)। तथापि, कम्पनी, फर्म को कम्पनी द्वारा एसीओएस अलवर में पड़े हुए 32.71 एमटी एसीओएसआर

2.23.3

### अवशिष्ट सामग्री की कमी के लिए जांच में देरी

की जा चुकी है। सरकार ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि मामले में जांच के लिए एक समिति गठित लाख मूल्य के ट्रांसफार्मर के तेल को समितिल कर रहे हुए) की सामग्री की हानि घटाने की गई। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा सामग्री के अनुचित मण्डलण के कारण ₹ 3.27 करोड़ (₹ 40.15

2.24.1 कम्पनी द्वारा 2014-15 तक एसीओएस स्तर पर अवशिष्ट सामग्री की खर्ची नीलामी का आयोजन भी किया गया।

### अवशिष्ट सामग्री की बिक्री

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि उतासी गई सामग्री के उचित अभिलेख रखने के लिए फिक्स अवकालियों को आवंटित कर दिया जाएगा।

अनुपयोगी होने के कारणों को नहीं दर्शाया गया था। रिपोर्ट्स तैयार की गई। साथ ही, सर्वेक्षण रिपोर्ट्स में नीलामी के लिए रखी जाने वाली मर्चों के कि 2012-17 के दौरान अधीक्षण अभियंता (आइएण्डएस) के आदेशों पर केवल 11 सर्वेक्षण तथापि, बचतित एसीओएस द्वारा सर्वेक्षण एवं भौतिक रिपोर्ट्स तैयार नहीं की गई। हमने देखा

सारा निदेशक मण्डल के समाने रखा जाना था। अधीक्षण अभियंता (आइएण्डएस) द्वारा स्टोर्स के निस्तारण के अनुमोदनाथ सर्वेक्षण रिपोर्ट्स का एसीओएस द्वारा भौतिक सर्वेक्षण रिपोर्ट्स तैयार करना आवश्यक था। सामग्री के निस्तारण नियमों के अनुसार निस्तारित की जाने वाली सामग्री के संबंध में नहीं था।

लाइव/परिचयोजनाओं को हटाने के समय उतासी गई वारंताविक सामग्री का अभिलेख उपलब्ध के पास उपखण्डिय मण्डल द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर लेखांकन किया गया था। नियमों में दर्शाया कि अवशिष्ट सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि एसीओएस उपखण्डिय स्टोर्स द्वारा सामग्री के हटाने तैयार किसे गये जो एसीओएस द्वारा स्वीकार कर हुआ कि मण्डलपालों द्वारा उतासी गई सामग्री को सीओएस 24 में दर्ज नहीं किया गया था। बचतित एसीओएस के अधीन 21 उपखण्डिय मण्डलों पर अभिलेखों की समीक्षा से उजागर

नोट तैयार करना एवं अवशिष्ट के रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक था। माध्यम से संबंधित एसीओएस के पास जमा करवाया जाना चाहिए। एसीओएस द्वारा स्टोर प्राप्ति में शामिल करने की जरूरत है जबकि अनुपयोगी अवशिष्ट सामग्री को सामग्री के हटाने नोट के हलत में अथवा नहीं, सीओएस 24 में दर्ज किया जायेगा। उपयोगी सामग्री को सामग्री के बंध

### 2.24 स्टोर्स सैन्यअल में प्रावधान था कि विद्युत लाइनों से उतासी गई सामग्री को, बाह्य ठीक अवशिष्ट का निस्तारण

की जा चुकी है। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सामग्री की कमी के लिए एकआइडआर दर्ज केवल अभिलेख कायद के लिए जारी की गई थी। सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि सामग्री की मांग कार्यान्वयन की जा रही थी एवं सामग्री

सकी।

को ₹ 4.04 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी बीमा पॉलीसियों के अभाव में हानि की पूर्ति नहीं कर सके। उषणकालीय स्टेर्स पर चोरी एवं आगजनी के छह मामले उजागर हुए जिसके कारण कम्पनी बर्द्धत मामलों के उपरान्त भी उषणकालीय स्टेर्स का बीमा नहीं कराया गया। अभिलेखों की समीक्षा एवं आगजनी का जोखिम भी काफी अधिक है। तथापि, कम्पनी द्वारा चोरी एवं आगजनी के मुद्दों को रखा गया। अनर्जित भंडारण एवं दुर्घटना क्षेत्रों में स्टेर्स की स्थिति के कारण चोरी हमले देखा कि कम्पनी के उषणकालीय स्टेर्स द्वारा भी बड़ी मात्रा में सामग्री की चोरी एवं अवहिसार दावों निर्णय के लिए लम्बित थे।

स्वीकार किये गये, ₹ 53.34 लाख के 10 दावों का निराकरण किये गये, एवं ₹ 12.62 लाख के आठ किये गये। (2010-11)। मार्च 2017 को, बीमा कम्पनियों द्वारा ₹ 40.44 लाख के 14 दावों 2.25 कम्पनी द्वारा चोरी, आगजनी इत्यादि के विरुद्ध पेशीओपस पर सामग्री का बीमा शुरू

**स्टेर्स का बीमा**

के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। जा रूका है। प्रबंधन ने आगे बताया कि कम्पनी के कर्मचारियों को अवहिसार सामग्री के निस्तारण की पहचान करने एवं अवहिसार सामग्री के निस्तारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया शुरू की जा रही है। निकासी समा के दौरान कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि अनावश्यक लोडिंग/उत्पन्न हो गई। साथ ही, अधिष्ठाण अभियंता (आईएचएलएस) द्वारा पेशीओपस पर पड़ी हुई कर सकी जिसके परिणामतः पेशीओपस एवं उषणकालीय स्टेर्स पर खाली स्थान की समस्याएं अभिलेखीय मान लिये गये। कम्पनी वर्ष के दौरान सम्पूर्ण अवहिसार सामग्री की नीलामी नहीं करे। है। गैर कर्षणिक स्तर पर हुए विवरण दिसकॉम्पस (2010 तक निर्मित) की मरम्मत को बढ़ती जा रही थी। यह 2015-16 में ₹ 63.05 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 202.81 यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 तक निस्तारण के लिए अवहिसार सामग्री लगातार

अवहिसार सामग्री की प्रारम्भिक, प्रारिप्त एवं अंतिम मात्रा का मिलान नहीं किया गया।

(नोट: प्रारम्भिक एवं अंतिम बंधों का मिलान नहीं हो रहा है। आंकड़े कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।)

वर्ष	प्रारम्भिक	बंध के दौरान	प्रारिप्त	अवहिसार कुल	नीलाम किया गया अवहिसार	अन्तिम बंध	विक्रय किये गये अवहिसार से कुल	अवहिसार का प्रतिशत
2012-13	8.40	8.27	16.67	5.81	8.93	34.88		
2013-14	9.00	10.23	19.23	6.86	10.84	35.67		
2014-15	10.83	14.78	25.61	8.94	15.4	34.91		
2015-16	14.87	63.05	77.92	59.71	17.91	76.63		
2016-17	17.14	202.81	219.95	103.99	103.64	47.28		
योग		299.14		185.31				

(₹ करोड़ में)

था। 2012-17 के दौरान अवहिसार हुई सामग्री एवं चोरी की गई नीलामी का विवरण निम्नानुसार था:



जानी चाहिए।

- कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयावधियों पर आर्थिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा आर्थिक सत्यापन रिपोर्ट्स में पाई गई विसंगतियों पर सुधारामुक्त कार्रवाही की जानी चाहिए।
- कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयावधियों पर आर्थिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा आर्थिक सत्यापन रिपोर्ट्स में पाई गई विसंगतियों पर सुधारामुक्त कार्रवाही की जानी चाहिए।
- कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयावधियों पर आर्थिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा आर्थिक सत्यापन रिपोर्ट्स में पाई गई विसंगतियों पर सुधारामुक्त कार्रवाही की जानी चाहिए।
- कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयावधियों पर आर्थिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा आर्थिक सत्यापन रिपोर्ट्स में पाई गई विसंगतियों पर सुधारामुक्त कार्रवाही की जानी चाहिए।

- कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में आन्तरिक रूप दिया जाना चाहिए एवं निवेदन में उचित प्रमाणों की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। निवेदनों एवं अनुरोधों को प्रदान करने के लिए निर्धारित क्रियाविधियों का विवेकपूर्ण ढंग से अनुसरण आवश्यक है।
- कम्पनी का फिडेलिटी की आवश्यकताओं के अनुसरण प्रमाण को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की प्रक्रिया को धाराप्रवाह करना चाहिए।
- कम्पनी द्वारा राजस्थान लोक प्रमाण में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं उसके अधीन नियमों के अनुसरण क्रय मैन्युअल को पुनरीक्षण करना चाहिए।

सिफारिशें

गठन के मामले हैं।

थी आर्थिक सत्यापन की प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके कारण सामग्री की वही एवं पड़ी रही। सामग्री को जारी करने एवं लेखांकन से संबंधित उचित अभिलेख नहीं रखे गये सामग्री मूवमेंट विवरण नहीं किया गया था। इसके परिणामतः सामग्री स्टॉक पर निष्क्रिय स्तर निर्धारित नहीं किसे गये एवं सामग्री के कुशल प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावी सामग्री प्रबंध प्रणाली को नहीं अपनाया गया। सामग्री के महत्वपूर्ण उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री को स्वीकार करने को बढ़ावा दिया। कम्पनी द्वारा एक करने वाली सामग्री के क्रय, बिना आवश्यकता के सामग्री को समयपूर्व प्राप्ति तथा बिना को उजागर किया गया जिसने सामग्री के अभिलेखीय क्रय, विहित विवरणों की पूर्ति नहीं लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण एवं प्रमाण प्रणाली में कमियाँ

निष्कर्ष

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

संस्कार ने बताया कि सभी उपर्युक्त स्टॉक के बीमा के लिए एक प्रस्ताव निदेशक (तकनीकी) के पास विचारार्थीन था।



## अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप



माई 2016 तक, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत 153 सेवाओं को अधिसूचित कर चुकी थी। 153 सेवाओं में से पांच सेवाएं ऊर्जा विभाग से संबंधित हैं जिसमें नए कनेक्शन जारी करना, बिजली बिलों में सुधार, मीटर्स के प्रतिस्थापन, बिजली आपूर्ति में सुधार, एवं आधारभूत सुविधाओं पर आधारित सेवाओं की संपूर्ण स्थापना है। राज्य की तीन बिजली

के अनुसार नामित अधिकारी के वेतन से वसूली योग्य होगी। वह ₹ 500 से ₹ 5,000 के बीच एकमुहल वर्माना बना सकता है जो कि अधिनियम की धारा 7 अधिकारी सेवा प्रदान में विफल रहा या पथान तथा उचित कारणों के बिना देरी की, तो अपील भी दायर की जा सकती है। जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यह मानता है कि नामित के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील के फैसले की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर द्वितीय के अन्तर् प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी व्यक्ति आवेदन की अस्वीकृति अथवा निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो वह करने के लिए पात्र व्यक्ति को निर्दिष्ट समय में अधिसूचित सेवा प्रदान करेगा। अगर किसी आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011 की धारा 4 में निर्दिष्ट है कि पदनामित अधिकारी सेवा प्राप्त निर्देश/दिशानिर्देश/परिपत्र जारी करेगा है।

(एआरसीडी) आरजीडीपीएस अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभागों को क्रियाविधियों का प्रावधान है। राज्य सरकार का प्रावधान है। राज्य सरकार एवं समन्वय विभाग निम्न आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, 2011' (आरजीडीपीएस नियम, 2011) भी अधिसूचित किये गये (अक्टूबर 2011) (सितम्बर 2011)। राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011' (आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011) लागू किया निर्धारित अधिसूचित सेवाओं की संपूर्ण प्रदान करने के लिए 'राजस्थान लोक सेवाओं के राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने निर्धारित समय सीमाओं के भीतर राज्य के लोगों को

**करने की गारंटी अधिनियम, 2011 का क्रियान्वयन**

**3.1 उपरोक्तियों के बिजली के बिलों में सुधार-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान**

**जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं। राज्य सरकार की कमनियॉ एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए

**3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप**

वितरण कंपनियों द्वारा इस अधिनियम में निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि के भीतर इन सेवाओं की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

वर्तमान लेखापरीक्षा (दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक) यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या 'जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (कम्पनी) द्वारा इस अधिनियम में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में सुधार किया गया था। यह भी देखा गया था कि क्या कम्पनी ने आरजीडीपीएस अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के अनुसार अधिसूचित सेवाओं की सुपुर्दगी के बारे में उचित अभिलेखों को संधारित किया था एवं उपभोक्ताओं के बीच प्रचार एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा 2014-15 से 2016-17 (अक्टूबर 2016 तक) की अवधि के दौरान बिजली बिलों में सुधार के लिए कम्पनी के निष्पादन का विश्लेषण किया गया। सरकार के उत्तर (जुलाई 2017) को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को अन्तिम रूप दिया गया था।

कम्पनी का विद्युत वितरण नेटवर्क तीन जोन (जोधपुर, बीकानेर तथा बाड़मेर) में विभाजित किया गया है जो आगे 12 वृत्तों एवं वृत्तों के अन्तर्गत 155 उपखण्डों में विभाजित है। उपभोक्ताओं को लो टेंशन (एलटी) एवं हाईटेंशन (एचटी) श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही, कम्पनी ने एलटी उपभोक्ताओं को ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं में वर्गीकृत किया। मार्च 2016 तक कम्पनी के पास 1,586 एचटी उपभोक्ताओं सहित 33.12 लाख उपभोक्ता थे। हमने एचटी तथा एलटी उपभोक्ताओं से संबंधित बिलिंग शिकायतों के संशोधन में कम्पनी के निष्पादन का आकलन करने के लिए 12 वृत्तों में से पांच<sup>2</sup> वृत्तों (42 प्रतिशत) का चयन किया। नमूना चयन के लिए प्राथमिक आधार एचटी तथा एलटी उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या थी। सभी वृत्तों के भौगोलिक प्रतिनिधित्व को रखने के लिए प्रत्येक जोन से कम से कम एक वृत्त चुना गया था।

एचटी श्रेणी में निष्पादन की समीक्षा जोधपुर शहर तथा पाली वृत्तों में की गई। दोनों वृत्तों में कम्पनी के कुल एचटी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी<sup>3</sup> 37.64 प्रतिशत थी। शेष तीन वृत्तों में (चुरु, जोधपुर जिला वृत्त एवं बाड़मेर) एलटी श्रेणी में निष्पादन की समीक्षा की गई। एलटी उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने उपभोक्ताओं की अधिकतम संख्या के अनुसार प्रत्येक वृत्त से दो उपखण्डों का चयन किया। चयनित छह<sup>4</sup> उपखण्डों में मार्च 2016 तक कम्पनी के 1.64 लाख उपभोक्ता समाविष्ट थे।

### 3.1.1 बिजली के बिल को सुधारने के लिए अधिनियम के तहत अनुमत्त समयावधि

विद्युत बिलों से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों को हल करने के लिए अधिनियम के

2 जोधपुर शहर वृत्त, पाली, चुरु, जोधपुर जिला वृत्त एवं बाड़मेर।

3 जोधपुर शहर वृत्त (379 एचटी उपभोक्ता) और पाली वृत्त (218 एचटी उपभोक्ता)।

4 जोधपुर जिला वृत्त के अधीन बालेसर एवं मंडोर उपखण्ड; बाड़मेर वृत्त के अधीन सिवाना एवं चोहटन उपखण्ड; एवं चुरु वृत्त के अधीन चुरु एवं तारानगर उपखण्ड।

आरजीडीपीएस नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। इस प्रकार, उपर्युक्त निर्धारित अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में अधिनियम तथा उपर्युक्तों तथा एवटी विभिन्न अनुभाग के सहायक अभियंतों/लेखा अधिकारी ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि अधिक कार्य भार के कारण अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।

हमने देखा कि छह उपर्युक्त कार्यालयों तथा एवटी विभिन्न अनुभाग में से किसी भी नामित अधिकारियों/प्राधिकारियों के द्वारा अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2016 के दौरान बांछित रिकार्ड संधारित नहीं किया गया। यद्यपि, कम्पनी द्वारा उपर्युक्त कार्यालयों एवं एवटी विभिन्न अनुभाग को पावती रसीदें उपलब्ध कराई गई थी लेकिन नामित अधिकारियों/उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा इस अवधि के दौरान किसी भी आवेदक को शिकायत की पावती नहीं दी गई।

आरजीडीपीएस नियमों के नियम 17 के अनुसार नामित अधिकारी को फॉर्म-3 में एक रजिस्टर संधारित किया जाना आवश्यक था जिसमें आवेदक का नाम तथा पता, सेवा जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, निदिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि, स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदन, तथा पारित किये गये आदेश की तिथि एवं विवरण शामिल होना। नियम 17 के अनुसार प्रथम अपील प्राथिकारी, द्वितीय अपील प्राथिकारी तथा पुनरीक्षणप्राथिकारी द्वारा क्रमशः फॉर्म-4, फॉर्म-5 तथा फॉर्म-6 में मामलों के अभिलेख संधारित करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही, नियम 4 में निदिष्ट है कि नामित अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आवेदक को फॉर्म-1 में इसकी पावती देना तथा पावती पर इस सेवा को प्रदान करने की निदिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि का उल्लेख करना।

### 3.1.2 आवश्यक अभिलेखों/पंजीकृतियों के रख-रखाव का अभाव

शिकायत का प्रकार	अन्तर्गत निर्धारित समयवाधि
गलत बिल / अनिष्ट टैरिफ / बिजली बिल का प्राप्त नहीं होना/अप्याल समयावधि के बारे में शिकायत	<ul style="list-style-type: none"> <li>अगर शिकायत आहक द्वारा टेलीफोन अथवा व्यक्तिगतः की गई है, तो तीन घंटे के अन्दर।</li> <li>अगर शिकायत डाक द्वारा प्राप्त की जाती है तो सात दिनों के अन्दर।</li> </ul>
गाणीय रूटि या बिल के भुगतान के लिए अनुमत्त अप्याल समयावधि	<ul style="list-style-type: none"> <li>उसी दिन जिस पर शिकायत मिलती है।</li> <li>जिस दिन शिकायत डाक द्वारा प्राप्त हो चुकी है।</li> </ul>
बिजली बिल के संबंध में अन्य शिकायतें	<ul style="list-style-type: none"> <li>सात दिनों के अन्दर।</li> </ul>
अन्य शिकायतें (जहां मीटर की जांच सम्मिलित है)	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 दिनों में सत्यापन के बाद के 60 दिनों में सूधार किया जाना है।</li> </ul>
विद्युत बिल के संबंध में हाई टेंशन उपभोक्ता की शिकायत	<ul style="list-style-type: none"> <li>तीन दिन में।</li> </ul>

अन्तर्गत अनुमत्त समयवाधि नीचे उल्लिखित है।

- एक एक समीकित आंकड़े राज्य सरकार को सौंपित किया गया। यह भी बताया
- एम्सई (पीपीएचएएम) द्वारा भी प्राप्त की गई एवं एम्सई भी प्राप्त की गई सभी पांच प्रकार की शिक्षायात्राओं (पीपीएचएएम) को सभी पांच प्रकार की शिक्षायात्राओं के समीकित आंकड़े प्रस्तुत किये गए
- प्राप्त की गई एवं एम्सई शिक्षायात्रा की प्रकृति तथा उसके प्रकार को इंगित किये गिना

कि:

(पीपीएचएएम) द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदन को हमारी संवेष्टा से संवेष्टा हुआ है

जानल कयालया (पीपीएचएएम) को सभी गई पाक्षिक संवेष्टा एवं एम्सई

(पीपीएचएएम) द्वारा राज्य सरकार को गलत संवेष्टा प्रस्तुत करने को भी बर्खासा दिया।

एवं निपटरे के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं थी। इंसने एम्सई

यह इंगित करने है कि जानल कयालय द्वारा सभी गई संवेष्टा उपखण्डों द्वारा प्राप्त की गई

लिए संवेष्टा के संकलित किया तथा इंसने राज्य सरकार को भेज दिया।

एवं एम्सई (पीपीएचएएम) को भेज दिया गया। एम्सई (पीपीएचएएम) ने कम्पनी के

पर ही संवेष्टा को संकलित किया तथा संवेष्टित जानल कयालय को इसके पाक्षिक आंकड़े भेज

यहां तक कि वल कयालयों ने भी उपखण्डों से भिना किसी आगत के अपने स्तर

ही, एम्सई कयालयों द्वारा भी कोई संवेष्टा संकलित नहीं की गई तथा वल को नहीं भेजी गई।

कोई भी जानकारी को संकलित नहीं किया तथा एम्सई कयालयों को नहीं भेजा। इसके साथ

इंसने देखा कि वयनित उपखण्डों ने उपभोक्ता की शिक्षायात्रा एवं उनके निपटान के बारे में

कयालयों, एवं वल कयालय के माध्यम से प्रवाहित की जानी थी।

संवेष्टा प्रस्तुत करने आवश्यक था। जानल कयालय को दी जाने वाली संवेष्टा उपखण्डों, एम्सई

प्राप्त संवेष्टा को संकलित करना, तथा निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार को पाक्षिक रूप से

प्रवाधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को संपूर्ण की संपूर्ण की निगरानी करना, प्रत्येक जान से

एक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया (अक्टूबर 2012) जिसके द्वारा अधिनियम के

कम्पनी ने अधीक्षण अभियंता (एम्सई), परियोजना, नियोजन एवं निगरानी (पीपीएचएएम) को

2015)।

संपूर्ण की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया (जुलाई

2012)। एम्सई ने कम्पनी द्वारा राज्य के लोगों को समय पर अधिसूचित सेवाओं की

प्रारूप में पाक्षिक संवेष्टा प्रस्तुत करने के लिए संवेष्टित विभागों को आदेश जारी किये गये (मार्च

शिक्षायात्रा के निपटान तथा उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई अपीलों के संबंध में निर्धारित

राज्य सरकार के प्रशासनिक सूधार तथा समन्वय विभाग (एआरसीडी) द्वारा प्राप्त शिक्षायात्रा,

**3.1.3 राज्य सरकार को गलत संवेष्टा रिपोर्ट करना**

अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि निर्धारित अधिलेख संवेष्टा प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

गया था। इसके साथ ही, उपखण्डों तथा एचटी बिलिंग अर्जुमाग के सहस्रक अभियंताओं/लेखा

अधिलेखों को वयनित किसी भी उपखण्ड तथा एचटी बिलिंग अर्जुमाग द्वारा संवेष्टित नहीं किया

एचटी बिलिंग अर्जुमाग को अधिलेख कर दी गई थी। उल्लर सही नहीं था क्योंकि निर्धारित

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)



सत्यापित योग्य नहीं थी।  
कारण 10,367 शिक्षायात्रों में से 6,821 (66 प्रतिशत) के संघर्ष में शामिल समयावधि  
आवदन की प्राप्ति की तिथि से पहले की दशायी हुई थी। इसलिए, उचित डाटा के अभाव के  
अनुमान रजिस्टर' (सीसीएण्डएआर) में दशायी गई 141 शिक्षायात्रों के निपटान की तिथि  
निपटान की तिथि उपलब्ध नहीं थी। शेष 3,687 शिक्षायात्रों में से, उपभोक्ता प्रभार तथा  
लाभ अथवा उपभोक्ताओं द्वारा आवदन प्रस्तुत करने की लाक्षणिकता द्वारा कम्पनी द्वारा शिक्षायात्रा  
आवदनपत्रों/शिक्षायात्रों में से 6,680 (64 प्रतिशत) मामलों में आवदनों के प्राप्त होने की  
व्यतिरिक्त छः उपखण्डों पर संघारित की गई पत्रावलिओं में पाई गई हिलों से संबंधित 10,367  
उपलब्धता की सत्यापित नहीं किया जा सका।

रजिस्टर के संघारण के कारण पत्रावली में सभी आवदन पत्र/शिक्षायात्रों की  
पर पूर्णकारण नम्बर का आवदन अथवा पत्रावली में आवदन पत्रों से सहसंबंधित शिक्षायात्रा  
आवदन शामिल थे। तथापि, आवदन पत्रों का पूरा कमांक अथवा सर्वोपयुक्त अथवा आवदन पत्रों  
पत्रावली की संवीक्षा की जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यक्तिगत शिक्षायात्रों/  
परीक्षा नहीं किया जा सका। इसलिए, हमने उपखण्डों पर संघारित की गई शिक्षायात्रा/आवदन  
द्वारा विवादी हिलों के संघारित शिक्षायात्रों के निपटान में देरी की सीमा का विस्तार  
कॉम 3 में रजिस्टर, पत्रावली रसीदों तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेख/डाटा के अभाव में, लेखापरीक्षा

### 3.1.4 शिक्षायात्रों के निवारण में विलंब

उत्तर में शिक्षायात्रों के निवारण में देरी के तथ्य की स्वीकार किया।  
का एक भी मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया लेकिन कम्पनी ने आगामी अनुच्छेद में अपने  
भी देखा गया कि अधिनियम के लागू होने के बाद एचई (पीपीएण्डएएम) द्वारा यहाँ तक कि देरी  
भी स्वीकार किया गया कि अधिक कार्य भार के कारण अभिलेख संघारित नहीं किये गये थे। यह  
किया गया तथा वृत्त कार्यालयों को भी कोई सूचना नहीं भेजी गई। सहसंबंधित अभिलेखों द्वारा  
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपखण्ड एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा सूचना को संकलित नहीं  
लिए फील्ड कार्यालयों तथा ग्राहक सेवा केंद्र को भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

जा चुके हैं। आरजीडीपीएस अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार सूचना का संकलन करने के  
करता है। सभी पाठ्य प्रसारण की शिक्षायात्रों की सूचना समकित करने के लिए निर्देश जारी किये  
गये थे। एचई (पीपीएण्डएएम) ग्राहक सेवा केन्द्र के साथ साथ वृत्त कार्यालयों से सूचना एकत्र  
कराने का एक तंत्र विद्यमान है एवं इसलिए यह सहसंबंधित नहीं था कि अभिलेख संघारित नहीं किये  
सरकार ने बताया कि केन्द्रीय ग्राहक सेवा केंद्र एवं 33 केवी जीएसएस पर शिक्षायात्रों को दर्ज  
करने के लिए एआरसीडी द्वारा कोई निर्देश/सूझाव जारी नहीं किये गये।

सुपुर्दगी की निगरानी करने में विकल रही क्योंकि विधायित प्रारूपों में जानकारी को प्रस्तुत नहीं  
निर्धारित प्रारूपों में नहीं थी। राज्य सरकार भी अधिनियमानुसार कम्पनी द्वारा सेवाओं की  
राज्य सरकार को गत सूचना प्रदान की गई। इसके साथ ही, सूचित की गई जानकारी  
अनुसार उपभोक्ताओं की सुपुर्दगी की निगरानी करने में विकल रहे। कम्पनी द्वारा  
इस प्रकार, खण्ड उत्तर से एचई (पीपीएण्डएएम) तक सभी प्राथिकारी, अधिनियम के प्राधान्यों के

गया कि सभी शिक्षायात्रों का निवारण इस अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्दर किया  
गया तथा यहाँ तक कि अधिनियम के लागू होने के बाद देरी का एक भी मामला नहीं था।

गया।

रिपोर्ट लाकर देने एवं इसे संबंधित कनिष्ठ अभियंता से सत्यापित करवाकर देने के लिए कहा गया।

### 3.1.6 शिकायतों को स्वीकार नहीं करना

उच्चाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक थी एवं इसलिए परिवर्तनों के निवारण में देरी हुई। कर्मचारियों की भर्ती की गयी थी। आगे यह भी बताया कि प्रत्येक मामले में संबंधित सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं परिवर्तनों के निवारण में देरी का कारण

निर्धारित अवधि के विपरीत चार दिन एवं 135 दिनों के बीच की देरी के साथ हल किया गया। शिकायतें प्राप्त हुईं। हमने देखा कि 43 में से 41 शिकायतें (95 प्रतिशत) को तीन दिनों की कम्पनी की अर्बल 2014 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान हिलों से संबंधित 43 दी चयनित वर्तों में एचटी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पत्रावलिओं की जांच में खोला हुआ कि

### 3.1.5 एचटी बिलिंग में त्रुटियाँ

में कोई संशोधन प्राप्त हुई तब दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अधिकारियों को सलाह दी जा रही है तथा, यदि, शिकायतों के समाधान करने में देरी के संबंध निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड फील्ड कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा था। साथ ही, अधिनियम में फील्ड कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण थी। कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि बिलिंग संबंधी शिकायतों के निवारण में देरी

निर्धारित समयवधि में सेवाओं की संपूर्णता प्राप्त करना लोकाधिकार था। निगरानी के अभाव में अधिनियम के लागू किये जाने के उद्देश्य को विफल किया जबकि हल करने में समय सीमा का पालन करने में कम्पनी की विफलता तथा राज्य सरकार द्वारा सभी शिकायतों के समाधान करने के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया था। शिकायतों को हल करने में विफल रही। एचटी (पीपीएलएचएम) ने अधिनियम में निर्दिष्ट समयवधि के अन्दर हल करने में देरी।

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को 16.65 लाख शिकायतों के निपटान में विंबल का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया (अधिनियम के लागू होने के बाद से 31 अक्टूबर 2016 तक संपूर्ण कम्पनी के लिए)। तथापि, चयनित एचटीओएल में, 90 प्रतिशत शिकायतों का निवारण एक दिन से 233 दिनों के बीच की देरी के साथ किया गया था।

(13 प्रतिशत) में देरी 30 दिनों से अधिक की थी। समयवधि के विरुद्ध एक दिन से 233 दिनों की सीमा तक देरी की गई थी। 420 मामलों में देरी थी। इन शिकायतों के सूधार के लिए अधिनियम में अनुमत्त एक दिन की निर्दिष्ट का उल्लंघन किया गया था, हमने पाया कि 3,184 (90 प्रतिशत) शिकायतों के निपटान करने दोष 3,546 शिकायतों में जहां आवेदन की प्राप्ति की तिथि तथा शिकायत निपटान की तिथि



- 5 मण्डर, बालेसर, सिवान, चौहटन एवं तारानगर।  
 6 ए-49 रजिस्टर संख्या एवं उपभोक्ताओं को जारी किये गये विद्युत कनेक्शन को दर्शाता है। यह रजिस्टर कनेक्शन की तिथि एवं उपभोक्ता को जारी किये गये प्रथम बिल की तिथि भी दर्शाता है।

प्रथम बिल जारी करने में देरी सत्यापन योग्य नहीं थी।  
 त्रुटि उपर्युक्त द्वारा ए-49 रजिस्टर संधारित नहीं किया गया तथा इसे प्रकाश प्रथम बिल को समय पर जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।  
 उपभोक्ताओं ने बार-बार बिल जारी करने का अनुरोध किया लेकिन उपर्युक्तों ने उपभोक्ताओं से केवल 26 शिकायतों में देरी चार माह एवं 28 माह के मध्य पाई गई।  
 अवधि के विपरीत एक से 50 महीनों के मध्य थी। देरी के कुल 11,613 मामलों में से प्रथम बिल जारी करने में देरी हुई। देरी की समय सीमा 90 दिनों की निर्धारित जारी किये गये 32,481 एलटी कनेक्शनों में से 11,613 (35.75 प्रतिशत) मामलों में 2014 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान पांच घंटे घण्टा उपर्युक्तों में नये

विभागियों से मरी हुई थी जैसा कि नीचे बताया गया है।  
 बिलों के भुगतान के लिए अनुमत्त अपर्याप्त समयावधि तथा अनिश्चित प्रभार लगाने जैसी गलत मीटर पठन के कारण गलत बिलिंग, बिजली बिल का वितरण नहीं किया जाना, बिजली हमने देखा कि बिजली प्रणाली उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी नहीं करना, मीटर रीडर द्वारा

### 3.1.9 बिलिंग सिस्टम में त्रुटियाँ

के अधीन निर्धारित था।  
 ती संचालन प्रदर्शित करने के लिए संचालन पट्टे की भी स्थापित नहीं किये गये थे जैसा कि अधिनियम का प्रचार किया। हमने पाया कि प्रधान कार्यालय, चौहटन, त्रुटि तथा तारानगर उपर्युक्तों द्वारा ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों कदम नहीं उठाए। कम्पनी द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया तथा लिए उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास हमने देखा कि कम्पनी ने निरिष्ट समय के अन्दर अधिसूचित सेवाओं की संपूर्ण प्राप्ति करने के बर्ताना दिया जाना।

लोक प्रतिकारियों द्वारा सटीक जानकारी को समय पर एवं प्रभावशाली प्रचार द्वारा

- अधिसूचित सेवाओं तथा आवेदन पत्रों की समय-सीमाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में करना तथा स्वयं ऐसे कार्यक्रम करना

- कार्यक्रमों के विकास एवं संगठन में भाग लेने के लिए लोक प्रतिकारियों को प्रोत्साहित विकसित तथा व्यवस्थित करना
- परिकल्पित अधिकारों का प्रयोग कैसे करें इसके लिए अभियानों एवं कार्यक्रमों को जनता, विशेष रूप से वंचित समुदायों की समझ को आगे बढ़ाने, अधिनियम के तहत

थी:

आरजीडीपीएस नियमों के नियम 20(1) के अनुसार राज्य सरकार को निम्न बातें आवश्यक प्राधिकारी का पदनाम एवं पते को सम्मिलित किया गया था।  
 पदनाम एवं पता, पहली अधील के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा, तथा द्वितीय अधीन

शेष उपभोक्ताओं पर शहरी उपकर नहीं लगाया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सुधारनात्मक कदम उठाये जा चुके थे तथा उपभोक्ताओं से शहरी कर की वर्सूली अभी भी की जा रही थी (मार्च 2017)।

अर्थात् पर शहरी उपकर को सितंबर 2015 में हटा दिया गया। शेष मामलों में इन उपभोक्ताओं से शहरी उपकर वर्सूलना बंद नहीं किया गया। साथ उपभोक्ताओं के उपरुद्ध है, में 30 उपभोक्ताओं का स्थानांतरण किया। तथापि, मजोर उपरुद्ध द्वारा

कम्पनी ने अगस्त 2013 में सूर-सगर उपरुद्ध से मजोर उपरुद्ध जो कि ग्रामीण

कारण उपलब्ध कराने पर उपभोक्ताओं के निवेदन पर देय तिथि को बर्दा दिया जाता है।

सरकार ने बताया कि जब बिलों के वितरण में देरी हुई हो तब उपरुद्ध द्वारा सामान्यतः उचित समयावधि नहीं मिली।

इस प्रकार, इन मामलों में उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए निर्धारित

मामलों में बिल के मुद्रण की तारीख से पहले बिल जारी करने की तारीख का उल्लंघन

19 दिन) की अनुमति प्रदान करता है। अभिलेखों की जांच से पता चलता है कि कड़े

लिए इसको जारी करने की तिथि से 15 दिनों की समयावधि (पीएचडूडी के मामले में

विहित आपूर्ति के नियम तथा धारा 36 (1) बिल के मुताबिक 36 (1) बिल के मुताबिक

रहा है।

सूचित करने के लिए बिल जनरेट होने का एएसएमएस पंजीकृत मोबाइल नम्बरों पर भेजा जा

किया जा चुका है। साथ ही, देय तिथि, बिल की राशि इत्यादि के बारे में उपभोक्ताओं को

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कर्तव्य रसीद देने का प्रावधान

लिए उपरुद्धों से बिल जारी करवाना पड़ा।

कारणों का पता नहीं लगाया। इन उपभोक्ताओं द्वारा बकाया देयों का मुताबिक करने के

सूचित किया। तथापि, उपरुद्धों ने ठेकेदारों द्वारा बिलों की संपूर्णता नहीं दिये जाने के

अक्टूबर 2016 के दौरान 52,201 बिलों की संपूर्णता नहीं किये जाने के बारे में

उपभोक्ताओं की 188 शिकायतें थीं। इसने देखा कि ठेकेदारों ने अप्रैल 2014 से

व्यक्ति उपरुद्धों में हमने पाया कि बिजली बिलों को प्राप्त नहीं करने के संबंध में

पर बहुत सख्त है तथा दोषी मीटर रीडर के विकल्प कार्रवाही की जा रही थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी गलत मीटर पठन को रिपोर्ट करने

गया।

में उपभोक्ता के परिसरों में जाये बिना ही मीटर रीडरों द्वारा मीटर पठन दर्ज किया

शिकायतें मीटर रीडर गलत मीटर पठन लिये जाने से संबंधित थीं। 550 मामलों

• हमारे द्वारा की गई 10,367 आवेदन पत्रों की संवीक्षा में से 7,746 (74.72 प्रतिशत)

के बारे में

ठेकेदारों द्वारा किया जाते हैं, में देरी हुई थी। देरी को सही करने के लिए प्रयास शुरू किये जा

पनावितियों को प्रस्तुत करने के कारण कुछ स्थानों, विशेष रूप से बीपीएल कनेक्शन जो

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कनेक्शन करने के बाद एक साथ लॉट में

खानों पर नदिस बोई खण्डित करने एवं अभियानों को आयोजित करना चाहिए।  
 के अधिकार के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कम्पनी को महत्वपूर्ण  
 इसके साथ ही, निर्धारित समय के भीतर सेवाओं की संपूर्णता प्राप्त करने के उपभोक्ताओं

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।  
 के बारे में जागरूक करने के लिए पारदर्शिता प्रदान करना चाहिए एवं दोषी  
 पालना की जा सके। कम्पनी द्वारा भी अधिनियम के तहत अधिकारियों को उनके कर्तव्यों  
 चाहिए ताकि उपखर्ज, खर्ज एवं वृत्त कार्यालयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की  
 संपूर्णता को सुनिश्चित करने तथा बायीं की से इसकी निगरानी को सुनिश्चित किया जाना  
 कम्पनी को अधिनियम में निर्धारित एवं निरिष्ट समयावधि के अन्दर लोगों को सेवाओं की  
 जारी नहीं किए गए थे।

को प्रवृत्त नहीं करने पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा कोई आदेश/निर्देश  
 करने की निगरानी करने में विफल रही क्योंकि कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना  
 नहीं कर सकी। राज्य सरकार भी अधिनियमानुसार कम्पनी द्वारा सेवाओं की संपूर्णता  
 में निर्धारित समयावधि के अन्दर उपभोक्ताओं के विलंबित शिकायतों का समाधान भी  
 कम्पनी, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही तथा यह अधिनियम

### निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

जा रही थी।  
 समय पर वीपाल एवं कैम्प आयोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की  
 किया जा चुका है। साथ ही, ऊर्जा विभाग द्वारा दूरदर्शन, अखबार पर विज्ञापन तथा समय  
 सरकार ने बताया कि सेवाओं से संबंधित सभी सम्बद्ध सूचना को अब सूचना पट्ट पर प्रदर्शित

उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कम्पनी भी अपील दर्ज नहीं की।  
 वाले उपभोक्ताओं को अधीनस्थ प्राधिकारियों के बारे में भी जानकारी नहीं थी क्योंकि किसी भी  
 भी अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज नहीं करवाई गई। इसके साथ ही, शिकायत दर्ज करने  
 अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी तथा इसलिए, विलम्ब हुआ, विलम्ब हुआ के उपरांत  
 उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने

- 7 अन्य संबद्ध कार्यों में (!) 400/220 केवी, डीडवाना में 2 गुणा 3-15 एमवीए फ़ीड सब-स्टेशन के साथ 1 गुणा 100 एमवीए 220/132 केवी ट्रांसफार्मर एवं 1 गुणा 50 एमवीएआर, 400 केवी बस टाइप शॉट फ़िफ्टर की स्थापना तथा (!! ) 220 केवी संचालनार्थ-डीडवाना डबल सर्किट लाइन की संमिलित किया गया था।
- 8 वायुयुग्म विद्युत निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत विवरण निगम लिमिटेड तथा जीएचएन विद्युत निगम लिमिटेड।

टीएचपी द्वारा 16 दिसंबर 2013 को परियोजना द्वारा सीओडी के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा किया गया तथा टीएचए के नियमों एवं शर्तों के अनुसार डिस्कॉम्स से ट्रांसमिशन प्रभारों का दावा किया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा परियोजना के स्थापित होने की पुष्टि करने के लिए एक समिति का गठन किया गया (दिसंबर 2013)। समिति ने संचित किया (जनवरी 2014) कि परियोजना को पूर्ण तरह से स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना के एक अंश (400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन) को स्थापित/ चार्ज नहीं किया गया था। टीएचपी द्वारा स्पष्ट किया गया (जनवरी 2014) कि 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन को चार्ज कराना संभव नहीं था क्योंकि लाइन की समालोच का छोर अर्थात अजमेर जीएचएन को कम्पनी

टीएचपी द्वारा 16 दिसंबर 2013 को परियोजना द्वारा सीओडी के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा किया गया तथा टीएचए के नियमों एवं शर्तों के अनुसार डिस्कॉम्स से ट्रांसमिशन प्रभारों का दावा किया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा परियोजना के स्थापित होने की पुष्टि करने के लिए एक समिति का गठन किया गया (दिसंबर 2013)। समिति ने संचित किया (जनवरी 2014) कि परियोजना को पूर्ण तरह से स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना के एक अंश (400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन) को स्थापित/ चार्ज नहीं किया गया था। टीएचपी द्वारा स्पष्ट किया गया (जनवरी 2014) कि 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन को चार्ज कराना संभव नहीं था क्योंकि लाइन की समालोच का छोर अर्थात अजमेर जीएचएन को कम्पनी

टीएचए में बलाया गया था कि अंतर-संयोजन संधिधारकों के साथ संयोजन के 72 घंटे पहले 'व्यावसायिक उत्पादन तिथि' (सीओडी) घोषित किए जाने अथवा टीएचपी द्वारा चार्जिंग के लिए तैयार होने की घोषित तिथि के सात दिन बाद लेकिन यह ट्रांसमिशन प्रणाली कर्मियों के लिए एक घटक माना जाएगा। टीएचपी द्वारा यह भी बलाया गया कि एक बार परियोजना के किसी घटक को चार्ज करने की घोषित किया हुआ मान लिया जा चुका है तब परियोजना के ऐसे घटक के वास्तविक चार्जिंग तक ऐसे घटक को लक्ष्य उपलब्धि के समान उपलब्ध हुआ मान लिया जाएगा तथा इस सीमा तक ऐसे घटक के लिए लागू होने वाले मासिक ट्रांसमिशन प्रभार

टीएचपी द्वारा 16 दिसंबर 2013 को परियोजना द्वारा सीओडी के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा किया गया तथा टीएचए के नियमों एवं शर्तों के अनुसार डिस्कॉम्स से ट्रांसमिशन प्रभारों का दावा किया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा परियोजना के स्थापित होने की पुष्टि करने के लिए एक समिति का गठन किया गया (दिसंबर 2013)। समिति ने संचित किया (जनवरी 2014) कि परियोजना को पूर्ण तरह से स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना के एक अंश (400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन) को स्थापित/ चार्ज नहीं किया गया था। टीएचपी द्वारा स्पष्ट किया गया (जनवरी 2014) कि 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन को चार्ज कराना संभव नहीं था क्योंकि लाइन की समालोच का छोर अर्थात अजमेर जीएचएन को कम्पनी

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा 400 केवी फ़ीड सब-स्टेशन योजना (जीएचएन) डीडवाना के अन्तर्गत ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण के लिए माऊ ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लिमिटेड (ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता-टीएचपी) नाम का एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित किया गया (जून 2009)। इस ट्रांसमिशन प्रणाली में 400 केवी एकल सर्किट बीकानेर-डीडवाना लाइन, 400 केवी एकल सर्किट अजमेर-डीडवाना लाइन, तथा अन्य संबंधित कार्य शामिल थे। कम्पनी द्वारा एसपीवी की खरीद के लिए सकल बोलीदाता को आग्रह पत्र (एलओआई) जारी किया गया (30 सितंबर 2010)। ट्रांसमिशन सेवाओं की खरीद के लिए एक संयोजन के 72 घंटे पहले 'व्यावसायिक उत्पादन तिथि' (सीओडी) घोषित किए जाने अथवा टीएचपी द्वारा चार्जिंग के लिए तैयार होने की घोषित तिथि के सात दिन बाद लेकिन यह ट्रांसमिशन प्रणाली कर्मियों के लिए एक घटक माना जाएगा। टीएचपी द्वारा यह भी बलाया गया कि एक बार परियोजना के किसी घटक को चार्ज करने की घोषित किया हुआ मान लिया जा चुका है तब परियोजना के ऐसे घटक के वास्तविक चार्जिंग तक ऐसे घटक को लक्ष्य उपलब्धि के समान उपलब्ध हुआ मान लिया जाएगा तथा इस सीमा तक ऐसे घटक के लिए लागू होने वाले मासिक ट्रांसमिशन प्रभार

द्वारा जारी किये गये बिलों से ₹ 38.12 करोड़ वर्षान्त किया जा चुका था। प्रतिशत वर्षान्त किया गया। मार्च 2017 तक, डिस्कॉम्स द्वारा ट्रांसमिशन प्रसारों के लिए कम्पनी ट्रांसमिशन प्रसारों के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये बिलों से ट्रीपसी को देय राशि का 30 तथ्यादि, डिस्कॉम्स द्वारा 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन के अप्रयुक्त भाग के कारण (16 दिसंबर 2013 से बकाया सहित) का पूरा भुगतान शुरू किया गया (अगस्त 2015)। आरडूआरसी के दिशानिर्देशानुसार, डिस्कॉम्स द्वारा ट्रीपसी को मासिक ट्रांसमिशन प्रसारों

अजमेर से 400 केवी ट्रीपसी का निर्माण नहीं करना उसके नियंत्रण से बाहर था। निर्णय में यह भी बताया कि कम्पनी ने यह दिशान के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अजमेर-डीडवाना लाइन की मानी गई सीओडी को प्राप्त कर चुकी थी। आरडूआरसी ने अपने अनुसार ट्रीपसी को ट्रांसमिशन प्रसार चुकाने के लिए आदेशित किया क्योंकि यह 400 केवी ने अपने निर्णय में (जनवरी 2015) डिस्कॉम्स को 16 दिसंबर 2013 से ट्रीपसी की शर्तों के विपरीत मनमाने ढंग से देय प्रसारों के 70 प्रतिशत का भुगतान किया जा रहा था। आरडूआरसी अधील दर्ज करई (जुलाई 2014) एवं कहा कि डिस्कॉम्स द्वारा ट्रीपसी के प्रावधानों के ट्रीपसी ने इस मामले पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरडूआरसी) के पास एक चार्ज कम्पनी जून 2014 तक 400 केवी अजमेर ट्रीपसी को स्थापित नहीं कर सकी, उत्पन्न हुआ।

बिना मासिक ट्रांसमिशन प्रसारों के भुगतान के लिए डिस्कॉम्स पर दायित्व की स्थापित नहीं किये जाने के कारण 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन के पूर्ण उपयोग के तथा बिलों से शक्ति की कटौती भी की गई। निर्धारित समयवाहिके के अंदर अजमेर ट्रीपसी कम्पनी ने काम की धीमी प्रगति के लिए समय-समय पर ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए किये जा सकी (जनवरी 2017)।

ठेकेदार द्वारा काम की धीमी प्रगति इत्यादि विभिन्न मुद्दों के कारण ट्रीपसी स्थापित नहीं प्रस्तावित ट्रीपसी के उपर से गुजरने वाली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन को नहीं हटाना, प्रदान किया गया (फरवरी 2011)। तथ्यादि, कम्पनी द्वारा ठेकेदार को जमीन सौंपने में देरी, केवी ट्रीपसी के निर्माण का कार्य कम्पनी द्वारा ज्योति रूढ़कवर्ष लिमिटेड, मुंबई (ठेकेदार) को हमने देखा कि 24 महीने के अन्दर स्थापित करने की निर्धारित तिथि के साथ अजमेर से 400 पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

स्थापित करने में असफल होती है तो इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी तथा देय अवधि में समय भी निर्णय लिया गया कि अगर कम्पनी जून 2014 तक 400 केवी अजमेर ट्रीपसी को तक चूकाये जाने से जब कम्पनी द्वारा 400 केवी ट्रीपसी अजमेर स्थापित किया गया था। यह भुगतान करने का निश्चय किया। आनुपूर्विक आधार पर प्रसारों को जून 2014 या उससे पहले 2013 से ट्रीपसी को आनुपूर्विक मासिक ट्रांसमिशन प्रसारों (लगभग 70 प्रतिशत) को सम्पत्तियों से स्थापित की गई एवं प्रयुक्त की जा रही सम्पत्तियों के आधार पर 16 दिसंबर कम्पनी, डिस्कॉम्स तथा ट्रीपसी के मध्य आयोजित एक बैठक में (फरवरी 2014), कुल निम्नोक्त नहीं था।

द्वारा स्थापित नहीं किया गया था एवं लाइन को स्थापित करने में देरी के लिए ट्रीपसी



9 वेट निपटान में राख को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तथा राख की स्तरी को निपटान क्षेत्र में ले

लिए कोई वेट सिस्टम नहीं प्रयुक्त करने की दृष्टि से कोई जर्मनी नहीं लगाया जाना था। अथवा उत्पादन इकाई में अन्य समस्या के कारण कम होने पर तथा फ्लाई ऐश को छेप करने के करने के लिए दायी होगा। फ्लाई फ्लाई ऐश की मासिक उत्पादित मात्रा, वार्षिक उत्पादन बढ़ होने कमी के लिए विकासी मूल्य के साथ ₹ 150 प्रति एमटी पर गणना की गई शास्त्रि का भूगतान एवं इस तरह की कमी को वेट सिस्टम के माध्यम से निस्तारित किया गया, जो खरीदार इस कि खरीदार आर्वाटित मात्रा के मासिक औसत आधार पर फ्लाई ऐश को उठाने में विकल रहा अधिकार था। अर्नबध के लिए कार्यक्षेत्र एवं विशेष नियमों तथा शर्तों (भाग सी) में प्रावधान था में विकल रहा तो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सुरक्षा जमा राशि को जब करने का जमा कराना आवश्यक थी। यदि निविदादाता अर्नबध के अन्तर्गत किसी भी शर्तों का पालन करने फ्लाई ऐश की वार्षिक आर्वाटित मात्रा के एक महीने की मात्रा के मूल्य के बराबर सुरक्षा राशि समाप्तन के परिणामस्वरूप कोई दाय अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं थी। सकल निविदादाता द्वारा भूगतान में, यदि कोई ही, कोई यूक हू है तो अर्नबध समाप्ति के लिए दायी होगा। अर्नबध के खरीदार द्वारा सामग्री उठाने, उठाने के लिए फ्लाई ऐश के भूगतान तथा क्षतिपूर्ति के तथा नवंबर 2014)। अर्नबध के सामान्य नियम एवं शर्तों (भाग बी) में प्रावधान था कि अगर फ्लाई ऐश की विकासी के लिए निविदाएं (टीएन-2252 तथा 2281) आमन्त्रित की गई (अगस्त स्टेशन (एसएसटीपीएस) की इकाईयां से उत्पादित लगभग 12 लाख मीट्रिक टन (एमटी) फ्लाई ऐश राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा सूरतगाँव शर्मल पावर कम्पनी ने एक विशेष ठेकेदार को सूरतगाँव शर्मल पावर स्टेशन से बिना किसी समझौते एवं शर्तों के अनुसार सभी चार ठेकेदारों के विकल्प कायदाही नहीं की गई।

राशि जमा करने में असफल रहने के उपरान्त भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के नियम की। साथ ही, कम्पनी द्वारा, फ्लाई ऐश की आर्वाटित मात्रा को उठाने में तथा शास्त्रि की के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा करवाई फ्लाई ऐश को उठाने की अनुमति प्रदान कम्पनी ने एक विशेष ठेकेदार को सूरतगाँव शर्मल पावर स्टेशन से बिना किसी समझौते

3.3 शास्त्रि की बर्खास्त नहीं करना

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

राशि जमा करने में असफल रहने के उपरान्त भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के नियम की। साथ ही, कम्पनी द्वारा, फ्लाई ऐश की आर्वाटित मात्रा को उठाने में तथा शास्त्रि की के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा करवाई फ्लाई ऐश को उठाने की अनुमति प्रदान कम्पनी ने एक विशेष ठेकेदार को सूरतगाँव शर्मल पावर स्टेशन से बिना किसी समझौते

अक्टूबर 2016 तक ₹ 5.63 करोड़ की शक्ति होने के उपरान्त भी कम्पनी द्वारा निविदा तथा एलओए के नियम एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। अक्टूबर

मात्रा को उठाने में विफल रहे थे।  
 किसी भी ठेकेदार ने किसी भी महीने के लिए जमाना राशि जमा नहीं कराई जिससे वे आर्वाहित  
 लिए शक्ति की गणना की तथा इसे जमा कराने के लिए ठेकेदारों को भी सूचित किया। तथापि,  
 का निपटान किया गया। कम्पनी ने मासिक आधार पर आर्वाहित मात्रा को उठाने में हुई कमी के  
 2015 से अक्टूबर 2016 के दौरान वेट सिस्टम के माध्यम से 1.77 लाख एमटी फ्लाई ऐश  
 हमने देखा कि ठेकेदारों द्वारा आर्वाहित मात्रा को उठाने के कारण कम्पनी द्वारा अगस्त  
 गई।

से 21 महीने में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश की सम्पूर्ण आर्वाहित मात्रा नहीं उठाई  
 कमी श्री सीमेंट लिमिटेड से संबंधित थी। कुल 23 महीनों (जनवरी 2015 से नवंबर 2016) में  
 में आर्वाहित मात्रा को मासिक आधार पर उठाने में विफल रहे। फ्लाई ऐश उठाने में सर्वाधिक  
 रजुलासा हुआ कि सभी वारों ठेकेदार जनवरी 2015 से नवंबर 2016 के दौरान विभिन्न महीनों  
 साथ ही, ठेकेदारों द्वारा उठाए गई फ्लाई ऐश की मात्रा से संबंधित अभिलेखों की जांच में  
 समझौते का निष्पादन किसे तथा सुरक्षा जमा राशि के फ्लाई ऐश उठाने की अनुमति दी गई।

राशि भी जमा नहीं कराई। तथापि, कम्पनी ने श्री सीमेंट लिमिटेड को एसएसटीपीएस से बिना  
 इंसान, एलओए एवं निविदाओं की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ₹ एक करोड़<sup>10</sup> की सुरक्षा जमा  
 निष्पादन नहीं किया जैसा एलओए के बावजूद-11 के अन्तर्गत आवश्यक था। इसके साथ ही,  
 हमने देखा (नवम्बर/दिसम्बर 2016) कि श्री सीमेंट लिमिटेड ने कम्पनी के साथ समझौते को  
 एक समझौता निष्पादन किया जाना था।

स्वीकृति-पत्रों के बावजूद-11 में प्राधान्य था कि ठेकेदारों द्वारा अनुबंध में देय शर्तों के लिए

क्रम का नाम	स्वीकृति-पत्र की तिथि	मात्रा (एमटी में)	दर प्रति एमटी (₹ में)
सिद्ध विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	11 नवंबर 2014	1,26,000	252
(टीएन 2252)			
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (टीएन 2281)	3 जनवरी 2015	2,20,000	160
जे.के. सीमेंट वर्क्स (टीएन 2281)	3 जनवरी 2015	1,04,000	160
श्री सीमेंट लिमिटेड (टीएन 2281)	3 जनवरी 2015	7,50,000	160

कम्पनी ने निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदाओं को अंतिम रूप दिया तथा डाई  
 फ्लाई ऐश की वृद्धि के लिए निम्नलिखित चार फर्मों को स्वीकृति-पत्र (एलओए) प्रदान किया।

हानि से संबंधित बाध्यता को संशोधित कर दिया था। जून 2006 में दिखे गये प्राने कार्यादेशों की समीक्षा (जनवरी 2017) में खोजा गया कि कम्पनी ने नए कार्यादेशों में मान्यता प्राप्त की गई थी। नए कार्यादेशों के विरुद्ध आपत्तियाँ जनवरी 2013 से शुरू हुई थी।

हानि की अनुमति दी। आपत्तियाँ प्राने (जून 2006) कार्यादेश के विरुद्ध दिसंबर 2012 तक 2013)। कम्पनी ने विद्युत स्टेशन पर प्राप्त वास्तविक वजन के आधार पर ठेकेदार को मान्यता देने/निकालने/प्रदान प्रकृत लिमिटेड (ठेकेदार) को कार्यादेश दिया (जून 2006 एवं जनवरी 2013)। कम्पनी की कर्तव्यपूर्णता पर एवं परामर्शदाताओं पर आपत्तियों के लिए आधुनिक काल की कम्पनी ने कारबाही का लक्ष्य पर कब्जे के बने/निकालने/प्रदान/धान एवं प्रकृत लिमिटेड है। कम्पनी के कारबाही कालकोलेशन पर कब्जे के बने/निकालने/प्रदान/धान एवं प्रकृत लिमिटेड (प्रेसिडेंसी) के कारबाही कालकोलेशन से कायला स्टेशन (केएसटीपीएस) एवं सूरतगाँव एवं कोटा सूरत शर्मल पावर स्टेशन (केएसटीपीएस) के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपने कोटा सूरत शर्मल पावर

**₹ 2.08 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।**

**कार्यादेशों में दोषपूर्ण बाध्यता के परिणामतः रेलवे रसीदें भार से अधिक मात्रा में हानियाँ की अनुमति करने पर सूरतगाँव एवं कोटा सूरत शर्मल पावर स्टेशन पर ठेकेदार को**

**3.4 कार्यादेशों में दोषपूर्ण बाध्यता के कारण अधिक भुगतान**

के लिए बाध्य नहीं कर सकी। जमा राशि के अभाव में कम्पनी फर्म पर आवंटित मात्रा को उठाने एवं शक्ति की वसूली करने दी, दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी समझौता निष्पादित नहीं किया गया। समझौते तथा सुरक्षा द्वारा बिना किसी समझौते तथा सुरक्षा जमा राशि जमा कराये फ्लॉइ ऐश को उठाना गया। साथ फ्लॉइ ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग का लक्ष्य रखा था। तथ्य यह कि श्री सीमेंट लिमिटेड (एसआईएफ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए था जिसने उपादित की गई तथ्य के से उपयोग में लाने की सुनिश्चित करना था तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ऐश को उठाने की अनुमति दी क्योंकि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य फ्लॉइ ऐश को एक उत्पादकीय सरकार ने बताया (मई 2017) कि कम्पनी ने समझौते के बिना श्री सीमेंट लिमिटेड को फ्लॉइ

तथा सुरक्षा जमा राशि के अभाव में शक्ति की वसूली की संभावनाएं बहुत कम हैं। शक्ति की राशि को बढ़ते जाने के लिए अनुमति किया। श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ समझौते कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों को स्वतंत्र में जालते हुए उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि के अधिपक्ष में

फर्म का नाम	उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि	शक्ति	उपलब्ध सुरक्षा जमा के विरुद्ध कमी
सिद्धि विनायक	0.38	0.47	0.09
सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड			
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड	0.40	0.10	-
जे.के.सीमेंट वर्क्स	0.32	0.26	-
श्री सीमेंट लिमिटेड	0.39	4.80	4.41
कुल	1.49	5.63	4.50

(₹ करोड़ में)

2016 तक शक्ति की राशि एवं उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि की स्थिति निम्नानुसार थी:

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि आरआर भार से अधिक मार्गार हातियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए भार से नियमित वृद्धि के द्वारा ठेकेदार द्वारा लोक नहीं किया गया कोयले के लिए भूमिगत की बंधावा दिया गया। इसके अतिरिक्त, नये कार्यादेश के वाक्यांश में परिवर्तन करने के लिए कार्यों को अमलस्थित नहीं किया गया था। कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश को शामिल करने के लिए मार्गार हातियों के कारणा संशोधन पर 2013 से सितंबर 2016 के दौरान आरआर भार से अधिक मार्गार हातियों के कारण संशोधन पर 2.08 करोड़ का अधिक भूगतान किया गया।

वाक्यांश निविदा की शर्तों के अनुसार था।  
 श्रमल स्टेशन पर प्राप्त किये गए वास्तविक भार पर भार मार्गार हातियों को अनुमत करने वाले जा सकता है। साथ ही, निविदादाताओं द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार उद्घरण की गई थी तथा आरआर भार से दर्शाये गये भार को हिसाब किये गये कोयले के अधिकतम भार के रूप में नहीं माना की गणना सकल भार में से खाली वेगन के भार को घटाने के बाद की गई थी। इसलिए, संशोधन नै बलाया (मई 2017) कि श्रमल पावर स्टेशन पर प्राप्त हुए कोयले के वास्तविक भार साहित्य था।

किंवा। कम्पनी को केवल आरआर भार की सीमा तक मार्गार हातियों का लाभ प्रदान करना प्राप्त किये गये कोयले के वास्तविक भार को 0.8 प्रतिशत से बढ़ाया तथा तदनुसार भूगतान अमलस्थलों की संख्या से सुलभा हाँ कि कम्पनी ने संशोधन पर संशोधन पर

आरआर भार को लिये मार्गार हातियों का प्रतिबंधित किया गया था।  
 पुराने कार्यादेश में नियम एवं शर्तों द्वारा इस पहलू पर विचार किया गया था एवं इससे संबंधित केवल ध्यान में रखते हुए लोडिंग बिंदु पर ठेकेदार द्वारा लोक की गई वास्तविक मात्रा को दर्शाया है। अनुमत नहीं किया जाना था। आरआर वजन नमी इत्यादि जैसे सभी विभिन्न मानदण्डों को विना प्रदान की कि कोयले के भार में वृद्धि का लाभ देलवे रसीद (आरआर) के वजन से अधिक लिये वास्तविक वजन पर ठेकेदार को 0.8 प्रतिशत लाभ की अनुमति इस तथ्य पर विचार कि संबंधित संशोधित नियम तथा शर्तों विवेकपूर्ण नहीं थी क्योंकि संबंधित वाक्यांश ने इसका के अनुसर नये कार्यादेश में मार्गार हातियों की घटा दिया। तथापि, मार्गार हातियों से हमने देखा कि कम्पनी ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ विनियम, 2009 के

आरआर रसीद तक भूगतान को सीमित करने का कोई संघर्ष उपलब्ध नहीं था।  
 बनेकिछिपेटेड कोल का वजन रेक से रेक आधार पर 0.80 प्रतिशत से बढ़ाया जायेगा।”  
 0.80 प्रतिशत मार्गार हातियों की अनुमति देगी। इस उद्देश्य के लिए, पावर स्टेशन पर प्राप्त “कम्पनी प्रत्येक पर पावर स्टेशनों पर प्राप्त बनेकिछिपेटेड कोल के वास्तविक वजन पर जनवरी 2013 में लिए गए नए कार्यादेश में शामिल संबंधित वाक्यांश में प्रवाधान था कि प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा लेकिन यह संबंधित रेक के रेलवे रसीद भार से अधिक नहीं होगा।”  
 की अनुमति देगी। इस उद्देश्य के लिए, पावर स्टेशनों पर प्राप्त साफ कोयले का वजन 1.5 वजन की गणना करते समय कम्पनी मासिक आधार पर अधिकतम 1.5 प्रतिशत मार्गार हातियों कार्यादेश में प्रवाधान था कि “रेक से रेक आधार पर प्राप्त बनेकिछिपेटेड कोल के वास्तविक

**राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड**

**3.5 जिला खनिज फाउण्डेशन एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए ग्राहकों से अंशदान की वसूली का अभाव**

कम्पनी द्वारा ग्राहकों से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट और जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के लिए वसूली बहुत देरी से शुरू की गई जिसके कारण कम से कम ₹ 14.54 करोड़ को वसूलने का अवसर गंवा दिया गया।

भारत सरकार (जीओआई) ने 27 मार्च 2015 की अधिसूचना के द्वारा 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) को संशोधन किया तथा नई धाराएं 9 बी एवं 9 सी जोड़ी गई। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संशोधन 12 जनवरी 2015 से लागू हुए माने गये। साथ ही, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संशोधन से जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना हुई।

धारा 9 बी	राज्य सरकारों द्वारा स्वनन संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की स्थापना की जानी थी। एक स्वनन पट्टे के धारक द्वारा रॉयल्टी के अतिरिक्त, ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई तक सीमित राशि का डीएमएफटी में योगदान करना था।
धारा 9 सी	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना की जानी थी तथा एक स्वनन पट्टे के धारक द्वारा रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान एनएमईटी में किया जाना था।
14 अगस्त 2015	जीओआई द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015 अधिसूचित किये गये (14 अगस्त 2015)।
16 सितम्बर 2015	जीओआई ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि डीएमएफटीज 12 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आए हुए माने जायेंगे।
17 सितम्बर 2015	जीओआई द्वारा खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउण्डेशन में अंशदान) नियम, 2015 अधिसूचित किये गये (17 सितम्बर 2015) जिनके द्वारा डीएमएफटी में अंशदान के लिए दरें निर्दिष्ट की गईं। नियमानुसार, 12 जनवरी 2015 अथवा इसके पश्चात प्रदान किये गये स्वनन पट्टों के धारकों को रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की दर पर डीएमएफटी में अंशदान करना आवश्यक था जबकि 12 जनवरी 2015 से पहले प्रदान किये गये स्वनन पट्टों के धारकों को रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर पर अंशदान करना आवश्यक था।

राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 अधिसूचित किये गये (31 मई 2016)। इन नियमों को 12 जनवरी 2015 से प्रभावी होना माना गया। जीओआर द्वारा भी राज्य के स्वनन प्रभावित जिलों में जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) स्थापित किये गये (9 जून 2016)।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) मुख्यतः रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइम स्टोन तथा लिग्नाइट खनिजों के स्वनन एवं विपणन में लगी हुई है। जनवरी 2017 को कम्पनी के पास सभी स्वनन पट्टे 12 जनवरी 2015 से पूर्व के प्रदान किये हुए थे तथा इस तरह इसे

12 जनवरी 2015 से प्रभावी रॉयल्टी के 30 प्रतिशत एवं रॉयल्टी के 2 प्रतिशत की दर से क्रमशः डीएमएफटीज एवं एनएमईटी को भुगतान करना आवश्यक था।

तथापि, कम्पनी ने 1 अप्रैल 2016 एवं 1 जून 2016 के बीच विभिन्न स्वनिजों के लिए ग्राहकों से डीएमएफटी तथा एनएमईटी के लिए अंशदान की वसूली शुरू<sup>11</sup> की। लिग्नाइट के संबंध में डीएमएफटी के पेटे अंशदान को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना (20 अक्टूबर 2015) के आधार पर ग्राहकों से वसूल नहीं किया गया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि अथवा स्वान एवं स्वनिज (जिला स्वनिज फाउंडेशन में अंशदान) नियम, 2015 लागू होने की तिथि जो भी बाद में हो, अंशदान की तिथि होगी। तथापि, एनएमईटी के भुगतान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अन्य स्वनिजों के बिलों में डीएमएफटी तथा एनएमईटी को लेवी करने में देरी के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।

डीएमएफटी तथा एनएमईटी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर कम्पनी द्वारा समय पर कार्य नहीं किया गया। अधिसूचनाएं क्रमशः 17 सितंबर 2015 तथा 14 अगस्त 2015 को जारी की गईं लेकिन कम्पनी ने 1 अप्रैल 2016 एवं 1 जून 2016 के मध्य विभिन्न स्वनिजों के लिए ग्राहकों से वसुलियां प्रारम्भ की। यदि कम्पनी ने अधिसूचनाओं पर समय पर कार्यवाही की होती तो यह अक्टूबर 2015 से डीएमएफटी तथा एनएमईटी के पेटे ग्राहकों से कम से कम ₹ 14.54 करोड़ वसूल कर लेती।

हमने देखा कि कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के लिए एनएमईटी के पेटे अपने स्वयं के कोषों से ₹ 1.14 करोड़ जमा कराये। तथापि, वर्ष 2015-16 के लिए डीएमएफटी के लिए कोई अंशदान नहीं दिया गया था (जनवरी 2017)।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि एनएमईटी तथा डीएमएफटी को भूतकालीन तिथि से लागू करने का मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन था। साथ ही, कम्पनी द्वारा कानूनी राय के आधार पर इन ट्रस्टों के गठन की तारीख से डीएमएफटी तथा एनएमईटी में अंशदान का प्रारम्भ किया जा चुका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के जारी होने के उपरांत भी कम्पनी द्वारा डीएमएफटी तथा एनएमईटी के लिए अंशदान वसूल नहीं किया गया।

---

11 रॉक फॉस्फेट (1 मई 2016), जिप्सम (1 जून 2016), लाइमस्टोन (1 अप्रैल 2016) तथा लिग्नाइट (1 अप्रैल 2016)।

- 12 एक उत्पाद जिसमें 18 से 20 प्रतिशत रॉक फॉस्फेट (पी2ओ5) शामिल है। सामग्री मुख्य रूप से किसानी द्वारा अस्थायी मिट्टी में सीधे उर्वरक के रूप में उपयोग में लाई जाती है।
- 13 माप लीन, बैरिंग एवं सिलिंडर सहित प्रति एमटी दर: प्रथम वर्ष (₹ 470); 2 से 6 वें वर्ष (₹ 551); सातवें एवं आठवें वर्ष (₹ 591); तथा नौवें एवं दसवें वर्ष (₹ 621)।
- 14 उच्च घनत्व फॉस्फोलीन बैंग।

का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

ठेकेदार ने निष्पादन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया तथा 16 मई 2015 से राजकोस

प्रतिशत के आधार पर क्षतिपूर्ति वसूल करने की इकट्ठा थी।

में असफल रहने की दशा में कम्पनी **वित्तिक** आधार पर कमी के लिए लागू दर के 50

• ठेकेदार द्वारा स्वयं के कारण प्रति वर्ष एक लाख एमटी की देर-देर-क्षमता हासिल करने

क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी तथा

होने की दशा में, लागू दर के 50 प्रतिशत दर पर कमी के लिए **मालिक** आधार पर

करना अनिवार्य था। कम्पनी स्वयं के कारण मालिक उत्पादन 5,000 एमटी से कम

क्षमता के 60 प्रतिशत (60,000 टन प्रति वर्ष) के लिए कम्पनी के द्वारा भुगतान

• प्रति माह 5,000 एमटी की दर से राजकोस का औसत उत्पादन मानवें हुए देर-देर

भुगतान/ वसूली का निर्धारण कार्यादेश में निम्न प्रकार था:

साथ ही, कम्पनी/ ठेकेदार के कारण कम्पनी के कारण क्षतिपूर्ति का क्रमशः

के उपयोग करने का निर्णय प्रचलन में आया।

एवढीपीई बैंग का उपयोग करने की प्रचलित प्रथा के स्थान पर वल्व प्रकार के एवढीपीई बैंग

के स्थानी एवढीपीई बैंग उपलब्ध कराते थे। भीतर की तरफ लेमीनेशन के साथ खूले मुँह वाले

ड्रम से जमाने के लिए पर्याप्त जगह तथा अधिकतम खूदरा मूल्य मूर्धित किये हुए वल्व प्रकार

आवश्यक था। कम्पनी को ग्राइडिंग इकाई की स्थापना एवं राजकोस के धैके बैंगों को सही

दर<sup>13</sup> पर अन्दर से परतदार वल्व टाइप एवढीपीई<sup>14</sup> बैंगों में राजकोस को भरा जाना

कार्यादेश की धारानुसार ठेकेदार द्वारा रॉक फॉस्फेट को पीसना एवं कार्यादेश में उल्लिखित

दिया गया था।

कार्यादेश 10 साल की अवधि के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा रखरखाव के आधार पर

केमिकल ग्राइंडर लिमिटेड (ठेकेदार) को कार्यादेश प्रदान किया गया (सितंबर 2013)।

डिजाइनिंग, स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव के लिए आर. के. धामाई मिनेरल्स एण्ड

एक लाख मीट्रिक टन (एमटी) प्रति वर्ष की क्षमता वाली एके राजकोस<sup>12</sup> पिखाई इकाई की

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) के द्वारा अपनी डामरकोर्टा खान पर

ठेकेदार को ₹ 78.86 लाख की क्षतिपूर्ति के भुगतान का बंधना मिला।

विना कम्पनी द्वारा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया। इससे

अव्यवस्थित वास्तुओं का समाहित किया गया जिसने वसूली की किस्ती सम्भावनाओं के

उत्पादन में कमी के लिए भुगतान/ क्षतिपूर्ति के संबंध में कम्पनी द्वारा कार्यादेश में

एवं क्षतिपूर्ति का अनिवार्य भुगतान।

3.6 कार्यादेश में अव्यवस्थित वास्तुओं के कारण राजकोस की उत्पादन लागत बढ़ी

15	2009-10 (79,600 एमटी), 2010-11 (74,923 एमटी), 2011-12 (33,592 एमटी), 2012-13 (82,707 एमटी), 2013-14 (76,026 एमटी), 2014-15 (78,402 एमटी) एवं 2015-16 (53,139 एमटी)।
16	2009-10 (82,707 एमटी), 2010-11 (68,955 एमटी), 2011-12 (30,976 एमटी), 2012-13 (1,595 एमटी), 2013-14 (76,201 एमटी), 2014-15 (78,250 एमटी) एवं 2015-16 (62,698 एमटी)।

ठेकेदार ने उत्पादन में कमी के लिए कम्पनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के कारणों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं करने का संश्लेषित किया गया था। ठेकेदार ने इन कारणों के लिए परामर्शदाता<sup>17</sup> के स्टेटिमेंट में देरी एवं राजकोष के धक किये गये बौगों को सही ढंग से जमाने का कारणों को निम्नोक्त उद्देश्यों के लिए प्रकृत एवं प्रकृत विवरणों के लिए उल्लेख नहीं करने, बौग पर ठेकेदार ने उत्पादन में कमी के लिए कम्पनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के लिए 5,000 एमटी के मध्य थी।

के मुकाबले वार्षिक उत्पादन केवल 22,425 एमटी था। लक्ष्य में मासिक कमी 460 एमटी उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इन 11 महीनों में 55,000 एमटी के लक्षित उत्पादन से 31 मार्च 2017 के दौरान 22 महीनों में से 11 महीनों में 5,000 एमटी प्रति माह के अतिरिक्त की संवीक्षा (जनवरी एवं जून 2017) से खर्चा हुआ है कि ठेकेदार 16 मई 2015

संबंध में एक अनिश्चित वाक्यांश को समाहित करके अपने वित्तीय विवरणों को खराब में डाला। लिए निर्दिष्टित किया जा चुका था (अप्रैल 2017)। लक्ष्य यही रहा कि कम्पनी ने क्षतिपूर्ति के विवरण को कम करने के लिए 5,000 एमटी तक मासिक उत्पादन को प्रतिबंधित करने के पड़ना था। कम्पनी ने आगे बताया कि अब ठेकेदार को उत्पादन एवं उसे देय क्षतिपूर्ति में मर्यादित पूर्ण निवेश कर रहा था एवं परिवर्तन रखने के लिए इसे मासिक मूलान करना करने के लिए ठेकेदार को क्षतिपूर्ति का प्रावधान मासिक आधार पर रखना गया था क्योंकि इसने कम्पनी ने बताया (सितंबर 2017) कि नियमित नकद प्रवाह के लिए ठेकेदार को आवश्यक

नहीं रखना गया था।

के लिए में डाले गये वाक्यांशों की रचना करने से पहले राजकोष की कमजोर मांग को ध्यान में लक्षण एमटी) 10 महीनों में उत्पादित किया जा सका इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि ठेकेदार माह थी। वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी द्वारा हासिल किया गया अधिकतम उत्पादन (0.83 लक्ष्य हासिल कर सकता था क्योंकि संयंत्र की औसत कार्यक्षमता 8,333 एमटी प्रति आधार पर मापा जाना था। इसके विपरीत, ठेकेदार आसानी से 5,000 एमटी प्रति माह का के कारण आवंटित मात्रा को उत्पादित करने में असफल रहा है। क्योंकि दक्षता को वार्षिक धेदा हुई जहां कम्पनी कुछ महीनों में क्षतिपूर्ति की बर्खाशी नहीं कर सकी भले ही ठेकेदार स्वयं जारी करने की स्थिति में नहीं थी। मात्रा एवं आपूर्ति आदेशों के अभाव के कारण एक ऐसी स्थिति कि कम्पनी एक लाख एमटी प्रति वर्ष की रेटेड क्षमता तक राजकोष के उत्पादन के लिए निर्देश वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोष की कोई बिक्री नहीं हुई थी। मात्रा के अभाव ने इतिहास किया उत्पादन के विकृत वार्षिक उत्पादन<sup>16</sup> 0.02 लाख एमटी एवं 0.83 लाख एमटी के मध्य था। लाख एमटी एवं 0.80 लाख एमटी के मध्य थी जबकि एक लाख एमटी प्रति वर्ष लक्षित क्षतिपूर्ति बर्खाशी करने की इकतार थी। वर्ष 2009-16 के दौरान, राजकोष की बिक्री<sup>15</sup> 0.34 सकता था जबकि कम्पनी ठेकेदार के कारण रेटेड क्षमता में कमी के लिए वार्षिक आधार पर ठेकेदार मासिक आधार पर 5,000 एमटी से नीचे उत्पादन के लिए क्षतिपूर्ति की बर्खाशी कर डमने देना कि क्षतिपूर्ति वाक्यांश ने कम्पनी के वित्तीय विवरणों को खराब नहीं की। इस प्रकार

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सांख्यिकीय क्षेत्र के उपक्रम)



18 खोल पर कर की कटौती सहित: ₹ 20.62 लाख (सितंबर 2016); ₹ 23.37 लाख (नवंबर 2016); ₹ 21.09 लाख (दिसंबर 2016), ₹ 13.78 लाख दिसम्बर 2016- जनवरी 2017 माह के लिए (गणना किये गए आंकड़े)।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2017) कि इस प्रकार के बैंगों के लिए उचित प्रतिक्रिया वाली निविदाएं प्राप्त नहीं हुईं तथा ये बैंग आपन टाइप बैंगों की तुलना में महंगे भी थे। कम्पनी का उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप की पुष्टि करता है कि इन बैंगों की लागत एवं उपलब्धता के संबंध में उचित बाजार सर्वेक्षण के बिना कम्पनी द्वारा नये प्रकार के बैंगों को प्रयुक्त करने की परिकल्पना की गई थी।

से बढ़ गई।  
स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2017)। इससे राजकोष के उत्पादन की लागत ₹ 25.83 प्रति एमटी निम्नदायी तब कि एक विना ठेकेदार के अतिरिक्त नियम तथा शर्तों पर संयंत्र के संचालन के लिए भी विचारपूर्वक व्यवस्था की थी। तथापि, इसने, इस अवैतनिक वाक्यांश को शामिल करने की संकायनिदेश में अवैतनिक वाक्यांश को शामिल करने के लिए कम्पनी के संचालक मण्डल ने बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना वान्त प्रकार के एचडीपीई बैंगों की आपूर्ति के संबंध में शोधन के लिए ₹ 5.27 लाख का एकमुहल भुगतान।

- स्थल में एचडीपीई बैंगों को प्रयुक्त करने के उपयुक्त बनाने के लिए संयंत्र के एमटी की एक निश्चित दर पर धारी की लागत तथा
- 10 वर्ष की संपूर्ण अर्जुबंद अवधि के लिए स्वयं के लिए स्थापित ₹ 12.72 प्रति एमटी न्यूनतम मजदूरी पर आधारित बर्तवरी/ घटवरी के साथ ₹ 13.11 प्रति एमटी की दर पर श्रम प्रभारों के लिए भुगतान
- वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लेमीनेशन सहित एचडीपीई बैंगों को प्रयुक्त करने पर ठेकेदार सहमत हुआ जिसमें शामिल था:

एक की गई राजकोष के देर लेनाने के कारण जमा की कमी हुई।  
कराये जा सके। इसके साथ ही, आवश्यक भूमि से कम आर्बटन तथा कमजोर मांग के कारण होने के कारण राजकोष की स्वतः भरवाई के लिए वान्त प्रकार के एचडीपीई बैंग उपलब्ध नहीं होने देखा कि कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार बैंगों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं ठेकेदार को ₹ 78.86 लाख<sup>18</sup> की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

मासिक रूप से मांग उठाई। कम्पनी ने इन कार्यों को स्वीकार किया (मार्च 2016) तथा का हवाला देते हुए कम्पनी का उत्तरदायी बलाकर उत्पादन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए

## राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

### 3.7 टोल संग्रहण हेतु निविदाओं का प्रक्रियाकरण

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) निर्माण-संचालन-हस्तान्तरण (बीओटी)/ सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर राजमार्गों, पुलों एवं सड़क ओवर ब्रिज (आरओबी) इत्यादि का निर्माण करती है। कम्पनी, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यूजर फी (टोल) की लेवी के माध्यम से रियायत अवधि के दौरान निवेश की वसूली करती है। संभावित लागतों एवं अपेक्षित टोल राजस्व को ध्यान में रखते हुए रियायत अवधि निर्धारित की जाती है। परियोजना पर किए गए निवेश (प्रत्याय सहित) की वसूली के बाद परियोजना को राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया जाता है।

टोल संग्रहण की निविदाओं को प्रक्रियागत करने में रही कमियां 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन संख्या 4 (वाणिज्यिक), इसके पश्चात इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 के रूप में जाना जावे, के अनुच्छेद 3.6 में इंगित की गई थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान टोल संग्रहण निविदाओं के अंतिमीकरण में हुई देरी तथा टोल संग्रहण के लिए आमंत्रित निविदाओं के आरक्षित मूल्य के निर्धारण में कमियों पर प्रकाश डाला गया था।

राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा अनुच्छेद पर चर्चा की गई (जुलाई 2013)। चर्चा के दौरान, कोपू ने पाया कि टोल संग्रहण हेतु निविदाओं के प्रक्रियाकरण में प्रणालीगत कमियों के कारण निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी हुई। कोपू द्वारा टोल संग्रहण अवधि को दो से तीन वर्ष तक बढ़ाने के लिए वर्तमान वार्षिक निविदा प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए, भविष्य में विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से टोल संग्रहण नहीं कराने के लिए तथा उचित स्तर पर निर्णय लेने के पश्चात अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के बारे में इसे सूचित करने के लिए अनुशंसा की गई (सितंबर 2015)।

वर्तमान लेखापरीक्षा (दिसंबर 2016 से मार्च 2017) यह जानने के लिए की गई कि क्या कम्पनी ने समयबद्ध रूप से टोल संग्रहण निविदाओं को अन्तिम रूप दिया, निविदाओं के आरक्षित मूल्य तय करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित की गई, तथा कोपू की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा, वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान कम्पनी की टोल संग्रहण गतिविधि को समाहित करती है।

#### 3.7.1 टोल संग्रहण के लिए निविदाएं

31 मार्च 2017 को कम्पनी 25 बीओटी परियोजनाओं पर टोल संग्रहण कर रही थी। वर्ष 2011-16 के दौरान 25 बीओटी परियोजनाओं में से 23 बीओटी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया था जबकि शेष दो परियोजनाओं को पूर्व के वर्षों (2007-08 एवं 2009-10) में पूरा किया जा चुका था।

उच्चतर आरक्षित मूल्य के कारण निविदादाताओं की भागेदारी नहीं करने के कारण, आरक्षित मूल्य की तुलना में अपर्याप्त प्रस्तावों के कारण निविदाओं का निरस्तीकरण, एवं कुछ मामलों में

कम्पनी ने, तथापि, 14 महीनों की देरी के बाद इकाई कार्यालयों को इस बारे में निर्देश जारी किया (22 सितम्बर 2014)। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी ने कोर्प के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए वर्ष 2013-17 के दौरान अंतिम रूप दी गई 56 निविदाओं में से 21 निविदाओं (38 प्रतिशत) में चल रहे अर्जुबंधों की समाप्ति से चार महीने पहले निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की (अनुबंध 6)। परियोजना निर्देशक ने, इन मामलों में, चल रहे टोल संग्रहण अर्जुबंधों की समाप्ति से 32 से 94 दिन पूर्व टैलिक गणना प्रारम्भ की। निविदा प्रक्रिया शुरू करने में विलंब के चलते 12 निविदाओं के अतिमीकरण में देरी हुई जिनको वर्तमान में के लिए किया जा सकता है।

जा सका। साथ ही, हर साल निविदा से बचने के लिए टोल संग्रहण अवधि को दो से तीन साल शुरू करने का निर्देश दिया (जुलाई 2013) जिससे निविदाओं को समय पर अंतिम रूप दिया कोर्प ने भी कम्पनी को चालू अर्जुबंध की समाप्ति से कम से कम चार महीने पूर्व निविदा प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व नहीं किया जाये।

रहे अर्जुबंध के पूर्ण होने से पूर्व नयी निविदा को अंतिम रूप दे दिया जाये। इसीलिए कम्पनी के लिए समय पर निविदा प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य है ताकि चल बहाली के प्रस्ताव चल रहे अर्जुबंध को तीन महीने तक बर्ताने की कम्पनी को अर्जुमति प्रदान नहीं नये अर्जुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया गया है उन मामलों में देरी में 7.50 प्रतिशत की जाता है। टोल नीति 2012, चल रहे अर्जुबंध की समाप्ति से पहले अपवादरहित परिस्थितियों में निष्पादन करने जैसी निविदादाताओं द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करने को सम्मिलित किया अग्रिम किस्त राशि, उत्तरदायित्व बैंक जमा कराने एवं निविदादाता के साथ समझौते का आभारण, मूल्य निविदाओं को खोलना, निविदाओं का अतिमीकरण, सूचना जमा कराने, पर आरक्षित मूल्य का निधारण, संक्षम समिति द्वारा आरक्षित मूल्य का अनुमोदन, निविदाओं का द्वारा की जाने वाली टैलिक गणना के साथ शुरू होती है तथा इससे टैलिक गणना के आधार टोल संग्रहण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कम्पनी के परियोजना निर्देशक

### 3.7.2 निविदा प्रक्रिया शुरू करने में देरी

वर्ष	वर्ष के दौरान पूर्ण की गई बीओटी सड़कों की संख्या	अंतिम रूप दी गई निविदाओं की संख्या	संख्या	योग
2011-12	01	02	09	09
2012-13	06	07	10	16
2013-14	04	09	20	24
2014-15	08	18	37	45
2015-16	04	15	27	31
2016-17	00	14	35	35
2016-17	23	65	138	161

एवं एनआइटीएल को जारी करने की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2011-17 के दौरान पूर्ण की गई बीओटी परियोजनाओं, अंतिम रूप से बेयार निविदाओं लिए 138 बार 'निविदा आभारण सूचना' (एनआइटीएल) जारी करनी पड़ी। को इन 25 सड़कों पर निम्न-निम्न अवधि के लिए 65 टोल संग्रहण अर्जुबंधों को प्रदान करने के सफल निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावों को वापस लेने के कारण वर्ष 2011-16 के दौरान कम्पनी

जारी अनुबंध के समापन के पश्चात 11 से 75 दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया गया। निविदा प्रक्रिया शुरू करने में देरी के परिणामतः

- निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए निविदादाताओं को अपर्याप्त समय अवधि देना
- दो मामलों<sup>19</sup> में 7.5 प्रतिशत की दर को बढ़ाए बिना ठेकेदारों को अवधि में बढ़ोतरी अनुमत्त की जिससे ₹ 15.28 लाख का राजस्व नुकसान हुआ
- टोल नीति 2012 के उल्लंघन में पाली-नाडोल सड़क (सितंबर एवं दिसंबर 2013) पर ठेकेदार को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ोतरी अनुमत्त की
- ठेकेदारों की ओर से स्वतः ही दिये गये प्रस्तावों को स्वीकार करके तीन मामलों<sup>20</sup> में कम दरों पर लघु अवधि के टोल संग्रहण अनुबंधों को प्रदान करने से ₹ 7.13 लाख की हानि तथा
- निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण दो<sup>21</sup> मामलों में ₹ 1.35 करोड़ की हानि।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने एक वर्ष से अधिक के लिए टोल संग्रहण अनुबंधों को प्रदान करने के लिए कोपू के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया। वर्ष 2013-17 के दौरान, 56 में से 18 मामलों में इसने छः से 12 महिनों के बीच की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किये।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि टोल संग्रहण के लिए निविदाएं/ स्वतः प्रस्तावों को कम्पनी के हित में कार्यस्थल दशाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। तथापि, कोपू के निर्देशों की पालना नहीं करने के संबंध में इसने बताया कि नई निर्माण की जाने वाली सड़कों के संबंध में टोल संग्रहण के लिए प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए इस पूर्वानुमान के साथ निविदाएं आमंत्रित की गयी थी कि एक वर्ष के बाद ट्रैफिक में वृद्धि हो जायेगी। उत्तर में निविदा प्रक्रिया को देरी से शुरू करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही, यह भी देखा जा सकता है कि अनुच्छेद में इंगित किये गये 18 मामलों में से केवल आठ सड़कें नई बनवाई गई थी।

### 3.7.3 राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की अनुपालना का अभाव

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने लोक प्रापण प्रक्रिया में लोक विश्वास बढ़ाने के लिए निविदादाताओं से निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता एवं मितव्ययिता को बढ़ावा देने, तथा पारदर्शिता, जवाबदेही एवं विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ 'राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता, अधिनियम 2012' (आरटीपीपी अधिनियम 2012) अधिनियमित किया (मई 2012)। राज्य सरकार ने भी आरटीपीपी अधिनियम 2012 के तहत राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता नियम, 2013 (आरटीपीपी नियम 2013) अधिसूचित किये (जनवरी 2013)।

19 मेड़ता- रास रोड़ (अक्टूबर 2014) एवं जहाजपुर-माण्डलगढ़ रोड़ (अप्रैल 2014)।

20 मंगलवाड-निम्बाहेड़ा रोड़ (सितंबर 2016), फतेहनगर-दरिबा रोड़ (सितंबर 2016) एवं सलूमबर-कीर की चौकी रोड़ (सितंबर 2016)।

21 (i) 28 दिसम्बर 2016 से 24 फरवरी 2017 के दौरान मेड़ता-रास (₹ 0.36 करोड़) एवं (ii) 9 मई 2014 से 22 जुलाई 2014 के दौरान हनुमानगढ़-सुरतगढ़ (₹ 0.99 करोड़)।

आरटीपीपी नियम 2013 का नियम 43, ₹ 50 लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के मामले में निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए 'निविदा आमंत्रण सूचना' (एनआईटी) के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समयावधि प्रदान करता है।

हमने देखा कि 2011-17 के दौरान कम्पनी ने टोल संग्रहण के लिए 138 एनआईटीज में से 89 एनआईटीज (64.49 प्रतिशत) में नियम का उल्लंघन किया तथा निविदादाताओं को नियम में निर्धारित 30 दिनों के स्थान पर निविदाओं को जमा करने के लिए 9 से 26 दिनों के बीच की समयावधि की अनुमति दी गई। 89 एनआईटीज में निविदाएं जमा करने के लिए निविदादाताओं को दी गई समयावधि नीचे दी गई है।

निविदाओं को जमा करने के लिए अनुमत्त समयावधि (दिनों में)	9 से 15	16 से 22	23 से 26
एनआईटीज की संख्या	54	31	4

12 परियोजनाओं में निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की निर्धारित अवधि की अनुमति नहीं देने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, अन्य मामलों में अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि अल्पावधियों को अनुमत्त करने के मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया शुरू करने में देरी, आरक्षित मूल्य के निर्धारण में देरी एवं पुनः आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के अंतिमीकरण नहीं किये जाने थे।

**केस स्टडी: किशनगढ़ बास-खैरथल-बानसुर-कोटपूतली सड़क**

कम्पनी ने सड़क के उच्च मूल्य निविदा के लिए दो साल की अवधि के लिए ₹ 13.83 करोड़ के आरक्षित मूल्य के साथ निविदाओं को जमा करने के लिए केवल 15 दिनों की समयावधि अनुमत्त की (7 अक्टूबर 2016)। कम्पनी के पास निविदा के अंतिमीकरण के लिए पर्याप्त समय था यदि इसने निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समयावधि अनुमत्त कर दी होती क्योंकि वर्तमान में चल रहा अनुबंध 26 दिसंबर 2016 को समाप्त हो रहा था। निविदा को वर्तमान में चल रहे अनुबंध की समाप्ति से डेढ़ महीने पहले ₹ 16.17 करोड़ में दो साल के लिए अंतिम रूप दिया गया (7 नवंबर 2016)। इस प्रकार, निविदादाताओं को 30 दिनों की अवधि में निविदाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देकर कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए अल्पावधि प्रदान करके आरटीपीपी अधिनियम 2012 के उल्लंघन का कार्य किया।

सरकार ने बताया कि अप्रत्याशित स्थितियों में प्रापण संस्था, कारणों को अभिलेखित करने के बाद, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 43 (7) में विनिर्दिष्ट अवधि की आधी अवधि तक निविदाओं को जमा करने के लिए घटा सकती है। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि निविदा समय में कमी के कारणों को अभिलेखित नहीं किया गया था। कम्पनी ने अधिकांश (64 प्रतिशत) मामलों में बिना कोई कारण बताये निविदा की अवधि को कम किया।

**3.7.4 आरक्षित मूल्य का निर्धारण**

कम्पनी द्वारा बनाई गई टोल नीति 2012 में प्रावधान है कि टोल संग्रहण के लिए निविदाओं के आमन्त्रण के लिए आरक्षित मूल्य का अंतिमीकरण संबन्धित परियोजना निदेशक द्वारा की गई ट्रैफिक गणना के आधार पर एक समिति द्वारा किया जायेगा।

- 23 (i) मई-आ-हिउजिन-करीली, (ii) जाधपुर-ओरिया एवं (iii) कोटपल्लो-सीकर-कुवामा।  
 देवली रोड: 25 जनवरी 2017 से 28 जनवरी 2017 के दौरान तीन दिन।  
 बाड़ी-बगाना-खंडूली रोड: 7 मार्च 2016 से 12 मार्च 2016 के दौरान पांच दिन, तथा नसीरबाद-केकड़ी-  
 22 गीटन-सीजल: 29 जून 2012 (6:00 पूर्वाह्न) से 02 जुलाई 2012 (6:00 पूर्वाह्न) के दौरान तीन दिन।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जीपीआर एवं परियोजना निर्देशक द्वारा की गई टैरिक गणना पर आधारित आरक्षित मूल्य में बहुत अधिक अंतर था। कम्पनी के हिस्से को राजस्व अर्जित करने के अवसर से वंचित हुई।

इससे टोल संग्रहण गतिविधि की शुरुआत में देरी हुई एवं कम्पनी ₹ 33.27 करोड़ का टोल संग्रहण अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदाओं को दो से पांच बार पुनः आमंत्रित करना पड़ा। नही लिया। इन 15 मामलों में, कम्पनी को आरक्षित मूल्य कम करना पड़ा एवं प्रथम टोल शेष 15 मामलों में उच्चतर आरक्षित मूल्य के कारण निविदाओं में किसी निविदादाता ने भाग था, केवल एक मामले में निविदा (नसीरबाद-केकड़ी) को पहले प्रयास में प्रदान की गई जबकि तथापि, 16 मामलों में जहां कम्पनी ने जीपीआर पर आधारित उच्च आरक्षित मूल्य तय किया गणना के आधार पर तय किया गया था, प्रथम प्रयास में ही कार्यादेश प्रदान कर दिए गए थे। इन्हें विफलता से उजागर हुआ कि सभी निविदाएं (उच्च मामले) जहां आरक्षित मूल्य टैरिक

की थी। आधार पर निकाला गया आरक्षित मूल्य जीपीआर के अनुसार निर्धारित आरक्षित मूल्य के समान आरक्षित मूल्य की गणना की। शेष एक मामले में (पाली-नाडोल सड़क), टैरिक गणना के आधारित आरक्षित मूल्य पर विचार नहीं किया गया क्योंकि टैरिक गणना ने एक उच्चतर की जीपीआर के आधार पर उच्च आरक्षित मूल्य तय किया। तीन<sup>23</sup> मामलों में, जीपीआर पर आधारित पर परियोजना निर्देशक द्वारा प्रस्तावित आरक्षित मूल्य पर विचार नहीं किया तथा सड़कों टैरिक गणना का पालन नहीं किया गया। कम्पनी ने 19 मामलों (अनुबंध 7) में टैरिक गणना के करने के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारण करने में कम्पनी द्वारा एक संयोजित तथा ताकिक इन्हें देखा कि निर्माण की गई 23 नई सड़कों के लिए प्रथम टोल संग्रहण निविदा आमंत्रित

**3.7.6 नव-निर्मित सड़कों पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण**

सकते हैं। की टैरिक गणना के फलस्वरूप गलत आंकड़े तथा आरक्षित मूल्य के अपयोजित निर्धारण हो टैरिक गणना की गई। इस तथ्य के मध्यनजर उच्चतर सहमतिकाएक नहीं था कि अन्य-अवधि में, आवश्यकता होने एवं आरक्षित मूल्य को पुनर्निर्धारित करने के कारण अन्य-अवधि की के लिए टैरिक गणना की गई थी लेकिन आरक्षित मूल्यानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। बाद सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रारम्भिक रूप से इन सड़कों पर साल दिनों किया।

नहीं की तथा तीन से पांच दिनों के लिए टैरिक गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य प्रस्तावित मामलों<sup>22</sup> में परियोजना निर्देशकों ने, टोल नीति के अनुसार साल दिनों के लिए टैरिक गणना गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य के निर्धारण को विनिर्दिष्ट किया गया। तथापि, तीन टोल नीति 2012 में संशोधित परियोजना निर्देशक द्वारा की जाने वाली साल दिन की टैरिक

**3.7.5 टोल नीति के अनुसार टैरिक गणना नहीं कराना**

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सांकेतिक क्षेत्र के उपक्रम)

निर्धारण निरस्त की गई निविदा में प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर किया जाएगा।  
 में मांग नहीं होता है अथवा आरक्षित मूल्य से कम दर उद्धृत करता है तो आरक्षित मूल्य का  
 मूल्य से अधिक होगा। नई टोल नीति में यह भी प्रावधान था कि अगर कोई निविदादाता निविदा  
 1 अर्बल को मानते हुए आगामी वर्ष में टोल दर में वार्षिक वृद्धि के बाद गणना किये गये  
 अनुबंध को त्रैलिक में वृद्धि के पेट पांच प्रतिशत से बढ़ाने के साथ-साथ आधार तिथि के रूप में  
 त्रैलिक गणना के आधार पर गणना किये गये मूल्य से अधिक होगा अथवा वर्तमान टोल  
 टोल नीति में निर्धारित किया गया था कि वर्तमान में जारी निविदाओं के लिए आरक्षित मूल्य  
 लिए निविदाओं की प्रकियाएं एवं शर्तों के मापदण्ड) 2016 को मंजूरी दी (मार्च 2016)। नई  
 कम्पनी ने 1 अर्बल 2016 से लागू होने वाली एक नई टोल नीति (टोल कर के संग्रहण के

### 3.7.8 नई टोल नीति 2016 के अनुसार आरक्षित मूल्य का निर्धारण

आमंत्रित करनी पड़ी।

उच्चतर आरक्षित मूल्य पर निविदादाताओं से प्रतिक्रिया के अभाव के कारण निविदाएं पुनः  
 ने टोल नीति 2012 के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा अधिकार मांगों में इसका  
 निविदाएं आमंत्रित करने का निश्चय किया गया। उच्चतर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी  
 देखते हुए पहली बार डीपीआर/ त्रैलिक गणना के उच्चतर आरक्षित मूल्यों के आधार पर  
 गई त्रैलिक गणना पर आधारित आरक्षित मूल्य के बीच व्यापक अंतर था। कम्पनी के हितों को  
 सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डीपीआर एवं परियोजना निदेशक द्वारा की  
 संग्रहण अनुबंध प्रदान किए गए।

एनआईटी की जारी करने की तिथि से 38 एवं 187 दिनों के बीच की अवधि के पश्चात टोल  
 मूल्य के पुनरीक्षण के कारण कम्पनी को दो से तीन बार निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ी। पहली  
 गणना किये गये आरक्षित मूल्य से अधिक रहा (7.52 एवं 58.14 प्रतिशत के मध्य)। आरक्षित  
 को अपनाकर निर्धारित किया गया आरक्षित मूल्य हमेशा ही त्रैलिक गणना के आधार पर  
 वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सड़कों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया। अलग-अलग मापदंडों  
 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तथा पिछले टोल दरों में पांच प्रतिशत वृद्धि या त्रैलिक में छह प्रतिशत  
 नहीं किया एवं इसके बजाय पिछले अनुबंध मूल्य में या तो 10 प्रतिशत वृद्धि या त्रैलिक में पांच  
 साल मांगों (अनुबंध 8) में कम्पनी ने टोल नीति में निर्धारित त्रैलिक गणना के तंत्र पर विचार  
 के लिए आरक्षित मूल्य तय करने में कम्पनी द्वारा एकत्रित की पालना नहीं की गई।  
 हमने देखा कि वर्तमान में चल रही सड़कों के लिए आगामी टोल संग्रहण निविदाएं आमंत्रित करने

### 3.7.7 चल रहे अनुबंधों के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण

निष्के परिणामतः निविदाएं रद्द की गई एवं राजस्व की हानि हुई।  
 डीपीआर पर आधारित आरक्षित मूल्य का निर्धारण, तथापि, एक विश्वसनीय मानदंड नहीं था।  
 निविदाएं आमंत्रित करने का निश्चय किया गया।

देखते हुए पहली बार डीपीआर/ त्रैलिक गणना के उच्चतर आरक्षित मूल्य के आधार पर

- 24 (i) उद्योग-माली-वित्तिक्रम, (ii) पाली-माली, (iii) बांसवाड़ा-रतनम, (iv) शिक्षानाथ-बास-खैरथल-कोटपूतली एवं (v) बीकानेर बाड़पामा
- 25 (i) महुआ-हिन्दौन-करीली, (ii) महुआ-रास, (iii) अलवर-बहरोड़-नारनौल, (iv) नसीराबाद-केकड़ी, (v) मालवाड़-लम्बाहड़, फतेहनगर-दरिबा, सलम्बर-कोर की बाकी, (vi) जयपुर-जाबनेर-कुम्भान-नगौर, (vii) कोटा-धरनावाड़ा, (viii) बड़ी-बाया-खैरली एवं (ix) हनुमानगढ़-सूरतगढ़।

**3.7.10 विधायी टोल संग्रहण के कारण टोल राजस्व की हानि**

विधायित समय में पूरा नहीं किया जा सका।  
 में टोल संग्रहण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। तथापि, विभिन्न कारणों से कार्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि विधायित समय में काम पूरा होने की आशा टोल के मूल्यांकन के बिना एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए ट्रेडिक का आवागमन जारी रहता है।  
 टोल की समय पर वसूली शुरू करने में तालक रही। किसी भी अवस्था में व्यवस्था के अभाव में इस प्रकार, टोल एजेंसियों की अपूर्णता के कारण सड़कों को पूरा करने के उपरान्त भी कम्पनी राजस्व एकत्र करने का अवसर स्वीकृत किया गया जैसा कि **अनुबंध 9** में वर्णित है।

टोल संग्रहण गतिविधि की शुरुआत में विलम्ब हुआ एवं कम्पनी द्वारा ₹ 18.08 करोड़ के टोल निविदादाताओं के साथ एग्जीक्यूटिव का निष्पादन किया गया। इसके परिणामतः ठेकेदारों द्वारा अपूर्णता के कारण परियोजना निर्देशकों द्वारा 50 दिन से 309 दिनों के बीच देरी के साथ किया। तथापि, टोल एजेंसियों अथवा टोल एजेंसियों में विद्यमान कर्मियों अथवा अन्य छोटें कर्मियों की तथ्या निविदादाताओं के साथ एग्जीक्यूटिव के निष्पादन के लिए परियोजना निर्देशकों को निर्देश जारी प्रदान नहीं कर सकी। हमने देखा कि कम्पनी के मुख्यालय ने निविदाओं को अंतिम रूप दिया भी तत्पश्चात के साथ कम्पनी साल मामलों में (30.43 प्रतिशत) पहली टोल संग्रहण निविदा वर्ष 2011-16 के दौरान पूर्ण की गई 23 नई सड़कों में से सड़कों के पूरे किये जाने के पश्चात

**3.7.9 एग्जीक्यूटिव के निष्पादन में देरी**

निविदादाताओं को आकर्षित करने के लिए आरक्षित मूल्य को घटाय गया था।  
 नये आरक्षित मूल्य पर निविदाएं आमंत्रित करने के प्रयास किए गए तथा बाद में अधिक सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि नई टोल नीति के आधार पर गणना किये प्रणाली पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है।  
 परिणामतः 64 प्रतिशत मामलों में निविदाएं बार-बार आमंत्रित करनी पड़ी। इस दृष्टिकोण से, इस प्रकार, नई टोल नीति में दिये गये आरक्षित मूल्य को निर्धारित करने की प्रणाली के प्रदान करने के लिए 30 बार निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ी।

के कारण निविदाओं के निरस्तीकरण के कारण शेष रहे नौ<sup>25</sup> मामलों में टोल संग्रहण अनुबंध कारण निविदादाताओं द्वारा भाना नहीं लेने के कारण / आरक्षित मूल्य से निविदा मूल्य कम होने निविदाएं ही प्रदान की जा सकी। कम्पनी को निविदाओं के उच्चतर आरक्षित मूल्य होने के आधार पर गणना किये गये आरक्षित मूल्य पर पहली बार में केवल पांच<sup>26</sup> (36 प्रतिशत) हमने देखा कि वर्ष 2016-17 के दौरान अंतिम रूप दी गई 14 निविदाओं में से नई टोल नीति

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सांख्यिकीय क्षेत्र के उपक्रम)



अनुबंध को तीन माह बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (फरवरी 2011)। कम्पनी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया एवं नये अनुबंध की कार्यवाही की भी शुरुआत नहीं की क्योंकि शेष 26 किमी (0/0 से 26/0) सड़क जुलाई 2011 में पूर्ण हो जानी थी तथा तत्पश्चात ही संपूर्ण सड़क (0/0 से 50/0) के लिए निविदाएं आमंत्रित की जायेगी। इस प्रकार, कम्पनी ने इस सड़क पर 11 मई 2011 से विभागीय टोल संग्रहण प्रारम्भ किया।

सड़क के 0/0 से 26/0 तक के हिस्से के पूर्ण होने में देरी के कारण संपूर्ण सड़क के लिए नई निविदा फरवरी 2012 में प्रदान की जा सकी तथा ठेकेदार ने 9 मई 2012 से टोल संग्रहण प्रारम्भ किया। 11 मई 2011 से 9 मई 2012 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 5.76 करोड़ का टोल संग्रहण किया तथा मानवशक्ति के लिए ₹ 22.06 लाख का व्यय किया।

अगर कम्पनी ने ठेकेदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो यह कम से कम ₹ 1.97 करोड़ का अतिरिक्त टोल राजस्व कमा सकती थी (ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मूल्य के आधार पर गणना की गई)।

सरकार ने बताया कि कम्पनी ने अनुमान लगाया था कि 26 किलोमीटर के शेष हिस्से पर जुलाई 2011 तक काम पूरा हो जाएगा तथा पूरी सड़क के लिए उच्चतर मूल्य पर निविदा प्राप्त कर सकती है। तथ्य यही रहा कि वर्तमान ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मूल्य टोल नीति के अनुसार होने के साथ-साथ कम्पनी के लिए फायदेमंद भी था।

### 3.7.11 ठेकेदार से वसूली का अभाव

किशनगढ़-बास-स्वैरथल-कोटपुतली सड़क पर टोल के संग्रहण के लिए ठेकेदार (एसपी कंस्ट्रक्शंस) के साथ किये गये (जून 2015) एग्रीमेंट के वाक्यांश 12 में प्रावधान था कि यदि ठेकेदार देय तिथि पर किराए की किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफल रहा अथवा समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, विभागीय टोल संग्रहण अथवा पुनर्विक्रय के कारण कम्पनी को हुई समस्त हानियों को वहन करने के लिए ठेकेदार दायी था।

हमने देखा कि कम्पनी ने किश्तों का भुगतान नहीं करने के लिए ठेकेदार के साथ समझौते को समाप्त कर दिया (14 अगस्त 2015) एवं सड़क पर विभागीय टोल संग्रहण शुरू किया। कम्पनी ने ठेकेदार को काली सूची में भी डाल दिया तथा इसे भविष्य के अनुबंधों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। टोल संग्रहण के लिए नया अनुबंध ₹ 5.91 करोड़ में एक वर्ष के लिए प्रदान किया गया (दिसंबर 2015)। नये अनुबंध के तहत टोल संग्रहण 26 दिसंबर 2015 से शुरू हुआ।

14 अगस्त 2015 से 25 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान टोल का संग्रहण 20 अगस्त 2015 से 12 सितंबर 2015 तक विभागीय रूप से किया गया तथा 12 सितंबर से 25 दिसंबर 2015 तक ठेकेदार के माध्यम से किया गया था। कम्पनी ने तीन बार (अगस्त 2015, सितंबर 2015 तथा अक्टूबर 2015) निविदाएं आमंत्रित की लेकिन उच्चतर आरक्षित मूल्य के कारण निविदादाताओं की गैर-भागीदारी अथवा पर्याप्त निविदाओं के प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें अंतिम रूप नहीं दे सकी।

हमने देखा कि एसपी कंस्ट्रक्शंस द्वारा अनुबंधात्मक दायित्वों के निष्पादन नहीं करने के परिणामतः कम्पनी द्वारा 14 अगस्त 2015 से 24 जून 2016 (एसपी कंस्ट्रक्शंस के अनुबंध के

नशीराबाद-ककड़ी-देवली सड़क पर टोल संग्रहण अर्जबंद 2 नवंबर 2014 को समाप्त हो रहा था। वर्तमान में जारी निविदा की समिति से पहले ही कम्पनी द्वारा दो साल के लिए ₹ 42.33 करोड़ की लागत पर नई निविदा का अंतिम रूप दे दिया गया था (22 अक्टूबर 2014)। तथापि, सड़क पर नए टोल प्लाजा के पूरा नहीं होने के कारण नए अर्जबंद के तहत टोल संग्रहण की गतिविधि शुरू नहीं की जा सकी। इसलिए, कम्पनी ने अर्जबंद मूल्य को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्तमान में जारी अर्जबंद को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। नए अर्जबंद के अन्तर्गत टोल संग्रहण 31 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। इसके परिणामतः विस्तारित अवधि के दौरान

### 3.7.13 सड़क का कार्य अपूर्ण होने के कारण होने

अनुमति प्रदान की जिसे वसूल करने की आवश्यकता है। सरकार ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं बताया कि संशयन स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर ठेकेदार को लाभ की हानि का भुगतान किया गया था। तथ्य यह है कि निविदा/ अर्जबंद की शर्तों में ऐसे कोई लाभ के लिए प्रावधान नहीं दिया गया था।

ठेकेदार ने निविदाओं को प्रस्तुत करने के समय उद्धृत मूल्य में लाभ के अंश को पहले से ही तथा कम्पनी ठेकेदार से केवल अर्जबंद मूल्य वसूल करने की हकदार थी। इसके साथ ही, नहीं था क्योंकि निविदा/ अर्जबंद की शर्तों में इस तरह की किसी तरह का प्रावधान नहीं था। हमने देखा कि समाप्त अवधि के दौरान ठेकेदार लाभ के नुकसान की भरपाई के लिए योग्य को पूरे टोल लागत की हानि के घटे छूट भी प्रदान की।

कम्पनी ने अपनी गणना में 218 दिनों की अवधि के लिए ₹ 44.99 लाख की ठेकेदार कारण ठेकेदार द्वारा वहन की गई ₹ 4.30 करोड़ के टोल राजस्व की हानि का अनुमान टोल संग्रहण गतिविधि स्थानित रही। कम्पनी ने अर्जबंद मूल्य के आधार पर बंध रहे के 10 फरवरी 2015 (218 दिन) की अवधि के दौरान एक टोल बंध (चलाना नीम का थाना) पर (मई 2014)। इस सड़क पर पांच टोल बंध हैं। जन आंदोलन के कारण 8 जुलाई 2014 से (ठेकेदार) को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹ 30.51 करोड़ में टोल संग्रहण अर्जबंद प्रदान किया कम्पनी ने कोर्टपटली-सीकर-कुचामन सड़क पर एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

### 3.7.12 लाभ की हानि के घटे ठेकेदार को अर्जबंद राहत

अनुमति प्रदान की जिसे वसूल करने की आवश्यकता है। सरकार ने बताया कि ठेकेदार ने कानून एवं व्यवस्था को समझित करते हुए असाधारण/ असाधारण परिस्थितियों में कार्य को छोड़ दिया था। संशयन स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार ठेकेदार को काली सूची से हटा दिया गया था तथा यह मामला समिति के पास लंबित था। उल्लेखित कारक नहीं था क्योंकि यदि कानून एवं व्यवस्था को समझित करते हुए असाधारण परिस्थितियां होती तो इस अवधि के दौरान विभागीय रूप से तथा अन्य ठेकेदार द्वारा टोल एकत्रित नहीं किया गया होता।

अनुबंधों में भाग लेने के लिए अनुमति किया। पर कम्पनी ने ठेकेदार का नाम काली सूची से हटा दिया (नवंबर 2015) तथा उसे भावी भी लेकिन कम्पनी ने इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके स्थान गई टोल राजस्व की निम्न वसूली एग्जीक्यूटिव के वाक्यांश 12 के अनुसार ठेकेदार से वसूली योग्य समिति की तिथि) की अवधि के दौरान ₹ 2.66 करोड़ के टोल राजस्व की निम्न वसूली की

26 (!)सूक्त-पिपलीया-मवानीमंडी रोड: अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 के दौरान मैसर्स चौधरी बिस्नेस के बिस्नेस ₹ 0.78 करोड़ की कमी तथा (!! बेवट-मोडक-रामाजिमंडी रोड: मार्च 2016 से नवंबर 2016 के दौरान मैसर्स जाट ट्रेडर्स के बिस्नेस ₹ 0.50 करोड़ की कमी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में इसी प्रकार की कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के उपरान्त भी निविदाओं के प्रक्रियाकरण में देरी एवं आरक्षित मूल्य के अर्जित करने के कारण टोल संग्रहण गतिविधि लगातार बुरी तरह प्रभावित हुई। कम्पनी टोल खानाओं के निर्माण में देरी तथा टोल नीति 2012 के उल्लंघन में टैक्सिक गणना के स्थान पर विरस्त परिचयना रिपोर्ट्स (डीपीआरएस) के आधार पर उच्चतर आरक्षित मूल्य तथा करने के कारण नवनिर्मित सड़कों पर टोल संग्रहण गतिविधि आरम्भ करने में विफल रही। आरक्षित मूल्य के अर्जित निधारण से निविदादाताओं की भागीदारी नहीं होने की बर्दावा मिली तथा कम्पनी को आरक्षित मूल्य को घटाकर कई बार निविदाओं को फिर से आमंत्रित करना पड़ा। कम्पनी ने निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए कम समयवाह्य की

**निकष एवं अर्जित**

पर समाप्त नहीं किये गये थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि टोल अर्जबंध ठेकेदारों के मौखिक आश्वासन

में दीयी था (अप्रैल 2016)।

ठेकेदार को प्रदान किया (मई 2016) जो पहले सूक्त-पिपलीया-मवानी मंडी सड़क के मामले साथ ही हमने देखा कि कम्पनी ने बड़ी-बयाना-खेड़ली सड़क के लिए टोल संग्रहण अर्जबंध उस गाड़ी।

उपलब्ध सुरक्षा जमा का समायोजन करने के पश्चात ₹ 1.28 करोड़ की कमी की गणना की तक उपलब्ध सुरक्षा जमा के अतिरिक्त देय राशि के बर्तने जाने की बर्दावा मिली। इन मामलों में पश्चात दो<sup>26</sup> मामलों में अर्जबंधों को गुरंत रूप से समाप्त नहीं किया। इससे अर्जबंधों की समाप्ति हमने देखा कि कम्पनी ने ठेकेदारों द्वारा प्रथम दृष्टया किस्त के भुगतान में विफल रहने के

आवश्यक है।

रहने के मामले में अर्जबंध को समाप्त किया जाना तथा सुरक्षा जमा को जब किया जाना तक प्रस्तुत करने भी आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल के रूप में तथा शेष 90 प्रतिशत राशि के लिए मासिक किस्त के पेटे उत्तर दिनांकित अग्रिम गतिविधि के प्रारंभ होने से पूर्व 10 प्रतिशत की टोल फीस की अग्रिम किस्त डिमांड ड्राफ्ट/चेक सकल निविदादाताओं को टोल संग्रहण अर्जबंध प्रदान करती है। ठेकेदार को टोल संग्रहण कम्पनी बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा राशि जमा (अर्जबंध मूल्य का 10 प्रतिशत) करने पर

**3.7.14 दीपी ठेकेदारों के अर्जबंध का समाप्त करने में देरी**

निविदाएं आमंत्रित की गई थी। तथापि, काय अर्जसंचित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि समय पर काय एवं नये टोल खाना के पूर्ण गणना की गई।

कम्पनी को ₹ 2.26 करोड़ के टोल राजस्व की हानि हुई (नए अर्जबंध में प्राप्त दरों के अर्जसार

अनुमति देकर राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता, अधिनियम 2012 (आरटीपीपी अधिनियम, 2012) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

हम कम्पनी को निविदा प्रक्रियाकरण समय से शुरू करने तथा नवनिर्मित सड़कों एवं वर्तमान में जारी परियोजनाओं के आरक्षित मूल्य को तय करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित करने की सिफारिश करते हैं। कम्पनी वैज्ञानिक रूप से ट्रैफिक गणना करने तथा आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदंडों को अपनाने के स्थान पर एकरूप मानदंडों को अपनाने पर विचार कर सकती है। निविदादाताओं को निविदाओं को जमा करने के लिए पर्याप्त समयावधि देकर कम्पनी को आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का पालन भी करना चाहिए।

### राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

#### 3.8 कर दायित्व के कम निर्धारण के कारण जुर्माने के रूप में ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अन्तर्गत अनुमत्त अवधि से परे परियोजनाओं से कमाये गये लाभों तथा परिलाभों को शामिल करने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कर दायित्व का कम निर्धारण किया गया। इसके परिणामतः अधिनियम की धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ₹ 83.32 लाख के परिहार्य ब्याज के रूप में जुर्माने का भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80 आईए, उपधारा (4) में संदर्भित किसी व्यवसाय से निर्धारिती (उपक्रम अथवा एक उद्यम) को हुए लाभों एवं परिलाभों की इस धारा के अनुसार एवं प्रावधानों के अधीन लगातार 10 वर्षों की अवधि में 100 प्रतिशत की कटौती प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 80 आईए को एक बार फिर नीचे दिया गया है।

80-आईए (1) जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (4) में संदर्भित एक उपक्रम या उद्यम द्वारा किसी भी व्यवसाय (ऐसे व्यवसाय को इसके बाद योग्य व्यवसाय के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) से प्राप्त किये गये किन्हीं भी लाभों एवं परिलाभों को शामिल किया गया है, वहां इस धारा के प्रावधानों के अनुसार एवं इसके तहत निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में ऐसे व्यवसाय से प्राप्त किये गये लाभों एवं परिलाभों की दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए शत प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती अनुमत्त की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती, निर्धारिती के विकल्प पर, जिस वर्ष में उपक्रम अथवा उद्यम किसी आधारभूत सुविधा को संचालित करने के लिए विकसित एवं शुरू करता है अथवा दूरसंचार सेवा प्रदान करना शुरू करता है अथवा एक औद्योगिक पार्क विकसित करता है अथवा उपधारा (4) के वाक्यांश (iii) में संदर्भित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करता है अथवा बिजली उत्पादन करता है अथवा ट्रांसमिशन शुरू करता है अथवा विद्युत का वितरण करता है अथवा वर्तमान ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनों का सारभूत रूप से नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करता है, उस वर्ष से शुरू होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किसी भी दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उसके द्वारा दावा किया जा सकता है।

इसके साथ ही, अधिनियम की धारा 211 के साथ पठित अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, जहां देय अग्रिम कर ₹ 10000 अथवा अधिक है वहां एक निर्धारिती के लिए चार तिमाही किश्तों<sup>27</sup> में अग्रिम कर का भुगतान करना अनिवार्य है। निर्धारिती, अधिनियम की धारा 234 बी के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज तथा धारा 234 सी के अन्तर्गत अग्रिम कर के स्थगन के लिए ब्याज के भुगतान करने के लिए दायी है। धारा 234 बी के अन्तर्गत, ब्याज वहां लागू होता है जहां निर्धारिती अग्रिम कर नहीं चुकाता है अथवा जहां भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है। धारा 234 सी के अन्तर्गत ब्याज वहां लागू होता है जहां निर्धारिती ने अग्रिम कर की किश्तों को कम निर्धारित किया है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अप्रैल 2000 तथा अप्रैल 2012 के मध्य आठ पवन/ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को निष्पादित किया। अधिनियम की धारा 80 आईए के प्रावधानों के अनुसार इन परियोजनाओं से प्राप्त लाभ तथा परिलाभ 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र थे। इन आठ<sup>28</sup> परियोजनाओं में से पांच परियोजनाओं पर कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2004-05 से धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाना शुरू कर दिया था। अतः, ये पांच परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2013-14 तक कटौती के लिए पात्र थीं।

हमने देखा (नवंबर 2016) कि कम्पनी द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम कर का मूल्यांकन करते समय अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत इन पांच परियोजनाओं पर लाभों तथा परिलाभों की कटौती को भी ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के लिए कम कर देयता का आकलन किया एवं अग्रिम कर की सही किश्तों का भुगतान करने में विफल रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भरी गई<sup>29</sup> (28 सितंबर 2015) मूल आयकर रिटर्न में कम कर देयता का निर्धारण किया गया था। यह गलती सितंबर 2016 में कम्पनी के ध्यान में आई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक संशोधित रिटर्न धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ₹ 83.32 लाख<sup>30</sup> के ब्याज के दंड के साथ भरी गई (16 सितंबर 2016)।

इस प्रकार, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत स्वीकृत वांछनीय अवधि से परे परियोजनाओं के लाभों एवं परिलाभों को ध्यान में रखने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कर देयता का कम आकलन किया। इसके परिणामतः अधिनियम की धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ₹ 83.32 लाख के परिहार्य ब्याज के रूप में जुर्माना हुआ।

सरकार ने अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत अस्वीकार्य कटौती का दावा करने के तथ्य को स्वीकार किया (जून 2017)। इसने, तथापि, यह तथ्य भी रखा कि कम्पनी को ₹ 67.68 लाख ब्याज के रूप में जुर्माना चुकाना ही पड़ता भले ही इस छूट का दावा नहीं किया गया होता क्योंकि स्वातंत्र्य को अंतिम रूप देते समय अप्रत्यक्ष आय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि

27 15 जून अथवा उससे पहले प्रथम किस्त (अग्रिम कर देयता के 15 प्रतिशत से कम नहीं), 15 सितंबर अथवा उससे पहले द्वितीय किस्त (पिछली किस्त को घटाने के बाद अग्रिम कर देयता के 45 प्रतिशत से कम नहीं), 15 दिसंबर अथवा इससे पहले तृतीय किस्त (पहले वाली किश्तों को घटाने के बाद अग्रिम कर देयता के 75 प्रतिशत से कम नहीं) तथा 15 मार्च अथवा उससे पहले चतुर्थ किस्त (पहले वाली किश्तों को घटाने के बाद अग्रिम कर देयता की सम्पूर्ण राशि)।

28 शेष तीन परियोजनाओं पर कटौती वित्तीय वर्ष 2006-07, 2009-10 एवं 2012-13 से शुरू की गई थी।

29 रिटर्न भरने की देय तिथि 30 सितंबर 2015 थी।

30 धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ब्याज जुर्माना 14 सितंबर 2016 को जमा कराया गया था।

सलाहकार ने निम्न की संकल्पना पत्र (जुलाई 2011) तथा संभावना रिपोर्ट (फरवरी 2012) को प्रस्तुत किया। संभावना रिपोर्ट में संक्षेप दिया गया कि बस संचालक छह साल की पूर्व-निर्धारित अवधि के लिए प्रत्येक समूह के लिए सिद्धि बसों की खरीद, धारण, संचालन

निर्दिष्ट प्रक्रिया प्रबंधन शामिल किया गया था।

योजना तैयार करना, लागत अनुमान एवं वित्तीय विश्लेषण, परियोजना कार्यान्वयन रणनीति एवं किया (जुलाई 2011)। संभावना रिपोर्ट में समूह गठन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट, बस संचालन लिए पीछीकोर लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (सलाहकार) के रूप में नियुक्त रिपोर्ट सहित राज्य में ग्रामीण परिवहन सेवाओं के लिए एक संकल्पना रिपोर्ट तैयार करने के ग्रामीण परिवहन सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना की व्यापक योजना एवं संभावना निम्न में अवसर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा एवं करौली जिलों तथा कोटपुतली तहसील में

किया (मार्च 2011)।

के लिए नौडल एजेंसी के रूप में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) को नामांकित के ग्रामीण क्षेत्रों में बस संपर्क सुविधा प्रदान करना था। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन औद्योगिक क्षेत्रों, बस टर्मिनलों तथा रेलवे स्टेशनों के साथ जोड़ने हेतु अगले तीन वर्षों में राज्य तहसील मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, कृषि उपज मंडियों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक संभव हो सके सभी पंचायत मुख्यालयों को (पीपी) मंडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं के विस्तार करने की परिकल्पना की (योजना) की घोषणा की (मार्च 2011)। इस योजना में 'सांख्यिक-निजी सहभागिता' राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना' पथ

**पथ**

**ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन**

**3.9 खासखताना अन्तर अर्पण के अंतर्गत सांख्यिक-निजी सहभागिता प्रणाली पर**

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम**

तक कि वित्तनिष्ठ भूगोल ने इसे ब्याज अर्जित करने में सहायता की, सहमतिकारक नहीं है। के अन्तर्गत वैधानिक देयों का भूगोल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी तथा इसलिए यह अन्तर्गत अर्थीकार्य कटौती का दावा करने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी, अधिनियम 1.13 करोड़ थी जिसमें से ₹ 83.32 लाख केवल अधिनियम की धारा 80 आईए के रिटन दारिद्र्य करने की तिथि तक धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत कूल जमाने की (16 सितंबर 2016) ब्याज के रूप में जमाने की राशि काफी हद तक बर्च्युकी थी। संशोधित कारण कर देयता के भूगोल में देरी से संशोधित रिटन दारिद्र्य करने की तिथि तक बर्च्युकी थी। इसने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि अर्थीकार्य कटौती की देरी से बर्च्युकी के ध्यान में रखते हुए मार्च 2015 तक ₹ 67.68 लाख ब्याज के रूप में जमाने की मांगना कर उत्तर सही नहीं था क्योंकि कम्पनी वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अप्रत्यक्ष आय में वृद्धि को

की राशि सावधि जमाओं में निवेश रही जिससे ₹ 27.34 लाख का ब्याज अर्जित किया गया। गणना सरकार ने आगे बताया कि संशोधित रिटन के समय बर्च्युकाये गए ब्याज के रूप में जमाने हुई थी जिसके कारण वार्षिक देय कर तथा जमा कराये गये अंतिम कर में व्यापक अंतर आ

31 मार्च 2017 की समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रम)

इस योजना के कार्यान्वयन में परिवर्द्धन विभाग की प्रमुख भूमिका थी क्योंकि यह माता की अधिसूचित करने, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा माता परसिस्ट जारी करने के लिए अधिकृत था। निम्न तथा परिवर्द्धन विभाग ने, तथापि, फरवरी 2017 तथा अप्रैल 2017 के मध्य किये गये विभिन्न

### 3.9.2 योजना के क्रियान्वयन के दिग्दर्शन में लेखापरीक्षा की सीमाएं

प्राप्त करने में विकल रहती।  
करती है कि निम्न राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य को 2017 तक, यह योजना केवल 19 जिलों के 23 विधा में कार्यान्वित की जा रही थी। यह इतिहास निम्न में शुरू में इस योजना को 23 जिलों के 30 विधा में कार्यान्वित किया। तथापि, मार्च प्रसिद्ध विवरण को मानते हुए (की आवश्यक्तता का अनुमान लगाया।

बस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 2,000 मिली बसों (फील्ड सर्वेक्षण के अधीन 20 पंचायतों में इस योजना को लागू करना आवश्यक था। सलाहकार ने 9,188 ग्राम पंचायतों को था जबकि चार ग्राम पंचायतें सड़कों से नहीं जुड़ी हुई थीं। इस प्रकार, निम्न को 5,573 ग्राम जिलों में 9,192 ग्राम पंचायतें थीं। निम्न 3,615 ग्राम पंचायतों में बस सेवाएं प्रदान कर रहा सलाहकार ने अनुमान लगाया कि राजस्थान राज्य में जनवरी 2009 के अनुसार राज्य के 33

### 3.9.1 योजना के उद्देश्यों की भांति

सरकार ने निम्न के उल्लेख की पुष्टि की (सितम्बर 2017)।  
अनुच्छेद को निम्न के उल्लेख (अगस्त 2017) को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया।

प्रदान की गई, का वितीय प्रभाव भी शामिल है।  
रिपोर्ट की समीक्षा की गई। अनुच्छेद में अन्य विधा के संबंध में, जहां निम्न द्वारा पंचायत सेवना लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी से अप्रैल 2017) में प्रधान कार्यालय तथा चयनित विधाएं पर 2015-16 तक निम्न द्वारा अधिकतम आवहर्तता अंतर के भूतान के आधार पर किया गया। करौली तथा अनुमाननाई) में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। विधाएं का चयन 23 विधाएं में कार्यान्वित की जा रही थीं। हमारे द्वारा 23 विधाएं में से चार (जयपुर, दौसा, 2017 तक, यह योजना निम्न द्वारा राज्य के 19 जिलों में स्थित 49 संचालित<sup>31</sup> विधाएं में से बजट धारणा के अनुसार योजना को कार्यान्वित किया तथा वित्त परिणाम प्राप्त किए। मार्च वर्तमान लेखापरीक्षा का आयोजन यह आकलन करने के लिए किया गया कि क्या निम्न ने

अनुमति किया।  
राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अभियंतियों का हवाला देते हुए नई निवेदाएं आमंत्रित करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की (दिसंबर 2016) तथा आखिरकार 1 अप्रैल 2017 से इस योजना को बंद कर दिया। तथापि, 31 मार्च 2017 तक बस संचालकों को देय आवहर्तता अंतर को

सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना था।  
से किये गये अधिक व्यय को दर्शाया गया। बस संचालकों को देय आवहर्तता अंतर राज्य कहेगा। आवहर्तता अंतर द्वारा बसों के संचालन में बस संचालक द्वारा अर्जित किये गये राजस्व भूतान करेगा अथवा हर समूह के लिए निश्चित आवहर्तता अंतर का भूतान करने के लिए एवं रखरखाव करेगा, किराये एवं विज्ञापन राजस्व को एकत्र करेगा एवं रखेगा तथा निम्न को

कर सकती है। इसने यह भी सिफारिश की कि विज्ञान से राजस्व को ध्यान में रखने के बाद अलवर तथा दौसा जिलों के समूहों के लिए घट्टे गई दर पर स्तर लिंक्स को अर्जेंट प्रदान किए सलाहकार का कक्षा (जून 2012)। सलाहकार ने सिफारिश की (जून 2012) कि निगम कर दिया। निगम ने स्तर लिंक द्वारा प्रस्तुत संशोधित वित्तीय योजना का विश्लेषण करने के ₹ 9.35 प्रति किमी तक घटा दिया लेकिन करौली परिवहन ने अपनी दर को घटाने से इनकार मौलभाव किया (मई तथा जून 2012)। मौलभाव के दौरान, स्तर लिंक्स ने अपनी दर को निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित दरों के बीच व्यापक अंतर को देखते हुए निविदादाताओं के साथ निगम ने सलाहकार द्वारा मांगना की गई वीजीएफ की दर (₹ 4.48 प्रति किमी) एवं

जिले के समूहों के लिए ₹ 25 प्रति किमी की दर से व्यावहार्यता अंतर की मांग की। प्रस्ताव दिया जबकि करौली परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड (करौली परिवहन) ने करौली अंतर के मुताबिक पर अलवर तथा दौसा जिलों के समूहों में बसों को संयोजित करने के लिए करल बस लिंक्स (स्तर लिंक्स) ने ₹ 9.50 प्रति किमीटर (किमी) की दर पर व्यावहार्यता नई दिल्ली तथा करौली परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड (फर्मा से निविदाएं प्राप्त हुईं। स्तर निगम को केवल तीन जिलों (अलवर, दौसा तथा करौली) के लिए दो (स्तर करल बस लिंक्स, निर्देश दिया गया।

निविदादाताओं को प्रीमियम अथवा व्यावहार्यता अंतर को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत करने का आरूपकपी प्रलेख के साथ संलग्न किये गये फॉर्म एक 1 (मूल्य प्रस्ताव प्रारूप) में भी लिए प्रस्तावित करेंगे।

- प्रति किमीटर व्यावहार्यता अंतर जो निविदादाता समूह के लिए निगम से मांग के अथवा
- प्रीमियम प्रति किमीटर जो निविदादाता समूह के लिए निगम को मुताबिक करने।

कि निविदादाता निम्नलिखित रूपों में से किसी एक में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:  
आमंत्रित की (फरवरी 2012)। आरूपकपी के बावजूद 1.7 (निविदा प्रक्रिया) में प्रावधान था पर राज्य के 1<sup>32</sup> जिलों के विस्तृत किये गये समूहों में बसों के संयोजन के लिए निविदाएं निगम ने सलाहकार द्वारा तैयार किये गये आरूपकपी प्रलेखों तथा संभाव्यता रिपोर्ट के आधार

### 3.9.3 व्यावहार्यता अंतर की दर का अर्जेंट निर्धारण

क्रियान्वयन में देखी गई कमियाँ की चर्चा नीचे की गई है।  
लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर चयनित डिपॉज में योजना के निगम के उत्तर ने इस मामले को संशोधित नहीं किया।

प्रायतः आदि से संबंधित आभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया।  
की संख्या, अधिसूचित मांगों/ समूहों पर बसों के संयोजन, योजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम के दौरान पहली बार आमंत्रित निविदाओं, ग्राहकों कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अधिसूचित मांगों अंतर्गत बस कनेक्टिविटी नियोजित थी, से संबंधित जिलेवार सूचना/ आभिलेख, फरवरी 2012 निवेदनों एवं जारी किए गए स्मरण पत्रों के उपरान्त भी ग्राम प्रायतः एवं समूहों जहाँ योजना के



• आरएफपी के वायुांश 1.7 के अनुसार निविदादाताओं की वित्तीय योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी लेकिन किसी भी निविदादाता द्वारा छह साल की अवधि के लिए प्रत्येक समूह के लिए संभावित राजस्व, व्यय, भार, तत्व, तथा प्रीमियम/व्यावहार्यता अंतर को दर्शाते हुए योजना प्रस्तुत नहीं की गई। निविदादाताओं द्वारा उद्धृत की गई दर को उचित ठहराते हुए निविदाओं के मूल्यांकन के समय पर वित्तीय योजनाएं प्राप्त नहीं की गयीं।

• प्रत्येक समूह के लिए सबसे व्यवहार्य दर की गणना करने के लिए प्रत्येक समूह के लिए संभावित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय योजना तैयार नहीं की गई।

हमने देखा कि प्रत्येक समूह के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया। छह वर्षों के लिए निविदाओं की अंतिम रूप दिया। परिकल्पित यात्री भार प्राप्त करने पर प्रीमियम सृजित करना, निम्नतम निविदादाता के पक्ष में तथ्य की ध्यान में रखते बिना कि बस संचालक व्यावहार्यता अंतर की अधिकतम निर्धारित दर (₹ 9.32 प्रति किमी) बिना किसी सहायक वित्तीय योजना के दरे उद्धृत की। निगम ने इस हमने आगे देखा कि बस संचालकों ने फार्म एक 1 में, निगम द्वारा प्रस्तावित अधिकतम दर

अंतर को प्राप्त कर सकेगी। तथ्या षटों के अनुसार बस संचालक निगम से ₹ 9.32 प्रति किमी के अधिकतम व्यावहार्यता (प्राधिकार) के वायुांश 1.1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आरएफपी के नियमों (प्राधिकार) के अनुसार बस संचालक निगम से ₹ 9.32 प्रति किमी के अधिकतम दर के रूप में प्रस्तावित की गई। यहाँ तक कि इन निविदाओं के अर्ज-द-1 तथा 2013-14 के दौरान आगामी निविदाओं में छह साल की अवधि के लिए प्रत्येक समूह के किमी की दर को व्यावहार्यता अंतर की मॉडल दर के रूप में अपनाया। यह दर, वर्ष 2012-13 हमने देखा कि निगम ने स्टार लिक्स द्वारा प्रस्तुत वित्तीय योजना के आधार पर ₹ 9.32 प्रति (अक्टूबर तथा नवंबर 2012)।

वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) ने ₹ 9.32 प्रति किमी की व्यावहार्यता अंतर अनुदान की दर को मंजूरी दी। बाद में, करौली परिवहन भी स्टार लिक्स द्वारा स्वीकार की गई दर पर बसों के संचालन के लिए सहमत हुआ (जून 2012)। तदनुसार, निगम ने अलवर, दौसा तथा करौली जिलों के घुने हुए समूहों में बसों के संचालन के लिए निविदादाताओं के साथ समझौता किया

माना गया यात्री भार घटक (प्रतिघंटा में)					
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	छठवाँ वर्ष
42	45	50	53	58	65
संचालन की औसत अनुमानित लागत (₹ प्रति किमी में)			19.79		
औसत अनुमानित आय (₹ प्रति किमी में)			10.47		
व्यावहार्यता अंतर (₹ प्रति किमी में)			9.32		

यात्रीभार घटक निम्नानुसार थी: व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने में ध्यान में रखी गई बसों के संचालन की लागत, आय तथा ₹ 9.32 प्रति किमी की दर से सहमत हुआ (जून 2012)। छह वर्ष की अवधि के लिए दर को ₹ 0.05 प्रति किमी तक और घटायी जा सकती था। तथापि, स्टार लिक्स आरिफरकार

आभिलषा की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न डिपोज में बस संचालकों द्वारा प्राप्त किया गया वास्तविक औसत भार घटक व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने में परिकल्पित भार घटक की तुलना में बहुत अधिक (श्रीमाधोपुर डिपो में दोगुने से अधिक) था। यथानित<sup>33</sup> डिपो में बस

व्यक्तिक गणना छह साल की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की ध्यान में रखते हुए की जा निगम ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि व्यावहार्यता अंतर में कमी की कोई संभावना नहीं थी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए निगम को निर्दिष्ट किया (जनवरी 2014)। वित्त विभाग ने बस संचालकों को देय राशि में कृत्रिम कमी द्वारा व्यावहार्यता अंतर के उन्मूलन दी।

स्वीकार किए गए व्यावहार्यता अंतर की दर से गुणा करने के आधार पर भूगतान की अनुमति संचालकों को जारी किये गये थे जिसने दैनिक वाहन उपयोग (किलोमीटर्स में) को निगम द्वारा नहीं किया। व्यावहार्यता अंतर के लिए भूगतान आरपकपी के वास्तुशा 7.2.1 के अनुसार बस की रक्षा करने के लिए आरपकपी/निविदा आमन्त्रण सूचनाओं में पयाप्त वास्तुशा की शामिल जब बस संचालक अधिक राजस्व अर्जित कर रहे थे उसके दौरान निगम ने अपने वित्तीय हितों हानने आगे देखा कि निगम द्वारा अनुमानित घटक की तुलना में उच्चतर भार घटक के कारण लिए ₹ 6.88 से ₹ 9.21 प्रति किमी के मध्य दरों पर निविदाएं प्रदान की।

व्यावहार्यता अंतर का भूगतान करना पड़ा। यथानित जिलों में, निगम ने 27 में से 19 समूहों के को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान अंतिम रूप दिये गये सभी निविदाओं के संबंध में कि किस्ती भी बस संचालक ने किस्ती भी समूह के लिए प्रीमियम उद्धृत नहीं किया तथा निगम करने के लिए बस संचालकों को एक अवसर भी प्रदान किया। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है निगम ने राज्य के प्रत्येक जिले के हर समूह के लिए सभी दशाओं में व्यावहार्यता अंतर प्राप्त थी जिन समूहों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

अन्य अत्यावश्यक घटकों तथा आय एवं व्यय के किस्ती विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं समूह पर यात्री भार घटक एवं लोगों के लिए परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता जैसे इस प्रकार, निगम द्वारा निश्चित की गई व्यावहार्यता अंतर की अधिकतम दर समूह की स्थिति एवं

- भूगतान स्वीध यात्री भार घटक से जुड़ा हुआ था।
- निगम ने सलाहकार की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया कि व्यावहार्यता अंतर का

प्रकार शामिल थी।

- 35 अन्य सौंपी स्त्री में निम्न-निम्न प्रकार की बर्तों के लिए कुल किराये की गणना के लिए विधान की निर्देश दिखे जाये। कुल किराये में प्रति किमी मूल किराये के साथ एवमारएस, एसीएस, टोल इत्यादि जैसे कई अन्य आर्ब रोज़ (₹ 0.03 करोड़)। शेष विधियों का भार घटक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करया गया था।
- 34 जयपुर (₹ 5.17 करोड़), दीसा (₹ 2.79 करोड़), हनुमानगढ़ (₹ 0.53 करोड़), श्रीमण्डौर (₹ 1.00 करोड़), नागौर (₹ 0.15 करोड़), खतली (₹ 1.46 करोड़), मत्स्य नगर (₹ 0.28 करोड़), गंगानगर (₹ 0.30 करोड़), ब्यावर (₹ 0.44 करोड़), अर्जुनगढ़ (₹ 0.79 करोड़), अलवर (₹ 0.32 करोड़) तथा आर्ब रोज़ (₹ 0.03 करोड़)। शेष विधियों का भार घटक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करया गया था।

आयुर्विधित नहीं किया तथा इसका स्थान पर निगम ने आरएफपी के साथ अर्जुनगढ़ स्त्री<sup>35</sup> संलग्न बर्तन करेगी। हमने देखा कि निगम/ परिवहन विभाग ने मार्गनिर्धार किया था सारणी को पर निगम/ परिवहन विभाग द्वारा आयुर्विधित किये गये किराये के अनुसार यात्रियों से किया आरएफपी के वाक्यांश 3.1 में निर्दिष्ट था कि बस संचालक ग्राहकों को लागू के लिए समय-समय

**संग्रहण**

**3.9.4 बस संचालकों द्वारा मानव संसाधन अधिभार तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार का**

थी।

इत्यादि जैसे किस्मों भी आकर्षण पर आधारित नहीं थी जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं घटक तथा अन्य महत्वपूर्ण घटक, लोगों के लिए परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता की अधिकतम दर उन समूहों के राजस्व तथा व्यय, समूह का स्थान, समूह पर यात्री भार के लिए मोलभाव के बाद तय की गई थी। तथ्य यही रहा कि निगम द्वारा तय की गई संधियों का निष्कर्ष की थी। निगम ने आगे बताया कि बीजीएफ की दर विरहित परीक्षा एवं अनुबंधवादी विरहित की गई थी तथा विरहित विरलक्षण के बाद इसने बीजीएफ की औसत दर की निगम ने बताया कि स्टार लिक्स द्वारा प्रस्तुत की गई विरहित विलीय रिपोर्ट, सलाहकार द्वारा जल दिया क्योंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई थी।

व्ययों की क्षतिपूर्ति कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इसने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ करने हेतु ध्यान में रखे गये लाभ-अलाभ विवरण पर बस संचालकों को उनके द्वारा किए गए सभी भुगतान किया। इसे बर्तन किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि व्यावहारिकता अंतर की दर तय निगम ने 12<sup>34</sup> विधियों में बस संचालकों द्वारा प्राप्त किये गये उच्च भार घटक की अनदेखी करने

विधि का नाम	बस संचालक का नाम			व्यवहार्यता अंतर की दर तय करने के लिए	निगम द्वारा माना गया घटक (प्रतिघंटा)
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
जयपुर	नौ-बैल इंडिया टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड	69.00	71.25	70.17	-
दीसा	प्रशांत इलेक्ट्रॉनिक्स	42.83	-	50.86	-
	स्टार लिक्स	57.00	61.50	57.10	55.00
हनुमानगढ़	गुरुजीत सिंह	64.75	66.83	67.26	-
	भागीरथ दुर्घवाल	64.42	64.25	80.17	-
	धीतराम प्रताप सिंह	46.08	52.18	-	-
वार्षिक औसत यात्री भार घटक (प्रतिघंटा में)					
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	वर्षाव वर्ष
		42	45	50	53

संचालकों द्वारा प्राप्त किये गये वार्षिक औसत भार घटक निम्नानुसार थे:

दाखिल नहीं था।

जुमाना संचालक द्वारा सीधा बहन किया जाएगा तथा निगम का ऐसी घटनाओं के लिए कोई भी प्राधिकृत अधिकारी अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाया गया कोई भी प्राधिकृत अधिकारी के अर्जुन 8 के बावजूद 118 के अर्जुन 8 के अर्जुन नहीं था जिसमें यह निर्धारित किया है कि परिचालन लागत के भाग के रूप में प्राधिकृत यालान, अर्थात् तथा जमाने का देय व्यावहारिकता अंतर की दर पर कर देना में निगम द्वारा अलग नहीं किया गया था।

प्राधिकृत यालान, अर्थात् तथा सजा के घटक की ब्रांनिनल किया गया था जिसे बस संचालकों को के रूप में अपनाया। वित्तीय योजना की समीक्षा में उजागर हुआ कि संचालन की लागत में निगम ने स्तर लिक्स द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय योजना को पूरे राज्य के लिए आदर्श योजना

**3.9.5 प्राधिकृत यालान, अर्थात् तथा जमाने के परे अतिरिक्त यालान**

संग्रहण की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने बताया कि इस मूँ की जांच की जा रही थी तथा बस संचालकों द्वारा अनधिकृत संचालकों द्वारा यात्रियों से एवआरएस तथा एसीएस के अनधिकृत संग्रहण को बढ़ावा दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग किराये को अधिसूचित करने में निगम की विफलता ने बस संचालकों द्वारा किया गया संग्रहण का पता नहीं लगाया जा सका।

निगम से सूचना के अभाव के कारण एवआरएस तथा एसीएस के परे टैट्टे से बस संचालकों ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान 14 बिघों (करोड़ों) के 2 करोड़ों (सहित) में यात्रियों से एवआरएस एवं एसीएस के परे ₹ 7.68 करोड़ की राशि एकत्र की। यात्रियों से इसकी प्रमाणित करने के लिए उन्हें अधिगत नहीं किया गया था। हमने देखा कि बस निगम को बस संचालकों से एवआरएस तथा एसीएस की रकम वसूल करनी चाहिए क्योंकि

व्यावहारिकता अंतर की दर को निर्धारित करने में ध्यान में रखी गई आय का हिस्सा नहीं था। किराये की वसूली का ध्यान में रखा था। एवआरएस तथा एसीएस, बस संचालकों को देय साथ ही, निगम द्वारा तय किये गये व्यावहारिकता अंतर की दर में भी यात्रियों से केवल आधार एवआरएस तथा एसीएस की वसूली करने के लिए निगम को अधिगत नहीं किया था। इसके करने के लिए अधिसूचित किया था। राज्य सरकार ने निजी बस संचालकों को यात्रियों से के टर्म्टना के मामले में यात्रियों को मुआवजे इत्यादि के निगम के विविध उद्देश्यों को पूरा स्वास्थ्य तथा वित्तियान स्टाफ के दीर्घकालिक कौशल विकास, निगम की बसों निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, प्रवृत्ति एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रस्ताव नाम, कर्मचारी जानी चाहिए थी क्योंकि राज्य सरकार ने इन योजनाओं को क्रमशः वर्ष 2000 तथा 2001 में बस संचालकों को यात्रियों से एसीएस तथा एवआरएस का एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी।

अधिमार् (एसीएस) एकत्रित करने की अनुमति दी।

आधार किराये के साथ यात्रियों से मानव संसाधन अधिमार् (एवआरएस) तथा टर्म्टना क्षतिपूर्ति अर्जुन 8 की समीक्षा में उजागर हुआ कि उसने बस संचालकों को ₹ 0.58 प्रति किमी के इत्यादि के लिए लेनदेन संरचना दी गई थी।

की लिक्स इसके द्वारा संचालित निम्न-निम्न प्रकार की बसों (साधारण, एकपर्यस, लीनक्स

36	6.13 करोड़ किमी गूणा ₹ 0.23 प्रति किमी।
37	दौसा (₹ 0.59 करोड़), जयपुर (₹ 0.42 करोड़), कर्ली (₹ 0.44 करोड़) तथा हनुमानगढ़ (₹ 0.08 करोड़)।

को ₹ 6.80 करोड़ के अतिरिक्त दावे किये गये जैसा कि **अर्नब 10** में दर्शाया गया। बस संचालकों को भूगोलन किए गए वास्तविक व्यावहार्यता अंतर की तुलना में राज्य सरकार अनुसूचित किलोमीटर्स के साथ मेल नहीं करती थी। इसके परिणामतः वर्ष 2013-16 के दौरान अंतर था। यहाँ तक कि राज्य सरकार को सूचित किए गए संचालित किलोमीटर्स भी समझौते के आधार पर बस संचालकों का व्यावहार्यता अंतर का भूगोलन किया गया था, के मध्य व्यापक हानि देखा कि राज्य सरकार को सूचित किए गए संचालित किलोमीटर्स तथा जिन किलोमीटर्स निगम ने वित्तीय सलाहकार के प्रमाण पत्र के अन्तर्गत दावों को पेश किया। चयनित डिपॉ में, थी।

आंकड़ों तथा बस संचालक के साथ निष्पादित किये गये परिवचालन समझौते के अनुसार की गई को यह प्रमाणित करना था कि व्यावहार्यता अंतर के दावों की गणना वास्तविक संचालन के भूगोलन के लिए दावों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (सितंबर 2013)। वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग ने निगम को वित्तीय सलाहकार से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ व्यावहार्यता अंतर के

### 3.9.7 राज्य सरकार को गलत सूचना देना

करने के लिए उचित कार्टवर्डे प्रारम्भ की जायेगी। निगम ने बताया कि इस मुद्दे की जांच की जा रही थी तथा इंटीग्रेटेड प्रोसेस डाटा प्रस्तुत नहीं संचालकों से ₹ 1.53 करोड़<sup>37</sup> की उर्माना राशि की वसूली भी नहीं की। दैनिक आधार पर इंटीग्रेटेड प्रोसेस के डाटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए चयनित डिपॉ में बस संचालक द्वारा प्रमाणित किये गये किराए की निगरानी नहीं कर सका। इसके साथ ही, निगम ने तथा निगम ने भी इसके लिए नहीं पूछा। इस प्रकार, निगम भिन्न-भिन्न मामलों पर याचिकाओं से बस हानि देखा कि बस संचालकों ने दैनिक आधार पर इंटीग्रेटेड प्रोसेस के डाटा उपलब्ध नहीं करार एवं इसमें विकल होने पर ₹ 100 प्रतिदिन की दर से उर्माना लगाया जाएगा।

आधार पर इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग इश्यूईंग मशीन (इंटीग्रेटेड प्रोसेस) के डाटा प्रदान किये जायेंगे आरएफपी का अर्नब 4 (ix) में निर्धारित था कि बस संचालकों द्वारा निगम को दैनिक

### 3.9.6 इंटीग्रेटेड प्रोसेस डाटा को प्रस्तुत नहीं करने के लिए उर्माने की वसूली का अभाव

था। वीजीएफ दर की गणना में टैलिक बालान, अर्थवृद्ध एवं उर्माने का तल शामिल किया गया शीर्ष के अन्तर्गत सीधे कोई भूगोलन नहीं किया गया था। उत्तर सहस्रमतिकारक नहीं था क्योंकि निगम ने बताया कि संबंधित डिपोज से रिपोर्ट्स मांगी गई थी जिनमें दर्शाया गया था कि इन का निष्पत्ति नहीं किया जा सका।

कारण शेष डिपॉ के संबंध में टैलिक बालान, अर्थवृद्ध तथा उर्माने के पेटे अनियमित भूगोलन 7 के वाक्यांश 8 के अनुसार वसूल करने की आवश्यकता है। निगम से सूचना के अभाव के बस संचालकों को ₹ 1.41 करोड़<sup>38</sup> का अनियमित भूगोलन किया जिसे आरएफपी के अर्नब 4-माई 2016 तक, निगम ने 20 डिपॉ के संबंध में टैलिक बालान, अर्थवृद्ध एवं उर्माने के पेटे

₹ 42.37 करोड़ बस संचालकों को भुगतान किए गए थे। इस प्रकार, निगम के पास ₹ 13.96 2013-16 के दौरान ₹ 56.33 करोड़<sup>38</sup> की धनराशि प्राप्त की जिसमें से मार्च 2016 तक अंतर के पेटे किये गए भुगतानों का कमी भी मिलान नहीं किया। निगम ने राज्य सरकार से वर्ष हमने देखा कि निगम ने राज्य सरकार से प्राप्त निधियां तथा बस संचालकों को व्यावहारिकता

### 3.9.9 व्यावहारिकता अंतर निधि लेख का मिलान नहीं होना

निगम ने बैंक गारंटीज को नहीं भुगतान के संबंध में कोई विशेष उल्लेख प्रस्तुत नहीं किया।

(खोल पर कर की कटौती) काटा गया।

2014 के दौरान संचालक को जारी किये गये भुगतानों में से ₹ 0.39 लाख कम टीडीएस द्वारा इसे भी नहीं भुनाया गया। इसके अतिरिक्त, अंतर लिखा गया मई 2013 से करवर्षी 2013) लेकिन पथान समय एवं संचालक से जारी भुगतानों वसूलीय होने के उपरांत भी निगम के साथ समूह नंबर 4 के लिए ₹ 45,000 की एक अन्य बीजी को प्रस्तुत किया था (9 अक्टूबर 2015) का बीजी को भुगतान के लिए बैंक को एक पत्र लिखा था। बैंक ने निगम को उत्तर नहीं दिया तथा बीजी को भी नहीं भुनाया। इसके साथ ही, संचालक ने 8 अक्टूबर 2016 तक वैधता 2015) का बीजी को भुगतान के लिए बैंक को एक पत्र लिखा था। बैंक ने निगम को उत्तर नहीं के दौरान बीजी को भी नहीं भुनाया। निगम ने बीजी को वैधता की अंतिम तिथि (23 अक्टूबर निरस्तीकरण (जुलाई 2015) के बाद भुगतान की राशि की गणना नहीं की तथा उनकी वैधता हमने देखा कि निगम ने पहले समझौते (अंतर लिखा) का समूह नंबर 5 तथा 6 के (अप्रैल 2017) तथा मामला उच्च न्यायालय (जयपुर) के पास लंबित था (अप्रैल 2017)।

₹ 2.82 करोड़ का भुगतान लगाया (14 अक्टूबर 2016)। संचालक ने भुगतान जमा नहीं कराया 2016)। संचालक को देय व्यावहारिकता अंतर को समायोजित करने के पश्चात निगम ने अनुपालन नहीं करने के कारण सभी समझौतों को समाप्त कर दिया (जुलाई 2015 से जनवरी (बीजी) प्रस्तुत की। निगम ने आरएफपी/ परिवहन समझौतों के सभी नियमों तथा शर्तों की अनुसार, संचालक ने 23 अक्टूबर 2015 तक वैधता वाली ₹ 15 लाख की नौ बैंक गारंटी (संचालक) के साथ परिवहन समझौता किया (नवंबर 2012)। परिवहन समझौते के निगम के अंतर लिखे जाने के नौ समूहों में 100 बसों के संचालन के लिए स्टार लिफ्ट

### 3.9.8 बैंक गारंटियों को नहीं भुगतान

का उपयोग मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

निगम ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त की गई बीजीएफ की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो,

में बस संचालकों द्वारा दावा किये गए संचालित किलोमीटरों में से निम्नतम पर आधारित था। अथवा वाहन ट्रेकिंग सिस्टम (बीटीएस) द्वारा दर्ज किये गये संचालित किलोमीटरों अथवा बिलों साथ ही, व्यावहारिकता अंतर का भुगतान संचालन समझौते में उल्लिखित अनुसूचित किलोमीटरों किलोमीटरों का डाटा उपलब्ध था क्योंकि बिल पाठ्यक आधार पर प्रस्तुत किये गये थे। इसके किया गया था। इस समय तक निगम के पास बस संचालकों द्वारा मांग किए गए संचालित वास्तविक संचालन के एक से तीन महीने के पश्चात दावों को राज्य सरकार के पास दाखल होने, वास्तविक तथा सूचित आंकड़ों के बीच भिन्नता का कोई कारण नहीं था क्योंकि बसों के हमने देखा कि दावों को दर्ज कराने के समय निगम के पास सटीक सूचना की उपलब्धता नहीं

39	2014-15 के दौरान ₹ 30.68 करोड़ एवं 2015-16 के दौरान र्जमान की राशि ₹ 0.91 करोड़ की घटकर ₹ 18.70 करोड़।
40	संबंधित छिपी का मुख्य प्रबंधक, जिला परिवहन अधिकारी एवं संचालक का प्रतिनिधि।

लेखापरीक्षा के साथ वर्षों के दौरान निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम, परिवहन विभाग तथा संचालक के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात मार्ग बदले गए। आरएफपी में निर्रिष्ट मार्गों के लिए परिवहन विभाग द्वारा परमिट जारी नहीं किए जाने के कारण भी मार्ग बदल दिए गए। परिवहन विभाग से परमिट जारी करने के लिए मनाही तथा संयुक्त सर्वेक्षण प्रविष्टन का एक भी मामला, तथापि, निगम के पास उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, परिवहन विभाग ने भी लेखापरीक्षा को इस तरह का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, बस

निर्रिष्ट मार्गों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत समितियों का विवरण किसी भी चयनित छिपी में उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, निगम ने निर्रिष्ट मार्गों के संशोधन/परिवर्तन के कारण अर्जमाहित मार्गों तथा दैनिक यात्राओं की संख्या में बदलाव भी किए। निगम द्वारा बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बस संचालकों के अर्जों पर छिपीज ने की लंबाई, तथा दैनिक किराये की संख्या को बसों के संचालन से पहले ही ज्यादातर मामलों में चयनित छिपी में अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि आरएफपी में परिकल्पित मार्ग, मार्ग तदनुसार समायोजित करना था।

दोनों पार्टियों को पारस्परिक सहमति पर गठना करनी थी तथा व्यावहारिक अंतर की राशि को के लिए प्रबंध निदेशक की मंजूरी आवश्यक थी। मार्गों के संशोधन के कारण वित्तीय निर्रिष्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था। निर्रिष्ट र्जमानों से बाहर मार्गों के संशोधन/ परिवर्तन तक एवं एक वर्ष में अधिकतम चार बार तक समूह में किसी भी मार्ग को बदलने अथवा संशोधित संबंधित मूल्यांकन को संबंधित किया जायेगा। समिति को एकल चरण में मूल लम्बाई के 10 प्रतिशत अर्जुसार प्रत्येक समूह के लिए बनाई गई एक एक समिति<sup>40</sup> द्वारा मार्गों के संशोधन/ करबदल से संबंधित संख्या में बसों का संचालन करेगा। इसके साथ ही, वाक्यांश 6.3 के तथा समय-समय पर निर्रिष्ट समय एवं आवृत्ति के अर्जुसार निगम के नियंत्रण तथा आरएफपी के अनुच्छेद IV के वाक्यांश 4.1 में प्रावधान था कि संचालक केवल आवृत्ति मार्गों

### 3.9.10 आरएफपी तथा मार्ग परिवर्तन से निम्न बसों का संचालन

को संकलित किया जा रहा था। निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि भूगोल की वास्तविक स्थिति एवं शेष राशि में संशोधन नहीं किया।

जारी करने के उपरांत भी वर्ष 2013-14 के दौरान किये जाने वाले किसी भी भूगोल के बारे में भूगोल दर्शाया गया था। दैनिक अर्जुमान द्वारा ₹ 6.67 करोड़ के भूगोल के लिए स्वीकृति अंतर कोष के समकित विवरण में वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 48.47 करोड़<sup>39</sup> का बूट का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही, निगम के मुख्य कार्यालय पर संबंधित व्यावहारिकता का ₹ 7.20 करोड़ थी जबकि वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2016 को ₹ 1.99 करोड़ की शेष राशि करीब अप्रयुक्त राशि होने का कारण, बचत अर्जुमान के अर्जुसार, उपलब्ध धनराशि

• वित्त विभाग ने निगम को प्रत्येक मास के भार घटक तथा इसमें कमी के कारणों को सूचित करने के लिए निर्देश दिया (जनवरी 2014)। हमने देखा कि राज्य सरकार को सूचित निगम ने बताया कि संबंधित डिपो से सूचना एकत्र की जा रही थी।

अन्य समझौतों का भी पर्याप्त प्रदान नहीं किया।  
समझे 1 तथा 2 की सटीकता की तुलना तथा निधारण करने के लिए करौली डिपो के अभाव में लेखापरीक्षा भी वास्तविक भार घटक का निधारण नहीं कर सकी। निगम ने के खिलाफ शिकायतों के उपरांत भी मामले की कमी समीक्षा नहीं की। ईटीआईएम के जाल संचालन जारी रखे हुए थे यह संभवतः प्रतीत नहीं होता है। तथापि, निगम ने बस संचालक से बहुत नीचे था। पिछले चार सालों से बस संचालक इतने कम भी पर्याप्त पर बसों का व्यावहारिकता अंतर की आदर्श दर के निधारण में माने गये भी पर्याप्त (42 से 53 प्रतिशत) प्रतिशत को छोड़कर) के दौरान भी पर्याप्त 13 से 31 प्रतिशत के मध्य था। भी पर्याप्त (भी पर्याप्त) से ख्यासा हुआ कि दिसंबर 2012 से मई 2016 (जनवरी 2014 में 45 करौली डिपो के समझे नंबर 1 तथा 2 के संबंध में निगम द्वारा प्रदान यानी भार घटक गणना को प्रभावित नहीं किया।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन बताया कि इस सूचना के अभाव में बीबीएफ सौदा की सूचना प्रस्तुत नहीं की।

• निगम ने ना तो निर्धारित सूचना की मांग की तथा बस संचालकों ने भी निगम को निगमानी करने के लिए निगम द्वारा अधिष्ठित कोई अन्य सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक सिद्धांत आधार पर संचालन एवं रखरखाव योजना, तथा परियोजना के निष्पादन की संख्या, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर लेखापरीक्षा वार्षिक लेखे पर विवरणियां, प्राप्ति तथा निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में तथा अंतराल पर यानी परिवहन समझौतों के अनुच्छेद IX के अनुसार बस संचालकों द्वारा पूर्ण तथा राजस्व व्यय

इस मामले की आग जांच करने के लिए संबंधित डिपो को निर्देशित किया जा रहा था।  
नहीं करने के लिए संचालकों पर निर्दिष्ट र्जुमाना लगाया गया था। निगम ने यह भी बताया कि निगम ने, किसी प्रलेखीय सबूत को प्रस्तुत किया बिना बताया कि निष्पादन मापदण्डों का पालन अभाव में निगम बस संचालकों के खिलाफ र्जुमाना भी नहीं लगा सका।

निष्पादन की समीक्षा करने के लिए समितियों का गठन नहीं किया। निष्पादन की समीक्षा के संचालकों के खिलाफ लोगों की शिकायतों के उपरांत भी डिपो न बस संचालकों के पर लगभग ₹ 2,000 प्रतिदिन प्रति बस का र्जुमाना चुकाने के लिए दायी थी तथापि, बस समीक्षा करनी आवश्यक थी। बस संचालक, मापदण्डों (वाप्यांश 6.2) की पालना नहीं करने विवरण मशीनों के उपयोग इत्यादि जैसे 13 मापदण्डों पर बस संचालकों के निष्पादन की ईटीआईएमएस के जाल संचालन, बीबीएफ के संतोषजनक कार्य करने, निर्दिष्ट टिकट संचालन समझौते के अनुच्छेद VI के अनुसार, एक निगमानी समिति (समिति) को निर्देशित किया जा रहा था।

निगम ने बताया कि संबंधित डिपो को संचालकों से संबंधित प्रलेख एकत्र करने के लिए के स्थापित को सत्यापित नहीं किया जा सका।

समझौतों को निष्पादित किया था। इस प्रकार, सभी बस संचालकों द्वारा लगाये गये बाहनों



कर्मचारी मविष निधि एवं विविध प्राधान अर्थिनियम, 1952 (अर्थिनियम) की धारा 6 प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वह सीधे नियुक्ता द्वारा अथवा ठेकेदार के माध्यम से नियुक्ति है, के संबंध में

ए के अनुसार ₹ 4.05 करोड़ के जुमाने के नुकसान के लिये मविष को भी उठाया।  
 भुगतान करने के अतिरिक्त कर्मचारियों के मविष निधि योजना, 1952 के वाक्यांश 32 निधि एवं विविध प्राधान अर्थिनियम, 1952 की धारा 7 (क्यू) के अन्तर्गत ब्याज का मविष निधि की देय राशि के भुगतान करने में बूक की तथा इस प्रकार कर्मचारी मविष कम्पनी ने जुलाई 2015 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान ₹ 12.35 करोड़ की

### 3.10 मविष निधि देयताओं को जमा करने में बूक

#### राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

संघालकों को किये गये भुगतानों का मिलान करना चाहिए।  
 वर्सूली भी करनी चाहिए। साथ ही, निगम को राज्य सरकार से प्राप्त निधियाँ एवं बस समझौते की शर्तों के उल्लंघन के लिए बस संघालकों से जुमाने का निर्धारण एवं उसकी को किये गये अतिरिक्त भुगतान को वर्सूल करना चाहिए। निगम को आरएफपी तथा इस सिफारिश करते हैं कि निगम को व्यवहारीय अंतर अनुदान के विकल्प बस संघालकों

गया था।

समझौते के अनुसार बस संघालकों से आवश्यक प्रलेखों को निगम द्वारा प्राप्त नहीं किया। भुगतानों का मिलान नहीं किया। आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी का अभाव था क्योंकि सका। साथ ही, निगम ने राज्य सरकार से प्राप्त निधियाँ तथा बस संघालकों को किये गये के अभाव में निगम बस संघालक द्वारा प्रसारित किये गये किराए की निगरानी नहीं कर नहीं करने के लिए बस संघालकों से जुमाना भी वर्सूल नहीं किया। ईंटीआईएमएस डाटा जुमाने के रूप में अनियमित भुगतान भी किया। निगम ने ईंटीआईएमएस के डाटा उपलब्ध अधिभारों के अनधिकृत संग्रहण को बढ़ावा दिया। साथ ही, टैफिक बालन, दंड तथा लिए अलग से किराया अधिसूचित करने में निगम की विफलता ने बस संघालकों द्वारा की उपेक्षा करते हुए उनको व्यवहारीय अंतर का अधिक भुगतान किया। ग्रामीण क्षेत्रों के की दर तय की गई थी। निगम ने बस संघालकों द्वारा प्राप्त किये गये उच्च भार घटक बस संघालकों से वित्तीय योजना तैयार करने अथवा प्राप्त किए बिना ही व्यवहारीय अंतर योजना केवल 19 जिलों के 23 दिनों में ही कार्यान्वित की गई थी। प्रत्येक समूह के लिए निगम राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बस संपर्क प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि यह

#### निकष एवं अनुशंसाएँ

निगम ने बताया कि संबंधित दिनों से सूचना एकत्र की जा रही थी।

प्रतिशत भार घटक के मुकाबले 66, 74 एवं 63 प्रतिशत भार घटक सूचित किया।  
 उहाँ निगम ने अप्रैल, नवंबर तथा दिसंबर 2013 के महीनों में क्रमशः 30, 31 एवं 31 दिनों के अभिलेख से मूल नहीं करती था। करौली दिनों में अधिकतम अंतर देखा गया किया गया (फरवरी 2014) भार घटक (दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही के लिए)

अनुसार अगस्त 2017 तक ₹ 4.05 करोड़ के र्जमान के नुकसान के जोखिम को जारी रखा। (क्यू) के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त डेपॉजिट योजना के वाक्यांश 32 ए के अधिष्ठान्तिक की देय राशि के भुगतान में बँक करते हुए, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 7

भी जोड़ित थी।

करवाया। सितंबर 2017 तक, अधिष्ठान्तिक की देनदारी के पेटे ₹ 7.99 करोड़ की राशि अभी 2016 तक की अधिष्ठान्तिक अधिष्ठान्तिक की देय राशि के पेटे ₹ 4.36 करोड़ जमा के कारण कोषों की कमी का उल्लेख किया। कम्पनी ने देरी के साथ जुलाई 2015 से माघ अधिष्ठान्तिक की बकाया राशि को जमा नहीं कराने के कारण के रूप में कम्पनी ने जारी इतिवृत्त कलस्वरूप, अधिष्ठान्तिक की बकाया राशि जनवरी 2017 तक ₹ 9.31 करोड़ तक पहुँच गई। कर्मचारियों के अंशदान की राशि का अन्य संभालन गतिविधियों के लिए उपयुक्त किया गया। नियोजकों के हिस्से के साथ अधिष्ठान्तिक योजना में नियमित रूप से जमा नहीं करवाया। भुगतान के समय कर्मचारियों के अंशदान की कटौती की गई लेकिन इसे जुलाई 2015 से दमन देखा कि राजस्थान पब्लिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा मजदूरी/ वेतन के

के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके।)

प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से क्षति के लिए र्जमाना (डेपॉजिट योजना के वाक्यांश 32 ए

• बँक की अधिष्ठान्तिक छह महीने अथवा उससे अधिक होने के मामले में बकाया के 37

7 (क्यू) (तथा

प्रति वर्ष अथवा योजना में निहित इससे उच्च दर से सरल ब्याज (अधिनियम की धारा भुगतान के लिए देय हो गई इससे बकाया के वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत

• इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी राशि पर उस तिथि से जिस पर यह राशि

रूप में देय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भी हो सकता है।

है, नियोजकों की देय राशि भी अंशदान के भुगतान में बँक के लिए ब्याज एवं क्षति के अथवा पांच हजार ₹ का र्जमाना अथवा दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। इससे के साथ दंडनीय अपराध के रूप में माना जा चुका है। नियोजकों को एक वर्ष की अधिष्ठान्तिक के लिए केवल अधिष्ठान्तिक की देय राशि को जमा नहीं कराये जाने को क्रमशः धारा 14 एवं वाक्यांश 76 के अन्तर्गत के अंशदान को जमा करना आवश्यक होता है। अधिनियम तथा डेपॉजिट योजना के द्वारा अधिष्ठान्तिक अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर कर्मचारी के अंशदान के साथ नियोजकों के अंशदान को कर्मचारी अधिष्ठान्तिक योजना, 1952 (डेपॉजिट योजना) के वाक्यांश 38 के

भुगतान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

धारा के अधीन कि नियोजकों इस धारा के अन्तर्गत देय अपने अंशदान के ऊपर कोई अंशदान का भत्ता, यदि कोई है, के 12 प्रतिशत से अधिक के अंशदान की इच्छा रखता है तो, वह राशि इस अंशदान के बराबर अथवा यदि कोई कर्मचारी उसकी मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा प्रतिधारण 'नियोजकों' के लिए अनिवार्य बनाती है। इससे के साथ ही, कर्मचारी का अंशदान नियोजकों है, के 12 प्रतिशत की दर से नियोजकों के अंशदान को जमा करने के लिए इससे एक अधिष्ठान्तिक के पेटे मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ता, तत्समय, यदि कोई देय

भारत के निर्यात-महालेखापरीक्षक

(राजीव महरि)

*[Handwritten signature]*

29 JAN 2018

नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

महालेखाकार

(अनादि मिश्र)

*[Handwritten signature]*

29 JAN 2018

जयपुर

आवश्यक है।  
 वैधानिक देय राशि का भुगतान करने के लिए उचित प्राथमिकता देते हुए कोषों का प्रबंध करना  
 की कमी का हवाला देते हुए किसी भी संगठन द्वारा रोका नहीं जा सकता है। कम्पनी को  
 रखने के लिए अधिनियम तथा ईपीएफ योजना में कई प्रवधान शामिल कर चुकी है जिन्हें धन  
 बाध्यकारी थी। भारत सरकार, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को सुरक्षित  
 अन्तर्गत दंड से बचने के लिए समय पर पर मविष निधि की देय राशि जमा करने के लिए  
 हमने देखा कि कम्पनी वैधानिक तौर पर अधिनियम तथा ईपीएफ योजना के प्रवधानों के  
 नहीं मिली थी।  
 मविष निधि देय राशि के भुगतान में देरी के संबंध में जमाना तथा ब्याज के लिए कोई सूचना  
 स्थिति के कारण मविष निधि देय राशि जमा नहीं करायी जा सकी। साथ ही, कम्पनी को  
 कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (अप्रैल 2017) कि कम्पनी की गंभीर वित्तीय



## अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 8 पर अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया हैं					योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थसाहाय्य	ऋणों के पुनर्भुगतान का अपलेखन	
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	638.96	2016-17	-	150.00	60.00	-	210.00

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 10, 11 एवं 13 पर अनुच्छेद संख्या क्रमशः 1.15, 1.16 एवं 1.19 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव <sup>1</sup>	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी <sup>2</sup>	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
<b>क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ</b>														
<b>कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र</b>														
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	27.62	1.53	2.52	23.57	219.34	-	7.59	117.19	124.78	25.10	20.12
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>27.62</b>	<b>1.53</b>	<b>2.52</b>	<b>23.57</b>	<b>219.34</b>		<b>7.59</b>	<b>117.19</b>	<b>124.78</b>	<b>25.10</b>	
<b>वित्त क्षेत्र</b>														
2	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-	-
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	4.07	0.52	0.64	2.91	117.10	₹ 0.06 करोड़ से लाभ में कमी	6.96	-17.29	2.22	3.43	154.50
4	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.55	0.01	0.05	0.49	16.25	-	46.06	-45.53	4.05	0.50	12.35
5	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	6.26	-	0.01	6.25	7.04	-	90.00	11.26	101.26	6.25	6.17
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>10.88</b>	<b>0.53</b>	<b>0.70</b>	<b>9.65</b>	<b>140.39</b>		<b>143.02</b>	<b>-51.57</b>	<b>107.52</b>	<b>10.18</b>	
<b>ढाँचागत क्षेत्र</b>														
6	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.25	-	-	-0.25	0.01	-	0.50	-0.3	0.2	-0.25	-125.00
7	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	354.19	3.58	1.03	349.58	897.75	-	210.19	1560.05	1770.23	353.16	19.95
8	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	398.16	241.38	133.68	23.10	1044.10	-	100.00	93.34	2320.63	264.48	11.40

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव <sup>1</sup>	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी <sup>2</sup>	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
9	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढाँचागत निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	3.17	-	0.29	2.88	109.60	₹ 0.05 करोड़ से लाभ में वृद्धि	48.67	20.60	643.28	2.88	0.45
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>755.27</b>	<b>244.96</b>	<b>135.00</b>	<b>375.31</b>	<b>2051.46</b>		<b>359.36</b>	<b>1673.69</b>	<b>4734.34</b>	<b>620.27</b>	
<b>विनिर्माण क्षेत्र</b>														
10	बाड़मेर लिग्नाइट स्नन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (14) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2016-17	2017-18	86.04	49.68	27.55	8.81	813.41	-	20.0	-26.33	1511.37	58.49	3.87
11	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	28.93	-	0.26	28.67	4962.29	-	2.00	32.59	34.59	28.67	82.89
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2016-17	2017-18	84.93	-	28.24	56.69	1037.88	-	181.20	96.27	277.97	56.69	20.39
13	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2016-17	2017-18	-2.15	-	0.42	-2.57	3.09	₹ 0.09 करोड़ से हानि में वृद्धि	34.02	-1.29	32.72	-2.57	-7.85
14	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2015-16	2016-17	249.10	7.00	41.77	200.33	948.90	₹ 22.18 करोड़ से लाभ में कमी	77.55	1870.37	1947.92	207.33	10.64
15	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क (14) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	0.02	-	-	0.02	-	-	11.10	-0.82	10.28	0.02	0.19
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>446.87</b>	<b>56.68</b>	<b>98.24</b>	<b>291.95</b>	<b>7765.57</b>		<b>325.87</b>	<b>1970.79</b>	<b>3814.85</b>	<b>348.63</b>	
<b>ऊर्जा क्षेत्र</b>														
16	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1423.46	1288.80	471.35	-336.69	9596.79	₹ 15.23 करोड़ से हानि में वृद्धि	7854.85	-30684.44	789.12	952.11	120.65
17	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.24	-	0.02	-0.26	-	-	0.05	-9.09	-9.04	-0.26	-
18	बाड़मेर उर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.01	0.04	-0.01	-25.00
19	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.02	1.77	-	-1.79	-	-	0.05	-13.54	-13.49	-0.02	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव <sup>1</sup>	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी <sup>2</sup>	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
20	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.03	0.02	-	-
21	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.04	0.01	-	-
22	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-5.06	153.37	77.54	-235.97	11.05	-	370.05	-699.19	714.48	-82.60	-11.56
23	हाड़ौती उर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.01	0.04	-0.01	-25.00
24	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1769.93	1627.65	758.03	-615.75	13682.36	₹ 12.94 करोड़ से हानि में कमी	8463.06	-32909.75	1375.97	1011.90	73.54
25	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1059.90	1552.04	536.54	-1028.68	11138.63	₹ 3.88 करोड़ से हानि में कमी	7829.04	-31042.87	108.23	523.36	483.56
26	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-2.03	-1.98	-0.01	-
27	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.30	-0.30	-	-	-
28	पिक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.26	-0.26	-	-	-
29	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1627.47	878.41	734.53	14.53	2451.71	-	4020.72	-1300.04	12896.72	892.94	6.92
30	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	3954.51	2453.70	1149.01	351.80	11760.03	-	9425.17	-4792.80	37248.99	2805.50	7.53
31	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	41.28	0.55	11.89	28.84	108.93	₹ 0.23 करोड़ से लाभ में कमी	12.94	148.77	161.71	29.39	18.17
32	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (31) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	13.29	-	1.87	11.42	10.38	-	0.05	66.29	66.34	11.42	17.21



क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव <sup>v</sup>	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी <sup>s</sup>	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
33	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-	-	-	-	9.07	-	50.00	-	50.00	-	-
34	थार उर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (क्रम संस्था क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.01	0.04	-0.01	-25.00
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>9884.48</b>	<b>7956.29</b>	<b>3740.78</b>	<b>-1812.59</b>	<b>48768.95</b>		<b>38026.84</b>	<b>-101239.35</b>	<b>53387.20</b>	<b>6143.70</b>	
<b>सेवा क्षेत्र</b>														
35	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	27.68	24.31	73.17	-69.80	9.72	-	1694.04	-180.25	2079.92	-45.49	-2.19
36	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	2017-18	19.92	0.04	0.53	19.35	82.61	₹ 1.09 करोड़ से लाभ में वृद्धि	5.00	46.79	51.79	19.39	37.44
37	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	2.46	0.01	0.03	2.42	89.12	-	5.00	5.74	10.74	2.43	22.63
38	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	19.31	3.88	2.77	12.66	526.86	-	5.00	19.22	50.36	16.54	32.84
39	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2016-17	2017-18	2.58	0.05	0.29	2.24	74.20	-	0.05	-8.00	-7.95	2.29	-
40	राजस्थान राज्य स्टाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	15.98	6.39	0.17	9.42	561.77	₹ 2.77 करोड़ से लाभ में वृद्धि	50.00	32.88	82.88	15.81	19.08
41	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1.14	0.04	0.08	-1.26	1.47	₹ 2.12 करोड़ से हानि में वृद्धि	2.16	-8.51	-0.35	-1.22	-
42	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-18.57	0.22	3.75	-22.54	78.26	₹ 0.09 करोड़ से हानि में वृद्धि	21.95	-125.06	-93.74	-22.32	-
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>68.22</b>	<b>34.94</b>	<b>80.79</b>	<b>-47.51</b>	<b>1424.01</b>		<b>1783.20</b>	<b>-217.19</b>	<b>2173.65</b>	<b>-12.57</b>	
<b>योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)</b>				<b>11193.34</b>	<b>8294.93</b>	<b>4058.03</b>	<b>-1159.62</b>	<b>60369.72</b>		<b>40645.88</b>	<b>-97746.44</b>	<b>64342.34</b>	<b>7135.31</b>	
<b>ख. कार्यरत सांविधिक निगम</b>														
<b>वित्त क्षेत्र</b>														
1	राजस्थान वित्त निगम	2016-17	2017-18	39.23	36.30	0.25	2.68	73.94	-	160.73	-122.85	663.54	38.98	5.87
<b>क्षेत्रवार योग</b>				<b>39.23</b>	<b>36.30</b>	<b>0.25</b>	<b>2.68</b>	<b>73.94</b>		<b>160.73</b>	<b>-122.85</b>	<b>663.54</b>	<b>38.98</b>	
<b>सेवा क्षेत्र</b>														
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	2016-17	-335.01	90.17	67.23	-492.41	1661.89	₹ 1658.39 करोड़ से हानि में वृद्धि	638.96	-3469.51	-1666.36	-402.24	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव <sup>४</sup>	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी <sup>५</sup>	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2016-17	2017-18	48.98	6.21	7.94	34.83	80.88	-	7.85	158.67	383.84	41.04	10.69
क्षेत्रवार योग				-286.03	96.38	75.17	-457.58	1742.77		646.81	-3310.84	-1282.52	-361.20	
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				-246.80	132.68	75.42	-454.90	1816.71		807.54	-3433.69	-618.98	-322.22	
कुल योग (क+ख)				10946.54	8427.61	4133.45	-1614.52	62186.43		41453.42	-101180.13	63723.36	6813.09	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.14	1.30	-	-1.44	-	-	6.01	-53.21	-2.11	-0.14	-
क्षेत्रवार योग				-0.14	1.30	-	-1.44	-		6.01	-53.21	-2.11	-0.14	
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.06	-	-	0.06	-	-	4.49	-6.32	-1.82	0.06	-
				0.06	-	-	0.06	-		4.49	-6.32	-1.82	0.06	
विविध क्षेत्र														
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.03	-	-	0.03	-	-	1.27	-2.09	-0.82	0.03	-
क्षेत्रवार योग				0.03	-	-	0.03	-		1.27	-2.09	-0.82	0.03	
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				-0.05	1.30	-	-1.35	-		11.77	-61.62	-4.75	-0.05	-
कुल योग (क+ख+ग)				10946.49	8428.91	4133.45	-1615.87	62186.43		41465.19	-101241.75	63718.61	6813.04	10.69

₹ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये।

& नियोजित पूँजी से आशय अंशधारियों के कोष एवं दीर्घकालीन उधारियों के योग से है।

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	संश्लिष्ट लाभ (+) / हानि (-)	निवल सम्पत्ति
<b>ऊर्जा क्षेत्र</b>				
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7854.85	-30684.44	-22829.59
2	बांसवाड़ा राष्ट्रीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	0.05	-9.09	-9.04
3	बाड़मेर राष्ट्रीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	0.05	-13.54	-13.49
4	निरल लिनाइट ऊर्जा लिमिटेड	370.05	-699.19	-329.14
5	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	8463.06	-32909.75	-24446.69
6	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7829.04	-31042.87	-23213.83
7	केशीरामपाटन शीघ्र राष्ट्रीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	0.05	-2.03	-1.98
8	लोक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड	0.30	-0.30	0.00
9	लोक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड	0.26	-0.26	0.00
<b>क्षेत्रवार योग</b>		<b>24517.71</b>	<b>-95361.47</b>	<b>-70843.76</b>

(₹ करोड़ में)

विवरण-पत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला

(पृष्ठ संख्या 13 पर अर्न्तविष्ट संख्या 1.19 में संदर्भित)

अनुबंध-2अ

अनुबंध-2ब

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 1.19 में संदर्भित)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल सम्पत्ति
<b>सेवा क्षेत्र</b>				
1	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	0.05	-8.00	-7.95
2	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2.16	-8.51	-6.35
3	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	-125.06	-103.11
4	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	638.96	-3469.51	-2830.55
5	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	4.49	-6.32	-1.83
<b>क्षेत्रवार योग</b>		<b>667.61</b>	<b>-3617.40</b>	<b>-2949.79</b>
<b>कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र</b>				
6	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	-53.21	-47.20
<b>क्षेत्रवार योग</b>		<b>6.01</b>	<b>-53.21</b>	<b>-47.20</b>
<b>वित्त क्षेत्र</b>				
7	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	-	-0.01	-0.01
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	6.96	-17.29	-10.33
<b>क्षेत्रवार योग</b>		<b>6.96</b>	<b>-17.30</b>	<b>-10.34</b>
<b>विनिर्माण क्षेत्र</b>				
9	बाड़मेर लिग्नाईट स्पनन कम्पनी लिमिटेड	20.00	-26.33	-6.33
<b>क्षेत्रवार योग</b>		<b>20.00</b>	<b>-26.33</b>	<b>-6.33</b>
<b>विविध क्षेत्र</b>				
10	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	1.27	-2.09	-0.82
<b>क्षेत्रवार योग</b>		<b>1.27</b>	<b>-2.09</b>	<b>-0.82</b>

## अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 33 पर अनुच्छेद 2.12.2 में संदर्भित)

अनुमानित दरों से उच्च दरों पर निविदा प्रदान करने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सामग्री का विवरण	निविदा में प्राप्त निम्नतम मूल्य (₹ प्रति इकाई में)	अन्य डिस्कोम्स द्वारा प्रदान की गई पिछली निविदा/नवीनतम निविदा के आधार पर कम्पनी द्वारा ज्ञात किया गया अद्यतन मूल्य (₹ में)	मूल्य जिस पर क्रयादेश प्रदान किया गया था	क्रय की गई मात्रा (इकाइयों में)	अनुमानित बचत (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(4) - (3)] X (5)
<b>टीएन 2181 (विभिन्न रेटिंग्स के सिंगल फेज कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय)</b>					
10 केवीए	34935.53	33683.95	34500	875	714043.75
25 केवीए	64665.99	60342.65	63200	2000	5714700.00
<b>टीएन 4364 (गैल्वनाइज्ड स्टील स्टे सैटस का क्रय)</b>					
16 X 1800	529.96	450.23	490.10	200770	8004699.90
20 X 2400	920.05	787.06	853.56	11052	734958.00
<b>टीएन 2169 (12 केवी आउटडोर वीसीवी कियोस्क का क्रय)</b>					
12 केवी वीसीवी कियोस्क	264817.60	249607.59	259000	3971	37297260.11
<b>टीएन 4377 (भिन्न-भिन्न आकार की एलटी एक्सएलपीई आर्मर पावर केबल का क्रय)</b>					
2सी X 4 वर्ग मीमी	28999.95	26117.22	27558.59	4000	5765480.00
<b>टीएन 2163 (विभिन्न अनुपातों वाले 11 केवी सीटी-पीटी सैटस का क्रय)</b>					
50/5	33945.62	30741.66	33945.62	200	640792
15/5	36329.45	36243.43	36329.45	400	34408.00
<b>टीएन 2218 (मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स वाले 25 केवीए एवं 40 केवीए श्री फेज एल्यूमिनियम वाउण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय)</b>					
25 केवीए	43699.00	42416.47	42623.80	14957	3101034.81
<b>टीएन 2180 (315 केवीए एवं 500 केवीए श्री फेज कॉपर वाउण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय)</b>					
315 केवीए	394795	386981.06	390888.03	1166	455527.02
500 केवीए	596000	564409.47	584621.83	12	242548.32

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

सामग्री का विवरण	निविदा में प्राप्त निम्नतम मूल्य (₹ प्रति इकाई में)	अन्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई पिछली निविदा/नवीनतम निविदा के आधार पर कम्पनी द्वारा ज्ञात किया गया अद्यतन मूल्य (₹ में)	मूल्य जिस पर क्रयादेश प्रदान किया गया था	क्रय की गई मात्रा (इकाइयों में)	अनुमानित बचत (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(4) - (3)] X (5)
टीएन 2176 (मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स वाले 40 केवीए थ्री फेज थ्री स्टार रेटिंग, एल्यूमिनियम वाउण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय)					
40 केवीए (डबल मीटर)	59300.00	51998.86	59200	1380	9937573.20
टीएन 4407 (7/10 एवं 7/8 आकार के गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का क्रय)					
7/10	68460.00	60838.99	68443.27	2100	15968988.00
7/8	67934.88	60764.70	67829.10	480	3390912.00
कुल संभावित बचत (₹ में)					<b>96102925.11</b>

कम्पनी ने एसीएस के पास जमा करा दिया। अक्षीणा अभियंता (टीडब्ल्यू) ने अक्षीणा अभियंता (ओपुएएम) को एसीएस खोलने के बाद, कम्पनी द्वारा फर्म के स्टोर से सामग्री को जमा कर लिया गया एवं इसे 2011 में जमा था (अप्रैल 2011)। शेष कार्य इंदौर में टल इन्डस्ट्रीज को प्रदान किए गए (4 जुलाई 2011)। एसीएस को आरजीजीबीवाई काया के निष्पादन से संबंधित विभिन्न अभियंतियों के लिए काली भी प्रदान किया (मई 2008)।

**किस-2: ठेकदारों द्वारा जमा किये गए सामग्री**

वृत्तिका थी।

कम्पनी ने एसीएस के अधीन सीडी- VII की 11 कपी की 20 लाइनों के नवीनीकरण का कार्य किया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी। ठेकदार को 2 सी X 4 वर्गमीटर केवल के स्थान पर इस प्रकार की प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमत है, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इस प्रकार की केवल की कमी भी कार्य में प्रत्यक्ष नहीं करने के उपरांत भी निवारण की समीक्षा गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल के संबंध में कायालियाँ को जारी एसीएस को जारी करने के लिए एसीएस को कमी भी निर्दिष्ट नहीं किया। केवल की गणना में किया गया। तथापि, इसे केवल इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका क्योंकि टर्नकी विभा ने इस केवल को को प्रदान किया। ठेकदारों द्वारा 2008-11 के दौरान केवल को कार्य किया गया एवं एसीएस के पास जमा किया गया (मई 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी। ठेकदार को 2 सी X 4 वर्गमीटर केवल के स्थान पर इस प्रकार की प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमत है, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इस प्रकार की केवल की कमी भी कार्य में प्रत्यक्ष नहीं करने के उपरांत भी निवारण की समीक्षा गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल के संबंध में कायालियाँ को जारी एसीएस को जारी करने के लिए एसीएस को कमी भी निर्दिष्ट नहीं किया। केवल की गणना में किया गया। तथापि, इसे केवल इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका क्योंकि टर्नकी विभा ने इस केवल को को प्रदान किया। ठेकदारों द्वारा 2008-11 के दौरान केवल को कार्य किया गया एवं एसीएस के पास जमा किया गया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी। ठेकदार को 2 सी X 4 वर्गमीटर केवल के स्थान पर इस प्रकार की प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमत है, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इस प्रकार की केवल की कमी भी कार्य में प्रत्यक्ष नहीं करने के उपरांत भी निवारण की समीक्षा गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल के संबंध में कायालियाँ को जारी एसीएस को जारी करने के लिए एसीएस को कमी भी निर्दिष्ट नहीं किया। केवल की गणना में किया गया। तथापि, इसे केवल इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका क्योंकि टर्नकी विभा ने इस केवल को को प्रदान किया। ठेकदारों द्वारा 2008-11 के दौरान केवल को कार्य किया गया एवं एसीएस के पास जमा किया गया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी।

केवल का प्रकार	स्वीकार की गई	सामग्री (किमी)	मूल्य (₹ करोड़ में)
2सी X6 वर्गमीटर	437.832	395.38	1.80
4सीX10 वर्गमीटर	84.390	60.368	0.22

**किस-1: विभिन्न आकार की केवल**

1. कम्पनी ने टीएन 164 (उपगोक्ताओं के पुराने विद्युत सीटर एवं दोषपूर्ण सर्जिस लाइन को बदलना) के अधीन सभी कार्यों को बीच में ही बंद कर दिया एवं ठेकदारों से विभिन्न प्रकार की आधिशेष केवल को स्वीकार किया (2010-11)। स्वीकार की गई सामग्री का विवरण एवं मार्च 2017 तक इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

2. कम्पनी ने एसीएस के अधीन सीडी- VII की 11 कपी की 20 लाइनों के नवीनीकरण का कार्य किया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी। ठेकदार को 2 सी X 4 वर्गमीटर केवल के स्थान पर इस प्रकार की प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमत है, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इस प्रकार की केवल की कमी भी कार्य में प्रत्यक्ष नहीं करने के उपरांत भी निवारण की समीक्षा गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल के संबंध में कायालियाँ को जारी एसीएस को जारी करने के लिए एसीएस को कमी भी निर्दिष्ट नहीं किया। केवल की गणना में किया गया। तथापि, इसे केवल इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका क्योंकि टर्नकी विभा ने इस केवल को को प्रदान किया। ठेकदारों द्वारा 2008-11 के दौरान केवल को कार्य किया गया एवं एसीएस के पास जमा किया गया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी। ठेकदार को 2 सी X 4 वर्गमीटर केवल के स्थान पर इस प्रकार की प्रत्यक्ष करने के लिए अनुमत है, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इस प्रकार की केवल की कमी भी कार्य में प्रत्यक्ष नहीं करने के उपरांत भी निवारण की समीक्षा गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल के संबंध में कायालियाँ को जारी एसीएस को जारी करने के लिए एसीएस को कमी भी निर्दिष्ट नहीं किया। केवल की गणना में किया गया। तथापि, इसे केवल इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका क्योंकि टर्नकी विभा ने इस केवल को को प्रदान किया। ठेकदारों द्वारा 2008-11 के दौरान केवल को कार्य किया गया एवं एसीएस के पास जमा किया गया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केवल कमी थी।

सूचित किया (3 जून 2011) कि फर्म से जब्त की गई सामग्री एवं सीटीएल जांच के बाद शेष कार्यों पर प्रयुक्त की जानी चाहिए। फर्म से जब्त की गई सामग्री जांच की गई एवं सही पाई गई तथा सीटीएल में पास की गई सामग्री ₹ 42.57 लाख की आंकी गई।

कम्पनी ने, तथापि, सामग्री को प्रयुक्त नहीं किया (मई 2017) एवं यह धौलपुर एसीओएस के पास पड़ी हुई थी। इसी प्रकार, कम्पनी ने टीएन 7 (क्रोम्टन ग्रीज लिमिटेड) एवं टीएन 18 (फर्म) के अधीन ₹ 2.55 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया। यह सामग्री भी, कार्यों के समापन के अभाव में जिसके लिए सामग्री प्राप्त की गई थी, धौलपुर एसीओएस के पास पड़ी हुई थी (मई 2017)।

### **केस-3: मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स**

कम्पनी ने एटूजेड मेंटेनेन्स लिमिटेड (फर्म) को कोटा वृत्त के जिला स्वण्ड की 53 फीडर्स (11 केवी) के नवीनीकरण का कार्य (टीएन 141) प्रदान किया (नवम्बर 2006)। कम्पनी ने छः फीडर्स का कार्य निरस्त कर दिया एवं इसे सीएलआरसी<sup>1</sup> के आधार पर निष्पादित किया। सीएलपीसी ने बीओक्यू को पूनरीक्षित किया (अक्टूबर 2012)। हमने देखा कि फर्म ने एसीओएस कोटा के पास ₹ 70.33 लाख मूल्य के 1,274 मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज जमा कराये (जून 2013 से मार्च 2014)। अधिशेष सामग्री के सत्यापन के लिए समिति ने इंगित किया (मई 2014) कि मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज प्रयुक्त करने योग्य नहीं थे। बॉक्सेज भीतर की ओर से जंग लगे हुए थे; बैकलाइट सीट उपलब्ध नहीं थी; शीशे टूटे हुए थे; गार्स्केट उपलब्ध नहीं थे इत्यादि। एसीओएस ने अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) को सूचित किया (अप्रैल 2015) कि बॉक्सेज प्रयुक्त करने के लिए सही नहीं थे। इसने आगे बताया कि एमएम विंग मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज के साथ वितरण ट्रांसफॉर्मर्स क्रय कर रही थी एवं इस प्रकार भविष्य में इन बॉक्सेज के उपयोग की संभावना नहीं थी।

फर्म ने अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) के निर्देशानुसार (अगस्त 2015) 1,144 बॉक्सेज की मरम्मत की। शेष बॉक्सेज मरम्मत होने योग्य नहीं थे। तथापि, मरम्मत किये गये बॉक्सेज को काम में नहीं लिया गया क्योंकि नये वितरण ट्रांसफॉर्मर्स मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज के साथ पहले ही लगा दिये गये थे। मार्च 2017 को सभी बॉक्सेज एसीओएस के पास पड़े हुए थे।

₹ 63.15 लाख मूल्य के 1,144 मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज को स्वीकारने का निर्णय, इस प्रकार, न्यायसंगत नहीं था।

### **केस-4: गैल्वनाइज्ड आयरन वायर**

कम्पनी ने पिछली बार टीएन 4086 (मई 2005) के अधीन गैल्वनाइज्ड आयरन (जीआई) वायर का क्रय किया। जीआई वायर के अलग क्रय को रोक दिया क्योंकि यह एबी केबल के साथ आया था। डीसीएफ ने, इस प्रकार, ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री के रूप में जीआई वायर को नहीं स्वीकारने के लिए निर्देशित किया (अगस्त 2010)। हमने देखा कि एसीओएस ने निर्देशों को संज्ञान में नहीं लिया एवं अनुबंधों के समय पूर्व समापन के कारण ठेकेदारों से जीआई वायर स्वीकार किया। मार्च 2017 को, एसीओएस के पास ₹ 3.82 करोड़ एवं ₹ 42.75 लाख का क्रमशः 963 एमटी (8 एसडब्ल्यूजी) एवं 123.90 एमटी (6 एसडब्ल्यूजी) का स्टॉक पड़ा हुआ था। कम्पनी से सूचना के अभाव में टर्नकी ठेकेदारों से स्वीकार किये गये जीआई वायर का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, हमने देखा कि दो चयनित एसीओएस (कोटा एवं जेपीडीसी) ने डीसीएफ के निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 0.60 करोड़ मूल्य का 150.43 एमटी जीआई वायर (8 एसडब्ल्यूजी) स्वीकार किया (अगस्त 2010 के बाद)।

### **केस-5: स्वीच फ्यूज यूनिट**

अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) ने टर्नकी ठेकेदारों को एफआरपी कार्यों के अधीन स्वीच फ्यूज यूनिट्स (एसएफयूज) को प्रयुक्त नहीं करने के निर्देश जारी किये (5 अप्रैल 2007)। कम्पनी ने ठेकेदारों के अभ्यावेदन पर इसके निर्णय की समीक्षा की एवं एफआरपी कार्यों के लिए श्री फेज एसएफयूज को प्रयुक्त करने के लिए इनको अनुमत किया (20 अप्रैल 2007)। ठेकेदारों को, तथापि, निर्देशित किया (अप्रैल 2007) कि श्री फेज



एसएफयूज की आपूर्ति कार्यादेश में इंगित अथवा पुनरीक्षित बीओक्यू के अनुसार मात्रा तक सीमित रहनी चाहिए। कम्पनी ने तकनीकी समिति की सिफारिशानुसार (अगस्त 2007) एसएफयूज को प्रयुक्त करना भी बंद कर दिया।

टर्नकी ठेकेदारों द्वारा क्रय की गई एसएफयूज कुछ ठेकों में स्थापित नहीं की गई थी एवं इस प्रकार, अधिशेष हो गई थी। मामलों को एफआरपी कार्यों के अधीन अनुबंधों के समापन के समय पर तकनीकी समिति को संदर्भित किया गया। तकनीकी समिति ने 24 घण्टे आपूर्ति वाली शहरी एवं नगरपालिका कस्बों के फीडर्स में 11 केवी श्रु फेज एसएफयूज तथा केवल आबादी क्षेत्र में 11 केवी सिंगल फेज एसएफयूज को प्रयुक्त करने की सिफारिश की (जून 2013)।

हमने देखा कि कम्पनी ने 27 टर्नकी कार्यों के समापन पर ₹ 6.06 करोड़ मूल्य की 3,672 श्रु फेज एसएफयूज एवं ₹ 26.93 लाख मूल्य की 638 सिंगल फेज एसएफयूज को स्वीकार किया। कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को केवल श्रु फेज एसएफयूज को अनुमत करने के उपरांत भी सिंगल फेज एसएफयूज स्वीकार किये गये। मार्च 2017 को, एसीओएस के पास 430 सिंगल फेज (₹ 18.15 लाख) एवं 631 श्रु फेज (₹ 1.04 करोड़) एसएफयूज पड़े थे। शेष एसएफयूज उपस्वण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। फिल्ड कार्यालयों द्वारा एसएफयूज के उपयोग को, यद्यपि, आंकड़ों के अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। मार्च 2017 तक, एसीओएस द्वारा नमूना जांच किये गये 21 उपस्वण्डीय स्टोर्स को 162 सिंगल फेज एवं 410 श्रु फेज एसएफयूज जारी किये गये। तथापि, इन उपस्वण्डों द्वारा मार्च 2017 तक, केवल 118 सिंगल फेज एवं 357 श्रु फेज एसएफयूज प्रयुक्त किये गये थे।

1	प्रवर्धन से गतवर्ष हुई वृद्धि पर रसदस्तावेज से है।
2	11 कृषि 400 एमपीएस फील माउण्टेड बैकग्राउंड रिक्वायर्स।

(कस-3) टीएन 2118 के अधीन आपूर्तियों के विरुद्ध अलवर एसीओएस ने 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 68.23 लाख मूल्य के 454 विवरण विक्रेताओं को प्रकट किया। इसी प्रकार, कोटा एसीओएस ने 2014-16

**संशोधन केवली के लिए विवरण विक्रेता**

सरकार ने बताया कि फिरोज की आवश्यकताओं के लिए उपकरणों के एकल कार्य निष्पादन पर सामग्री को खरीदना होगा। उच्चतम तकनीकी नतीजा प्राप्त होगा। कृषि विभाग के प्रमुख को प्रकट किया गया था।

वैकल्पिक प्रस्ताव रखने से सामग्री की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो गई।  
 रिक्वायर्स के अधिकतम 51.82 लाख (25 रिक्वायर्स) के कोष अवकाश के माध्यम से 16 फिरोज को जारी किया था। रिक्वायर्स की गारण्टी अवधि अक्टूबर 2009 में समाप्त हो चुकी थी।  
 मार्च 2017 को, रिक्वायर्स जेपीडीसी के पास अग्रयुक्त पत्रे हुए थे जबकि एसीओएस अलवर ने 20 रिक्वायर्स

अथवा फिरोज प्रेषण की गारण्टी से 18 माह, जो दोनों में पहले थी, होगी।  
 (टीएन 1853) के वाक्य 6(बी) में प्रावधान था कि सामग्री की गारण्टी अवधि संस्थापन की तिथि से 12 माह एवं अक्टूबर 2007) एसीओएस को आपूर्ति किया (2007)। फर्म को प्रदान किया गया (अक्टूबर 2004) कयादेश (रिक्वायर्स) की 21 एवं 20 की संख्या में क्रमशः जेपीडीसी (अक्टूबर एवं अक्टूबर 2007) एवं अलवर (जानवरी (कस-2) एचएल एल कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (कस) ने फिरोज प्रेषण में बैकग्राउंड रिक्वायर्स

**बैकग्राउंड रिक्वायर्स**

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि सामग्री स्टॉक में छ: वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कायम रखने से बाहर कर दिया गया। तथ्य यही रहता है कि सामग्री स्टॉक में छ: वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सरकार ने बताया कि केवल आरपीडीआरपी कार्यों के लिए कर्मियों की गई थी। तथ्यादि, बाद में, 33 कृषि कार्य को पूरा करने के लिए सामग्री की आवश्यकता में गिरावट भी हुई।

तथ्यादि: छ: वर्षों की अवधि के लिए अग्रयुक्त पत्रे हुए थे। अग्रयुक्त केवल के परिणामतः न केवल कोष अवकाश (ओएचएएस) भी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन स्टॉक की निगरानी करने में विफल रहा क्योंकि उच्च मूल्य की मद 2012-14 के दौरान टीएन 4375 एवं 4400 के अधीन कृषि मद को कर्मियों की आवश्यकताओं के अनुसार 2011 से ₹ 6.67 करोड़ मूल्य की 54.41 किमी केवल स्टॉक में अग्रयुक्त पत्रे हुए थे। जबकि कम्पनी ने बाद में सहायक अभियंता (एवटीएम-1) द्वारा यह धारणा सामग्री प्रबंधन को दर्शाता है क्योंकि जूनाई एवटीएम-1 को पास पत्रे हुए थे।

अन्य एसीओएस को भुगतान किया गया था। 31 मार्च 2017 को, ₹ 4.03 करोड़ मूल्य की 32.86 किमी शेष केवल II एवं एवटीएम-1 के पास अधिशेष केवल (19.79 किमी) को एसीओएस कोटा के पास जमा करवाया गया एवं आवंटन के कारण एवटीएम-1 को स्थानांतरित कर दिया था (करवारी से मार्च 2017)। एवटीएम-1, एवटीएम-1 एवं एवटीएम-1 के स्टॉक में पत्रे सामग्री को कोटा शहर विवरण नोटवर्क को एक निजी फर्म को सौंपा। 2011)। तथ्यादि, अगस्त 2016 तक दोनों उपखण्डों ने केवल 28.58 किमी केवल को प्रकट किया। 300 वर्ग मीटर केवल (केवल) क्रमशः सहायक अभियंता (एवटीएम-1) एवं (एवटीएम-1) को जारी की (मार्च (कस-1) कोटा एसीओएस ने 58.82 किमी (₹ 7.21 करोड़) एवं 24.17 किमी (₹ 2.96 करोड़) की 33 कृषि

**33 कृषि केवल**

(पूर्व संख्या 63 पर अक्टूबर 2.21 में संशोधन)  
 आर्थिक प्रमाण के कारण अग्रयुक्त पत्रे रखी सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

**अनुबन्ध-5**

के मध्यनजर इसके उपयोग की संभावनाएं भी काफ़ी कम प्रतीत होती हैं। समय से प्रयुक्त नहीं किया जा रहा था एवं कम्पनी द्वारा अब सीटी एवं पीटी को एक इकाई के रूप में क्रय कर पीटी को अभी भी अलग इकाइयों के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तथ्य यही रहता है कि सामग्री को लम्बे

समय से बचाया कि फ़िल्ड से प्राप्त आवश्यकताओं के लिए भी पीटी का क्रय किया गया था एवं प्रोटेक्शन सीटी एवं उपकरणों के पड़े हुए पीटी की संख्या कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी। बदलाव हो गया है एवं कम्पनी अब करण्ट एवं प्रोटेक्शन ट्रांसफ़ॉर्मर्स को इकाई के रूप में क्रय कर रही है। एसीओएस में अग्रयुक्त पड़े हुए थे। इन पीटी की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। साथ ही, तकनीक में

जोड़ोशी (91), बीसा (47), अलवर (54), भरतपुर (25), सवाईमाधोपुर (20), टोंक (3) एवं जोशी (2) (पीटी) का क्रय किया गया 2017 को, इन निविदाओं के अधीन क्रय किये गये ₹ 40.62 लाख के 242 पीटी

(केस-5) कम्पनी ने टीएन 1912 एवं 1990 के अधीन (2005-06 एवं 2008-09) प्रोटेक्शन ट्रांसफ़ॉर्मर्स

#### प्रोटेक्शन ट्रांसफ़ॉर्मर्स

सामग्री को प्रयुक्त करने की संभावना नहीं है जब इसका निस्तारण कर दिया जायेगा। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि इन एमसीसीबी के उपयोग को तलाशा जायेगा एवं यदि में अग्रयुक्त पड़े हुए थे।

16.51 लाख मूल्य के क्रय: 844 एमसीसीबी (60 एम्पीयर) एवं 1185 एमसीसीबी (40 एम्पीयर) स्टांक अग्रयुक्त पड़े हुए थे। इसी प्रकार, 31 मार्च 2017 को, जोड़ोशी एसीओएस के पास ₹ 12.61 लाख एवं ₹ 4.34 (40 एम्पीयर) एवं 387 (60 एम्पीयर) एमसीसीबी जायी किये। 2017 को, ₹ 38.67 लाख मूल्य एवं 1318 एमसीसीबी बॉक्सेज की आपूर्ति प्राप्त की। अलवर एसीओएस ने, तथापि, मार्च 2017 तक केवल बॉक्स (एमसीसीबी) क्रय किये (2004)। अलवर एसीओएस ने 40 एवं 60 एम्पीयर स्टैंडिंग के क्रय: 2212 (केस-4) कम्पनी ने डेवलप इन्डिया लिमिटेड, दिल्ली से 40 एवं 60 एम्पीयर स्टैंडिंग के मॉडरेट केस स्टांक

#### मॉडरेट केस स्टांक बॉक्स

नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा आक्षेप में डूबित किये गये कियेक अभी भी कम्पनी के स्टॉक में पड़े हुए थे। मजबूत की आरएपीडीआरपी कार्यों के अधीन अधिकतर वृत्तों में प्रयुक्त कर लिया गया था। उत्तर सहमतिकाक सरकार ने बताया कि मद्र को फ़िल्ड की आवश्यकताओं के अनुसार क्रय किया गया था एवं आपूर्ति

मार्च 2017 को टीएन एसीओएस के पास सामग्री अग्रयुक्त पड़ी हुई थी। के टीएन ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के 1162 विवरण कियेक की आपूर्तियाँ (टीएन 2216) को प्राप्त किया। 31

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 95 पर अनुच्छेद 3.7.2 में संदर्भित)

निविदा प्रक्रिया को शुरू करने में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	वर्तमान में जारी निविदा की अंतिम तिथि	यातायात गणना शुरू की गई	वर्तमान में जारी निविदा के समापन से पूर्व निविदा प्रक्रिया शुरू की गई (दिन)	नया अनुबंध प्रदान करने की तिथि	निविदा के अंतिमीकरण में देरी (दिन)
पाली-नाडोल	31 जनवरी 2015	29 अक्टूबर 2014	94	31 जनवरी 2015	-
	31 जनवरी 2017	28 नवम्बर 2016	64	31 जनवरी 2017	-
हिण्डोन-करोली	23 अक्टूबर 2014	18 सितम्बर 2014	35	6 जनवरी 2015	75
	21 जनवरी 2016	25 अक्टूबर 2015	88	5 जनवरी 2016	-
	22 जनवरी 2017	6 नवम्बर 2016	77	3 फरवरी 2017	12
भरतपुर-डीग-अलवर	29 जनवरी 2016	2 नवम्बर 2015	88	8 जनवरी 2016	-
मेड़ता-रास	7 अक्टूबर 2014	22 जुलाई 2014	77	19 नवम्बर 2014	43
	4 दिसम्बर 2016	2 नवम्बर 2016	32	8 फरवरी 2017	66
कोटपुतली-सीकर-कुचामण	7 जुलाई 2015	24 अप्रैल 2015	74	23 जून 2015	-
अलवर-बहरोड़-नारनोल	21 सितम्बर 2014	30 जुलाई 2014	53	16 अक्टूबर 2014	25
बांसवाड़ा-रतलाम	8 दिसम्बर 2016	अक्टूबर 2016	68	21 दिसम्बर 2016	13
जहाजपुर-मांडलगढ़	1 मई 2014	24 मार्च 2014	38	17 जून 2014	47
	1 अगस्त 2015	4 मई 2015	89	12 अगस्त 2015	11
मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा, फतेहनगर-दरीबा	30 सितम्बर 2016	17 जुलाई 2016	75	27 सितम्बर 2016	-
चेचट-मोड़क-रामगंजमंडी	20 फरवरी 2016	17 दिसम्बर 2015	65	16 फरवरी 2016	-
	20 फरवरी 2017	21 नवम्बर 2016	91	3 फरवरी 2017	-
सुकेत-पिपलिया-भवानीमण्डी	26 फरवरी 2017	6 जनवरी 2017	51	15 मार्च 2017 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया	लागू नहीं
जोधपुर-ओसियां-फलौदी	29 दिसम्बर 2015	29 सितम्बर 2015	91	10 दिसम्बर 2015	-
बाड़ी-बयाना-खेड़ली	9 दिसम्बर 2016	23 सितम्बर 2016	77	15 मार्च 2017 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया	लागू नहीं
बीकानेर बाई पास	3 अगस्त 2014	13 मई 2014	82	1 सितम्बर 2014	29
हनुमानगढ़-सूरतगढ़	9 मई 2014	24 फरवरी 2014	74	8 जुलाई 2014	60

## अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 98 पर अनुच्छेद 3.7.6 में संदर्भित)

आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण के कारण नवनिर्मित सड़कों की प्रथम निविदा के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	समयावधि	यातायात के आधार पर परियोजना निदेशक द्वारा सिफारिश किया गया आरक्षित मूल्य	डीपीआर के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित किया गया आरक्षित मूल्य	कितनी बार निविदाएं आमंत्रित की गईं	अंतिम आरक्षित मूल्य	अवसर हानि <sup>1</sup> (₹ करोड़ में)
डबोक-मावली-फतेहनगर-चितौड़गढ़	2011-12	26.64 (एक वर्ष)	31.66 (एक वर्ष)	4	20.50 (एक वर्ष)	1.74
भरतपुर-डीग-अलवर	2013-14	9.15 (एक वर्ष)	11.62 (एक वर्ष)	2	10.00 (एक वर्ष)	5.00
मेड़ता-रास	2013-14	4.56 (एक वर्ष)	6.70 (एक वर्ष)	2	5.15 (एक वर्ष)	1.49
अलवर-बहरोड़-नारनोल	2013-14	8.21 (एक वर्ष)	9.10 (एक वर्ष)	2	8.21 (एक वर्ष)	2.25
कोटा-धारनवाड़ा	2015-16	4.50 (एक वर्ष)	8.99 (एक वर्ष)	2	3.26 (एक वर्ष)	1.60
किशनगढ़ बास-रसैरथल	2014-15	14.24 (दो वर्ष)	26.96 (दो वर्ष)	4	7.18 (एक वर्ष)	2.63
जहाजपुर-माण्डलगढ़	2012-13	4.50 (एक वर्ष)	6.75 (एक वर्ष)	2	4.50 (एक वर्ष)	0.75
बांसवाड़ा-रतलाम	2013-14	0.83 (एक वर्ष)	7.61 (एक वर्ष)	3	4.12 (दो वर्ष)	4.81
चेचट-मोड़क	2014-15	6.60 (दो वर्ष)	11.72 (दो वर्ष)	2	3.04 (एक वर्ष)	0
सूकेत-पिपलिया	2014-15	15.31 (दो वर्ष)	16.82 (दो वर्ष)	2	7.46 (एक वर्ष)	4.35
बाड़ी-बयाना	2015-16	1.24 (एक वर्ष)	3.15 (एक वर्ष)	4	0.73 (एक वर्ष)	0.46
गोटन-सोजत	2012-13	11.27 (एक वर्ष)	24.02 (दो वर्ष)	2	20.20 (दो वर्ष)	0
देबारी-कुरावाड़	2014-15	1.14 (5 माह)	2.21 (5 माह)	5	7.17 (22 माह)	2.81
जयपुर-जोबनेर	2013-14	9.04 (एक वर्ष)	16.92 (एक वर्ष)	2	9.27 (एक वर्ष)	3.39
हनुमानगढ़-सूरतगढ़	2011-12	13.64 (एक वर्ष)	15.99 (एक वर्ष)	3	24.20 (दो वर्ष)	1.99
नसीराबाद-केकड़ी	2013-14	4.30 (6 माह)	4.90 (6 माह)		5.51 (6 माह)	0
मंगलवाड़, फतेहपुर-दरीबा एवं सलूमबर- कीर की चौकी	2013-14	10.38 (एक वर्ष)	13.75 (एक वर्ष)	2	10.38 (एक वर्ष)	0
<b>कुल</b>						<b>33.27</b>

1 अंतिम रूप से निर्धारित की गई निविदा के आधार पर।

अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 99 पर अनुच्छेद 3.7.7 में संदर्भित)

वर्तमान में जारी टोल अनुबंधों पर आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(राशि: ₹ करोड़ में)

सड़क का नाम	यातायात गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षित मूल्य के निर्धारित करने का आधार	यातायात गणना एवं निर्धारित किये गये आरक्षित मूल्य के बीच विचलन (प्रतिशत में)	जारी की गई प्रथम एनआईटी	पुनरीक्षित किये गये आरक्षित मूल्य की संख्या	अंतिम आरक्षित मूल्य एवं उसका आधार	निविदा प्रदान करने के लिए कुल प्रयास	माह जिनमें निविदा को अंतिम रूप दिया गया	प्रथम निविदा आमंत्रित करने एवं निविदा प्रदान करने के बीच शामिल समयावधि (दिन)
	राशि	अवधि	राशि	अवधि								
पाली-नाडोल	2.10 (एक वर्ष)	जुलाई 2013	2.26 (एक वर्ष)	जुलाई 2013	अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	7.62	26 जुलाई 2013	-	आरक्षित मूल्य पुनरीक्षित नहीं किया गया	3	29 जनवरी 2014	187
	10.00 (दो वर्ष)	नवम्बर 2014	11.96 (दो वर्ष)	नवम्बर 2014	अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	19.60	29 नवम्बर 2014	1	8.21 (पुनरीक्षित गणना)	3	31 जनवरी 2015	63
महुआ-हिण्डोन-करोली	14.21 (दो वर्ष)	सितम्बर 2014	19.38 (दो वर्ष)	अक्टूबर 2014	अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	36.38	17 अक्टूबर 2014	2	6.03 (एक वर्ष) (पुनरीक्षित गणना)	3	6 जनवरी 2015	97
मेड़ता-रास	10.78 (दो वर्ष)	जुलाई 2014	12.73 (दो वर्ष)	अगस्त 2014	यातायात की पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि एवं पिछली टोल दर में पांच प्रतिशत वृद्धि	18.09	5 अगस्त 2014	1	10.78 (पीडी द्वारा प्रस्तावित)	3	21 नवम्बर 2014	108
अलवर-बहरोड़-नारनोल	14.78 (दो वर्ष)	अगस्त 2014	20.81 (दो वर्ष)	अगस्त 2014	पीडी की सिफारिश एवं अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	40.80	14 अगस्त 2014	1	13.22 (पुनरीक्षित यातायात गणना)	2	16 अक्टूबर 2014	63

सड़क का नाम	यातायात गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य		अवधि		राशि	अनुमानित आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर आरक्षित मूल्य	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करने का आधार	विचलन (प्रतिशत में)	जारी की गई प्रथम पुरतीक्षित मूल्य की आरक्षित संख्या	आरक्षित मूल्य की संख्या	आरक्षित एवं मूल्य उषका आधार करने के लिए कुल प्रयास	माह निविदा निविदा निविदा को आमंत्रित करने एवं निविदा प्रदान करने के दिना गणा	समाप्त (दिन)		
	अवधि	दिनांक	अवधि	दिनांक													
खैरत-रामांजमपुडी	2.58	दिसम्बर 2015	4.08	जनवरी 2016	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	विचलन 58.14	7	जनवरी 2016	1	2.58 (एक वर्ष) (पीडी द्वारा प्रस्तावित)	16	फरवरी 2016	40
खौसी	14.37	अक्टूबर 2015	15.45	अक्टूबर 2015	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	अवधि	विचलन 7.52	2	नवम्बर 2015	1	14.37 (यातायात गणना)	10	दिसम्बर 2015	38

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 100 पर अनुच्छेद 3.7.9 में संदर्भित)

नवनिर्मित सड़कों पर समझौतों के निष्पादन में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	निविदा निर्धारण की तिथि	निविदादाता के साथ समझौते के निष्पादन की तिथि	टोल के शुरु होने की तिथि	समझौते के निष्पादन में देरी (दिनों में)	अवसर हानि <sup>1</sup> (₹ करोड़ में)
गोटन-सोजत	1 जनवरी 2013	11 जुलाई 2013	12 जुलाई 2013	191	4.98
पाली-नाडोल	12 जुलाई 2012	18 सितम्बर 2012	23 सितम्बर 2012	68	0.30
महुआ-हिण्डोन-करोली	17 जुलाई 2012	11 जनवरी 2013	24 जनवरी 2013	178	0.52 <sup>2</sup>
नसीराबाद-केकड़ी-देवली	24 फरवरी 2014	15 अप्रैल 2014	6 मई 2014	50	1.10
जयपुर-जोबनेर-कुचामण-नागोर	2 जुलाई 2014	1 दिसम्बर 2014	1 दिसम्बर 2014	152	5.08
जोधपुर-औसियां-फलौदी	24 फरवरी 2014	30 दिसम्बर 2014	30 दिसम्बर 2014	309	5.08
बाड़ी-बयाना-खेड़ली	18 सितम्बर 2014	1 दिसम्बर 2014	10 दिसम्बर 2014	74	1.02
<b>कुल</b>					<b>18.08</b>

1 परियोजना निदेशकों द्वारा समझौते के निष्पादन के लिए 14 दिनों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अवसर हानि की गणना की गई। मूल्य जिस पर निविदा प्रदान की गई थी को अवसर हानि की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है।

2 महुआ-हिण्डोन-करोली सड़क के मामले में, अवसर हानि की गणना केवल 23 दिनों के लिए की गई क्योंकि जिला कलेक्टर ने 1 जनवरी 2013 से टोल वसूली के लिए अनुमत किया था।



## अनुबंध-10

(पृष्ठ संख्या 113 पर अनुच्छेद 3.9.7 में संदर्भित)

चयनित डिपोज के संबंध में राज्य सरकार से व्यावहार्यता अंतर के अधिक दावे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	राज्य सरकार को रिपोर्ट किये गये संचालित किलोमीटर्स	बस संचालकों को जारी किये गये भुगतान के अनुसार संचालित किलोमीटर्स	दावा किये गये अधिक किलोमीटर्स	दावा किया गया अधिक व्यावहार्यता अंतर (₹ में)
2013-14	8729014	8306980	422034	4045660
2014-15	17186976	14929177	2257799	19921358
2015-16	17613404	12779767	4833637	43985131
कुल	43529394	36015924	7513470	67952149

